खण्ड–495, अंक–4
गुरुवार, 22 माघ, शक संवत् 1937
(11 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
दिनांक 10 फरवरी, 2016 को लखनऊ में वकीलों द्वारा की गई आगजनी पर चर्चा कराने की मांग	7–8
प्रश्नोत्तर	9–101
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	101
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान ...	101–107
अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग	107
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	107
अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) ...	107–109
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016. .... (पारण)	109–111
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	111–112
जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने एवं अधिग्रहीत भूमि पर राजस्व की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत रामपुर धोबियाहार के नाम से नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग में हो रही धांधली को रोके जाने एवं बाकी दिन से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	112–113
विधान सभा क्षेत्र पिपराइच, गोरखपुर में बन्द चीनी मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को मुख्य मंत्री जी द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में शामिल करने के आदेश देने के बावजूद भी विकास कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113–114

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी में जल निगम द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन में विभाग द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 114

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत से मेरठ जाने वाली सड़क पर टटीरी कस्बा अन्तर्गत रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत हसनपुर कम्हरिया में स्थित क्षतिग्रस्त रेगुलेटर एवं नहर लाइनिंग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
नगरपालिका परिषद्, जनपद बलिया वार्ड–6 मिश्रनेवरी तालुके विगही में नाली के गलत निर्माण एवं विभिन्न जल जनित रोग फैलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र गहटौर के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत कमल सागर चट्टी से कन्धरापुर गांव तक की जीर्ण–शीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
जनपद हाथरस विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116–117
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अन्तर्गत ब्लाक कप्तानगंज रामकोला के कतिपय गांवों में सूखा राहत का पैसा वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	117
जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0–7 के न्यू पंचवटी से सी–ब्लाक के गेट से ए ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद कानपुर नगर के महराजपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या–19 एवं कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
विश्वविद्यालयों की बैठक की सूचना नाम–निर्देशित सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118–119
सियाचिन में 06 दिन बर्फ में दबे रहने के बावजूद जीवित निकलने वाले लांसनायक श्री हनुमन थप्पा कोप्पाड के लम्बे जीवन की कामना हेतु नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव (पारित)	119

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2007–2008 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 119–120

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के पंचम् वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2008–2009 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के छठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2009–2010 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सातवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2010–2011 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के आठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के नवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2012–2013 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या–13–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	121
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के 2011–2012 एवं 2012–2013 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (सदन के पटल पर रखा गया)	121
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	121
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	121
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	122
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	122
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के कंघी टोला नाला की सड़क व नालियों का जनहित में सुधार कराये जाने विषयक मो0 शाकिर आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	122
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज गार्डेन कालोनी अशोक नगर की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों को	122

जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामदास आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के रहमत नगर बोगरिया की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जावेद आलम आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	123
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आलमनगर वार्ड के मोहल्लों शीतलापुरम् की सड़क व जल निकासी हेतु जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामचन्द्र पाल आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	123
श्री बंशी सिंह पहाड़िया, स0 वि0 स0 की याचिका के सम्बन्ध में सूचना...	123
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	123–133
दिनांक 03 फरवरी, 2016 को नियम–51 व 56 के सम्बन्ध में व्यवस्था ...	133–134
दिनांक 03 फरवरी, 2016 की नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	134
आज की नियम–51 व 56 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था ...	134–136
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) ...	136–176
विगत दिवसों की कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	176–190
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	190–192
नत्थियां	193–198

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–299

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
23. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
30. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
31. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
32. आबिद रजा खां, श्री बदायूँ
33. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
34. आलमबदी, श्री आजमगढ़
35. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
36. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
38. इकबाल, श्री बिजनौर
39. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
40. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
41. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
42. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
43. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
44. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
45. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
46. उदयराज, श्री उन्नाव
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
48. उमाशंकर, श्री बलिया

49. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
50. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
51. ओम कुमार, श्री बिजनौर
52. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
53. काली चरन सुमन, श्री आगरा
54. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
55. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
56. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
57. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
58. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
59. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
60. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
61. गजराज सिंह, श्री हापुड़
62. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
63. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
64. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
65. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
66. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
67. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
68. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
69. गोमती यादव, श्री लखनऊ
70. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
71. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
72. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
73. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
74. जगपाल, श्री सहारनपुर
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जफर आलम, श्री अलीगढ़
78. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
79. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
80. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
81. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
82. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
83. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
84. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
85. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
86. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
87. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
88. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
89. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
90. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
91. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
92. दलजीत सिंह, श्री बांदा
93. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
96. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
97. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
98. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
99. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
100. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
101. धर्मराज, श्री बाराबंकी
102. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
103. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
104. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
105. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
106. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद

107. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
108. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
109. नारद राय, श्री बलिया
110. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
111. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
112. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
113. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
114. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
115. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
116. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
117. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
118. पीतमराम, श्री पीलीभीत
119. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
120. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
121. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
122. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
123. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
124. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
125. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
126. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
127. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
128. फेरन लाल, श्री ललितपुर
129. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
130. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
131. बदलू खां, श्री उन्नाव
132. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
133. बाबूलाल, श्री गोण्डा
134. बावन सिंह, श्री गोण्डा
135. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
136. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
137. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
138. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
139. बैजनाथ, श्री मऊ
140. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
141. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
142. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
143. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
144. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
145. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
146. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
147. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
148. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
149. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
150. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
151. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
152. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
153. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
154. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
155. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
156. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
157. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
158. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
159. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
160. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
161. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
162. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
163. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
164. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
165. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
166. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर

167. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
168. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
169. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
170. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
171. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
172. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
173. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
174. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
175. यासर शाह, श्री बहराइच
176. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
177. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
178. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
179. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
180. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
181. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
182. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
183. रणजीत सुमन, श्री एटा
184. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
185. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
186. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
187. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
188. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
189. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
190. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
191. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
192. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
193. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
194. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
195. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
196. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
197. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
198. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
199. राधे श्याम, श्री अमेठी
200. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
201. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
202. राम करन आर्य, श्री बस्ती
203. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
204. राम गोविन्द, श्री बलिया
205. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
206. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
207. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
208. राम मगन, श्री बाराबंकी
209. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
210. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
211. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
212. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
213. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
215. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
216. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
217. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
218. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
219. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
220. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
221. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
222. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
223. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
224. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
225. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
226. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
227. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
228. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
229. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
230. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
231. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
232. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
233. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर

234. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
235. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
236. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
237. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
238. विजय सिंह, श्री रामपुर
239. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
240. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
241. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
242. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
243. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
244. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
245. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
246. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
247. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
248. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
249. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
250. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
251. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
252. शाकिर अली, श्री देवरिया
253. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
254. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
255. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
256. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
257. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
258. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
259. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
260. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
261. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
262. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
263. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
264. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
265. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
266. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
267. संजय कपूर, श्री रामपुर
268. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
269. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
270. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
271. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
272. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
273. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
274. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
275. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
276. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
277. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
278. सियाराम सागर, डा0 बरेली
279. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
280. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
281. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
282. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
283. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
284. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
285. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
286. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
287. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

288. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
289. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
290. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
291. सुल्तान बेग, श्री बरेली
292. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
293. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
294. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
295. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
296. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
297. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
298. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
299. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री रामसकल गूजर) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)।

(पूर्वाह्न 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

दिनांक 10 फरवरी, 2016 को लखनऊ में वकीलों द्वारा की गयी आगजनी पर चर्चा की मांग

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री प्रदीप माथुर के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से वकीलों और पुलिस की नूराकुश्ती का शिकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन सामान्य अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। सरकार को तो शर्म है नहीं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि पीठ से इस बात का निर्देश दें कि ऐसी हालात में जब सत्र चल रहा हो और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चर्चा चल रही हो, पूरे उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि लखनऊ में इक्ट्ठा हो, ऐसी हालात में लखनऊ अराजकता का चारागाह बन गया हो। मान्यवर, बड़ी शर्म की बात है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर व्यवस्था दें और सरकार को इस बात का निर्देश दें कि लखनऊ जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, स्कूली बच्चे, महिलायें, जन सामान्य, कर्मचारी–अधिकारी जिस तरीके से परेशान हुए हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, पहले प्रश्न आ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है, हालात यह है प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कल जिस तरह की घटना हुई है वह बहुत ही गम्भीर है। नाका हिंडोला में रहने वाले वकील श्रवण वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मर्डर होता है, उनके परिजन थाने जाते हैं लेकिन पुलिस की कान पर जूँ नहीं रेंगती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मामला हाईकोर्ट के वकीलों के संज्ञान में आता है और तत्काल कार्रवाई करने व परिवार को मुआवजा दिये जाने की माँग करते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई न होने से आगजनी की घटनायें हुईं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

(इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के श्री बंशी सिंह पहाड़िया, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री दिलनवाज खान, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री अखिलेश प्रताप सिंह सहित कई सदस्य सदन की वेल में आ गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'डिले डिफीट दि जस्टिस'। अगर तत्काल न्याय मिल जाता तो यह घटना नहीं होती। यह

शर्मनाक घटना जो लखनऊ में हुई यह पूरे प्रदेश में एक उदाहरण बन गया है। यह शर्मनाक घटना इसलिए हुई कि यह सरकार का नकारापन है। अगर वकील श्रवण वर्मा की हत्या पर सरकार तत्काल कार्रवाई करती तो इस तरह की घटना नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये। आप लोग अपने आसन पर चलिये। खन्ना जी, आपकी बात आ गयी। माथुर साहब आप भी बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, एकत्रित वकील मुआवजे की माँग कर रहे थे और मजबूर होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। अगर सरकार संवेदनशील होती तो यह स्थिति नहीं होती। जब राजधानी की यह हालत है तो अंदाजा लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब यह नियमों में आप उठाते तो इस पर चर्चा हो जाती, नियमों के अन्दर तो आप लाये नहीं, जब मन होता है तो खड़े हो जाते हैं। आप अपने सदस्यों को वापस बुलायें।

आप लोग चलिये, आपका विरोध हो गया। अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेने दीजिए।

(वेल में आये हुए कांग्रेस के सदस्य वापस अपने–अपने आसन पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह पूरे प्रदेश में हो क्या रहा है, लखनऊ पूरा जल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं मेरी पार्टी के पूर्व सांसद श्री रमाकान्त यादव के भाई की जेल में हत्या हो गयी। आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल आपूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर प्रश्न है और क्योंकि विपक्ष ने इस सवाल को उठाया है लिहाजा सरकार का यह दायित्व है कि वह इसमें जवाब दे। मान्यवर, खुद कानून के रखवाले जो अदालत में खुद यह कहते हों कि अगर कानून से काम किया गया होता तो ये हालात नहीं होते। उन्हीं लोगों ने जो कुछ किया है वह बहुत ही गम्भीर सवाल है और सभी को इस पर सोचना चाहिए। मान्यवर, तन्हा कोई नेता साहबान यहाँ कह दें और बात को खत्म कर दें, मेरे ख्याल से इतना काफी नहीं है। वाकई जो कुछ हुआ है वो पढ़े–लिखे समाज का सिर झुकाने के लिए बहुत काफी है। बहुत लोगों को परेशानी हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत निन्दनीय है। पूरे सदन को ऐसे हादसे की निन्दा करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कार्रवाई करती सरकार ? कोई भी दल अगर आज सत्ता में होता तो क्या उन लोगों पर जो खुद कानून के रखवाले अपने

आपको बताते हों काला कोट पहने हों और हाथ में उनका लाइसेंसी रिवाल्वर हो और अख़बार में उनकी गोली चलाती हुई फोटो छपती हो तो सरकार क्या कार्रवाई करती उस वक्त ? कौन सा बल इस्तेमाल करती और क्या नतीजे होते उसके । सरकार ने जितने संयम से काम लिया है हालात को सही रखने के लिये, वह खुद में एक मिसाल है लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह हादसे कम होने के बजाय बढ़े हैं कल का विरोध प्रदर्शन जिस ढंग से था वह बहुत निन्दनीय था और उसे सब अगर मिलकर रोकना चाहेंगे तब ही रुक सकेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा दिया जाना

''01–श्री मनीष असीजा, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री रामचन्द्र यादव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री सतीश महाना, श्री सूरज पाल सिंह, श्री संजय कपूर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री भगवान सिंह कुशवाहा तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च/अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलों की मुआवजा धनराशि बंट गयी है ? यदि नहीं, तो अपना सब कुछ गवां चुके ऐसे किसानों को तत्काल मुआवजे की धनराशि सरकार वितरित करायेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल यादव)–

प्रदेश में फरवरी/मार्च/अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति से राहत प्रदान किये जाने के लिए कुल रु0 4498.29 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार रु0 3974.53 करोड़ की धनराशि 9775730 किसानों में वितरित की जा चुकी है। अवशेष धनराशि का वितरण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

(सदस्य श्री महाना एवं सदस्य श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों में से कौन प्रश्न पूछेगा ?

श्री सतीश महाना–

पहले असीजा जी पूछ लें उसके बाद मैं।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस बहुत संवेदनशील और पूरे प्रदेश को जिस आपदा ने अपनी चपेट में लिया था, उससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न करने खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि फरवरी–मार्च, 2015 आज से एक साल पहले जो यह ओलावृष्टि हुई इसमें किसानों की जो फसलों को नुकसान हुआ उसके लिये 4498.29 करोड़ लगभग 4500 करोड़ रुपये जिलों को आवंटित किया गया और अभी तक 3974 करोड़ रुपया बाँटा गया। एक साल हो चुका, किसानों की हितैषी सरकार है यह किसान वर्ष भी है। पिछली बार भी किसान वर्ष था। 523 करोड़ रुपया आज भी किसानों को देने के लिये जिलों में पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने यह घोर लापरवाही करी है और किसानों के नुकसान को एक साल के बाद भी 500 करोड़ से ऊपर की रकम जिलों में दबाकर बैठे हैं क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी प्रश्न उठाया है वैसे तो हमारी सरकार ने बहुत ही सम्वेदनशील हो करके जो भी आपदा आई थी उसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अधिकारियों ने भी लिया है और उस समय जब आपदा आई थी बजट पास हो चुका था और बजट में इतना धन नहीं उपलब्ध था इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही ऐसे संवेदनशील हो करके कॉन्टिनजेंसी से पैसा दिया और प्रदेश के किसानों को राहत पहुँचाने का काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया। (मेजों की थपथपाहट) पहले ही दिन से शुरू कर दिया और उसमें दिनांक 20–3–2015 को 200 करोड़, दिनांक 27–4–2015 को 300 करोड़, दिनांक 6–5–2015 को 500 करोड़, दिनांक 18–5–2015 को 500 करोड़, दिनांक 5–6–2015 को 500 करोड़, दिनांक 30–6–2015 को 500 करोड़। इस तरीके से 2500 करोड़ रुपये किसानों के बीच में पहुँचा दिया, बँटना शुरू हो गया और बहुत तेजी से काम किया। इसमें पूरे कर्मचारी, अधिकारी, लेखपाल से ले करके तहसीलदार से ले करके नायब तहसीलदार, एस0डी0एम0 से ले करके जिलाधिकारी तक यहाँ तक कि कमिश्नर साहबान तक को भी लगा दिया गया और बहुत तेजी के साथ शायद इतिहास में इतनी तेजी के साथ, इतनी जल्दी किसानों के बीच में इतना पैसा पहले कभी नहीं पहुँचा। तो वह पहुंचा दिया है 50 परसेन्ट से ऊपर का जिसका नुकसान हुआ हो उसको सहायता की गई है। भारत सरकार का आदेश आया कि 33 प्रतिशत तक अगर नुकसान हुआ है तो उसमें भारत सरकार सहयोग करेगी। तो भारत सरकार को भी सहयोग करना था। तेजी के साथ सहयोग करना चाहिए था भारत सरकार को जब आपदा आई थी, इतनी बड़ी आपदा आई थी। यह राष्ट्रीय समस्या थी और हमको तो कुल मिला करके देना था तो हमने तो कोशिश की लेकिन जितना भी पैसा भारत

सरकार से मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत मिला है वह चार महीने के बाद और आपदा में तो हमने पहले ही दिन से शुरू कर दिया और आपदा में हमने पहले दिन से शुरू कर दिया है जहां–जहां लापरवाही अधिकारियों ने की है, उसमें अधिकारियों को दंडित भी किया है और दिखवा लेंगे जिलों में पैसा है या बजट में है तो उसको हम दिखवा लेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है शायद इनके पास पूरा उत्तर नहीं होगा, सात सौ करोड़ रुपया मान्यवर लगभग स्टेट डिजास्टर रिलीज फंड के अन्दर इनके पास उस समय केन्द्र सरकार का था जब यह कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, उसके बाद 2801 करोड़ रुपया एक मिला, तो लगभग 35 सौ करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया गया और अभी तक इन्होंने इतना ही बांटा है यह किसानों के बड़े हितैषी थे, तो यह जो कह रहे थे कि हमने पहले बांट दिया था तो भारत सरकार के बाद जिसको थोड़ा बहुत यह कह रहे हैं वह बता दें। मान्यवर, 2801 करोड़ रुपया जो था उसको भी बांट देते, किसानों के बीच में बांट देते, उसके बाद यह अपना खाता बराबर करने की सोचते, यह इन्होंने नहीं सोचा, आज की तारीख में लगभग पाँच सौ करोड़ रुपया बाकी है उसका उत्तर नहीं दिया। जो पैसा पड़ा है वह किसानों तक क्यों नहीं गया, जो लगभग 35 सौ करोड़ भारत सरकार द्वारा दिया गया उसको देकर यह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें।

श्री सतीश महाना–

मैं आपके माध्यम यह पूछना चाहता हूँ कि जितना पैसा इनके पास पड़ा हुआ है वह मान्यवर, जिन अधिकारियों ने नहीं बांटा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक सुनिश्चित करेंगे कि वह पैसा सारे किसानों को मिल जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग खड़े हो गए जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जो महाना साहब और असीजा साहब ने कहा है वह सत्य नहीं है। वैसे बहुत पैसा अभी भारत सरकार पर बकाया है और जैसे ही भारत सरकार से पैसा आएगा और हम अपने संसाधन जुटा लेंगे हमारी सरकार संवेदनशील है, भारत सरकार से 2801 करोड़ रुपया वह भी चार महीने के बाद, और इनको पैसा देना था 7,543.14 करोड़, ... (शोर)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर सुन लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जब भारत सरकार की टीम ने और हमारे प्रदेश की टीम ने सर्वे किया था तो 7,543.14 करोड़ भारत सरकार को देना था और लगभग 2,500 करोड़ हमको देना था प्रदेश सरकार के बजट से, तो प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 2900 करोड़ रुपया बांट दिया फिर चार महीने के बाद 2801 करोड़ आया, अभी तो भारत सरकार पर बहुत पैसा बकाया है जैसे ही बजट की व्यवस्था हो जाएगी वैसे ही बांट दिया जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह विषय किसानों से संबंधित है यह न पक्ष का विषय है और न यह विपक्ष का विषय है। सरकार ने यह कहा कि 2500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया सरकार ने, जो माननीय मंत्री जी ने डेटवार रकम जारी करने का बताया है और बांटा है 4498, तो जो इसकी बैलेन्स राशि है 1998, यह कहां से बंटी, राज्य आकस्मिकता निधि से सरकार ने दिया 2500 करोड़ और बांटा है 4498.29 तो 1998 कहां से बंटा, यह मैं जानना चाहता हूँ । दूसरे मेरे पास भारत सरकार के ओरिजनल पत्र भी हैं भारत सरकार के गौतम घोष डिप्टी सेक्रेट्री ने एक पत्र 23–1–2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को लिखा मैं उसके नम्बर नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने कहा कि 2014–15 खरीफ की फसल का सूखा राहत का पैसा 774.34 करोड़ रुपया एन0डी0आर0एफ0 से आपको मिला। उसमें से एच0डी0आर0एफ0 के बचे पैसे का समायोजन होगा ए0जी0यू0पी0 की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 को इस मद में पूर्व का 287.06 करोड़ रुपया शेष है। अर्थात मात्र 362.75 करोड़ रुपया कुल इन्होंने खर्च किया इसके अतिरिक्त अतुल पाटनी कृषि निदेशक का पत्र आया भारत सरकार से दिनांक 19 मार्च, 2015 को मुख्य सचिव/राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश को जिसमें लिखा है कि यदि एस0डी0आर0एफ0 का पैसा खत्म हो जाए और धन की आवश्यकता हो तो राज्य आकस्मिकता निधि से खर्च करें। भारत सरकार की सचेष्टता यह थी कि 19 मार्च, 2015 को पत्र लिख रही है और उस पत्र में कहा कि यदि एस0डी0आर0एफ0 का पैसा खत्म हो जाए जबकि एस0डी0आर0एफ में 166 करोड़ रुपया होता है राज्य सरकार का 509 करोड़ रुपया होता है केन्द्र सरकार का और यह नियमित राशि एक जून और 1 दिसम्बर को छमाही में रिलीज होती है तो भारत सरकार ने कहा कि यदि एस0डी0आर0एफ0 का पैसा खत्म हो जाए और धन की आवश्यकता हो तो राज्य आकस्मिकता निधि से खर्च करें एस0डी0आर0एफ0 से अधिक की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को एन0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत ज्ञापन भेजें 7774 करोड़ रुपए का ज्ञापन गया उस ज्ञापन पर भारत सरकार की कमेटी आई उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया मुख्य सचिव जी के साथ बैठक की एक आंकलन बनाया भारत सरकार की जो 7 दिन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मंत्रिसमूह की बैठक में एक रकम तय हुई और 2801 करोड़ रुपया उसके अन्तर्गत सरकार के पास आ गया एक आशीष कुमार भूटानी संयुक्त सचिव एवं टीम लीडर आई0एम0सी0टी0यू0पी0 उन्होंने राहत आयुक्त को एक पत्र लिखा कि आप अपने प्रदेश के जनपद वार फसल हानि का जायजा लेकर तत्काल भेजें, जिससे कि आई0एम0सी0टी0 निर्णय कर सके।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

और उस पत्र में उन्होंने कहा।

श्री अध्यक्ष–

सवाल करिए।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार यह बताए कि यह जो पैसा नहीं बंटा है यह कब तक बांटने का टार्गेट था और जिन्होंने इस टार्गेट को पूरा नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष–

वह तो बता चुके।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

इसमें भाजपा के लोगों को बार–बार मौका दिया जा रहा है भाजपा के चार लोगों को इसमें मौका दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

उनके तमाम लोगों के इसमें नाम हैं उनके सभी लोगों ने दिया है आपके कम नाम हैं आपकी पार्टी से दो लोगों के नाम हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी यह क्या जवाब देंगे इनकी मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलने देंगे कि नहीं। कृपया बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इनके पास एक सदाबहार जवाब यह है कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिला मान्यवर, पहली मार्च..

श्री अध्यक्ष–

वह तो हो गया है बाजपेयी जी पत्र पढ़ दिए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सवाल आ जाने दें। पहली मार्च, 2015 को ओलावृष्टि हुई 10 अप्रैल से पहले इस सरकार ने कोई रिक्वीजीशन केन्द्र सरकार को नहीं भेजा आपने दो महीने तक स्वयं इस बात की देरी की। मान्यवर, देरी इनकी तरफ से हुई दूसरी बात केन्द्रीय करों में 32 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत पैसा भारत सरकार ने कर दिया इसी मोदी सरकार ने। उसके लिए एक बार भी धन्यवाद देने की बात तो छोड़

दीजिए बार–बार एक ही पहाड़ा पढ़ते हैं कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिला । भारत सरकार ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई ।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी पैसा यह दबाए बैठे हैं जवाब वह दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। पहले खन्ना जी को पूछ लेने दीजिए। अभी आपका नम्बर आ जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय बाजपेयी जी ने भी एक बात पूछी 2801.59 करोड़ रुपया इनको मिला एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 में और जितना पैसा इन्होंने बाँटा, उसको कब तक बाँटने का लक्ष्य था ? बुन्देलखण्ड में आज तक दूसरी किश्त नहीं बँटी है, मैं इसी 18–19 जनवरी को गया था। आखिरकार इस सरकार ने कौन सी संवेदनशीलता दिखायी ? हमने 50 परसेन्ट नुकसान के बजाय 33 परसेन्ट पर किसानों को पैसा देने को कह दिया। यह संवेदनशीलता हमनें दिखायी, भारत सरकार ने दिखायी और पैसा भी दिया। जब इन्होंने मांगा तभी पैसा भी दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना तो सवाल पूछिये। यह ओलावृष्टि पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ। नम्बर एक कि जो मनीष असीजा जी ने पूछा कि जो पैसा पड़ा है वह कब तक बँट जायेगा ? नम्बर दो कि यह पैसा कब तक बाँटने का लक्ष्य था ? इसमें देरी के लिये जिम्मेदार कौन है और उसके लिये क्या सजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि हम सब देख लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता भाजपा से बस इतना कहेंगे कि गंगा से किसान तक और किसान से अफगानिस्तान तक, कब तक भाजपा को बचायेंगे आप ? कब तक बचायेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सवाल को डायल्यूट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसको डायवर्ट कर दो। अगर इनके पास टू दि प्वाइंट जवाब होता तो टू दि प्वाइंट बात करते। इनके पास टू दि प्वाइंट जवाब नहीं है इसलिये इधर–उधर डायवर्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने मा0 असीजा जी के सवाल में ही कह दिया है कि हम उसको दिखवा लेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। मैं आपके माध्यम में मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ओलावृष्टि का जो पैसा है वह उत्तर प्रदेश के किसानों को कब तक बँट जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब तो आ गया है। मा0 मंत्री जी ने कह दिया है कि हम किसानों को पैसा बँटवा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न किसानों से जुड़ा हुआ है। ओलावृष्टि से पूरे प्रदेश का किसान तबाह हो गया था। इस सदन में भी कई बार इस पर विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से चर्चा भी हुयी और सरकार ने इस पर अपनी गम्भीरता दिखायी। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार भी कहती है कि मैंने ओलावृष्टि पीड़ितों को सहायता राशि दी। प्रदेश सरकार भी कहती है कि हमने भरपूर मदद की। मैं केवल एक छोटा–सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसाकि मा0 मंत्री जी ने खुद इस बात से अवगत कराया कि हमनें केन्द्र सरकार से साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग की और उत्तर के माध्यम से मा0 मंत्री जी ने यह भी बताया कि हमनें 4498.29 करोड़ रुपये संबंधित जनपदों को आवंटित किये। साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग की और इतना आवंटित किया। मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि प्रभावित जिलों से जिलाधिकारियों द्वारा ओलावृष्टि पीड़ितों के लिये कितनी धनराशि की मांग की गयी थी ? दूसरी चीज, उस आंकलन के सापेक्ष प्रदेश सरकार ने कितना धन बाँटा और जो धन अभी तक गया, उसमें केन्द्र सरकार का कितना है और प्रदेश सरकार का कितना है ?

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, अभी आप वहाँ खड़े होकर अपना सवाल पूछ रहे थे और हल्ला कर रहे थे और अब यहाँ आ गये टोपी लगाकर। बताईये अभी वहाँ खड़े थे अब यहाँ पहुँच गये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, आपका नाराज होना तो ठीक है, लेकिन इसमें टोपी की क्या खता है?

श्री अध्यक्ष–

अभी उनको सप्लीमेन्ट्री पूछना है और सप्लीमेन्ट्री के पहले यहाँ पहुँच गये।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि यह राष्ट्रीय समस्यायें थीं और यह गम्भीर समस्यायें थीं। अध्यक्ष जी, यह एक गंभीर समस्या थी और यह जो दैवी आपदा आयी थी, मैंने पहले ही बताया है, उसमें प्रदेश सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से काम किया है, अधिकारियों ने भी उसको बहुत संवेदनशीलता से लिया है और इतनी जल्दी, पहले ही दिन से अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया था, प्रदेश सरकार के आदेशानुसार और जब भारत सरकार की टीम आई थी तो वहाँ की तथा हमारे प्रदेश की

दोनों टीमों ने मिल करके सर्वे किया तो उसमें 7543.14 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना था, जो सर्वे टीम ने कहा था और हमको लगभग 2500 करोड़ रुपया देना था। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने तो तुरन्त ही जो मैंने आपको क्रमवाइज बताया है वह लगभग 2900 कुछ करोड़ रुपया है, जो हमको केवल 2500 करोड़ बांटना है। फिर उसके 04 महीने के बाद भारत सरकार की तरफ से केवल आया है 2801 करोड़ रुपया। तो अभी शेष भी बचा हुआ है, किसानों को दिक्कत है और बांटा जाना है, भारत सरकार जैसे ही पैसा दे देती है, जो हमने माँगा है और फिर हमने यह भी कहा है कि जैसे–जैसे बजट में प्राविधान होगा, बजट सत्र भी अब चलेगा तो जैसे–जैसे हमें बजट में पैसा प्राप्त हो जायेगा, देंगे। लेकिन भारत सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। भारत सरकार लगातार पैसा कम करती चली जा रही है, जो भी राहत है, लगातार कम करती चली जा रही है और समय से भी पैसा नहीं दे रही है। इसी वजह से किसानों को परेशानी है लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है, किसानों के प्रति, हम लोगों ने तो इस वर्ष को भी किसान वर्ष के रूप में लिया है और हम लोगों ने तो इतना पैसा किसानों के बीच में दिया है, को–आपरेटिव विभाग में भी इतना पैसा दिया है। आजादी के बाद शायद इतना पैसा को–आपरेटिव विभाग को कभी नहीं दिया गया होगा। मौर्या जी, आपके पास भी को–आपरेटिव विभाग रहा है, 25 बैंकें बन्द क्यों हुईं ? 25 बैंके बन्द क्यों होने जा रही हैं ? उसमें भी मैंने बहुत पैसा दिया है। किसानों का 50–50 हजार रुपया माफ भी किया है, 1800 करोड़ उसमें भी दिया है तो यह मैं बताने जा रहा हूँ कि यह सरकार संवेदनशील है और यह जो 25 बैंके थीं, वह भी अब चल जायेंगी, आज अनुपूरक में माँग रहे हैं।

(कई सदस्य अपनी बात रखने के लिए बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब एक सदस्य कांग्रेस के पूछ लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया है जो 7543.14 करोड़ रुपया मिलना था, उसमें से भारत सरकार का 4498.29 करोड़ बकाया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आपने पूरा प्रश्न कर लिया है, बैठिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अभी मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपका कहना है कि जिलों से जो माँग आयी थी, उसकी कोई सूची आपके पास है ? मौर्या जी ने पूछा है कि जिलों से कितना माँगा गया था, क्या यह सूचना आपके पास है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मौर्या जी, बहुत लम्बी सूची है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके विरोध में कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को वॉक आउट करना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार दोनों आपस में मिले हुये हैं। इसके विरोध में हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्या अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय, यह अभी जा रहे हैं, देखिये चले गये। आप भी जा रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(इस बीच श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने स्थान से बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पीड़ा को देखकर हम और हमारा दल सदन से बहिगर्मन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

(नारेबाजी–किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज किसानों की दुर्दशा पूरा प्रदेश देख रहा है। मैंने भी कई जनपदों का दौरा किया।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछो।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या भारत सरकार से कोई ऐसा पत्र प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि हमने तो ओलावृष्टि का मुआवजा देने का वादा किया है अतिवृष्टि का नहीं दिया। हमको बताया जाये कि कहाँ ओला गिरा है कहाँ पानी। क्या ऐसा कोई पत्र आपको मिला है और मेरे

संज्ञान में आया है कि इसी वजह से वहाँ से पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। दूसरा छोटा सा मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब हमने भ्रमण किया तो लेखपालों ने जो सूचियाँ बनायीं मुआवजे की और उसके बाद वितरण हुआ। चूँकि धन धीरे–धीरे आ रहा था तो जो वितरण हुआ उसमें बहुत मनमानी हुयी है। अनियमितायें हुयी हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ लेखपालों की शिकायत न हो। इस संदर्भ में सरकार क्या कोई कार्रवाई करेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ–जहाँ से शिकायतें आयेंगी उसमें जांच कराकर अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में व्यापार को बेहतर करने की दृष्टि से सरकार की नीति की जानकारी

'01–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यापार की सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर करने की दृष्टि से क्या सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति पूर्व से बनी हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यापार की सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है जिस पर समय–समय पर यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनियमितता हुयी है। उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दों हम भिजवा देते हैं। आप ऐसे जाकर दे दो न। अब नहीं। अब माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी। आप अनियमितता लिखकर दे दो हम जांच करा लेंगे। अब नहीं। अब प्रश्न आगे बढ़ गया। अग्रवाल साहब आप इनको समझाइये। आप लिखकर दे दो जांच हो जाएगी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों का जो मुआवजे का चेक था वह तहसील से गायब हो गया। उसकी कोई जांच नहीं हुयी। उसके बाद जब हमने यह प्रश्न के माध्यम से उठाया तो वहाँ दो अमीनों और एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हुयी। लेकिन

जो एस0डी0एम0 है जिसकी देखरेख में यह कार्रवाई की गयी वह आज भी वहां पर उपस्थित है। बस 19 लाख आया है और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वह कब तक आ जायेगा, और उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नही, मैं आगे बढ़ गया आप पीछे ले जा रही हैं। आप लिखकर दे दो। मान रहे हैं मंत्री जी, अब बैठिये। औद्योगिक विकास मंत्री जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह तारांकित प्रश्न संख्या–1, आप ही जवाब दे दीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वयं देखा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, जिस मा0 मंत्री जी को यह दायित्व दिया गया होगा, वह स्वयं यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री अध्यक्ष–

सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, वह मैं समझ रहा हूँ सामूहिक दायित्व का अर्थ और मैं यह भी समझ रहा हूँ कि मा0 आजम खां जी तो सक्षम हैं किसी भी सवाल का जवाब दे देने में। मान्यवर, प्रश्न मेरा कुछ और था और जवाब पूरी तरह अलग है। मैंने प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के बारे में नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न है ''ईज आफ डूइंग बिजनेस'' के बारे में। एक उद्योगपति जब यह संकल्प लेता है कि वह किसी क्षेत्र में निवेश करेगा, तो यह तो आपकी निवेश नीति में तय हो गया, लेकिन जब वह जमीन पर निवेश करने जाता है, जमीनी आधार पर, तो उसे बहुत सारी लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है। यह लालफीताशाही कम हो सके और उद्योगपति यह निर्णय के बाद तुरन्त अपना निवेश कर सकें, इसके लिए वह सारे कानूनी प्राविधानों को साधारण करने की एक प्रक्रिया चली है, दिल्ली के स्तर पर दिसम्बर, 2014 में एक बैठक हुई और 96 मुद्दे तय हुए, 96 बिन्दुओं पर यह तय किया गया कि इन–इन बिन्दुओं पर ऐसे–ऐसे सरलीकृत कर दिया जायेगा, तो जो उद्योगपति निवेश करना चाहते हैं, वह बेहतर तरीके से किसी भी प्रदेश में जाकर निवेश कर सकेंगे और इतना ही नहीं, यह भी तय हुआ कि 2015 में यह देखा जायेगा कि किन–किन प्रदेशों ने इन 96 मुद्दों पर क्या–क्या कार्यवाही की है, यह पूरा एक थर्ड पार्टी आँकलन हुआ और अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लेकर आने का मेरा उद्देश्य यही था, जब वह मूल्यांकन किया गया तो 14 बड़े प्रान्तों में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां बैठे हैं, जिनकी रूचि निवेश में रहती है, उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां आया, नीचे से चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का आया। उस सारी लाल फीताशाही को सिम्प्लीफाई करने में जिसके तहत उद्योगपति आसानी से निवेश कर सकें और बहुत छोटे–छोटे वैलिड प्वाइण्ट थे अध्यक्ष जी, एकदम टू दि प्वाइण्ट जमीनी समस्याओं और हकीकतों को स्वीकार करके उनको कैसे आसान बनाया जाय, जैसे यदि कोई उद्योगपति किसी भूमि आवंटन के लिए जाता है, यदि कोई

उद्योगपति वहां पर निर्माण शुरू करना चाहता है, यदि कोई उद्योगपति वहां बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है, यदि कोई उद्योगपति वहां टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, यदि कोई उद्योगपति वहां पर मजदूरों को नौकरी पर रखना चाहता है, यदि कोई उद्योगपति वैट में और सी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना चाहता है, यह सारे प्राविधान हैं, 96 बिन्दु हैं और तय किया गया कि यथासम्भव एक सिंगल जगह से इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाय, एक समयबद्ध समाधान निकाला जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि यदि किसी उद्योगपति ने आवेदन दिया तो इतने दिनों के अन्दर इस समाधान को दे दिया जायेगा, यदि नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जायेंगी। बहुत सारे प्रान्तों ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दीं, अगर निश्चित समय में यह कार्यवाही नहीं होती है तो बाकायदा ऐक्ट बना कर के उसको लागू कर दिया कि अधिकारियों को किस प्रकार से दण्डित किया जायेगा। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें से किया तो कुछ नहीं, इसीलिए दसवां स्थान आया और जब सवाल यह पूछा जा रहा है, सवाल दो महीने पहले पूछा गया होगा, जब सवाल विभाग मे पहुँच गया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो कर लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि यह सरकार बतायेगी कि इन 96 बिन्दुओं पर जो कार्रवाई सरकार को करनी थी, क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की है। जिससे वे लोग जो यहां निवेश करना चाहते हैं, वह सचमुच में निवेश कर सकें या भाग न जाएं। मा0 मंत्री जी जवाब दें, लेकिन मा0 मंत्री जी तो हैं ही नहीं, जवाब कहां से आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

वह मंत्री अधिकृत कर गये हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, नीचे से चौथे स्थान पर बता रहे हैं चूँकि यह डॉक्टर हैं लिहाजा कभी ऊपर से कभी नीचे से। मान्यवर, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। मेरे पास भी वही सरकारी जवाब है जो सरकारी जवाब आपको कहीं से मिला होगा। मान्यवर, 96 बिन्दु आपने बताए जो डिस्कस हुए, इतने ज्यादा बिंदु डिस्कस होने नहीं चाहिए थे। क्योंकि 96 में अगर एक भी बिंदु रह गया तो पूरी स्कीम बेकार चली जाएगी। इसमें जो मुख्य–मुख्य हैं उसको मैं आपको सुना देता हूँ। उद्योग स्थापना से संबंधित समस्त विभागों द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रणाली को सम्बद्ध रूप से क्रियान्वित करने का ठोस कदम नियमानुसार उठाए गए हैं। 1. पर्यावरण विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 220 प्रकार के उद्योगों सहित सौर ऊर्जा परियोजना को एन0ओ0सी0 लेने से छूट। उद्योग स्थापित और संचालित करने का आवेदन ऑन लाइन जमा करने की सुविधा। वेबसाइट

पर गणना व जमा करने की सुविधा। जल एवं वायु सहित लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को सहमति अवधि बढ़ाकर क्रमशः 5, 10 एवं 15 वर्ष। अब श्रम विभाग का सुधार। अनुकूल श्रम नीतियां। श्रम से संबंधित सात अधिनियमों के तहत रजिस्ट्रेशन, संशोधन व लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑन लाइन प्रणाली। वेबसाइट पर शुल्क जमा करने की सुविधा।

समय–सीमा निर्धारित रजिस्ट्रेशन संशोधन के लिए आवेदन मिलने के तीन माह के अंदर स्व–प्रमाणपत्र, सेल्फ सर्टिफिकेशन, निरीक्षण से मुक्त 20 श्रम कानूनों के तहत वार्षिक सूचना दाखिल करने के लिए यूनिफार्म फॉरमैट। इसके साथ वाणिज्यिक कर। राज्य में बैरियर मुक्त व्यवस्था लागू किया जाना। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 24 गुणा 7 सेण्ट्रल ग्रिवांस रिड्रेसल सेल की व्यवस्था प्रारम्भ करना। ऑन लाइन आवेदन एवं स्टेटस मॉनिटरिंग व शुल्क भुगतान की सुविधा देना। प्रदेश के 82 स्थानों 318 कामर्शियल टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना करना। जिसके माध्यम से विभिन्न सुविधाएं दी जायें। ऊर्जा पॉवर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सरलीकृत एवं संबद्ध व्यवस्था लागू किया जाना। औद्योगिक विकास निवेश मित्र वेब आधारित सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से 12 विभागों की स्वीकृतियों के लिए ऑन लाइन आवेदन अनिवार्य एवं स्टेट मॉनिटरिंग शुल्क भुगतान की सुविधा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक शिकायत निवारण प्रणाली एवं समस्या ऑन लाइन दर्ज करने की सुविधा। हर माह में दो समाधान दिवसों के उद्यमियों की समस्या का संबंधित विभाग व उद्योग बंधु द्वारा समाधान। जिला मण्डल एवं राज्य स्तर उद्योग बंधुओं में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन को सुगम बनाने में सहायता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जो विषय है उस पर यह जवाब आ रहा है। मेरा प्रश्न बहुत साफ है। यह कुछ किया गया है तभी हम दसवें स्थान पर आए हैं। आज भी हमसे आगे नौ प्रदेश हैं जो निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा लालच और हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि हम प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान पर पहुँचे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जो बाकी चीजें बची हुई हैं वस्तुतः हम लोग भी जब उत्तर प्रदेश के किसी उद्योगपति से पूछते हैं कि तुमने गुजरात में जाकर उद्योग क्यों लगा लिया या तमिलनाडु में जा कर क्यों लगा लिया तो वह जो अपनी पीड़ा बताता है वही पीड़ा है जो सारा कुछ ईज ऑफ दि बिजनेस में आता है। जिस प्रकार की समस्याओं को उसको रोज़बरोज़ झेलना पड़ता है एक–एक ऑफिस में जाना पड़ता है। इसलिए यह तय हुआ कि कोई ऐसी व्यवस्था बनायी जाये जिसमें एक उद्योगपति अगर एक आवेदन करता है तो हम तय कर दें कि 20 दिन के अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी करके आपको इसकी अनुमति दे दी जायेगी। सरकार ने आज तक यह प्राविधान नहीं किया है। जो अधिकारी नहीं करेंगे उनको दण्डित किया जायेगा। सरकार ने वह प्राविधान आज तक नहीं किया है। मैं सरकार से सिर्फ यह जानना चाहूँगा कि यह जो बचे हुए प्राविधान हैं जिसके नाते हमारे प्रदेश में पूँजी निवेश नहीं हो पा रहा है उन शेष प्राविधानों को हम कब तक लागू करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह सूचना मिल जाती कि दसवें स्थान पर कहाँ से है तो हम भी उसे देख भी लेते, पढ़ भी लेते और समझ भी लेते और उससे कोई सबक भी हासिल करते। अब हमारा इतना ज्ञान नहीं है तो उसमें हम माफी चाहते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को भिजवा दे रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां भिजवा दीजिए। मान्यवर, अब गुजरात तो गुजरात है। अब एक गुजरात को इतने बड़े हिन्दुस्तान में कैसे लागू करेंगे।

गंगा को ही साफ करना शुरू करा दीजिए। गंगा गुजरात में होती तो साफ हो गई होती।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

गंगा साफ है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अरे, गंगा वहाँ साफ है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

''घूम फिर बेतलवा फिर उहे डरिया''। तीन दिन से इनका यह गंगा पुराण चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, यह ऐसा तलछट है गंगा के आस–पास जिससे ये चीजों का जवाब देने की स्थिति नहीं बना रहे हैं। इनसे कहिए कि गंगा साफ है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, आपका विषय गंगा नहीं है ये देश को मालूम है। मान्यवर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया कि जो इनका सबसे अहम मेनिफेस्टो प्वाइण्ट था गंगा को साफ करना, अब वह इनका मुद्दा नहीं रहा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जो मेरा विषय है, आप उस विषय पर आईए। आपसे सवाल जिस विषय पर है, आप उस विषय का जवाब न दें और उसे गंगा पर ले जाएँ। यह उचित नहीं है। जो विषय है आप उस विषय पर आईए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

देखिए, अब गंगा को ऐसे न कहिए, ऐसे न कहिए। मान्यवर, डाक्टर साहब के जो भी सुझाव हैं, अच्छे हैं, उन पर विचार करेंगे और जो भी बेहतर हो सकता है, उसे करेंगे।

प्रदेश में दलहन फसल की गिरावट को रोकने की सरकार की नीति

'02–श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 में दलहन फसलों की पैदावार में कितने लाख टन गिरावट आई है तथा इसके क्या कारण रहे ? क्या सरकार निरंतर हो रही गिरावट को रोकने की कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)–

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 व 2014–15 में दलहन फसलों की पैदावार में क्रमशः 8.87 लाख टन व 11.41 लाख टन गिरावट आयी है तथा दलहन फसलों की पैदावार में गिरावट के कारण निम्नवत् हैं :–

1–उन्नतिशील प्रजातियों के बीजों की कमी।

2–दलहनी फसलों में कीड़े/बीमारियों का प्रकोप।

3–असामयिक अधिक वर्षा/सूखे की स्थिति।

4–92 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषकों की संख्या।

5–वनरोजों द्वारा दलहनी फसलों को क्षति पहुंचाया जाना।

6–दलहन की रोग रोधी/कीट रोधी प्रजातियों का अभाव।

7–न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था का अभाव।

वर्षा की स्थिति :–

वर्ष	माह	सामान्य वर्षा (मि0मी0)	वास्तविक वर्षा (मि0मी0)
2013–14	अक्टूबर, 13	35.8	79.7
	जनवरी, 14	17.6	49.0
	फरवरी, 14	19.9	32.0
	मार्च, 14	10.2	20.4
2014–15	जनवरी, 15	17.6	30.3
	मार्च, 15	10.2	56.3
	अप्रैल, 15	7.3	22.7

जी हां।

भारत सरकार के सहयोग से दलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन घटक की योजना पूरे प्रदेश में लागू है, जिसके अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर प्रदर्शनों का आयोजन, उन्नत बीज वितरण, पौध/मृदा रक्षा प्रबन्धन, कृषि यंत्र वितरण, सिंचाई के लिये पम्पसेट/स्प्रिंकलर सेट, स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाईप, आदि पर अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही साथ कृषकों को फसल पद्धति

आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अनुदान कृषकों के खाते में सीधे (डी0बी0टी0 द्वारा) स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, खाद, बीज, उन्नतिशील प्रजातियों को प्राप्त करना किसान का मौलिक अधिकार है। हमारे प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने दहलन की गिरावट का कारण भी बता दिया और उसमें जो कारण रहे कि किस–किस कारण से जैसे उन्नतिशील बीज नहीं दिए, वनरोज खा गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल नहीं हुआ, आदि–आदि बातें बताईं। भारत सरकार का सहयोग भी मिल रहा है यह भी कुछ बताया, पहली बार इसमें लिखकर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। हमने इनसे यह प्रश्न किया था कि दलहन में निरन्तर हो रही गिरावट को रोकने के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या करेंगे और अभी यह जो गिरावट आई है तो हम कितने परसेण्ट दलहन का उत्पादन इस गिरावट को रोकने के लिए और करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को दहलन उपलब्ध हो जाए। हमें कितने परसेण्ट दहलन उत्पादन की अभी और आवश्यकता है।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

उन्नतिशील बीज प्रजातियों के लिए सरकार शोध करा रही है। अच्छे बीज देने की तैयारी कर रही है और बीज अच्छा होने के कारण दलहन के उत्पादन में जो गिरावट आई है, उस गिरावट में कमी होगी और पैदावार बढ़ेगी। दूसरा जो सवाल आपका है वर्ष 2012–2013 में 23.89 लाख मैट्रिक टन पैदावार थी, वर्ष 2013–14 में 15.02 लाख टन पैदावार हुई तथा वर्ष 2014–15 में 12.48 लाख टन पैदावार हो गई। यह जो गिरावट हुई है इसमें कमी के लिए एक तो बीज जो सरकार देने जा रही है, बढ़िया बीज का शोध भी हो रहा है और जो कीड़े–मकोड़े दलहन में आ रहे हैं उसके लिए दवाईयों का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। असामयिक अधिक वर्षा और सूखे के कारण जैसे हुदहुद के आने के कारण भी यह समस्या पैदा हुई कि पैदावार में गिरावट आई और वनरोज के कारण भी गिरावट आई है।

श्री अध्यक्ष–

गिरावट रोकने के लिए उन्होंने बता दिया है कि अच्छा बीज दे रहे हैं और सब कर रहे हैं अब दूसरा प्रश्न लेते हैं।

(श्री लोकेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

अब आप क्या पूछेंगे। अब इसमें बहुत हो गया, बहुत इसमें बाकी नहीं है। पूछिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कोई

सामान्य प्रश्न नहीं है, चूँकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर दिन–प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर दिन–प्रतिदिन कृषि का जो क्षेत्रफल वह कम होता चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कारण तो बता दिये, माननीय मंत्री जी ने कारण तो बता दिये, लेकिन उनका इलाज भी बताना चाहिए था। आज खेती को किसान का बेटा यह महसूस करने लगा है कि यह माइनस का सौदा है। यह माइनस का सौदा है ऐसा ज्ञान किसान के अंदर आ गया है, जिसके कारण दलहन पैदा नहीं कर पा रहा है। महँगाई भी उसी प्रकार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पैदावार देश में दलहन की नहीं हो पा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो वनरोज हैं, ये जानवर, पशु जो किसान के खेत में आ जाते हैं इनके रोकने के लिए सरकार की कोई नीति है क्या? और दलहन को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना है, चूँकि 4 वर्ष आपके हो गए हैं और 4 वर्षों में भी कोई ठोस योजना रचना नहीं बनी है। वैसे भी यह किसान वर्ष है माननीय अध्यक्ष जी, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बताएं, वनरोज को रोकने का कोई उपाय है ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

वनरोज से अन्य फसलों की अपेक्षा दलहनी फसलों को सर्वाधिक क्षति होने एवं इनकी समस्या निरन्तर तौर पर बढ़ने के कारण कृषकों द्वारा दलहनी फसलों के आच्छादन एवं उत्पादन के प्रति रूझान कम हुआ है। नीलगायों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से समस्यायें रखी जा रही हैं, फिर भी समुचित निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–446/14–04–2013 वन अनुभाग–4 दिनांक 04–03–2013 द्वारा वनरोजों एवं जंगली सुअरों के आतंक से कृषकों को उनके खेत–खलिहानों से मुक्त करने के सम्बन्ध में दी गई कार्य योजना से भी कृषकों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर पुनर्विचार करके नीलगायों व वन्य जीव अधिनियम–1972 के शेड्यूल–3 से शेड्यूल–5 में रखे जाने का अनुरोध भारत सरकार से किये जाने की कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही नीलगायों के नरों के बन्ध्याकरण के योजना वन विभाग द्वारा संचालित करके उनकी जनसंख्या नियंत्रित करने का कार्यक्रम सामायिक है। भारत सरकार में ये गया है। अब माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वहाँ से जल्दी से करा दें तो यह हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब यह प्रश्न हो गया, वनरोज वाली समस्या तो आप सभी भोग रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह–

प्रदेश सरकार द्वारा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को अभी तक कितना अनुदान दिया गया है ? मेरा दूसरा प्रश्न है हम दलहन में कितने प्रतिशत पैदावार और बढ़ा दें ?

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने योजना बता दी कि अच्छा बीज दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं यह तो बता दिया। आप भी खेती करते हैं हम भी खेती करते हैं यह पता है। अब माननीय धर्मपाल सिंह जी आप बोले।

डा0 धर्मपाल सिंह–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं पढ़ा आप कहे तो हम प्रश्न कर दें ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक कह रहे हैं आप, माननीय कृषि मंत्री जी प्रश्न संख्या–3 का जवाब पढ़ दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी मंत्री जी जवाब दे रहे थे तब दलहन वाले विषय पर पूछने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था और आपने आश्वस्त किया था कि धर्मपाल जी के बाद आप बोल लीजियेगा। आप आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बोले।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, दलहन आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। 110 रुपया 120 रुपया 140 रुपया यहां तक की 200 रुपया किलो तक दाले हो गयीं थी तो मान्यवर, ऐसे हालात में विपक्ष इस बात का आरोप सरकार पर लगाये कि सरकार निकम्मी है, तो यह बात समझ में आती है। आज माननीय मंत्री जी का जवाब, समाजवादी पार्टी सरकार को निकम्मी करार कर रही है और जो इनके उत्तर से स्पष्ट हो रहा है। मान्यवर, उत्तर है 'उन्नतिशील प्रजातियों के बीजों की कमी'। इसके पहले सत्रों में उन्नतिशील बीजों के घोटाले के कई बार मुद्दे आये यहां तक की एक माननीय मंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़ा यहां तक की पिछले सत्र में एक माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि समय से उन्नतिशील बीजों को किसान तक नहीं पहुंचा पाये और उन्नतिशील प्रजातियों के बीजों की कमी अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है तो चुल्लू भर पानी मे डूब के मरने सी बात आ जाती है और दूसरी चीज दलहनी फसलों में कीड़ों और बीमारियों की है। दैवीय प्रकोप तो मान सकते हैं, भारी वर्षा हो गयी, ओलावृष्टि हो गयी, सूखा पड़ गया यह तो दैवीय आपदा है इसको तो स्वीकार किया जा सकता है लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकती है ? यह उन्नतिशील प्रजाति के बीज उपलब्ध कौन करायेगा ? अगर कमी है तो उपलब्ध कौन

करायेगा ? दूसरी चीज आज दलहनी फसलों में कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप है तो इसका उपचार कौन करेगा, वह भी सरकार करेगी। इसका उत्तर नहीं दिया गया और मान्यवर, 92 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषकों की संख्या तो मैं केवल इनके ही उत्तर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 2012–13 में भी आपकी सरकार थी आज भी आपकी सरकार है, 2013–14 में 8.87 लाख टन और 2014–15 में 11.41 लाख टन की गिरावट आई तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है कि जब 2012–13 में आपकी सरकार थी तो उस समय सब कुछ अच्छा था और 3 साल के अन्दर सब कुछ खराब हो गया। मान्यवर जब 2012–13 में आप अच्छी दलहन का उत्पादन कर सकते थे अच्छे बीज थे, कीड़ों के प्रकोप के उपचार थे, सारे संसाधन मुहैया थे तो आज कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो सरकार इन सारी व्यवस्था को करने में फेल हो रही है। यह माननीय मंत्री जी ने पूरी समाजवादी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस उत्तर पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 2012–13 में 29.89 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई, 2013–14 और 2014–15 में घटी । मान्यवर, आप जानते हैं कि 2013–14 में मौसम ने साथ नहीं दिया हुदहुद आया, पानी बरसा, कहीं वर्षा ज्यादा हुई कहीं वर्षा नहीं हुई इस कारण फसल नष्ट हुई और इधर 2014–15 में सूखा पड़ा। आप जानते हैं कि मौर्य जी भी जानते हैं कि 2012–13 में बढ़िया सरकार चल रही थी बीच में भारत सरकार में यह लोग आ गये जब ये आते हैं तभी सूखा, पानी, दैवीय आपदा लेकर आते हैं। यह सब लेकर आ गये इस नाते पैदावार घटी है । इसके पहले 2012 से पहले जब आपकी सरकार थी तो कहीं आपने शोध करने का काम नहीं किया कि किसानों को बढ़िया बीज मिले 2012 में जब हमारे मुख्य मंत्री बने तो इन्होंने शोध के लिए पैसा दिया, शोध के लिए काम किया तो अब बढ़िया बीज मिलने जा रहा है, अब पैदावार बढ़ेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार कर लिया कि 2012–13 से पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सारी व्यवस्था चाकचौबन्द थी इसलिए 2012–13 में अच्छी फसल हुई और उसके बाद समाजवादी का मामला चला तो सब कुछ बैठ गया यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है।

सूखे से प्रभावित खरीफ की फसल की बीमा राशि का भुगतान किया जाना।

'03–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 में पड़े सूखे से प्रभावित किसानों को खरीफ की फसल की क्षतिपूर्ति के लिये अभी तक फसल बीमा की राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं। खरीफ, 2015 में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति वितरण का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 13 जनवरी, 2016 तक रुपये 131.02 करोड़ की क्षतिपूर्ति वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का सेकेण्ड पैरा देख लें मैंने सरकार से पूछा था यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान शीघ्र करायेगी सरकार का जवाब है प्रश्न नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष जी, फसल बीमा की जो योजनायें चल रही हैं प्रदेश में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में केवल 18 प्रतिशत किसान ही फसल बीमा कराता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो केवल 9 से 10 प्रतिशत किसान ही फसल बीमा कराता है और उसमें केसीसी धारक भी सम्मिलित है। इसका कारण कहीं न कहीं फसल बीमा योजना सफल नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं एक हमारे मण्डल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस में कोई पैसा बटना शुरू नहीं हुआ है इस फसल बीमा का तो एक प्रश्न तो यह कि हमारे मंडल में यह पैसा फसल बीमा योजना का कब तक वितरण शुरू करा देंगे दूसरा फसल बीमा तभी सफल होगा यदि सरकार इसका प्रीमियम खुद देने लगे तो दूसरा सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार फसल बीमा का प्रीमियम खुद उठाने पर विचार करेगी किसानों का।

श्री अध्यक्ष–

यह तो नीतिगत प्रश्न है।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने आगरा मण्डल की बात कही है कि यहां फसल बीमा नहीं बट रहा है तो हमारी जानकारी में है कि बट रहा है अगर ऐसी कहीं बात है तो हम उसको पता करके देख करके बटवाने का काम करेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, हमारा दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

वह प्रश्न जो है आपका कहना है कि क्या सरकार खुद प्रीमियम देने को तैयार होगी इसमें फसल बीमा राशि का भुगतान शीघ्र करायेगी। अब छोड़िये यह सवाल खत्म हो गया आगे बढ़ने दीजिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, व्यक्तिगत प्रश्न भी है इसमें। मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। अभी डा0 धर्मपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा। यह पूरा प्रदेश इस सवाल से परेशान और पीड़ित है जितने भी केसीसी लोन हो रहे हैं बैंकों से उनमें जबरदस्ती बीमा की पालिसी बिना उनकी इच्छा के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कम्पनी के माध्यम से थोपी जा रही है। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं मैने जनपद अलीगढ़ में अपनी तरफ से इस कम्पनी के खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा कायम कराया है। किसानों को न पालिसी के बारे में बताया जाता है और न कुछ और अवगत कराया जाता है। जब वह ऋण लेने बैंक जाता है, तो उसके खातों से पैसा काटकर बीमा कंपनी को दे दिया जाता है। यह वह कंपनी है जिसकी अमेरिका में मान्यता खत्म कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, कि यह कंपनी किसके द्वारा यहां पर लगाई गई है और इनके गलत कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात प्रश्न से संबंधित नहीं है, कृपया आप अभी बैठें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सवाल से हटकर ही सही, लेकिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्रवाई की जाये, पालिसी किसानों को सीधे दी जाये और किसानों की इच्छा के बिना कोई बैंक किसी कंपनी के पक्ष में बीमा न करे, किसी तरह की कटौती न करे, इसके निर्देश जारी किये जाये।

श्री अध्यक्ष–

आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में बात ला दी है। अब आपकी बात आ चुकी है, कृपया आप बैठ जाये। अब प्रश्न ले लेने दीजिये।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पात्रता सूची के सभी वृद्धजनों को पेंशन दिया जाना

'01–श्री मनीष असीजा तथा श्री सुदेश शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखने वाले पात्रता सूची के सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बुजुर्ग नागरिकों के संबंध में मैंने इस भावना से उठाया था कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों में जब संयुक्त परिवार विखण्डित हो रहे हैं, जीवन स्तर सुधरने के कारण से व्यक्ति ने अधिक उम्र को भी प्राप्त किया है, तो ऐसे समय बुजुर्गों की समस्यायें हमारे समाज के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 20 करोड़ की आबादी में 08 करोड़ लोग इस समय गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इन 08 करोड़ लोगों में से लगभग 01 करोड़ 34 लाख परिवार होंगे। ऐसे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, वह अपने जीवन को स्वाभिमान से जीने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाये, इस उद्देश्य के लिए वृद्धावस्था पेंशन की परिकल्पना की गई थी। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पात्रता रखने वाले सभी वृद्धजनों को वह पेंशन देंगे, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो–तीन सवाल करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबसे जुड़ी हुई बात है, हम सब विधायक जानते हैं कि क्षेत्र में बुजुर्गों की क्या स्थिति है। वर्तमान में आपके विभाग का लक्ष्य है 43.47 करोड़ और इसके सापेक्ष आपकी वर्ष 2015–16 की जो तृतीय किस्त बंटी है उसमें 25 लाख 27 हजार लोगों को यह पेंशन मिली है। वर्तमान में जो आपका यह लक्ष्य है, उससे भी लगभग 8 लाख 18 हजार पात्र वृद्धजनों को पेंशन देने से रह गये हैं, यह रही एक बात और दूसरी बात यह कि गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को जो पेंशन दी जाती है, उसमें भी अब लगभग दोगुने से ऊपर आय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले शहरी क्षेत्र में रु0 25546 वार्षिक आय सीमा निर्धारित थी जो अब रू0 56460 हो गई है और ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884 की जगह यह रू0 46080 हो गई है। यह मानें कि इस प्रदेश में गरीबी आय की सीमा में जीवन व्यतीत करने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सीमा अब और बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 08 लाख से ऊपर वृद्ध जो अभी आपकी पात्रता सूची में हैं और नहीं आ सके हैं, उन्हें आप लाने के लिए कैसे और क्या प्रयास करेंगे और अगली बात कि गरीबी की आय सीमा जो बढ़ गई है उसके कारण जो और बुजुर्ग हमारे पास बढ़े हैं उनको हम किस प्रकार से अपनी वृद्धावस्था पेंशन में शामिल करेंगे और यह पेंशन रु0 300 रुपये महीने जिसमें कुछ भी नहीं होता और इसमें भी 200 रुपया केन्द्र का है, तो क्या उसे भी बढ़ाने का काम करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की यह सोच है कि प्रदेश में जितने भी पात्र वृद्व हैं, उन सबको हम पेंशन देने के लिये तैयार हैं। इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पहले की आय सीमा थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 19884, उसे बढ़ाकर 46080 कर दिया है। इसी प्रकार शहरों में 25546 था, उसको बढ़ाकर 56460 कर दिया गया है। जो पहले बी0पी0एल0 सूची और बी0पी0एल0 कार्ड की प्रतिबद्वता थी, उसे भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। अब वृद्वावस्था पेंशन में बी0पी0एल0 सूची और बी0पी0एल0 कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है। जो कोई भी तहसील से गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण–पत्र बनवाकर देगा और 60 वर्ष से ऊपर होगा, वह पेंशन से आच्छादित होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा है, जिले में कुछ गड़बड़ियाँ हुयीं, यह सही है। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर जिले का लक्ष्य बंट भी गया है और फिर जनपद अपना लक्ष्य भेजते हैं तो हम उनको भी पेंशन देने के लिये तैयार हैं। जहाँ तक इन्होंने धनराशि बढ़ाने की बात कही है तो संसाधन की अगर व्यवस्था होगी तो विचार होगा और अगर संसाधन की व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं विचार होगा । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की यह योजना है कि प्रदेश में कोई भी आदमी भूखा न रहे। इसलिये जितने भी 60 वर्ष के ऊपर के वृद्व होंगे, पात्रता की श्रेणी में आयेंगे, भले ही वह बी0पी0एल0 सूची में हो या न हों, उनको हम वृद्वावस्था पेंशन देंगे। हम लोगों को विकलांग पेंशन दे रहे हैं, इनसे भी जो वंचित हैं, ऐसे 50 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी जा रही है। इस प्रदेश में पेंशन से वंचित कोई भी आदमी अब नहीं रह जायेगा चाहे विकलांग हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति, धर्म या वर्ग का हो ।

(श्री सुदेश शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मनीष असीजा–

वह जो 8 लाख लोग अभी बचे हैं। उनका क्या होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी मैनें पहले ही सदन में स्पष्ट कर दिया कि जनपद से आप मांग भिजवाइये, जो बाकी हैं, हम उनको भी पेंशन देंगे।

श्री मनीष असीजा–

जो समाज कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी मांग नहीं भेज रहे हैं क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उनसे कहा गया है कि वह मांग भेजें। माननीय विधायक लोगों की भी यह जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग समाज में काम करते हैं तो जिलाधिकारी मांग क्यों नहीं भेजेगा। मान्यवर, दूसरी भी समस्या का समाधान हम लोगों ने कर लिया है और सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि प्रधान को जिस व्यक्ति ने वोट दिया, अगर वह पात्र नहीं है तो वह उसको भी पेंशन दिला देता है और जो वास्तविक पात्र आदमी है, वह बिल्कुल रोता बिलखता रहता है। इसलिये उस समस्या का भी समाधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है कि अब जो पात्र नहीं है, जिसका चयन गांव सभा से नहीं हुआ है अगर वह गांव सभा में एप्लीकेशन दे देगा और अब तो सीधे आनलाइन फार्म भरवाने की व्यवस्था हो रही है तो उसको यहाँ से प्रेशर दिया जायेगा कि इस व्यक्ति को आप पेंशन में शामिल करिये।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं बहुत सूक्ष्म में माननीय मंत्री जी से 2–3 सवाल करना चाहता

हूं। क्या जो अब तक वृद्वावस्था पेंशन का बजट चल रहा है क्या सरकार उसको बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि हम सबको देंगे।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या बजट बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। यदि बजट ही नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से देंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सबको देंगे तो बजट का चक्कर कहाँ है।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जितने मामले लम्बित हैं अभी तो कई–कई वर्षों के मामले तहसील स्तर पर और समाज कल्याण विभाग में लम्बित हैं और हम विधायकों के यहाँ रोज ना जाने कितनी महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन की बात करती हैं, उनकी पेंशन के मामले को कितने समय तक निस्तारण करने का काम करेंगे ? यह मेरे दो प्रश्न हैं इनका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई। जब मा0 मंत्री जी ने कहा कि सबको देंगे तो बजट का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एक प्रश्न है, मा0 मंत्री जी तो अभी समाज कल्याण संभाले हैं। मा0 मंत्री जी ने अभी कहा है कि हम 300 रुपए पेंशन देते हैं और मुझे निश्चित जानकारी है कि 200 रुपए भारत सरकार देती है और 100 रुपए राज्य सरकार देती है। भारत सरकार ने अभी पिछले वर्षों में यह कहा है कि 60 साल से ऊपर के वृद्धजनों को हम अपने संसाधन से पेंशन देंगे। अब राज्य सरकार को यह देना नहीं होता है यह कुल भारत सरकार से आता है केवल आप 100 रुपए देते हैं इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप भारत सरकार के बराबर धनराशि मिलायेंगे, जो ये 100 रुपए देते हैं उसे बढ़ाकर 200 रुपए मिलाकर पेंशन की धनराशि 400 रुपए करेंगे। दूसरा, जो मा0 मंत्री जी ने कहा है कि हमने आय सीमा बढ़ाई है, 19884 और 25546 थी, मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है ऐसे वृद्धजनों को वह वृद्धापेंशन देगी जिनका नाम 2002 की बी0पी0एल0 सूची में है, केवल वही लोग पेंशन पायेंगे और राज्य सरकार द्वारा जो आय सीमा बढ़ाई गई है, उसके आधार पर भारत सरकार पेंशन नहीं देगी इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या इस आय सीमा को मानने के लिए भारत सरकार को मा0 मंत्री जी पत्र लिखेंगे, जिससे कि और वृद्धजन शामिल किये जा सकें।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, भारत सरकार का पत्र मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं पहले उसे आप सुन लीजिए क्या आप कागज दिखाने लगते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आप बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप बैठ जाएं आपकी सारी शंका का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब 12 बजकर 20 मिनट का समय हो गया है। प्रश्नों का समय समाप्त। मा0 मुख्य मंत्री जी अब अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे।

नोटः– नत्थी ग के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के आलू किसानों से आलू को खरीद कर लाभकारी मूल्य दिलाया जाना

'02–डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सूरज पाल सिंह तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू का भाव वर्तमान समय में अपने लागत मूल्य से कम होने के कारण आलू के किसान बर्बादी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में आलू के किसानों को बर्बादी से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई आलू नीति के अनुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के आलू किसानों से आलू को खरीद कर लाभकारी मूल्य दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (ठाकुर मूलचन्द्र चौहान)–

प्रदेश की 10 प्रमुख मण्डियों में वर्तमान में आलू के बाजार भाव लागत मूल्य से अधिक हैं जबकि 09 मण्डियों में बाजार भाव लागत मूल्य से कम हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू का लागत मूल्य रु0 465/– प्रति कुन्टल आंकलित किया गया है।

निदेशालय कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0 प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये बाजार भाव के अनुसार दिनांक 21 जनवरी, 2016 को प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव बरेली में न्यूनतम रु0 370/– से बस्ती एवं लखनऊ में अधिकतम रु0 600/– प्रति कुन्टल के मध्य है।

जी हां।

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में आलू के क्रय हेतु विद्यमान बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 2015–16 में आलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना में आलू क्रय करने का प्राविधान है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर खुदाई के उपरान्त विद्यमान बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए माह फरवरी से आलू क्रय किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन हेतु पालीथीन बैगों का निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने विषयक

'03–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन हेतु पालिथीन बैगों के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय तथा ढुलाई को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना सं0–3306/55–पर्या0–15–27 (पर्या0)/15, दिनांक 22–12–2015 निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगजनों की सहायता हेतु संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी

'04–श्री सुरेश राणा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगों की सहायता हेतु कौन–कौन सी योजनायें संचालित की गई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी)–

वर्तमान में विकलांगजनों की सहायता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

1–विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना।

2–कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना।

3–विकलांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

4–दुकान निर्माण/संचालन योजना।

5–विभिन्न श्रेणी के विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु विभागीय विद्यालय/कौशल विकास केन्द्रों का संचालन।

6–उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को विकलांगजन की निःशुल्क बस यात्रा।

7–स्वैच्छिक संस्थाओं को विकलांगता की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार के लिये राज्य स्तरीय अनुदान।

8–शल्य चिकित्सा अनुदान।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में सूखे की समस्या को देखते हुए किसानों को खाद व बीज निःशुल्क देने का विचार

'05–श्री नदीम जावेद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे की समस्या को देखते हुए क्या सरकार अगली फसल हेतु बीज व खाद किसानों को निःशुल्क देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं। प्रदेश में सूखे की समस्या को देखते हुए सूखाग्रस्त अवधि के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सूखाग्रस्त जनपदों में गेहूं, दलहन एवं तिलहनी फसलों के बीजों पर अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार अनुदान देने का निर्णय लिया गया है :–

गेहूं	प्रमोशनल प्रजातियों पर रुपये 600/– प्रति कुन्तल
दलहन (चना, मटर एवं मसूर)	रुपये 1700/– प्रति कुन्तल
तिलहन (राई/सरसों, तोरिया एवं अलसी)	रुपये 1200/– प्रति कुन्तल

रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित एवं अत्यधिक प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा फसलों की जल मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण फसल लागत बढ़ जाती है। अतः निःशुल्क उर्वरक उपलब्ध कराकर सूखाग्रस्त भूमि में इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूर्व से ही अनुदान देते हुए कृषकों को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों को बीज पर भी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश की नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की कार्य योजना

'06–श्री सतीश महाना तथा श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में नदियों के जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू जल–मल एवं औद्योगिक प्रदूषण है। प्रदेश में घरेलू जल–मल से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु जल निगम द्वारा गंगा कार्य योजना (प्रथम), गंगा कार्य योजना (द्वितीय) एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 03 एवं रामगंगा नदी के किनारे 02 नगरों को चिन्हित कर उनसे जनित घरेलू जल–मल के शुद्धीकरण हेतु 52 परियोजनाएं सम्मिलित की गयी हैं, जिनकी कुल लागत

लगभग रु0 12000 करोड़ अनुमानित है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से घरेलू जल–मल के एकत्रण हेतु सीवर लाइन की स्थापना करना तथा शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण करना सम्मिलित है।

औद्योगिक जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण व संचालन का अनुश्रवण करना एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणी के 851 उद्योगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 786 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं। शेष 65 उद्योगों में से 42 उद्योग स्वयं के कारण से तथा 23 उद्योग उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों से बन्द चल रहे हैं। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन सभी उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावारी ठीक रहे, सम्बन्धित सरकार की कार्य योजना

'07–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे प्राकृतिक बदलावों के अनुरूप किसानों को फसल पैदा करने की जानकारी देने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

विद्यमान परिस्थितियों एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन की कार्य योजना तैयार की जाती है।

कृषि विभाग द्वारा मौसम में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर फसल प्रबन्धन की रणनीति एवं आकस्मिक योजना–2015 तैयार की गयी है। योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी–विवाह एवं बीमारी आदि में दिये जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ाया जाना

'08–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री प्रदीप चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी–विवाह एवं बीमारी आदि के

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^^d** vkxs i`"B 193&195 ij½

लिये दी जा रही अनुदान राशि को मंहगाई तथा पिछड़ेपन को दृष्टिगत बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अनुसूचित जाति शादी–बीमारी योजनान्तर्गत विवाह हेतु रुपया 10,000/– प्रति लाभार्थी एवं बीमारी के उपचार हेतु रुपया 5,000/– प्रति लाभार्थी अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

शादी–बीमारी योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु रुपया 10,000/– एवं बीमारी अनुदान हेतु रुपया 2,000/– प्रति लाभार्थी दिये जाने का प्राविधान है।

शादी अनुदान योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु रुपया 20,000/– प्रति लाभार्थी अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त धनराशि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उसकी खपत, भण्डारण विक्रय और प्रसंस्करण हेतु सरकार की नीति

'09–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आलू का उत्पादन और उसके सापेक्ष कितना उपभोग होता है ? अतिरिक्त रूप से उत्पादित आलू के भण्डारण, विक्रय और प्रसंस्करण हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द चौहान–

प्रदेश में कुल 120 से 135 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है, जिसके सापेक्ष लगभग 95 लाख मीट्रिक टन आलू का उपभोग होता है। आलू के उपभोग का अनुमानित विवरण निम्नवत् है :–

भोज्य आलू–72 लाख मीट्रिक टन

बीज आलू–20 लाख मीट्रिक टन

घरेलू प्रसंस्करण में उपयोग–03 लाख मीट्रिक टन

प्रदेश में उत्पादित आलू के भण्डारण हेतु निजी क्षेत्र में कार्यरत 1649 शीत गृहों में 124.94 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता है।

प्रदेश के अन्दर एवं बाहर आलू का विक्रय आलू उत्पादक एवं व्यापारियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

उ0 प्र0 आलू विकास नीति–2014 एवं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उ0 प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 सरकार द्वारा लागू की गयी है।

उ0 प्र0 आलू विकास नीति–2014 के अन्तर्गत आलू की खेती के लिये गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना, आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना, प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात हेतु बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिये तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास आदि कार्यक्रम संचालित है। उ0 प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुदान/रियायतें उपलब्ध हैं :–

स्टैम्प ड्यूटी में छूट, ब्याज पर अनुदान, मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट, वाणिजय कर में छूट, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान, विपणन विकास हेतु सहायता, प्रसंस्करण पदार्थों के निर्यात हेतु प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास का प्राविधान, मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे सम्बन्धित उद्यमों की स्थापना के लिये बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स तैयार कराने हेतु सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उन्नत बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार की कार्य योजना

'10–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उन्नत बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजना का लाभ कमजोर एवं गरीब किसानों को नहीं मिल पाता है और बिचौलियों के माध्यम से उन्नत बीज एवं खाद खुले बाजार में ज्यादा मूल्य पर बेंच दी जाती है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कोई तंत्र विकसित किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

कार्य योजना का विवरण निम्नलिखित है :–

बीज–प्रदेश में उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2012 में सीड रोलिंग प्लान तैयार कर बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं के साथ प्रदेश की संस्तुत प्रजातियों का बीजोत्पादन किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप बीज प्रतिस्थापन दर एवं प्रजाति प्रतिस्थापन दर में भी वृद्धि हुई है।

उर्वरक–

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह उर्वरक आपूर्ति प्लान उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर जनपदवार प्लान तैयार करके जनपदों एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। रबी सत्र में शीर्ष मांग के समय उर्वरकों की कमी की समस्या से निपटने के लिये प्रदेश शासन द्वारा फास्फेटिक (डी0ए0पी0 व एन0पी0के0) एवं यूरिया उर्वरक की प्रीजोजिशनिंग भी करायी गयी है। प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की स्थिति की समीक्षा शासन स्तर पर निरन्तर की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार जनपदों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार समस्त कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कृत संकल्पित है। बीज के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये है इसलिये कृषि योजना का लाभ कमजोर एवं गरीब किसानों को प्राप्त होता है। विचौलियों के माध्यम से एवं खुले बाजार में अनुदानित बीज की बिक्री नहीं की जाती है।

जी हां।

प्रदेश में बीज वितरण हेतु डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) की व्यवस्था विकसित की गयी है।

कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करवाने एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। शासन द्वारा कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के सुसंगत प्राविधानों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करते हुए उर्वरक निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश शासन द्वारा भी समस्त जनपदों में दिनांक 31 जुलाई, 2015 एवं 03 दिसम्बर, 2015 को आकस्मिक छापे आयोजित करवाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'11—श्री अजय कुमार 'लल्लू'—

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कितने उद्योगों ने एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हुए तथा कहां लगाये गये

'12—डा0 अरुण कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कितने उद्योगों ने एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये हैं, उनमें से कितने उद्योग कहां–कहां अब तक लगाकर उनसे उत्पादन शुरू हो गया है एवं कितने उद्योग लगने की प्रक्रिया में हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या कारण है कि एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने के बाद भी बहुत से उद्योगपति प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं ?

श्री अखिलेश यादव–

रु0 500 करोड़ से अधिक निवेश कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ 14 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं। 14 एम0ओ0यू0 में से 02 उद्योग जनपद जालौन एवं बुलन्दशहर में स्थापित कर उत्पादन शुरू हो गया है एवं 05 उद्योग लगाने की प्रक्रिया में है और शेष 07 उद्यमियों ने अभी जमीन फाइनल नहीं की है।

एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के बाद उद्योग न लगा पाने वाले उद्योगपतियों द्वारा वर्तमान में कोई कठिनाई नहीं बतायी गयी हैं, उन्हें स्वयं अपने लिये जमीन की व्यवस्था करनी है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा पेंशन योजना की धनराशि बढ़ाने की मांग

'13–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को मंहगाई को देखते हुए सरकार वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को उक्त पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को निर्बाध रूप से न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वर्तमान में विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष (2014–15) से पात्र लाभार्थियों को पेंशन धनराशि का भुगतान सीधे उनके सी0बी0एस0 बैंक खातों में निर्बाध रूप से किये जाने हेतु पी0एफ0एम0एस0 ;च्नइसपब थ्पदंदबम डंदंहमउमदज ैलेजमउद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए ई–पेमेण्ट के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की सरकार की कार्य योजना

'14–श्री त्रिभुवन राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने/कम करने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश के प्रमुख शहरों की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाता है। डीजल जनरेटर सेट्स पर नियमानुसार समुचित ऊंचाई की चिमनी एवं ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है।

कार्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों एवं वाहनों में उपलब्धता के आधार पर स्वच्छ ईंधन (सी0एन0जी0) की आपूर्ति किया जाना और शहर में संचालित वाहनों की अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा का निर्धारण किया जाना सम्मिलित है। वर्तमान में प्रदेश में वाहनों में प्रयोग हेतु लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ एवं बरेली में सी0एन0जी0 की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। वाहन प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों में भारत स्टेज–4/भारत स्टेज–3 मानकों का अनुपालन कराया जाना एवं पी0यू0सी0 प्रमाण–पत्रों की नियमित जांच किया जाना सम्मिलित है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी कार्य योजना में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के उद्योगों में से एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर के बाद हो रही उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर किया जाना

'15–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के उद्योगों में से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कितने उद्योगों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और कितनों पर कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उद्योग लगाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न करने वाले उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करते हुए शेष उद्योगों का कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

रु0 100 करोड़ से अधिक धनराशि वाले उद्योगों के लिये एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित 09 उद्योगों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और 11 पर कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उद्योग लगाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर के बाद कार्य प्रारम्भ न करने वाले उद्यमियों द्वारा वर्तमान में कोई कठिनाई नहीं बतायी गयी है।

इन शेष (11) उद्योगों हेतु उद्यमियों द्वारा अभी जमीन ही नहीं फाइनल की है, इन उद्योगों हेतु उद्यमियों को स्वयं अपने लिये जमीन की व्यवस्था करनी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा किये गये कृषि आयोग के गठन में स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना

'16–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा कृषि आयोग का गठन किया है ? यदि हां, तो क्या उसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है ? क्या सरकार स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सम्बन्धी प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान किया जाना

'17–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गुर्जर)–

जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी नौकरियों में 11 चिन्हित विभागों में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों यथा ओलम्पिक, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाले), एशियन गेम्स एवं कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता (उत्तर प्रदेश के निवासी) खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु शासनादेश सं0–76/2442/बयालिस–2015–117 (विविध)/2014, दिनांक 02 नवम्बर, 2015 के माध्यम से विशेष प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

01–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में पूर्व में आवंटित आवासों के सम्बन्ध में विवरण

02—श्री उपेन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनु0—2 का पत्र संख्या—आर0—9398/32—2—2014—28/2004, दिनांक 24 फरवरी, 2014 जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति, उ0प्र0 विधान सभा के निर्देशों के क्रम में जारी है, का अनुपालन राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में पूर्व में आवंटित आवासों के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित समस्त आवासों का आवंटन निरस्त करते हुए उपरोक्तानुसार आवंटन किया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2015—16 में पिछड़े वर्ग को मिलने वाली शादी व बीमारी अनुदान राशि को पुनर्जीवित करने की मांग

03—श्री सुरेश राणा—

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015—16 में पिछड़े वर्ग को मिलने वाली शादी व बीमारी अनुदान राशि शासन द्वारा स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को पुनर्जीवित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी—

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु संचालित शादी/बीमारी योजना का क्रियान्वयन सीमित संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 से स्थगित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में भी उक्त योजना हेतु आय—व्ययक में मात्र रुपया एक हजार का सांकेतिक प्राविधान उपलब्ध होने के कारण योजना का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में बन्द पड़ी शासकीय एवं सहकारी कपड़ा मिलों व कताई मिलों को चालू कराया जाना

04—श्री सुदेश शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द पड़ी शासकीय एवं सहकारी कपड़ा मिलों व कताई मिलों की कितनी संख्या है तथा इन मिलों पर सरकार एवं उनके मजदूरों की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या पी0पी0पी0 मॉडल पर इन मिलों को संचालित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में बन्द पड़ी शासकीय एवं सहकारी कपड़ा मिलों व कताई मिलों की कुल संख्या–21 है तथा इन मिलों पर सरकार का कुल बकाया रु0 750.56 करोड़ तथा इन मिलों के मजदूरों का कुल बकाया रु0 165.37 करोड़ है।

मा0 मंत्रि–परिषद् की बैठक दिनांक 12–11–2014 द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

;पद्ध कताई मिल संघ की मगहर, नगीना, बुलन्दशहर, बहादुरगंज, कम्पिल, अमरोहा, बहेड़ी, फतेहपुर व मऊआइमा मिलों को 10 वर्ष के लिये यूजर चार्जेज के आधार पर संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

;पपद्ध बैंक ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा सभी सम्बन्धित बैंकों से नेगोसियेट कर वन टाइम सेटेलमेन्ट कराने का प्रयास किया जाय।

;पपपद्ध शासकीय ऋण की धनराशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जाए।

;पअद्ध पुनर्संचालन हेतु मिल यूजर के ऊपर लागू होने वाली शर्तों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त 10 वर्ष की अवधि लीज पीरिएड के रूप में रखी जाय।

;अद्ध व्यापार कर विभाग की कुल बकाया धनराशि रु0 36.07 करोड़ पर देय ब्याज रु0 22.64 करोड़ तथा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन का बकाया मूल धनराशि रु0 27.71 करोड़ पर देय ब्याज रु0 44.79 करोड़ अथवा जो भी अध्यावधिक हो, को माफ कराते हुए मूल धनराशि के भुगतान को 10 वर्ष हेतु आस्थगित (डेफरमेन्ट) किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असहाय निराश्रित विकलांगजनों को अपने परिवार के पालन पोषण हेतु प्रतिमाह 300 रु0 की पेंशन राशि को बढ़ाया जाना

05–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असहाय निराश्रित विकलांग जनों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिये 300 रु0 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का बढ़ाया जाना

06–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 300 रु0 प्रतिमाह मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई को देखते हुए उक्त धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 300/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/–प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

जी नहीं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

पूर्वी उ0प्र0 के अधिक पिछड़ेपन के बावजूद क्षेत्र के विकास हेतु उद्योगपतियों को छूट देकर उद्योग धन्धे लगाया जाना

07–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ0प्र0 के अधिक पिछड़ेपन के बावजूद इस क्षेत्र के विकास तथा उद्योगपतियों को विशेष छूट देकर उद्योग धन्धे लगाने हेतु सरकार ने कोई कारगर नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनायी गयी है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 में पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापित होने वाली नई एवं विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गयी हैं :–

(1) स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

(2) निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रु0 5 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली नई/विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण।

(3) पूंजीगत ब्याज उपादान।

(4) अवस्थापना ब्याज उपादान।

(5) ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत जनपदों में उद्योग धन्धे लगाने के प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग

08—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चलाई जा रही प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत किन—किन जनपदों में उद्योग लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उसमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)—

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 11831 आवेदन—पत्र के प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं प्राप्त आवेदन—पत्र प्रस्तावों के सापेक्ष बैकों द्वारा 2252 आवेदन—पत्र प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है। उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग योजना को संचालित करने हेतु कार्यदायी एजेन्सी नामित है। योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु उद्यमियों को रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरसेटी) एवं उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है तथा ऋण के स्वीकृति एवं वितरण हेतु बैंकों से सतत् अनुसरण अनुश्रवण की कार्रवाई भी की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम शाहपुर टापर और विकास खण्ड मिर्जापुर का ग्राम पहाड़पुर में से किसी गांव का जनेश्वर मिश्र ग्राम योजनान्तर्गत चयन हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

09—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम शाहपुर टापर और विकास खण्ड मिर्जापुर का ग्राम पहाड़पुर में से किसी गांव का जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में चयन करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24—03—2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

पत्र दिनांक 24—03—2015 में उल्लिखित ग्राम शाहपुर टापर एवं ग्राम पहाड़पुर को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु अन्तिम रूप से इनका चयन संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत नहीं किया जा सका।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अनाज भण्डारण हेतु खास डिजाइन किये गये बोरे बनवाकर किसानों को उपलब्ध कराया जाना

10—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इजराइल देश की तरह अनाज को सुरक्षित रखने हेतु खास डिजाइन किये गये बोरे जिसमें अनाज, हवा, पानी, चूहे और कीट रोगी ग्रेन प्रो कोनून बोरे बनवाने/मंगवाकर किसानों को उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनाज भण्डारण के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा ग्रेन प्रो कोनून बोर में भण्डारण करने की संस्तुति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ की सरकारी कालोनी में स्थित आवास संख्या—2/3 के सौन्दर्यीकरण आदि कार्य को कराने हेतु मा0 सदस्य का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

11—श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 जय प्रकाश निषाद सदस्य, विधान सभा दिनांक 20—06—2015 का पत्र जो कि ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ की सरकारी कालोनी में स्थित आवास संख्या—2/3 आदि में रंग रोगन एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

पत्र दिनांक 20—6—2015 नहीं बल्कि पत्र दिनांकित 29—6—2015 प्राप्त हुआ है।

ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ स्थित आवास संख्या—2/3 के रंग रोगन का कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12—श्री दलवीर सिंह—

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0—134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सब्जियों व फलों पर मानक से अधिक कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से बढ़ रही बीमारियों को रोकने हेतु सरकार का उपाय

13—श्री सुदेश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकतर सब्जियों एवं फलों पर मानक से अधिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है जोकि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों का स्रोत बन रहा है ? यदि हां, तो

क्या किसानों को इसके अधिक प्रयोग से होने वाले खतरों से सचेत करने हेतु सरकार कोई उपाय करेगी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं।

कीटनाशकों का संस्तुति के अनुसार प्रयोग करने के लिये कृषकों को ब्लाक/जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/गोष्ठी/किसान मेला के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा कृषकों को यह भी बताया जाता है कि लाल त्रिकोण वाली दवाओं का प्रयोग सब्जियों पर न किया जाय। किसानों को सबसे सुरक्षित हरे त्रिकोण वाली दवाओं के प्रयोग सबसे सुरक्षित हरे त्रिकोण वाली दवाओं के प्रयोग की सलाह दी जाती है। साथ ही यह परामर्श दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो नीले त्रिकोण एवं पीले त्रिकोण वाली दवाओं का प्रयोग किया जाय। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत लाल त्रिकोण वाले कीटनाशी दवाओं पर (चूहा नियंत्रण हेतु जिंक फास्फाइड एवं अन्न भण्डारण के कीटों के नियंत्रण हेतु एल्यूमीनियम फास्फाइड, जिसका विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर) अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ विष रहित खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्थित 09 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्ट्स का उत्पादन कर 75 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रसायनिक कीटनाशक के उपयोग को कम करने हेतु जैविक कीटनाशकों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसलों के अधिक उत्पादन हेतु जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

14–श्री सुदेश शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों के अधिक उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा रासायनिक खादों का मानक से अधिक प्रयोग किया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रसायनिक खाद के विकल्प के रूप में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी नहीं।

प्रदेश की अधिकतर मृदा में आर्गेनिक कार्बन का अभाव पाया गया है, अतः भूमि में कार्बन नत्रजन अनुपात तथा मृदा स्वास्थ्य सुधार हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ–साथ जैविक खाद के प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू किया जाना

15–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही चेकिंग/जुर्माने या प्रदूषण नियंत्रण प्लान्ट न लगाने के कारण कितने उद्योग प्रदेश में बन्द हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त कारणों से बन्द उद्योगों को पुनः चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 में 336 उद्योगों को बन्दी आदेश निर्गत किये गये थे।

जी हां।

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों/पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आज्ञपक प्राविधानों का अनुपालन किये जाने पर बन्द किये गये उद्योगों को गुण–दोष के आधार पर बन्दी आदेश निक्षेप करते हुए पुनः संचालन की अनुमति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 55 उद्योगों को पुनः संचालन की अनुमति दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहकारिता अभियान को गति देने हेतु निष्क्रिय समितियों को पुनः चालू करने हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना

16–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारिता अभियान को गति देने के लिये कुल कितनी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं तथा उसमें से कितनी समितियां वर्तमान समय में निष्क्रिय हैं ? क्या सरकार निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कुल 4366 औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिसमें 1248 समितियां निष्क्रिय हैं।

इनमें से 509 निष्क्रिय समितियों में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–29 के अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति दिनांक 26–06–2015 को की जा चुकी है, ताकि इन समितियों के निर्वाचन उपरान्त समितियां पुनः अपने–अपने कार्यों में सक्रिय होकर कार्य करना प्रारम्भ कर सकें। इसके अतिरिक्त 620 निष्क्रिय समितियों में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–73 के अन्तर्गत परिसमापक दिनांक 25–06–2015 को नियुक्त किये जा चुके हैं। जिससे इन निष्क्रिय समितियों के पूंजी दायित्वों, परिसम्पत्तियों का निस्तारण हो सके।

अवशेष 119 बन्द/निष्क्रिय सहकारी समितियों के जांच/सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

मत्स्य विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम 1965 तथा नियमावली–1968 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को मत्स्य आखेट का पट्टा दिया जाने सम्बन्धित पुनः शासनादेश लागू किया जाना

17–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को जो मत्स्य विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम 1965 तथा नियमावली–1968 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को मत्स्य आखेट का पट्टा दिया जाना वर्तमान समय में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके पुनः क्रियान्वयन हेतु पूर्ववत् शासनादेश लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री रियाज अहमद)–

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–3736/1–2/95–रा0–2 दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 के प्रावधानों के अनुसार यथावत् मत्स्य पालन के पट्टे दिये जाने की व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा सदस्य समितियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी तथा वार्षिक आडिट व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने विषयक

18–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा सदस्य समितियों के विकास हेतु किन–किन योजनाओं का संचालन कर रहा है ? क्या सहकारी संघ द्वारा वार्षिक सामान्य बैठकों का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सदस्य समितियों के समक्ष सहकारी संघ की वार्षिक आडिट व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रियाज अहमद–

उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा सदस्य प्राथमिक समितियों/जिला संघ के शक्तिकरण हेतु नाव, जाल के क्रय, कार्यालय स्थापना एवं कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ के अधीनस्थ श्रेणी–तीन के जलाशयों के मत्स्याखेट के ठेके में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों/जिला संघ को शासनादेश में निहित प्रावधान के अन्तर्गत वरीयता दी जाती है। समितियों/जिला संघ की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये सदस्य समितियों के सचिव/अध्यक्ष/सदस्यों को मत्स्य सहकारिता के विकास, जलाशय प्रबन्धन, लेखों का रख–रखाव आदि विषयों पर समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदन से वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की जाती है। उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की पूर्व प्रबन्ध कमेटी का

कार्यकाल 19–10–2012 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप नयी प्रबन्ध कमेटी का गठन दिनांक 02–01–2016 को हुआ है। जिसके अनुमोदन से संघ के सामान्य निकाय की बैठक आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

जी हां।

जी हां, वार्षिक आडिट व प्रगति रिपोर्ट वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु जनहित में सौर ऊर्जा के सभी यंत्रों/उपकरणों पर लगने वाले टैक्स को समाप्त किया जाना

19–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु जनहित में सौर ऊर्जा के सभी यंत्रों/उपकरणों पर लगने वाले टैक्सों को समाप्त कर उन्हें टैक्स फ्री करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–905/ग्यारह–9(65)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(135)–2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा सोलर इनर्जी डिवाईसेस, सोलर इनर्जी इक्विपमेन्ट्स एवं उनके पार्ट्स को करमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

20–श्री दलवीर सिंह–

ख्ब ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। ,

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग–अलग शिक्षकों के रिक्त पदों का भरा जाना

21–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग–अलग शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और किन कारणों से यह पद भरे नहीं जा सके हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य, सहयुक्त आचार्य तथा आचार्य के अलग–अलग रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जा रही है।

सहायक आचार्य तथा सहयुक्त आचार्य के पदों पर भर्ती में आरक्षण के बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–32226–32227/2011 मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित रहने के कारण शिक्षकों के रिक्त पद भरे नहीं जा सके। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–7–2015 के अनुपालन में शासनादेश

संख्या–6/2015–916/सत्तर–1–2015–17(13)/1995 टी0सी0 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य, सहयुक्त आचार्य के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। आचार्य के पद पर भर्ती हेतु शासनादेश दिनांक 26 मई, 2003 द्वारा निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराने की सरकार की नीति

22–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव कराने के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या शैक्षणिक सत्र 2016–17 में उक्त चुनाव कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–सी0एम0–08/सत्तर–1–2012 दिनांक 21 मार्च, 2012 तथा शासनादेश संख्या–1/ 2016/49/सत्तर–1–2016–15(12)(1)/94 दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किसानों के उत्थान हेतु जनहित में कृषि से सम्बन्धित ट्रैक्टर आदि मशीनरी यंत्रों/उपकरणों का टैक्स समाप्त किया जाना

23–डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किसानों के उत्थान हेतु जनहित में कृषि से सम्बन्धित ट्रैक्टर आदि मशीनरी यंत्रों/उपकरणों पर लगने वाले टैक्सों को समाप्त कर उन्हें टैक्स फ्री करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में मानव चालित अथवा पशु चालित तथा ट्रैक्टर चालित अथवा विद्युत चालित अधिकांश कृषि यंत्र वैट से मुक्त हैं। राज्य की वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 08 के अन्तर्गत ट्रैक्टर पर अतिरिक्त कर सहित 05 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

24–श्री बृजेश कुमार–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–195 द्वारा उत्तरित,

जनपद बस्ती में स्थापित अठदमा शुगर मिल औद्योगिक इकाईयों में जल वायु के प्रदूषण से मुक्ति हेतु आवश्यक संयत्र लगाने विषयक

25–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थापित अठदमा शुगर मिल एवं वाल्टर शुगर मिल औद्योगिक इकाईयों में जल एवं वायु प्रदूषण के मुक्ति हेतु आवश्यक प्रदूषण संयंत्र न लगाये जाने के कारण पूरे जनपद का वातावरण विषाक्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक संत्रंत्र लगाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में स्थापित मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (शुगर यूनिट), अठदमा, रूधौली तथा मै0 गोविन्द शुगर मिल, वाल्टरगंज में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित तथा संचालित है। पूर्व पेराई–सत्र में एकत्रित उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (डिस्टलरी इकाई), अठदमा में जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्था स्थापित है। उद्योग विगत लगभग 6 माह से स्वतः कारणों से उत्पादनरत नहीं है।

जनपद कुशीनगर के क्षेत्र तमकुहीराज के 05 गांवो को जनेश्वर मिश्र ग्राम सभा योजना में चयनित किये जाने हेतु पत्र पर कृत कार्रवाई

26–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के 05 गांवों को जनेश्वर मिश्र ग्राम सभा योजना में चयन करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0–1/पी0जी0–10683871/2015 निदेशक, कृषि मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में अंकित ग्रामों को चयन हेतु विचारार्थ सूचीबद्ध कर लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पं0 जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित गांवो में निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

27–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पं0 जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित गांव गोगवान जलालपुर में मण्डी परिषद् द्वारा अधोमानक एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कराने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण की जांच दो सदस्यीय समिति गठित कर करायी गयी, जांच में कार्य संतोष जनक पाया गया।

प्रदेश में सूखे से जूझ रहे किसानों को फसल की लागत मूल्य में बृद्धि का मूल्यांकन कराया जाना

28–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे जिले जो कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं, में फसल की लागत मूल्य में वृद्धि का कोई मूल्यांकन कराया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पंण्डित सिंह–

जी हां।

प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के लागत के सम्बन्ध में कृषि विभाग (सांख्यिकी अनुभाग) द्वारा प्रदेश में सभी जिलों में एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से आच्छादित जनपदों में सर्वेक्षण कराया जाता है, जिसके परिणाम पर प्रदेश में गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् में आवश्यक विचारोपरान्त प्रमुख फसलों के सहाय्य मूल्यों की संस्तुति भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत और मूल्य आयोग के विचारार्थ प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है।

खरीफ, 2015 सूखे से प्रभावित रहा है। प्रदेश शासन द्वारा सामान्य से कम वर्षा की स्थिति पर विचार करते हुए प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। खरीफ, 2015 में कृषि विभाग एवं राज्य कृषि विस्त्रविद्यालय द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन लागत का आंकलन कर प्रदेश में गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद्के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। मूल्य परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में खरीफ, 2016 के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा हेतु मूल्यों को अनुमोदित किया गया जिसे कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार के विचारार्थ प्रेषित किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में वाणिज्य कर के विभिन्न मदों में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना

29–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में वाणिज्य कर के विभिन्न मदों में लक्ष्य के सापेक्ष कितनी वसूली हुई है ? क्या सरकार ने कम वसूली के सापेक्ष कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वाणिज्य कर के अन्तर्गत मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर आता है। विभाग हेतु सभी मदों का समेकित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित होता है। वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि करोड़ रु0 में)

वर्ष	लक्ष्य	संग्रह/वसूली
2012–13	38492.18	34870.16
2013–14	43800.00	39645.45
2014–15	47500.00	42934.66
2015–16	37800.46 दिसम्बर–15 तक	32492.06 दिसम्बर–15 तक

वाणिज्य कर विभाग के लिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की सतत् समीक्षा व अनुश्रवण किया जाता है। इन वर्षों के लक्ष्य निर्धारण में विगत वर्षों के प्राप्त कर में जितनी वृद्धि रखी गई, उसकी तुलना में संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पेट्रोलियम पदार्थों, आटोमोबाईल सेक्टर, नेचुरल गैस, सीमेंट, तम्बाकू उत्पाद, ईंट भट्ठा आदि से प्राप्त राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं रही। इन वर्षों में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं रही है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के अनेकों परिस्थितिजन्य कारण रहे हैं तथापि इन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिथिलता बरतने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 के स्तर से 117 अधिकारियों को अप्रसन्नता तथा 118 अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई। शासन स्तर से 06 अधिकारियों को परिनिन्दा प्रविष्टि एवं 12 अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई तथा 03 अधिकारियों को फील्ड से हटाते हुए कमिश्नर, वाणिज्यकर, कार्यालय से सम्बद्ध किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की ननौता सहकारी चीनी मिल, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल लि0, थाना भवन एवं दुग्ध फैक्ट्री ननौता द्वारा रासायनिक विषैला जल कृष्णा नदी में डाले जाने के कारण तीनों फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना

30—श्री सुरेश राणा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की ननौता सहकारी चीनी मिल, बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 थानाभवन एवं दुग्ध फैक्ट्री नानौता द्वारा रासायनिक विषैला जल कृष्णा नदी में डाले जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तीनों फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

जह नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर एवं दुग्ध फैक्ट्री मै0 एस0एम0सी0 फूड्स लि0, ननौता, सहारनपुर तथा मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, (शुगर यूनिट) थानाभवन, मुजफ्फरनगर में औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु वांछित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के द्वारा दिनांक 27—11—2015 को मै0 किसान सहकारी चीनी मिल्स, ननौता को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त चीनी उद्योग आफ सीजन के कारण बन्द पाया गया। मै0 एस0एम0सी0 फूड्स लि0 का दिनांक 27—11—2015 को निरीक्षण के समय उत्पादन प्रक्रिया से जनित शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्र किये गये शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 10—12—2015 को मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, थानाभवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्र किये गये शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

राजकीय कालोनी बादशाहनगर की लखनऊ में एल टाइप के जीर्ण आवासों की मरम्मत कराया जाना

31—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर की लखनऊ में एल टाइप के आवासों में लैट्रिन की तरफ जाने वाले छज्जे रास्ते की स्लैब बहुत जीर्ण—शीर्ण होने के कारण अध्यासियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त आवासों के छज्जे का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत आवासों के छज्जों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–आ–1890/32–4–2015–8बीएन/12टीसी–5, दिनांक 27–01–2016 द्वारा रु0 15.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम चरण में रु0 7.78 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में आई0टी0 हव स्थापित करने विषयक

32–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आई0टी0 क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु गोरखपुर में आई0टी0 हब स्थापित कराये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। गोरखपुर में आई0टी0 पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार के उपक्रम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इण्डिया द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है तथा भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत पांच–पांच ग्रामों को चयनित किये जाने विषयक

33–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत पांच–पांच ग्रामों को चयनित कर विकास करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, ग्रामों के विकास की स्थिति एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा ग्रामों का विकास कार्य हेतु चयन किया जाता है।

प्रदेश में प्रत्येक जनपद व विकास खण्डों में खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी खेलों के प्रति रुचि पैदा करने हेतु कैम्पों का आयोजन कराने सम्बन्धी प्रकरण

34–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जनपद व विकास खण्डों में खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु योजनाओं के बारे में जानकारी हेतु जागरूकता कैम्पों का आयोजन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर–

जी नहीं।

जी नहीं, वि0ख0 एवं जनपद स्तर पर युवाओं को खेलकूद के प्रति रूचि पैदा करने के लिए विभाग द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में सिर पर मैला ढोने के पेशे में लगे लोगों को पुनर्वास दिये जाने हेतु सरकार की योजना

35–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सिर पर मैला ढोने के पेशे में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद फिरोजाबाद में सिर पर मैला ढोने के पेशे में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जरों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जो पूरे प्रदेश में 06 फरवरी, 2014 से संचालित है।

केन्द्रीय क्षेत्र की मैनुअल स्कैवेन्जरों के पुनर्वास की संशोधित स्वरोजगार योजनान्तर्गत रु0 15.00 लाख तक की परियोजनायें बैंकों के सहयोग से वित्त पोषित की जानी है, जिसमें न्यूनतम रु0 12,500/– तथा अधिकतम् रु0 3.25 लाख अनुदान की सुविधा दी जाती है, शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होती है। अनुदान की धनराशि बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में दी जानी है। इस योजना में रु0 25,000/– तक की परियोजना लागत में महिलाओं को 4 प्रतिशत तथा अन्य को 5 प्रतिशत एवं रु0 25,000/– से अधिक की परियोजना लागत में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है, फलस्वरूप बैंक ब्याज दर के अन्तर की धनराशि ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा है, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रु0 3,000/– प्रति माह वृत्तिका दी जाती है। इसके साथ ही साथ चिन्हित स्वच्छकारों को रु0 40,000/– एकमुश्त नकद सहायता रु0 7,000/– की मासिक किश्तों में दी जाती है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं यथा–इन्दिरा आवास योजना,

समाजवादी पेंशन योजना, छात्रवृति योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को लाभ पहुंचा कर पुनर्वासित कराया जाय।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मान्यता प्राप्त खादी ग्रामोद्योग, जो निष्क्रिय हो गये है चालू किया जाना

36–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन–किन जनपदों में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कितने औद्योगिक संस्थान चालू हैं, एवं उनमें से कितने निष्क्रिय हैं ? क्या सरकार निष्क्रिय पड़े उद्योगों को गति देने हेतु कोई प्रभावी नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कोई औद्योगिक संस्थान स्थापित/संचालित नहीं है। अपितु बोर्ड द्वारा कुल 8 कम्बल कारखाना/उत्पादन केन्द्र संचालित है जो वर्तमान में निष्क्रिय है।

फेजवाद कार्य योजना के अनुसार प्रथम चरण में कम्बल कारखाना गोपीगंज (भदोही) को संचालित कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्यमियों की सहायतार्थ उद्योग बन्धु के अन्तर्गत जनपदों में स्थापित केन्द्रों पर हो रही उद्यमियों की सहायता की जानकारी

37–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उद्यमियों की सहायतार्थ उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन–किन जनपदों में कितने उद्यमी इससे लाभ उठा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की स्थापना जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत की गयी है जिसमें उद्यमियों को उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान की जाती है तथा समस्याओं का निराकरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूखे को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित समर्थन मूल्य का बढ़ाया जाना

38–श्री नदीम जावेद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूखे को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार धान क्रय करने के लिए प्रस्तावित समर्थन मूल्य को बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं फसलों की सरकार द्वारा सीधे खरीदे जाने की नीति की जानकारी

39—श्री नदीम जावेद—

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं फसलों को सरकार द्वारा सीधे खरीदे जाने के संदर्भ में कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान—

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्यानिक फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों के विपणन के लिए उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) गठित है, जिसके द्वारा समय—समय पर आवश्यकतानुसार आलू के क्रय एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। आलू उत्पादकों को सम्भावित हानि से बचाने के उददेश्य से बाजार हस्तक्षेप योजना में आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा आलू क्रय किया जाता है।

40—श्री उपेन्द्र तिवारी—

खदिनांक 09—02—2016 को अता0प्र0सं0—187 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम व समाप्त करने का सरकार का उपाय

41—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम व समाप्त करने के लिए इस समय कहां—कहां भिक्षुक गृह व कर्मशाला सरकार द्वारा संचालित हैं तथा उनमें वर्ष 2013—14, 2014—15 तथा 30 अक्टूबर 2015 तक कितने भिक्षुक/भिखारी निरोधित किये गये ? क्या सरकार उनका पुनर्वासन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम—1975 के अन्तर्गत प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इसे समाप्त करने के लिए कुल 06 जनपद क्रमशः आगरा, मथुरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ में एक—एक तथा फैजाबाद में (महिला/पुरुष) 02 कुल 08 राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) संचालित है तथा वर्ष 2013—14 में मात्र जनपद—मथुरा में 06 भिक्षुक अल्प अवधि के लिये निरुद्ध किये गये थे। उक्त जनपद में वर्ष 2014—15 तथा 30 अक्टूबर, 2015 तक कोई भी भिक्षुक निरुद्ध नहीं किये गये। इसी प्रकार शेष जनपदों यथा आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा फैजाबाद में वर्ष 2013—14 व 2014—15 तथा 30 अक्टूबर, 2015 तक कोई भी भिक्षुक निरुद्ध नहीं हुये हैं।

जनपद–मथुरा में वर्ष 2014–15 में अल्प अवधि के लिये 06 भिक्षुक निरुद्ध होने व अन्य उक्त जनपदों के भिक्षुक गृहों में इंगित अवधि में भिक्षुक निरुद्ध न होने के कारण पुनर्वासित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में शासकीय निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में मानक के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

42–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने शासकीय निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनमें निर्धारित मानकानुसार शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां पूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उच्च शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक विकसित करने हेतु रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्तमान में 14 राज्य विश्वविद्यालय तथा 22 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। महाविद्यालयों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

नियमानुसार भर्ती की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक उत्सर्जन के नमूनें के एकत्रण एवं विश्लेषण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1887 के विरुद्ध 995 नमूनों की जांच में पाई गई कमियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

43–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 09 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण एवं विश्लेषण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1887 के विरुद्ध 999 नमूनों की गयी जांच में कितने नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 999 औद्योगिक उत्सर्जन के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 39 उत्सर्जन के नमूने निर्धारित मानकों

के अनुरूप नहीं पाये गये। ऐसे 36 उद्योगों जिनके नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये है, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों को लगाने एवं समुचित संचालन करने हेतु नोटिस प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के मडिहान विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धोहा/बड़ागांव में स्थित फैक्ट्रियों में प्रदूषण यंत्र लगाने की मांग

44—श्री ललितेश पति त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मडिहान विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धोहा/बड़ा गांव में स्थित फैक्ट्रियों में प्रदूषण यंत्र लगाये गये हैं ? यदि नहीं तो उस क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित समाज की गरीब बेटियों की शादी हेतु अनुदान राशि की स्वीकृति की जानकारी

45—श्री मनीष असीजा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित समाज की गरीब परिवारों की पात्र श्रेणी की बेटियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में कितनी बेटियों को शादी हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं वित्तीय वर्ष 2015—16 में योजनान्तर्गत अत्यन्त न्यून बजट (रुपया 01 करोड़ मात्र) प्राविधान होने के कारण योजना का संचालन नहीं हो पा रहा है। जिससे लाभार्थियों की संख्या 'शून्य' है।

राज्य के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत योजना में आवश्यकतानुसार बजट व्यवस्था नहीं हो पायी है।

जनपद फिरोजाबाद में पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में अनुदान स्वीकृति की जानकारी

46—श्री मनीष असीजा—

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में पिछड़े वर्ग की गरीब परिवारों की कितनी पात्र श्रेणी की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु संचालित शादी/बीमारी योजना का क्रियान्वयन सीमित संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से स्थगित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी उक्त योजना हेतु आय–व्ययक में मात्र रुपया एक हजार का सांकेतिक प्राविधान उपलब्ध होने के कारण उक्त वर्षों में जनपद फिरोजाबाद के पिछड़े वर्ग की गरीब परिवारों के किसी भी पात्र श्रेणी की बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत अनुदान की जानकारी

47–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सामान्य वर्ग की गरीब परिवारों की कितनी पात्र श्रेणी की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत अत्यन्त न्यून बजट (रुपया 01 करोड़ मात्र) प्राविधान होने के कारण योजना का संचालन नहीं हो पा रहा है। जिससे लाभार्थियों की संख्या 'शून्य' है।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत योजना में आवश्यकतानुसार बजट व्यवस्था नहीं हो पायी है।

अलीगढ़ मण्डल के राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई

48–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मण्डल के राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10470086/2014 दिनांक 28–06–2014 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सम्प्रति अलीगढ़, मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। उक्त स्थिति से शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–सी0एम0–82/सत्तर–1–2014 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आलू किसानों के लिए आलू का लागत मूल्य निर्धारित करने तथा आलू का क्रय करने की सरकार की नीति

49–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आलू के किसानों के लिए आलू का लागत मूल्य निर्धारित करने, उत्पादित आलू का भंडारण करने और आलू का क्रय करने हेतु सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान–

जी हां।

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू का लागत मूल्य आगणित कर आलू का क्रय करने तथा उत्पादित आलू सुव्यविस्थत भण्डारण हेतु उ0प्र0 आलू विकास नीति–2014 बनायी गयी है।

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा आलू का लागत मूल्य निर्धारित करते हुए गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत उत्पादन अधिक होने एवं 10 प्रतिशत से अधिक बाजार भाव कम होने की स्थिति में आलू क्रय करने की योजना स्वीकृत करायी जाती है।

प्रदेश में उत्पादित आलू के भण्डारण के सम्बन्ध में शासन से परिपत्र जारी किये जाते हैं, ताकि शीतगृहों के बाहर अनावश्यक रूप से लम्बी कतारें न लगने पायें तथा किसानों के आलू का भण्डारण सुव्यवस्थित रूप से हो सके।

प्रदेश में किसानों के उत्पादित आलू के भण्डारण हेतु 1649 निजी शीतगृह स्थापित हैं, जिनमें 124.94 लाख मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध है, जो प्रदेश में आलू उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातक में प्रवेश से वंचित छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा होने के लिये सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

50–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्नातक में प्रवेश से वंचित छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा देने के लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कला, वाणिज्य एव्र विज्ञान विषयों में वर्ष 2015–16 हेतु सीट वृद्धि किये जाने हेतु शासनादेश सं0–सी0एम0–270/सत्तर–1–2015–16 (20) 2011 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 तथा सांध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने के सम्बन्ध में शासनादेश

सं0–894/सत्तर–1–2015–16 (20) 2011 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा दिशा–निर्देश कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश विकलांगता का प्रमाण–पत्र जारी करने का मानक

51–श्री वीरपाल राठी–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगता का प्रमाण–पत्र जारी करने का वास्तविक मानक क्या है ? क्या यह सही है कि लकवाग्रस्त व्यक्ति को भी सरकार विकलांगता की श्रेणी में ला रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 (न) के अनुसार विकलांगता प्रमाण–पत्र ऐसे सभी निःशक्त व्यक्तियों को जारी किये जा सकते हैं, जिनमें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत व उससे अधिक की विकलांगता निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त मानक के अनुसार लकवाग्रस्त व्यक्ति भी विकलांगता की श्रेणी में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कैबिनेटगंज, बन्दरियाबाग, लखनऊ में स्थित सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु ने0वि0द0 का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

52–श्री बृजेश कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा का पत्र संख्या–661/ने0वि0द0/2015 दिनांक 29–10–2015, जो कैबिनेटगंज, बन्दरियाबाग, लखनऊ में स्थित सरकारी आवासों में मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित आवास संख्या–सी–17, कैबिनेटगंज, बन्दरियाबाग, लखनऊ में शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्राथमिकता के मरम्मती कार्य करा दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतर्रा महाविद्यालय, अर्तरा, बांदा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान राशि का दुरुपयोग तथा शिक्षकों को प्रताड़ित करने के विरुद्ध की

गई जांच में
दोषी पाये गये प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई

53–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा बांदा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान राशि के दुरुपयोग तथा शिक्षकों को प्रताड़ित करने के विरुद्ध की गई जांच में दोषी पाये जाने पर पत्रांक–डिग्री (अर्थ–1)/2528/2015–16, दिनांक 6–8–2015 द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद से हटाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्राधिकृत नियंत्रक/जिलाधिकारी, बांदा द्वारा प्राचार्य का प्रभार वरिष्ठ प्राध्यापक डा0 अभिलाष कुमार श्रीवास्तव को हस्तान्तरित करा दिया गया है।

दिनांक 18–01–2016 को।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के कृषि मण्डी विभाग द्वारा निर्मित जहांगीराबाद से डबकौरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत

54–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के कृषि मण्डी विभाग द्वारा निर्मित जहांगीराबाद से डबकौरा सम्पर्क मार्ग वर्तमान में जगह–जगह से टूट रहा है ? यदि हां, तो इस मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

समयान्तराल एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण प्रिमिक्सिंग कहीं–कहीं पर क्षतिग्रस्त हो गयी है।

''उत्तर प्रदेश ग्राम मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम नवीनगर से खनपुरा तक कृषि मण्डी विभाग द्वारा बने सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किया जाना

55–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम नवीनगर से खनपुरा तक कृषि मण्डी विभाग द्वारा बनाया गया सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्ग ग्राम नवीनगर से खनपुरा तक का निर्माण नहीं कराया गया है बल्कि सम्पर्क मार्ग रोडा स्कूल–डबकौरा मार्ग से खनपुरा तक का निर्माण वर्ष, 2011 में कराया गया है।

निर्मित मार्ग ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' में निर्धारित अवधि में आच्छादित नहीं हैं, अतः मरम्मत कराने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निष्क्रिय सिनेमा हालों को पुनः चालू कराने की सरकार की नीति

56–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निष्क्रिय सिनेमा हालों को पुनः चालू कराने की सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मदन चौहान)–

जी हां।

प्रदेश में पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की योजना को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से जारी शासनादेश संख्या–1669/11–क0नि0–6–2004–बी0एस0एम0 (36)/99 दिनांक 03–09–2004 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर न्यूनतम 300 आसन क्षमता के सिनेमा हॉल सहित व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्लेक्स का पुनर्निर्माण करने वाले छविगृह हेतु अनुदान की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1560–11–क0नि0–6– 2005–बी0एस0एम0(106/2005 दिनांक 27–09–2005, द्वारा की गई, जिसकी अवधि दिनांक 31–03–2010 तक थी।

पुराने बन्द पड़े व घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संचरित कर विविध सुविधाओं व व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–231/11–6–11–बी0एस0एम0(19)/2008 दिनांक 20–05–2011 में प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कार्य के दौरान कृषि मजदूर की मृत्यु पर आश्रित के परिवारीजनो को आर्थिक सहायता देने विषयक पत्र

57–श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि कार्य के दौरान कृषि मजदूर की मृत्यु पर आश्रित के परिवारीजनों को 2 लाख रुपये बीमा का प्रावधान सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0–/पी0जी0–10111358/2012 दिनांक 25–8–2012 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पंण्डित सिंह–

सन्दर्भित पत्र कृषि विभाग में न प्राप्त होकर श्रम विभाग में प्राप्त हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर मूली प्रजाति को बचाने की मांग

58–श्री नदीम जावेद–

क्या खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मूली उत्पादन के क्षेत्र में विख्यात जनपद जौनपुर में मूली प्रजाति को बचाने एवं इससे बनने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु जनपद जौनपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान–

जनपद जौनपुर में राजकीय क्षेत्र में मूली आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग द्वारा प्रदेश में स्थानीय उपयुक्ता एवं अनुकूलता के दृष्टिगत निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु विभिन्न संचालित योजनाओं यथा–एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर में पान की खेती से विमुख हो रहे किसानों को प्रोत्साहन की योजना की जानकारी

59–श्री नदीम जावेद–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर का पान उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान समय में खेती की जटिलता और प्रतिकूल मौसम के कारण किसान पान की खेती से विमुख हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के प्रोत्साहन के लिये कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान–

जी नहीं।

गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन के प्रोत्साहन की योजना पूर्व से ही बनी हुई हैं।

विभाग द्वारा संचालित पान विकास योजना एवं गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1500 वर्गमीटर के क्षेत्र में बरेजा निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त कृषकों का चयन किया जाता है।

बरेजा निर्माण लागत धनराशि रु0 1,51,360.00 का 50 प्रतिशत चयनित लाभार्थी/कृषक के बैंक खाते में सीधे अग्रिम के रूप में धनराशि रु0 75,680/– जमा कराये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में लाभार्थियों को पान बरेजा निर्माण पर निर्धारित अधिकतम लागत रु0 1,51,360/– का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के दाऊ दयाल स्टेडियम का बहुउददेशीय क्रीड़ा हाल बनवाया जाना

60–श्री मनीष असीजा–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के दाऊ दयाल स्टेडियम का बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल जांच के चलते पिछले लगभग 15 वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाल को मानकानुसार पूर्ण कराते हुए खिलाड़ियों की सुविधा हेतु संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो तो कब तक ?

श्री राम सकल गुर्जर–

जी हां।

उक्त कार्य को मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये अपेक्षित सम्पूर्ण धनराशि रु0 36.23 लाख स्वीकृत कर दी गयी है तथा कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।

कार्यदायी संस्था द्वारा खराब गुणवत्ता के हुए कार्य एवं समय से पूरा न करने हेतु प्रकरण की जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभागा के स्तर पर अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद इलाहाबाद में जिलायोजना के अन्तर्गत प्राप्त धन की जानकारी

61–श्री दीपक पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग जनपद इलाहाबाद को किन–किन योजनाओं हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में कितना धन स्वीकृत/प्राप्त हुआ है एवं आवंटित धनराशि के खर्च/अवशेष का विवरण क्या है ? क्या सरकार अवशेष धन को जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर निश्चित समय–सीमा के अन्दर खर्च करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद इलाहाबाद में जिला योजना के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेज, ऑयल पॉम एण्ड मेज (आइसोपॉम) योजना संचालित थी। उक्त योजना के संचालन हेतु वर्ष 2013–14 में रु0 4.50 लाख प्राप्त हुआ

था तथा वर्ष 2013–14 में ही जिला योजना के अन्तर्गत जनपद को प्राप्त धनराशि रु0 4.50 लाख का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में मत्स्य पालन विभाग के मछुआरों हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु प्राप्त धन की जानकारी

62–श्री दीपक पटेल–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में मत्स्य पालन विभाग को मछुआरों के आवास हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कितने धन का आवंटन किया गया एवं पिछले दो वर्षों में कितने मछुआरों को आवास आवंटित किये गये ? क्या सरकार शेष बचे मछुआरों के आवासों का आवंटन जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रियाज अहमद–

वर्ष 2012–13 में भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण जनपद इलाहाबाद में आवास हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गयी। वर्ष 2013–14 में जनपद हेतु रु0 9.00 लाख का आवंटन किया गया। पिछले 2 वर्षों में 20 मछुआरों को आवास आवंटित किये गये।

सीमित मात्रा में केन्द्रांश उपलब्ध होने के कारण प्रत्येक वर्ष अवशेष बचे आवासविहीन मछुआरों को शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों की गठित समिति द्वारा उपयुक्ता के आधार पर ग्राम के चयन के उपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठक में पात्र व्यक्तियों का नियमानुसार चयन किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्तुत पात्र लाभार्थियों को चयनित करने पर भी विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में पात्र विकलांगजनों के आवेदन पत्रों पर हुई कार्रवाई

63–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसे कितने विकलांगजन हैं, जिनके आवेदन–पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट अभाव में उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है ? क्या सरकार ऐसे सभी पात्रता श्रेणी के विकलांगजनों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में कुल 1603 पात्र विकलांगजनों के आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं, जिन्हें पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में पात्र बृद्धजनों को पेंशन दिया जाना

64—श्री मनीष असीजा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसे कितने वृद्धजन हैं, जिनके आवेदन—पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट अभाव में पेंशन नहीं मिल रही है ? क्या सरकार ऐसे पात्रता श्रेणी के वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जनपद फिरोजाबाद में कुल 1366 ऐसे बृद्धजन हैं, जिन्हें लक्ष्य के अभाव में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।

जी हां। शासनादेश संख्या—2645/26—2—2015—500(45), दिनांक 14 जनवरी, 2016 द्वारा जनपद फिरोजाबाद के 1366 पेंशनरों के अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015—16 में उक्त पात्र वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में स्थित बन्द पड़े खाद्य कारखाना को संचालित कराया जाना

65—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित बन्द पड़े खाद कारखाना संचालित कराने हेतु कोई उचित कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़ा यूरिया उर्वरक कारखाना राज्य सरकार के स्वामित्व/प्रबंधन में नहीं है। यह कारखाना भारत सरकार के उपक्रम 'दी फर्टिलाजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0' की इकाई है।

जनपद अलीगढ़ में मा0 काशीराम डिग्री कालेज गभाना में बी0एड0, स्नातकोत्तर, एल0एल0बी0 की कक्षाएं संचालित कराया जाना

66—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के मा0 कांशीराम डिग्री कालेज गभाना में बी0एड0, स्नातकोत्तर एल0एल0बी0 की कक्षा न प्रारम्भ होने के कारण छात्र/छात्राओं को अन्यत्र विद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त विद्यालय में उक्त शैक्षिक डिग्री हेतु कक्षाएं प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मा0 कांशीराम डिग्री कालेज गभाना में बी0एड0, स्तानकोत्तर, एल0एल0बी0 की कक्षाएं संचालित नहीं है, परन्तु उक्त महाविद्यालय से मात्र 24 कि0मी0 की परिधि में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रश्नगत शिक्षण सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गभाना से मात्र 24 कि0मी0 की परिधि में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

67–श्री नदीम जावेद–

ख1लें बुधवार के अता0प्र0सं0–200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ,

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लाक के ग्राम सरई गुदौली में वृद्धा पेंशन के पात्र लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाना

68–श्री रामशरन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लाक के ग्राम–सरई गुन्दौली में वृद्धा पेंशन के पात्र लोगों को वृद्धा पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे कराकर पात्रों को लाभान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 अलीगढ़ द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय की भूमि हेतु वर्ष 2010 व 2011 में प्राप्त धनराशि रु0 94.5 लाख के बावजूद कब्जा न देने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना

69–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 अलीगढ़ द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय की भूमि हेतु वर्ष 2010 व 2011 में 94.5 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त कर ली है किन्तु पट्टा विलेख का निष्पादन एवं भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वाणिज्य कर कार्यालय की भूमि का पट्टाविलेख दिनांक 20–08–2014 को निष्पादित हुआ तथा भूखण्ड का कब्जा दिनांक 19–09–2014 को हस्तगत किया जा चुका है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभागवार प्रत्येक शिक्षक के अधीन पंजीकृत अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के कितने शोध छात्र–छात्राओं को शोध उपाधि प्रदान की गई

70–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभागवार प्रत्येक शिक्षक के अधीन पंजीकृत अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व पिछड़ी जाति के कितने शोध छात्र–छात्राओं को शोध की उपाधि प्रदान की गयी ? क्या सरकार सन् 2009 से वर्तमान वर्ष 2015–16 तक का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व पिछड़ी जाति के कुल 361 शोध छात्र–छात्राओं को शोध की उपाधि प्रदान की गयी है।

विवरण निम्नवत् है :––

विभाग	अ0पि0व0	अ0 जा0	अ0 ज0 जा0
1	2	3	4
दर्शनशास्त्र	09	02	–
संस्कृत	06	10	–
1	2	3	4
मनोविज्ञान	11	01	01
भूगोल	17	08	–
प्राचीन इतिहास	13	04	–
इतिहास	05	05	01
समाज शास्त्र	06	08	–
उर्दू	03	–	03
हिन्दी	15	09	0
अंग्रेजी	13	04	–
ललित कला एवं संगीत	10	03	–
राजनीति विज्ञान	14	15	–
भौतिकी	05	03	–
रसायन	05	02	–

वनस्पति विज्ञान	15	05	01
प्राणि विज्ञान	17	13	01
बायोटेक्नालॉजी	04	01	01
गणित एवं सांख्यिकी	16	03	—
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	08	05	—
शिक्षा शास्त्र	16	05	02
अर्थ शास्त्र	04	01	—
वाणिज्य	14	11	—
व्यवसाय प्रशासन	04	—	—
विधि	02	01	—

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 में चयनित जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित ग्रामों का विवरण

71—श्री राकेश बाबू—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी, टूण्डला व फिरोजाबाद में कितनी संख्या में जनेश्वर मिश्र योजना में ग्राम चयनित किये गये हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14, वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में चयनित ग्रामों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

ब्लाक नारखी में 07, टूण्डला में 55 तथा फिरोजाबाद में 46 ग्रामों का चयन किया गया है।

जी हां। चयनित ग्रामों की सूची मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में मण्डी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत कराया जाना

72—श्री वीरपाल राठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बागपत जनपद में मण्डी समिति द्वारा बनाई गयी सड़कें जो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं, की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

जनपद बागपत की मण्डी समिति खेकड़ा एवं बड़ौत की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

जनपद अलीगढ़ के स्थानीय बाजार बरौली में स्थानीय किसानों की सुविधा हेतु उप कृषि मण्डी स्थापित किया जाना

73—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के स्थानीय बाजार बरौली में स्थानीय किसानों की सुविधा हेतु उप कृषि मण्डी स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उप मण्डी, गभाना को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

स्थानीय बाजार बरौली में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब योजना के अन्तर्गत 08 दुकानों का निर्माण कराया जा चुका है, जो क्रियाशील भी है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

गभाना में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण कराया गया है, जो क्रियाशील है। संचालक मण्डल की 149वीं बैठक दिनांक 30—03—2015 द्वारा प्रदेश में निर्मित सभी ए0एम0एच0 को उप मण्डी स्थल घोषित कराने का निर्णय लिया गया है। ए0एम0एच0 गभाना को निर्धारित मानक से कम मण्डी शुल्क प्राप्त होने के कारण पूर्ण मण्डी का दर्जा दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में निर्मित मिनी स्टेडियम को पूर्ण कराया जाना

74—श्री दीपक पटेल—

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में निर्मित मिनी स्टेडियम अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपूर्ण मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर खेलकूद की गतिविधियों को संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर—

जी हां। यद्यपि ग्रामीण स्टेडियम के भवन का निर्माण पूर्ण है किन्तु मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण ट्रैक का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

मा0 न्यायालय में लम्बित वाद में अन्तिम निर्णय के अनुसार।

स्टेडियम में इण्डोर खेल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मा0 न्यायालय में लम्बित वाद का निस्तारण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के माध्यम से ट्रैक निर्माण का कार्य पूर्ण कराकर आउटडोर खेल गतिविधियों को भी संचालित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राप्ती नदी के प्रदूषित जल को शुद्धिकरण हेतु सरकार की नीति

75–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी के प्रदूषित जल के शुद्धीकरण हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिसूचित किया गया है।

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उद्योगों के उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाता है। उद्योगों द्वारा जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना की जाती है जिससे शुद्धीकृत उत्प्रवाह की गुणता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे। उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा दोषी उद्योगों के विरुद्ध बंदी की कार्यवाही किया जाना प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी उद्योगों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही भी किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण

76–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण के लिये 6 से 7 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या–1243/भू0व्य0/स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स/2014, दिनांक 01–09–2014 के क्रम में कार्यालय तहसीलदार रूदौली, फैजाबाद द्वारा अपने पत्रांक संख्या–40/र0का0/भू0व्य0/2014, दिनांक 29–12–2014 द्वारा ग्राम सिपहिया कोटवा, परगना मवई तहसील रूदौली, जनपद फैजाबाद में स्थित भू–खण्ड संख्या–1198 क0मि0/ 4.772 हे0 से कुल 2.828 हे0 क्षे0 का प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूडा के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों को स्वीकृत औद्योगिक नगरी घोषित किया जाना

77–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूडा के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों को एकीकृत औद्योगिक नगरी घोषित करने का फैसला सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना में जनपद जौनपुर के सतहरिया औद्योगिक विकास क्षेत्र को सम्मिलित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त/विचाराधीन नहीं है।

आमी नदी के जल को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकार की नीति

78–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आमी नदी के जल को प्रदूषण युक्त करने के लिए सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिसूचित किया गया है।

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उद्योगों के उत्प्रवाह का निस्तारण राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त कर किया जाता है। उद्योगों द्वारा जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना की जाती है जिससे शुद्धीकृत उत्प्रवाह की गुणता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे। उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा दोषी उद्योगों के विरुद्ध बंदी की कार्यवाही किया जाना प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी उद्योगों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजनात्मक कार्रवाई भी किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में नियुक्त शिक्षकों को पिछले 25 महीनों का वेतन एरियर का भुगतान

79–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में नियुक्त शिक्षकों को पिछले 25 महीनों से वेतन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर पाठ्यक्रमों में कार्यरत 24 शिक्षकों के एरियर का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष 12 शिक्षकों के एरियर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

एरियर का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फिरोजाबाद स्थित दाऊ दयाल स्टेडियम का मैदान ऊसर युक्त होने से घास युक्त कराने की मांग

80–श्री मनीष असीजा–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फिरोजाबाद स्थित दाऊ दयाल स्टेडियम (जिला स्टेडियम) के मैदान की भूमि ऊसर ग्रस्त होने के कारण मैदान में घास नहीं उगती है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्टेडियम के मैदान को ऊसर मुक्त कराने हुए मैदान को हरी घास युक्त बनाने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्टेडियम की भूमि का उपचार करा दिया गया है भूमि सिंचित है तथा घास उगी हुई है।

जनपद जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय में तैनात शिक्षकों को कैरियर एडवांस स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किया जाना

81–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में तैनात शिक्षकों की लम्बे समय से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के परिसर पाठ्यक्रमों में कार्यरत 13 शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति की गयी है तथा शेष शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर का कारखाना गोरखपुर में पुनः चालू कराया जाना

82—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर के कारखाना गोरखपुर को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार द्वारा कोई सूचनायें मांगी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सूचनायें उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह—

जी हां।

जी हां।

औद्योगिक विकास अनुभाग—3 के पत्र संख्याः 1929/77—3—15—83एम/13, दिनांक 14 जनवरी, 2016 द्वारा भारत सरकार को सैद्धान्तिक अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि इस सम्बन्ध में औपचारिक खाका तैयार करके समग्र प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के बरौली में स्थानीय छात्रों की सुविधा हेतु राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना

83—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के बरौली में स्थानीय छात्रों की सुविधा हेतु राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

जनपद अलीगढ़ के बरौली विकास खण्ड से लगभग 12 कि0मी0 की परिधि में 01 राजकीय महाविद्यालय तथा 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

प्रदेश में चालू तथा बन्द उर्वरक कारखानों की जानकारी तथा जनपद फैजाबाद में उर्वरक कारखाना चलाये जाने की मांग

84—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिष्ठापित उर्वरक कारखानों में से कितने कारखाने चालू हैं तथा 2007 से वर्तमान समय तक कुल कितने कारखाने नये खोले गये ? क्या जनपद फैजाबाद में उर्वरक के कारखाने की अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार बन्द पड़े उर्वरक कारखानों को चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह—

प्रदेश में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर संचालित यूरिया उर्वरक के 06 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 07 कुल 13 कारखाने क्रियाशील हैं। वर्ष 2007 के पश्चात् सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का एक नया कारखाना जनपद रायबरेली में खोला गया है।

उर्वरक कारखानों को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़े उर्वरक कारखाने राज्य सरकार के स्वामित्व/प्रबन्धन में नहीं हैं।

जनपद फैजाबाद में पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन दिलाया जाना

85—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बड़ी संख्या में (पक्के मकान, दो पहिया वाहन आदि के स्वामी) अपात्रों को समाजवादी पेंशन की सुविधा मिलने के कारण पात्र व्यक्ति वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रुदौली में एक विशेष जांच दल गठित कर अपात्रों को चिन्हित करने तथा इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

86—श्री मनीष असीजा—

ख1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0—112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

87—श्री मनीष असीजा—

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0—113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश की बाजारों में उपलब्ध बीज व उर्वरकों की जांच कराकर सही बीज/उर्वरक उपलब्ध कराने विषयक

88—श्री नदीम जावेद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाजार में उपलब्ध होने वाले नकली बीज एवं नकली कीटनाशकों के बारे में सरकार को जानकारी है ? क्या यह नहीं है कि बाजार में उपलब्ध पैकेट्स पर दर्ज बीज के 70 प्रतिशत तक उपजाऊपन के विरुद्ध बामुश्किल 50 प्रतिशत ही उपजता मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कम्पनियां के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाजार में बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से बीज निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अन्तर्गत बीज कम्पनियों/सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा निजी विक्रय प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने ग्रहीत कर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराये जाते हैं तथा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरुद्ध बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 की सुसंगत धाराओं के अधीन कठोर कार्रवाई की जाती है।

89—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0—199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में गरीब पिछड़े वर्ग के लड़कियों की शादी एवं बीमार लोगों के इलाज हेतु अनुदान को पुनः चालू कराया जाना

90—श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा—

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी एवं बीमार लोगों के इलाज हेतु दिये जाने वाले अनुदान को पुनः चालू प्रारम्भ करने के लिए सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी—

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु संचालित शादी/बीमारी योजना का क्रियान्वयन सीमित संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से स्थगित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी उक्त योजना हेतु आय–व्ययक में मात्र रुपया एक हजार का सांकेतिक प्राविधान उपलब्ध होने के कारण योजना का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के आधार पर चुनाव कराया जाना

91–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्लास प्रतिनिधि के द्वारा इनडायरेक्ट चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि छात्र संख्या के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय लिंगदोह कमेटी की सिफरिश के अनुरूप ही डायरेक्ट चुनाव कराता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चुनाव की पुरानी डायरेक्ट चुनाव प्रक्रिया को जारी रखते हुए चुनाव करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0–सी0एम0–08/सत्तर–1–2012, दिनांक 21 मार्च, 2012 तथा शासनादेश सं0–1/2016/49/सत्तर–1–2016–15(12)(1)/94, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तर–1 के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

92–श्री मनीष असीजा–

ख्दिनांक 09–02–2016 के अता0प्र0सं0–193 द्वारा उत्तरित,

जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक के अन्तर्गत उ0प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा अवैरनी से पचावर मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण के सम्बन्ध में पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

93–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10675857/2015, दिनांक 21–08–2015 द्वारा जनपद मथुरा के बल्देव ब्लाक के अन्तर्गत उ0प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा

अवैरनी से पचावर मार्ग की विशेष मरम्मत/नव निर्माण के सम्बन्ध में निदेशक, कृषि मण्डी परिषद् उ0प्र0 से यथाचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि नहीं, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग मण्डी समिति मथुरा के अन्तर्गत आता है। मण्डी समिति मथुरा की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण पत्र में अंकित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मै0 कजारिया सिरोमिक्स लि0 के सामने वाली सड़क अत्यधिक प्रदूषण युक्त होने के कारण प्रदूषण मुक्त किया जाना

94–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मै0 कजारिया सिरेमिक्स लि0 के सामने वाली सड़क अत्यधिक प्रदूषण युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने हेतु कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान पारदर्शी योजना

95–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान परदर्शी योजना में लघु एवं सीमांत किसानों, मध्यम कृषकों एवं बड़े कृषकों द्वारा कराये गए आनलाइन पंजीकरण का प्रतिशत कितना है ? क्या सरकार इसके आधार पर, योजना के आनलाइन पंजीकरण की नीति और 2 हेक्टेयर की अधिकतम जोत की सीमा तक अनुदान की नीति पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, मध्यम कृषकों एवं बड़े कृषकों द्वारा कराये गये ऑनलाइन पंजीकरण का विवरण (प्रतिशत में) निम्नवत् है :––

क्र0 सं0	कृषक विवरण	पंजीकरण (प्रतिशत में)
1	लघु कृषक	21.34:
2	सीमान्त कृषक	45.66:
3	मध्यम कृषक	15.67:
4	बड़े कृषक	02.05:

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना एवं एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (आई0सी0डी0पी0) योजना के अन्तर्गत एक किसान को निवेशों पर अधिकतम 2 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य किया गया है।

गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव न होने के बावजूद छात्र संघ शुल्क वसूलने का औचित्य

96–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न होने के बावजूद भी छात्र–छात्राओं से छात्र संघ शुल्क वसूला जाता है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, डा0 भीमराव विश्वविद्यालय, आगरा, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–पारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में छात्र संघ के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत, विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार इन विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र संघ शुल्क लिया जाता है।

शेष राज्य विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

जिन विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र संघ शुल्क लिया जाता है उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छात्र संघ कार्यालय के रख–रखाव एवं चुनाव में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यह शुल्क लिया जाता है।

इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कासगंज के विकास खण्ड सिडपुड़ा के ग्राम पिलखुनी से प्याऊ तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने विषयक

97–श्री ममतेश शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कासगंज के विकास खण्ड सिडपुड़ा के ग्राम पिलखुनी से प्याऊ तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

समयान्तराल के कारण वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी समिति कासगंज की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र देरी से चलने एवं परिणाम देर से आने के कारण नये विश्वविद्यालयों की स्थापना कराने की मांग

98–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र देरी से चलने एवं परिणाम देर से आने के कारण छात्र–छात्राओं के प्रवेश में समस्या हो रही है एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षक/कर्मचारी एवं छात्रों के हितों को देखते हुये नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर एवं इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थापित किया गया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर का संचालन दिनांक 17 जून, 2015 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मै0 तिरुपति कन्टेनर तथा मै0 गुडलक स्टील ट्यूब लि0 के आस–पास नालियों द्वारा बह रहे प्रदूषित जल को रोकने की कार्रवाई की मांग

99–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद आद्योगिक क्षेत्र में मै0 तिरुपति कन्टेनर तथा मै0 गुडलक स्टील ट्यूब लि0 के आस–पास नालियों में प्रदूषित जल बह रहा है ? यदि हां, तो किन–किन उद्योगों द्वारा नालियों में प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है ? क्या सरकार उन उद्योगों पर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदूषणकारी उद्योगों से जनित उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धीकरण करने के पश्चात् औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता है। दिनांक 13–01–2016 को निरीक्षण के समय 06 उद्योगों के एकत्रित किये गये जल नमूनों में 04 उद्योगों का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।

निम्न 04 उद्योग का उत्प्रवाह नमूना बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया :–

1–मै0 गुडलक स्टील ट्यूब्स प्रा0 लि0, ए–42, 45 उद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

2– मै0 वी0एम0ए0 केमिकल्स प्रा0 लि0, जे–12, 13, 14 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

3– मै0 सेलकाम टेलीसर्विसेज प्रा0 लि0, ए–52 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

4– मै0 तिरुपति कन्टेनर प्रा0 लि0, ए–3/3 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

उक्त चारों उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, यथासंशोधित के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया अन्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद आद्योगिक क्षेत्र में मै0 तिरुपति कन्टेनर के प्रदूषित जल व कचरे की रोकथाम हेतु जांच करके कार्रवाई की मांग

100–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मै0 तिरुपति कन्टेनर नाम के उद्योग में जल व कचरे के शोधन हेतु प्रदूषित जल शोधन संयंत्र स्थापित है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदूषण विभाग द्वारा 31 मार्च, 2015 के बाद से उक्त उद्योग की प्रदूषण जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 13–01–2016 को किया गया।

निरीक्षण आख्या संलग्न' है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में राजकीय बालिका महाविद्यालय स्थापित किया जाना

101–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में एक भी राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 03 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

मण्डी परिषद् द्वारा जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया, फरह एवं बल्देव में निर्मित सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण कराया जाना

102–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक राया, फरह एवं बल्देव में मण्डी परिषद् द्वारा पिछले दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया ? क्या यह सत्य है उपरोक्त तीनों ब्लाकों की सड़कें वर्तमान समय में जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मण्डी परिषद् द्वारा जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया, फरह एवं बल्देव में पिछले दो पंचवर्षीय योजनाओं में सात सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है।

जी नहीं, वर्तमान में मार्गों की स्थिति संतोषजनक है।

जी नहीं।

---

* nsf[k;s uRFkh ^^[k** vkxs i`"B 196&197 ij

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी प्रकार के इनवर्टरों में प्रयोग होने वाली बैटरियों पर लगने वाले वैट से मुक्त कराया जाना

103—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी प्रकार के इनवर्टरों में प्रयोग होने वाली बैटरियों पर लगने वाले वैट को मुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

इनवर्टर में प्रयोग होने वाली बैटरी अन्य विद्युत उपकरणों में भी प्रयोग की जाती है। अतः उक्त के दृष्टिगत राजस्व हित में इनवर्टर में प्रयोग की जाने वाली बैटरी को कर मुक्त किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों के विवाह के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब बेटियों की विवाह की भांति शादी अनुदान देने विषयक

104—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं के विवाह के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब कन्याओं की भांति शादी अनुदान दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब कन्याओं के शादी अनुदान की भांति सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं को भी रुपया 10,000/— प्रति लाभार्थी शादी अनुदान दिये जाने की पूर्व से ही नीति है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों को एकीकृत औद्योगिक नगरी घोषित करने के निर्णयानुसार जनपद जौनपुर स्थित सतहरिया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

105—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों को एकीकृत औद्योगिक नगरी घोषित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो जनपद जौनपुर स्थित सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास क्षेत्रों को भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 थ (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में बाहरी प्रदेशों से मांगुर मछली की सप्लाई करने पर रोक लगने के बाद भी गोरखपुर मण्डी में मांगुर मछली की सप्लाई होने के कारणों की जानकारी

106–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाहरी प्रदेशों से मांगुर मछली की सप्लाई करने पर रोक होने के बावजूद मछली मण्डी, गोरखपुर में मांगुर मछली की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रियाज अहमद–

प्रदेश में मांगुर मछली (देसी मांगुर) बसंतपें इंजतंबीने के बिक्री पर कोई रोक नहीं है। भारत सरकार द्वारा थाई मांगुर ;बसंतपें हंतपमचपदनेद्ध का पालन एवं उनकी बिक्री प्रतिबन्धित है। मछली मण्डी, गोरखपुर, उ0 प्र0 राज्य कृषि मण्डी परिषद् के नियंत्रण में संचालित है जिसके सचिव ने सूचित किया है कि गोरखपुर मछली मण्डी में मांगुर मछली की सप्लाई नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रदूषण के रोकथाम के उपाय

107–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सरकार की कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं इसके अन्तर्गत प्राख्यापित विभिन्न नियम प्रभावी है जिनके प्राविधानों का समुचित अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समस्त औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इसका नियमित अनुश्रवण किया जाता है। प्रदेश की प्रमुख नदियों की जलगुणता का अनुश्रवण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण, बायो मांस जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण आदि

है। प्रदेश के प्रमुख शहरों की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाता है।

डीजल जनरेटर सेट्स पर नियमानुसार समुचित ऊंचाई की चिमनी एवं ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर की स्थापना सुनिश्चित करायी जाती है। कार्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों एवं वाहनों में उपलब्धता के आधार पर स्वच्छ ईंधन (सी0एन0जी0) की आपूर्ति किया जाना एवं शहर में संचालित वाहनों की अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा का निर्धारण किया जाना सम्मिलित है। वर्तमान में प्रदेश में वाहनों में प्रयोग हेतु लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ एवं बरेली में सी0एन0जी0 की आपूर्ति उपलब्ध है। वाहन प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों में भारत स्टेज–4/ भारत स्टेज–3 मानकों का अनुपालन कराया जाना एवं पी0यू0सी0 प्रमाण–पत्रों की नियमित जांच किया जाना सम्मिलित है। प्रदेश में भूसे को जलाया जाना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 28–10–15 द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की कार्य योजना भी उक्त के अन्तर्गत सम्मिलित है। पर्यावरण में सुधार हेतु उद्योगों को हरित पट्टिका विकसित करने हेतु भी दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न यथा औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं शांत क्षेत्र हेतु परिवेशीय ध्वनि स्तर के मानक निर्धारित हैं जो प्रदेश में प्रभावी हैं। परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थित समस्त इकाइयों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण प्रदेश में स्थापित 03 सामूहिक निस्तारण सुविधाओं के माध्यम से किया जाता है।

प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय एवं ढुलाई को अधिसूचना दिनांक 22–12–2015 के माध्यम से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 21–1–2016 से प्रदेश में प्रभावी हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय हवाई पट्टी धनीपुर, जनपद अलीगढ़ का विस्तारण किया जाना

108–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हवाई पट्टी धनीपुर, जनपद अलीगढ़ का विस्तारीकरण (3000 गुणा 200 मीटर) किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका विस्तारीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2012, 2013, 2014 व 2015 में किसानों को गेहूं का बीज वितरण की स्थिति

109–श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012, 2013, 2014 व 2015 में किसानों को गेहूं के बीज का कितना–कितना वितरण किया गया है ? क्या यह सही है कि गत वर्षों के सापेक्ष वर्ष 2015 में गेहूं के बीज का कम वितरण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कम वितरण के कारणों को स्पष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

प्रदेश में वर्ष 2012, 2013, 2014 व 2015 में किसानों को गेहूं का निम्नानुसार बीज का वितरण किया गया है :–

क्र0सं0	वर्ष	मात्रा (लाख कुन्तल में)
1	2012	39.36
2	2013	39.41
3	2014	39.00
4	2015	34.76 (दिनांक 10 जनवरी, 2016 तक)

जी हां।

वर्ष 2015 में अलनीनों के प्रभाव के कारण प्रदेश में खरीफ में अवर्षण की स्थिति रही जिससे अधिकांश क्षेत्रफल सूखा प्रभावित रहा है तथा रबी सीजन में भी वर्षा न होने के कारण कृषित भूमि में पर्याप्त नमी नहीं रही। जिससे किसानों द्वारा गेहूं की बुवाई कम की गई है। वर्ष 2015 में प्रदेश के 50 जनपद सूखे से प्रभावित हैं। खेतों में नमी की अत्यधिक कमी तथा गेहूं के लिये उपयुक्त तापक्रम दिसम्बर माह के मध्य समय तक न हो सकने के कारण गेहूं की बुवाई में कमी के साथ–साथ बुवाई में भी विलम्ब हुआ है किन्तु सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई शत–प्रतिशत हो गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मूक बधिरों की सुविधा हेतु इंटर प्रटेटंटों को प्रशिक्षित कर विभिन्न सार्वजनिक/प्रशासनिक कार्यालयों में नियुक्त करने की सरकार की योजना

110–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मूक बधिरों की सुविधा हेतु इंटर प्रटेटंटों को प्रशिक्षित कर विभिन्न सार्वजनिक/प्रशासनिक कार्यालयों में नियुक्त करने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अधिकांश मूक बधिर को सांकेतिक भाषा का ज्ञान न होने के कारण उनके द्वारा किये गये संकेतों को इंटरप्रेटर द्वारा समझना कठिन है।

वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 में जनपद बलिया एवं मऊ में विकलांग जनों को वितरित की गई ट्राई साइकिल व अन्य सामग्री शेष विकलांगों को भी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रकरण

111–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया एवं मऊ में विकलांग जन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 में कितने विकलांग जनों को ट्राई साइकिल व अन्य सामग्री का वितरण किया गया है एवं कितने लोग शेष हैं शेष को उक्त सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 164 लाभार्थियों को एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में 165 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किये गये हैं। किसी भी लाभार्थी का आवेदन–पत्र लम्बित नहीं है।

जनपद मऊ में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 50 लाभार्थियों को एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में 50 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किये गये हैं। किसी भी लाभार्थी का आवेदन–पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

112–श्री मनीष असीजा–

ख02रे मंगलवार के अता0प्र0सं0–193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में प्रति व्यक्ति दलहन की कमी व आवश्यकता और उत्पादन की कमी को दूर करने की योजना

113–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति दलहन की आवश्यकता और उत्पादन कितना है ? क्या सरकार द्वारा दलहन की कमी को दूर करने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दलहन की आवश्यकता 30.60 कि0ग्रा0 प्रति वर्ष है और उत्पादन प्रति व्यक्ति 13.63 कि0ग्रा0 प्रति वर्ष है।

भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन घटक योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में कृषकों के लिये विभिन्न कार्यक्रमों पर अनुदान अनुमन्य कराये जाने की योजना प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न' है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भोजन में पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की भारत सरकार द्वारा संचालित न्यूट्री–फार्म योजना का विवरण

114–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भोजन में पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित न्यूट्री–फार्म योजना का विवरण क्या है ? क्या सरकार इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने स्तर से संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

भारत सरकार द्वारा न्यूट्री–फार्म योजना वर्ष 2013–14 में प्रदेश व देश में व्याप्त कुपोषण की समस्या को कृषि के माध्यम से कम करने के उद्देश्य से चलाई गयी जो प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चयनित 32 जनपदों में संचालित की गयी।

योजना का उद्देश्य निम्नवत् था :–

(1) पोषक तत्वों से युक्त फसलों की किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिये बेहतर उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन।

(2) स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषक तत्वों से युक्त फसल किस्मों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन।

(3) पोषक तत्वों से युक्त फसलों की किस्मों का समाज के कमजोर वर्गों के मध्य आपूर्ति श्रृंखला का विकास।

योजनान्तर्गत चयनित फसल–धान, मक्का, बाजरा व गेहूं।

भारत सरकार द्वारा योजना 2013–2014 के पश्चात् संचालित नहीं की गयी, परन्तु भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के उपरान्त प्रदेश में वर्ष 2014–15 में भी वर्ष 2013–14 के अवशेष धनराशि की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की कार्य योजना के अनुरूप प्रदेश में चयनित 32 जनपदों में संचालित की गयी।

वर्ष 2015–16 से यह योजना प्रदेश में संचालित नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलसचिवों के रिक्त पदों को भरा जाना

---

* nsf[k;s uRFkh ^x* vkxs i`"B 198 ijA

115—श्री मनीष असीजा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुल कितने कुलसचिवों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितने प्रोन्नति के पद रिक्त हैं एवं कितने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं ? क्या सरकार कुलसचिवों के रिक्त पदों के कारण प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कार्य निष्पादन क्षमता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दूर करने हेतु रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक का संयुक्त संवर्ग सृजित है, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति कुल 22 पद रिक्त हैं।

प्रोन्नति के 07 पद रिक्त हैं एवं 15 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं।

जी हां।

सीधी भर्ती के अन्तर्गत 03 पदों तथा 12 पदों हेतु अधियाचन क्रमशः पत्र दिनांक 27—12—2013 एवं दिनांक 15—10—2015 द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। 03 पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा किया जा चुका है। 12 पदों का विज्ञापन अभी नहीं हुआ है।

पदोन्नति के 02 पदों हेतु अधियाचन पत्र दिनांक 27—12—2013 आयोग को प्रेषित किया गया था। आयोग की पृच्छा के संदर्भ में कैडर रिव्यू के फलस्वरूप पदोन्नति कोटे के शेष रिक्त 05 पदों को भी सम्मिलित करते हुए कुल 07 पदों का अधियाचन प्रेषित किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा 2015—2016 में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 45 लाख लोगों को पेंशन देने के निर्णयानुसार निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण किया जाना

116—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा 2015—2016 में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 45 लाख लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो प्रदेश में दिनांक 28—12—2015 तक कितने लोगों को समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन दी जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जी हां।

दिनांक 28—12—2015 तक समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 4088672 पेशनरों को पेंशन प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के पंचायत निर्वाचन में व्यस्तता के कारण दिनांक 28—12—2015 तक शत—प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।

लखनऊ में जिला मुख्यालय के पास जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जो पिछले 4 वर्षों से बन्द है, का जीर्णोद्धार किया जाना

117—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में जिला मुख्यालय के पास जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय पिछले 4 वर्षों से मरम्मत के अभाव में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर यहां पुनः जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ माह नवम्बर, 1976 से पुराने रौशनदौला कचेहरी स्थित भवन में संचालित था। इस भवन में पूर्व में बार एसोसियेशन संचालित था। उक्त भवन कलेक्ट्रेट का है।

जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 26—05—2010 को जिला विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा किये गये भवन आवंटन आदेश के क्रम में मई, 2010 से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया है। वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन में संचालित है।

रौशनदौला कचेहरी स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ हेतु आवंटित भवन कलेक्ट्रेट का है। इसमें समाज कल्याण विभाग का स्वामित्व नहीं है। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में विभागीय कार्यों का निष्पादन एवं अनुश्रवण प्रभावी ढंग से हो पाता है। कचेहरी स्थित उक्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ का स्वामित्व समाज कल्याण विभाग के पास न होने के कारण जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पुनः जिला समाज कल्याण अधिकारी को पुराने रौशनदौला कचेहरी स्थित भवन में स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

118—श्री मनीष असीजा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर शासकीय महाविद्यालयों के समान संविदा पर शिक्षकों की नयी नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग गठित है, जिसके द्वारा चयन की कार्रवाई की जाती है। जहां तक उक्त रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरहा, मथुरा के छात्र/छात्रओं द्वारा वर्ष 2012 में पुनः परीक्षा देने के बाद छात्र/छात्राओं को अंक–पत्र उपलब्ध कराया जाना

119–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरहा, मथुरा के छात्र/छात्राओं ने वर्ष 2012 में बी0एड0 के तृतीय प्रश्न–पत्र एजूकेशनल साइकोलॉजी एण्ड मेजरमेन्ट की पुनः परीक्षा एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसी खुर्द, मथुरा केन्द्र से दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सभी छात्र/छात्राओं को अंक–पत्र व डिग्री प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त छात्र/छात्राओं को अंक–पत्र एवं डिग्री कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरहा, मथुरा बी0एड0 2011 की छात्र/छात्राएं वर्ष 2012 की बी0एड0 पुनः परीक्षा में एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसी खुर्द, मथुरा से सम्मिलित हुयी थीं।

छात्र/छात्राओं की मार्कशीट उपलब्ध कराने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया गया। महाविद्यालय द्वारा दूरभाष पर छात्र/छात्राओं को अंकतालिकायें प्राप्त करने हेतु जानकारी दी गयी परन्तु सम्बन्धित छात्र/छात्रायें अंकतालिकायें प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुये। अंकतालिका सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में जारी छात्रवृत्ति की लम्बित धनराशि को समयबद्ध तरीके से दिया जाना

120–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के लिए जारी की गयी है तथा कितनी धनराशि जारी की जानी थी ? क्या सरकार छात्रहित में छात्रवृत्ति की लम्बित धनराशि को समयबद्ध तरीके से जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में रुपया 2429.7201 लाख की धनराशि जारी की गयी तथा इतनी ही धनराशि जारी की जानी थी।

वर्ष 2014–15 में छात्रवृत्ति के लिये सही डाटा वाले पात्र पाये गये छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति की आवश्यकता रुपया–1214.94586 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि छात्रों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 (पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम) के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में करेक्ट डाटा वाले छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जय नारायण डिग्री कालेज चारबाग, लखनऊ की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष द्वारा नियमों के विरुद्ध गलत तरीके से अपने सगे सम्बन्धियों की नियुक्ति का प्रकरण

121–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय नारायण डिग्री कालेज चारबाग, लखनऊ की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष द्वारा नियमों के विरुद्ध गलत तरीके से अपने सगे सम्बन्धियों की नियुक्ति कमेटी में किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों के विरुद्ध कार्य करने के लिये उक्त अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित वर्ष 2014–15 के शैक्षिक कलेण्डर का अनुपालन के सम्बन्ध में बनाई गई कार्य योजना

122–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित वर्ष 2014–15 के शैक्षिक कलेण्डर के अनुसार 30 जून, 2015 तक प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के मानकों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा आने वाले शैक्षिक सत्र 2015–16 में इसे घोषित तिथि अनुसार अनुपालन कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में स्थापित 07 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा 2014–15 के शैक्षिक कलेण्डर का अनुपालन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समूह घ के दैनिक कर्मियों के विनियमितीकरण का प्रकरण

123–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समूह घ के दैनिक कर्मियों के विनियमितीकरण सम्बन्धी जारी शासनादेश दिनांक 13–08–2015 के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2015 पत्रांक–डी0एच0– 964–965/स्थापना–3/च0श्रे0–58सी0 द्वारा जनपदों एवं मण्डलों से मांगी गयी सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक विनियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर मूलचन्द्र चौहान–

जी हां।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 13–08–2015 की प्रति निदेशालय के पृष्ठांकन सं0–डी0एच0–1317–27/स्था0–3/च0श्रे0–58 (सी), दिनांक 13–01–2016 द्वारा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश की राजधानी दिल्ली की तरह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण से बचाने की सरकार की कार्य योजना

124–श्री फेरन लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के जैसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सरकार प्रदूषण से बचाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इसके अन्तर्गत प्रख्यापित नियम यथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध एवं प्रहस्तन) नियम–2011 आदि प्रभावी हैं, जिनके प्राविधानों का अनुपालन कराये जाने हेतु नियमानुसार नियमित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समस्त औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इनका नियमित अनुश्रवण किया जाता है। लखनऊ शहर में गोमती नदी की जल गुणता का अनुश्रवण मासिक रूप से 07 बिन्दुओं पर किया जाता है। लखनऊ शहर के घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 345 एम0एल0डी0 एवं 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित हैं।

वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण, बायोमास जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण आदि हैं। वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लखनऊ शहर में वाहनों में प्रयोग हेतु स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में लखनऊ शहर में 09 सी0एन0जी0 आपूर्ति केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा शहर में संचालित वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है तथा वाहनों के उत्सर्जन हेतु भारत स्टेज–4 मानक प्रभावी है। औद्योगिक वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लखनऊ में स्थापित प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में नियमानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित हैं एवं इन इकाइयों का नियमित अनुश्रवण बोर्ड द्वारा करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण–पत्र में डस्ट नियंत्रण हेतु उपयुक्त शर्तें लगाई जाती हैं। प्रदेश में बायोमास बर्निंग, उ0 प्र0 शासन के आदेश दिनांक 28–10–2015 द्वारा प्रतिबन्धित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पालीथीन कैरी बैग्स का विनिर्माण, प्रयोग, आयात प्रतिबन्धित किया गया है। लखनऊ शहर की वायु गुणता का मापन 07 स्थलों पर किया जाता है। पर्यावरण के सुधार हेतु उद्योगों को हरित पट्टिका विकास के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों यथा औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं शान्त क्षेत्र हेतु परिवेशीय ध्वनि स्तर के मानक निर्धारित हैं जो प्रदेश में प्रभावी हैं। परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु समस्त इकाइयों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण प्रदेश में स्थापित 03 सामूहिक निस्तारण सुविधाओं के माध्यम से किया जाता है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण करने विषयक पत्र तथा कार्रवाई

125–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10659310, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0–/पी0जी0–10659310/2015, दिनांक 22–07–2015 पर दर्ज आदेश निदेशक, कृषि मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

समुचित बजट प्राविधान न होने के कारण उक्त मार्गों के निर्माण में कठिनाई है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य, विधान सभा को परिषद् पत्र संख्या–मु0अभि0/2015–2090 के द्वारा दिनांक 08–09–2015 को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

126–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

खदिनांक 09–02–2016 के अता0प्र0सं0–200 द्वारा उत्तरित,

127–श्री दीपक पटेल–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में संचालित तरणताल के बन्द होने के कारणों की जांच कर पुनः संचालित किया जाना

128–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में संचालित तरणताल किन कारणों से और कब से बन्द है ? क्या सरकार इसके सफल संचालन हेतु जांच दल गठित करके जिम्मेदारी तय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर–

गोरखपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित तरणताल वर्ष 2013–14 से संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्लास वेयर पर वैट की दरें ज्यादा होने से जनपद फिरोजाबाद के उत्पादकों/व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचने में हो रही कठिनाई तथा उसके निदान की मांग

129–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के अधिकांश राज्यों में ग्लास वेयर पर लगने वाले वैट की दरें 12.5 प्रतिशत एवं गुजरात में 5 प्रतिशत हैं ? क्या सरकार अवगत है कि प्रदेश में ग्लास वेयर पर वैट की दरें सर्वाधिक 14.5 प्रतिशत होने के कारण प्रदेश ही नहीं देश के सबसे पुराने कांच उत्पादक औद्योगिक नगर फिरोजाबाद के उत्पादकों/व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचने में बहुत कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्लास वेयर पर लगने वाली वैट की दरों को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ग्लास वेयर पर वैट की दर उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार एवं दिल्ली में समान रूप से 12.5 प्रतिशत है। गुजरात में इस पर वैट की दर 5 प्रतिशत है।

प्रदेश में ग्लास वेयर पर अतिरिक्त कर सहित कुल कर देयता 14.5 प्रतिशत है। जबकि अन्य राज्यों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में अतिरिक्त कर सहित कुल कर देयता क्रमशः 14.5 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 13.5 प्रतिशत एवं 13.5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में ग्लास वेयर पर अतिरिक्त कर सहित कुल वैट की दर सर्वाधिक नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों की भांति ही है।

जी नहीं।

राज्य के सीमित संसाधनों तथा विकास कार्यों के लिये वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत ग्लास वेयर पर कर की दरें युक्तियुक्त रूप से निर्धारित की गई हैं।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना, चाका और कौंधियारा से सम्बन्धित ग्राम सभाओं को समाजवादी पेंशन से वंचितों को उपलब्ध कराने का विवरण

130–श्री दीपक पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना, चाका और कौंधियारा से सम्बन्धित ग्राम सभाओं में कितने लोगों को समाजवादी पेंशन मिल रही है तथा कितने लोगों को पात्र होते हुए भी अभी तक नहीं मिल पायी है ? क्या सरकार वंचितों को भी लाभान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना की ग्राम सभाओं में 4324, चाका की ग्राम सभाओं में 5603 एवं कौंधियारा की ग्राम सभाओं में 5151 व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन मिल रही है तथा विकास खण्ड–करछना के 982, चाका के 72 एवं कौंधियारा के 320 पात्र व्यक्तियों को लक्ष्याभाव के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

अवशेष लक्ष्य प्राप्त होने पर वंचित पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन तथा भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु किये गये उपाय

131–श्री दीपक पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कितने भिक्षुक रह रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनके स्तर को और अच्छा बनाने के लिए कोई ठोस योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्रदेश में कुल 08 राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) यथा आगरा, मथुरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ में एक–एक तथा फैजाबाद में (महिला/पुरुष) 02 भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कोई भी भिक्षुक नहीं रह रहे हैं।

संस्थाओं में भिक्षुक संवासी निवासरत न होने के कारण उन्हें पुनर्वासित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय के संचालन हेतु महिला अधीक्षक की नियुक्ति का प्रकरण

132–श्री सुदेश शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति बालिका विद्यालयों के संचालन हेतु महिला कार्मिकों को ही प्रभारी अधीक्षक बनाये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय के संचालन हेतु महिला अधीक्षक की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

शासन द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या–119/2015/3935/26–3–2015– 246सी0एम0/ 2015, दिनांक 23–10–2015 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सृजित अधीक्षक पद को मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है तथा शासनादेश सं0–114/2015/ आर0–110बी0आई0पी0 26–3–2015–246सी0एम0/2015, दिनांक 06–10–2015 के प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार बालिकाओं हेतु संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में महिला कार्मिकों की तैनाती का प्राविधान किया गया है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 23–10–2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में महिला प्रधानाचार्या की तैनाती की जायेगी।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर रु0 30,000–00 की आर्थिक सहायता दिये जाने के नियमानुसार जनपद मुरादाबाद में भी व्यवस्था लागू की जाना

133–श्री सुदेश शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की

मृत्यु होने पर तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद में आवंटित धनराशि से अधिक आवेदकों की अधिक संख्या होने पर प्रथम आओ–प्रथम पाओ पद्धति की व्यवस्था भी लागू है ? यदि हां, तो मुरादाबाद जनपद में यह व्यवस्था लागू न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जी हां।

उक्त व्यवस्था लागू न होने से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में प्राप्त वृद्धा पेंशन पात्र व्यक्तियों को दिलाने की मांग

134–श्री दीपक पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में प्राप्त वृद्धा पेंशन के कितने आवेदन–पत्र अनिस्तारित पड़े हैं ? क्या सरकार सभी लम्बित आवेदन–पत्रों का निस्तारण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

योजनान्तर्गत कोई भी आवेदन–पत्र अनिस्तारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में प्राप्त विकलांगों की पेंशन सम्बन्धी आवेदन–पत्रों का निस्तारण

135–श्री दीपक पटेल–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में विकलांग पेंशन के प्राप्त कितने आवेदन–पत्र अनिस्तारित पड़े हैं ? क्या सरकार सभी लम्बित आवेदन–पत्रों का निस्तारण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में विकलांग पेंशन के प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निस्तारित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त 497 आवेदन–पत्रों को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर निस्तारण हेतु अपलोड कर दिया गया है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुपर के चमड़ा कारखानें अपने केमिकल युक्त पानी को गंगा में गिराने से प्रदूषण की स्थित को रोका जाना

136—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के कितने चमड़ा कारखाने अपने केमिकलयुक्त पानी को गंगा में गिरा रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन टेनरियों को गंगा में गिरने से रोकने हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एड0 के छात्र/छात्राओं की घटती संख्या तथा बी0एड0 कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना

137—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों की बी0एड0 कक्षाओं में सत्र 2015—16 में छात्र—छात्राओं की संख्या घटा दी गई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या थे ? क्या सरकार बी0एड0 कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति न किये जा सकने के कारणों से भी अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में, जहां एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार शिक्षक नहीं थे, उन महाविद्यालयों में बी0एड0 की सीटें शून्य कर दी गयी हैं, शेष अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रम की सीटों में कमी नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के बी0एड0 कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा की जाती है। बी0 एड0 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन आयोग को प्रेषित किया

गया है। प्रदेश स्थित राजकीय महाविद्यालयों में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नवचयनित बी0एड0 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

138–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्बहुत अधिक ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त,

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की मण्डी के पूर्वी गेट को जाने वाले जर्जर मार्ग का निर्माण

139–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद की मण्डी के पूर्वी गेट को जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की समस्या को हल करने हेतु उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत उक्त मार्ग की मरम्मत माह जून, 2008 में कराया गया है। ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013'' में 08 वर्ष पश्चात् सतह लेपल नवीनीकरण (मरम्मत) का कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इसलिए उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–2016 में नये स्टेडिमयों के निर्माण तथा पुराने स्टेडियमों के जीर्णोद्धार के प्रकरणों की जानकारी तथा जनपद जौनपुर के स्टेडियम को जीर्णोद्धार कराया जाना

140–श्री नदीम जावेद–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कितने नये स्टेडियम बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी तथा पुराने स्टेडियमों का भी जीर्णोद्धार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जौनपुर में स्थित स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गुर्जर–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 03 नये स्टेडियम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा किसी भी पुराने स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार की आवश्यकता होने पर विभागीय अधिकारियों की मांग/प्रस्ताव के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

जनपद सहारनपुर में वि0ख0 क्षेत्र गंगोह के वि0ख0 ननौता के ग्राम भनेहा खेमचन्द में दूध फैक्ट्री ननौता व डिस्टलरी का अपशिष्ट व रसायन युक्त प्रदूषित पानी को रोका जाना

141—श्री प्रदीप चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—सहारनपुर के वि0स0 क्षेत्र गंगोह के वि0ख0—नानौता के ग्राम—भनेडा खेमचंद में दूध फैक्ट्री नानौता व डिस्टिलरी का अपशिष्ट व रसायनयुक्त पानी छोड़ा जाता है जिससे भयंकर संक्रामक रोग क्षेत्र में फैल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रतिबन्धित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के विकास खण्ड ननौता के ग्राम भनेडा खेमचंद में स्थित दूध फैक्ट्री मैसर्स एस0एम0सी0 फूड्स लि0, ननौता, सहारनपुर द्वारा 450 कि0ली0 प्रतिदिन कच्चे दूध का प्रयोग कर घी, लिक्विड मिल्क, दही व पनीर का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषणकारी उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग का गत् निरीक्षण दिनांक 23—01—2016 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया। पूर्व में दिनांक 27—11—2015 को एकत्रित शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या में विभिन्न प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग को वर्ष 2016 तक की अवधि हेतु जल स्वीकृति की सहमति दी गयी है।

मैसर्स यू0पी0 को—आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0, आसवनी इकाई, ननौता, जनपद सहारनपुर द्वारा कच्चे माल के रूप में शीरे का प्रयोग कर औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तथा उद्योग की उत्पादन क्षमता 30 कि0ली0/दिन है। उद्योग में औद्योगिक उत्प्रवाह को अन्तिम रूप में बायो कम्पोस्टिंग हेतु प्रयोग किया जाता है तथा औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जाता है। उद्योग का गत् निरीक्षण दिनांक 23—01—2016 को कराया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आसवनी इकाई की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषणकारी उत्प्रवाह को बायो कम्पोस्टिंग के माध्यम से कम्पोस्ट खाद्य बनाये जाने में प्रयोग किये जाने हेतु व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के समय बायो कम्पोस्ट यार्ड में बायो कम्पोस्टिंग का कार्य होता पाया गया। उद्योग को वर्ष 2016 तक की अवधि हेतु सहमति जल स्वीकृत है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर के पत्र दिनांक 02–02–2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 02–02–2016 को ग्राम भनेड़ा खेमचंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ननौता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उक्त क्षेत्र में भयंकर संक्रामक रोग फैलने की पुष्टि नहीं की गयी है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा विधान सभा क्षेत्र में विकास से जुड़े सभी प्रशासनिक फैसला लेने में चुने हुए विधायकों को शामिल किया जाना

142–श्रीमती विमला बाथम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गौतमबुद्धनगर में नोएडा विधान सभा क्षेत्र में विकास से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्य नोएडा अथॉरिटी करती है और अथॉरिटी के सभी पालिसी मेकिंग फैसले बोर्ड बैठक में होते हैं, जिसमें सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ही सभी फैसलों को लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के चुने हुये जन–प्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में शामिल करके अपनी राय देने का अधिकार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बोर्ड में अध्यक्ष, नोएडा के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, सदस्य के रूप में नामित हैं तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्त निगम, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे विकास प्राधिकरण विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित हैं। बोर्ड का निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े तक एवं बरारा रोड से ग्राम सहारा परिक्रमा मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

143–श्री काली चरन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े तक एवं बरारा रोड से ग्राम सहारा परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सम्पर्क मार्ग फतेहाबाद रोड से नगला गाड़े संतोषजनक स्थिति में है। सम्पर्क मार्ग बरारा रोड से ग्राम सहारा परिक्रमा मार्ग की मरम्मत वर्ष 2003–04 में कराई गई थी, जो समयान्तराल के कारण क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति, आगरा की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

144—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

ख्बहुत अधिक ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त,

जनपद लखनऊ शहर में छोटे बड़े ऐसे कितने मन्दिर जो बिना अनुमति के अवैध कब्जा से बनाये गये मन्दिरों का विवरण

145—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या धर्मार्थ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में छोटे—बड़े कितने मंदिर ऐसे हैं जो बिना किसी अनुमति के सरकारी/गैर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाकर कब्जा किया गया है ? क्या सरकार ऐसे मन्दिरों को चिन्हित कर उन्हें हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्रा)—

विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल संख्या—एस 8519/2006 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 29—09—2009 के अनुपालन में सर्वे कराया गया तो पाया गया कि लखनऊ शहर में जितने मंदिर हैं, यह वर्ष 2009 के पूर्व के हैं, जिनको वर्तमान समय में अवैध नहीं कहा जा सकता।

लखनऊ शहर में छोटे—बड़े कितने मंदिर ऐसे हैं जो बिना किसी अनुमति के सरकारी/गैर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाकर कब्जा किया गया है, से सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस तरह से कोई सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जायेगी।

यमुना एक्सप्रेस—वे पर पिछले दो वर्ष 2013—14 व 2014—15 में हुई दुर्घटना से हो रही मृत्यु को रोकने की सरकार की कार्य योजना

146—डा0 धर्मपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस—वे पर पिछले दो वर्ष 2013—14 व 2014—15 में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं, तथा इनमें घायल हुए एवं मृतकों का विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

यमुना एक्सप्रेस—वे पर पिछले दो वर्ष 2013—14 व 2014—15 में कुल 1667 दुर्घटनाएं हुयी, जिनमें घायलों की संख्या—2680 व मृतकों की संख्या—245 थी।

जी हां। दुर्घटना रोकने हेतु सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट से प्राप्त संस्तुति/सुझाव के आधार पर निम्नवत् तीन व्यवस्थाएं की गयी हैं :——

(1) यमुना एक्सप्रेस—वे पर टाय प्रेशर मीजरिंग स्टेशन विद नाईट्रोजन गैस फिलिंग अरेंजमेन्ट एण्ड ट्रेड वेयर इन्डीकेटर की व्यवस्था की गयी है।

(2) एक्सप्रेस–वे के 30 स्थानों को दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित करते हुए स्पीड अरेस्टर (12 रोज ऑफ कैट आईज) की व्यवस्था की गयी है।

(3) एक्सप्रेस–वे पर निर्मित अन्डरपास पर मिलने वाली सतहों में लेवल डिफरेन्स के कारण लगने वाले धक्के को कम करने की दृष्टि से बिटूमिन्स कंकरीट का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी उपलब्ध कराने की सरकार की कार्य योजना

147–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त जनसेवा केन्द्र पूरे प्रदेश में वर्ष 2016 में पूर्ण रूप से स्थापित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रनिक डिलीवरी करने की कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2016 के अन्त तक प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जन सेवा केन्द्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

ख्समय 12.20,

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित करा दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गई।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, यह अनुपूरक एजेण्डा मैंने आपके पास पहुंचा दिया है मैं समझता हूं कि इसे पारित किया जाए उसके बाद आगे बढ़ा जाए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

नहीं मान्यवर, इस पर दो शब्द बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 2015–2016 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, एक तरफ तो सरकार पैसे का रोना रोती है,

जब किसी भी विकास, कल्याणकारी योजनायें या राहत के लिए धन आवंटित करने की बात आती है तो अपनी बला हमेशा केन्द्र सरकार पर टालने की कोशिश करती है और दूसरी ओर आज 27,758.98 करोड़ रुपये का यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, जब सरकार ने अभी पिछला बजट जो इन्होंने पारित किया था उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर इन्होंने बजट आवंटित किया था 2435 करोड़ रुपया, जब इनका मुख्य बजट आया था तो उसमें 2435 करोड़ रुपये का बजट था और यह फरवरी का महीना चल रहा है यानि अब लगभग डेढ़ महीने बाकी हैं इस वित्तीय वर्ष को बीतने के लिए और इन्होंने धन खर्च किया है कृषि विभाग में 34.27 प्रतिशत। 2435 करोड़ रुपये में इन्होंने 34.27 प्रतिशत धन खर्च किया है। यानि अभी 65 फीसदी धन खर्च ही नहीं कर पाये।

ऐसी हालत में अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्या है ? मान्यवर, भूमि विकास में इन्होंने 567 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया था, खर्च किया 42.93 प्रतिशत यानि 58 प्रतिशत इसमें अभी बाकी है। इसी प्रकार से पंचायती राज विभाग में 3533 करोड़ रुपया आवंटित किया था, खर्च हुआ है 50.47 प्रतिशत। पशुधन में 247 करोड़ रुपया दिया था और खर्च किया है 31.96 प्रतिशत। मान्यवर, मत्स्य विकास में इन्होंने 41 करोड़ रुपया दिया था, खर्च किया है 15.40 प्रतिशत। केवल दुग्ध विकास, सहकारिता और गन्ना विकास विभाग ऐसे हैं जिसमें इन्होंने क्रमशः 88.04, 99.95 व 91.38 यानि तीन विभाग में इन्होंने जो भी अब तक खर्च होना चाहिए था उसके सापेक्ष में समुचित खर्च कर पाये हैं शेष सभी मद में बड़े पैमाने पर धन अभी बचा हुआ है। इसलिए महीने, डेढ़ महीने के लिए इतना बड़ा धन दिया जा रहा है। इसके पहले अभी किसी में 60 फीसदी, किसी में 70 फीसदी, किसी में 58 फीसदी, किसी में 55 फीसदी जो धन अभी बचा हुआ है, सरकार जनता की उस गाढ़ी कमाई के धन का क्या करेगी ? 15 दिन में बन्दरबांट करेगी, घोटालों का शिकार बनायेगी या सारे के सारे लोग मालामाल होने के लिए उसको व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। मेरी आपत्ति है, आप एक नहीं, दस बार अनुपूरक बजट लायें लेकिन जो प्राविधानित बजट का धन है उसका शत–प्रतिशत खर्च होना चाहिए 90 फीसदी भी खर्च कर दिया होता तो भी लाते। मान्यवर, इतने बड़े पैमाने पर अभी भी प्राविधानित बजट का पैसा यह खर्च नहीं कर पाये ऐसी हालत में यह अनुपूरक बजट सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है और उत्तर प्रदेश की जनता पर अनावश्यक भार भी है। एक ओर आर्थिक तंगी का रोना और दूसरी ओर जनता पर इतने बड़े पैमाने पर अनुपूरक बजट के माध्यम से बोझ लादना, हम समझते हैं कि यह किसानों के साथ धोखा है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा है और साथ ही साथ जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग भी। यही नहीं मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और इनकी सरकार की सबसे ज्यादा बहुचर्चित कल्याणकारी योजना समाजवादी पेंशन योजना है। मान्यवर, यह अपना भी लक्ष्य नहीं पा पाये। इन्होंने 45 लाख का लक्ष्य रखा और अभी भी 4 लाख 20 हजार लोग वंचित रह गये। जब इतने दिन में नहीं दिया

तो 15 दिन में क्या देंगे। 4 लाख 20 हजार लोगों का पैसा जायेगा कहां ? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधवा पेंशन में अभी जनता के कुछ लोगों ने अधिकारियों को शिकायत दी। अधिकारियों ने इस प्रकरण की जांच कराई। महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो विधवा पेंशन है मान्यवर, उसमें 2 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी पाये गये। यानि प्रतिवर्ष 72 करोड़ रुपया मनमाने तरीके से चहेते लोगों को दिया गया जो विधवा की श्रेणी में आते ही नहीं। मान्यवर, क्या सरकार दुरुपयोग करने के लिये अनुपूरक बजट ला रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, यह नियम–195 है। अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के व्याप्त का है। चर्चा उन्हीं पर होगी जिन मांगों का अनुदान में, जिन मदों की मांग की गई होगी। तो इसमें तो तीन ही चार मद हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, दूसरी चर्चा हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह सरकार मनमाने तरीके से जनता के पैसे को डकारने के लिये अनुपूरक बजट का बहाना ले रही है, बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर निन्दा करती है। इस अनुपूरक बजट का जो जनता पर अनावश्यक बोझ है, का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, आप तो नियमों को बहुत मानते हैं यह 195 में है जो मद है उसी पर चर्चा रखियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ऐसा है मैंने नियम– 194 भी पढ़ा है, 195 भी पढ़ा है और हिन्दुस्तान के संविधान का आर्टिकल 205 भी पढ़ा है। मान्यवर, मैं नियमावली और कान्स्टीट्यूशन के तहत ही अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, यह नियमों का दुरुपयोग है, नियमावली का दुरुपयोग है और कान्स्टीट्यूशल प्राविजन का दुरुपयोग है। मान्यवर, जिस प्रकार से यह सेकेन्ड सप्लीमेन्ट्री लाया गया अगर यह सरकार दूरदर्शी होती तो यह अगस्त के महीने में इसको लाया जा सकता था कोई नई बात नहीं थी मान्यवर, जो आज हमने देखा। अगस्त के महीने में ही फर्स्ट सप्लीमेन्ट्री में यह बात आ सकती थी कि हम यह करने जा रहे हैं और उसका प्राविधान उसी में हो सकता था मान्यवर। दूसरी बात मान्यवर, साढ़े दस महीने इस सरकार को मिले। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मौर्या जी कह गये। मेरे पास जो पैसा अवमुक्त हुआ उसकी फिगर है जो हमको यहां पर मिली इन्टरनेट से और जो पैसा खर्च हुआ मान्यवर, उसकी फिगर भी है। किसी में 25 परसेन्ट, किसी में 40 परसेन्ट, किसी में 30 परसेन्ट। 50 परसेन्ट से ज्यादा किसी महत्वपूर्ण विभाग में मान्यवर, पैसा नहीं खर्च हुआ। लेकिन हम अपनी नियमावली के नियम 194 के

तहत उन्हीं मदों तक अपने आप को सीमित रखेंगे जिन मदों पर आज अनुपूरक मांगा जा रहा है। मुख्य मंत्री जी को जब यह अनुपूरक बजट पेश हुआ तो यह बताना चाहिए आज अगर यह परम्परा नहीं रही तो यह परम्परा डालना चाहिए कि हमने मार्च के महीने में इतना पैसा लिया था और इसमें हमने इतना पैसा खर्च कर लिया। जब साढ़े दस महीने में शत प्रतिशत खर्च नहीं कर पाये तो यह डेढ़ महीने में कैसे खर्च कर लेंगें। आज अगर हम पास करते हैं। उसके बाद विधान परिषद् में जाएगा उसके बाद प्रक्रिया होते–होते 10 दिन लग जाएगा, मात्र चालीस दिन इस सरकार को मिलेंगे इस पैसे को खर्च करने के लिए जब साढ़े दस और पौने ग्यारह महीने में यह पैसा नहीं खर्चा कर पाए तो डेढ़ महीने में यह पैसा कैसे खर्च कर लेंगे अगर पैसा ठीक से समय पर खर्चा हो जाए तो जनता को उसका लाभ भी मिलता है और कास्ट भी उन योजनाओं की नहीं बढ़ती है जिन योजनाओं पर पैसा खर्चा होता है तो मेरा मान्यवर, सब्मिशन यह है कि जिस नियमावली को मानना चाहिए नियम–14 यह मानते नहीं हैं जिससे सदन ज्यादा चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बहस हो यह नियम–14 से भागते हैं और इनके पास जहां जरा सा भी अधिकार है पैर रखने का, उसमें यह चढ़कर 27 हजार 558 करोड़ का सेकेन्ड सप्लीमेन्टरी और ले आए। मेरा यह कहना है कि यह नियमावली का दुरुपयोग है कान्सटीट्यूशनल प्रावीजन का दुरुपयोग है अनुपूरक बजट लाने का अधिकार तो है लेकिन जब चाहो, जितना चाहो जिसमें खर्च भी न कर पाओ उसमें भी ले आओ यह कहां का न्याय है यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है यह सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है। यह कान्सटीट्यूशन प्रावीजनस का और नियमावली का दुरुपयोग है हम और हमारा दल मान्यवर, इस अनुपूरक बजट के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भा0ज0पा0 के श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री दलजीत सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप भी बहिर्गमन करेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब 31 मार्च 2016 के समाप्त होने में केवल पौने दो महीने रह गए हों तो अनुपूरक बजट लाने का क्या औचित्य है। मेरे पास भी वह सब आंकड़े मौजूद हैं। (शोर) माननीय अध्यक्ष जी, अगर यही अनुपूरक लाया जाना था तो जो पहले अनुपूरक आया था तो उसमें समायोजित करते या उससे पहले दो महीने पहले और लेकर आते। क्या आवश्यकता पड़ गई अनुपूरक बजट लाने की, अनुपूरक बजट मुख्य बजट से दो महीने पहले लाना चाहिए स्थिति यह है कि यह बजट पारित होते–होते उसमें 25 दिन और लगेंगे और उसके बाद उसका बंदरबांट होगा। माननीय अध्यक्ष जी अगर लाना ही था तो पी0डब्लू0डी0 विभाग को देखिए आप, आप उसके लिए अनुपूरक क्यों नहीं लाए

मुख्य मंत्री जी आपकी दस हजार की घोषणा है जिसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात कहिए। आगे मदें लेनी हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

अनुपूरक बजट में आप पी0डब्लू0डी0 में भी पैसा देते। माननीय मुख्य मंत्री जी विजन वाले हैं, योग्य हैं प्रदेश आगे बढ़े, चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर देते हैं इस तरह से जो आप तीन विभागों के लिए अनुपूरक लाये हैं यह खर्चा नहीं होगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, अधिकारी कन्ट्रोल से बाहर हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रदीप माथुर–

यह जो बजट है यह औचित्यपूर्ण नहीं है इसलिए मैं और मेरा दल इस सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रदीप माथुर ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी सबकी तरफ से बोल दिए हैं।

'श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जिन विभागों में पैसा बैलेन्स का शेष है उसको खर्चा करने के लिए, शीघ्रता से खर्चा करने के लिए सरकार दबाव बनावे। सरकार खर्चा करने के लिए बजट पेश करती है हर सरकार करती चली आई है यह भी करेंगे मैं चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं पी0डब्लू0डी0 विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग इसमें पैसे की व्यवस्था की जाए जिससे इनका काम बहुत तेजी से सम्पन्न हो और जल्दी से जल्दी प्रदेश की जनता को लाभ मिले।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जो लोग सदन छोड़कर गए हैं वह लाबी में खड़े होकर सुन रहे होंगे या फिर कहीं न कहीं बैठकर टी0वी0 पर देख रहे होंगे, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी तरफ से मंत्री जी ने और सदस्यों ने किसान के प्रति चिन्ता जताई। विपक्ष के नेताओं ने भी चिन्ता जताई उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त है, किसान तकलीफ में है, परेशानी में है उसकी मदद होनी चाहिए तो एक तरफ तो यह किसानों की मदद चाहते हैं और अगर सरकार कुछ मदद के लिए आगे आती है तो यह सदन छोड़कर चले जाते हैं यह बजट जो लाया गया है तीन विभागों के लिए लाया गया

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है पहला तो है राजस्व विभाग हमारी सरकार की जानकारी में नहीं था कि सूखा होगा और सूखे से कितना नुकसान होगा। मान लीजिए हमारे पास अभी एक महीना है अगला बजट जब आएगा उससे पहले किसानों की मदद हो केन्द्र से अगर अभी पैसा आएगा तो अगर बजट में हम उसका इंतजाम नहीं करेंगे तो हम बांट कैसे पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तो बहुत पुराने नेता हैं किसान की इनको चिन्ता थी तो यह सदन छोड़कर क्यों चले गए ? वहीं सहकारिता विभाग। हालांकि उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता कि सहकारिता विभाग का क्या हाल इन्होंने किया था। जो बैंकें थीं, वह बन्द पड़ी थीं। यहां हमारे तमाम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वह जानते होंगे कि सहकारिता विभाग में क्या हालत थी जो नेता प्रतिपक्ष सदन छोड़कर चले गए, उनके समय में सब बैंकें बन्द हो गईं थीं और हमारे माननीय सदस्य जो इस तरफ बैठे हैं, वह कहते थे कि किसी तरह से हमारी बैंकें जो हैं, वह चलें। अगर चलाने का इंतजाम करें तो सरकार का जो पैसा है, वह बच जाए। मैं अगले बजट में पैसा लाता तो सरकार का 143 करोड़ का नुकसान होता इनका कहना है कि सरकार रोना रोती है पैसे के लिए बन्दरबांट करना चाहती है अब बंदरबांट तो इनसे सीखना पड़ेगा। बन्दरबांट करके क्या नहीं किया इन लोगों ने अगर लाबी में यह सुन रहे होंगे तो जरूर यह थोड़ी देर में आ जाएंगे।

(कुछ सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि वह लोग लाबी में हैं)

श्री अखिलेश यादव–

अध्यक्ष जी लाबी तक तो बात जाती होगी ।

श्री अध्यक्ष–

हां।

श्री अखिलेश यादव–

बिजली के लिए मान लीजिए हम बिजली का इंतजाम करना चाहते हैं केन्द्र सरकार की जो नई योजनाएं हैं उसमें हम शामिल करना चाहते हैं। अनुपूरक उस समय तक जा चुका था अगर इस अनुपूरक में नहीं करेंगे तो कब करेंगे ? इसलिए तीनों मुख्य विभाग हैं और सीधे–सीधे जनता खासतौर से किसान से जुड़े सवाल हैं। सबसे ज्यादा चिन्ता सरकार को है बुन्देलखण्ड के किसानों की हम तो यह कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वह हमें बताइए, आरोप लगाना, कोई कहानी बता देना और इतना दुख है, इतना संकट है तकलीफ में हैं मैं जानना चाहता हूं कि अगर इनके पास कोई सुझाव है तो सरकार उसे स्वीकार करेगी। जहां तक राहत की बात है, पूरे देश में आस–पास भी प्रदेश हैं। आप मध्य प्रदेश की जानकारी कर लें बिहार की जानकारी कर लें और जो आस–पास प्रदेश हैं। ओलावृष्टि से जितनी किसानों की मदद राहत पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है और जो किसानों ने जान खोयी है जो आत्महत्याएं की हैं किसानों ने गरीबी के कारण केवल उत्तर प्रदेश का गरीब किसान जान दे रहा हो, आप आंकड़े निकलवा लीजिए। देश में सबसे ज्यादा किसान कहां आत्महत्या कर रहा है तमाम प्रदेश हैं मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता सदन

में लेकिन कहीं किसी के परिवार की कोई मदद हुई हो तो हमें बता दो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पांच लाख से लेकर सात लाख और इसी सदन में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इसके लिए अलग से भी इंतजाम करेंगे अलग से दो–दो लाख के लिए इसी सदन में कहा था। हमने मदद की है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं हुआ है ओलावृष्टि के कारण तो मथुरा में हुआ था। मथुरा के हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं हालांकि इस दल के लोग नहीं हैं, दूसरे दल के लोग हैं, सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं जितनी जल्दी मदद कर सकते थे सरकार ने कैम्प लगाकर बाकायदा इन लोगों के माध्यम से और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से चेक बांटे गए हैं। बताइए कभी इतना चेक बंटा हो, यह तो विपक्ष का काम है, कभी–कभी यह ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पड़ते हैं यह जाकर टी0वी0 के सामने खड़े हो जाएंगे। जब सुनना चाहिए था तब नहीं सुनना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जो अनुपूरक आया है वह किसानों के लिए आया है गरीबों के लिये आया है और प्रदेश में जो इंतजाम हैं उनको बेहतर करने के लिए मांगा है। अभी सूखा में हमें मदद करनी है, हम मदद करेंगे। जहां तक और सवाल उठाए हैं क्योंकि अभी अभिभाषण में उन्हें और बातें कहनी हैं कि किस–किस विभाग में कितना खर्च नहीं हुआ है यह वही आंकड़े लेकर आए हैं जो अखबारों में पढ़ लिए या एक महीना। पुराना इनके आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं। कम्प्यूटर से तो यह दुश्मनी रखते हैं। यह जो नेता प्रतिपक्ष हैं यह कम्प्यूटर से दुश्मनी रखते हैं। यह पता नहीं कहां का पुराना आंकड़ा ले आए अभी आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं जिस समय आंकड़े अपडेट हो जाएंगे मैं समझता हूं कि उस समय खुद यह सहमत होंगे कि सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है और पैसा भी जमीन पर खर्च करके उतारा है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं हमारे अनुपूरक को पास किया जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख्समय 12.45,

अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 02 खरब, 66 अरब, 06 करोड़ रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 02 अरब, 48 करोड़, 45 लाख, 86 हजार रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 09 अरब, 04 करोड़, 52 लाख रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015—2016 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2016[४]

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास जल सम्पूर्ति नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शहरी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्ड—2 से खण्ड—3 तक अनुसूची, खण्ड—1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015—2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

---

† fnukad 11 Qjojh] 2016 ds lk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V esa Nik gSA

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2015–2016 के लिये 27758,97,000 रुपये का दिया जाना। — 2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2016 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 27758,97,86,000 रुपये (रुपये सत्ताईस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ सत्तानवे लाख छियासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुसूची

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रुपयों हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
09	ऊर्जा विभाग	राजस्वः	133020000	०००	133020000
		पूंजीः	133040000	०००	133040000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः	०००	०००	0
		पूंजीः	2484586	०००	2484586
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः	9045200	०००	9045200
		पूंजीः	०००	०००	0
	योग :	राजस्वः	142065200	०००	142065200
		पूंजीः	135524586	०००	135524586

महायोग :	277589786	0	277589786

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

ख्समय 12.46, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने एवं अधिग्रहीत भूमि पर राजस्व की वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

दूसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अंतर्गत रामपुर धोवियाहार के नाम से नया ब्लाक बनाये जाने के संबंध में।

तीसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा हो रही धांधली को रोके जाने एवं काफी दिन से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में।

चौथी सूचना श्रीमती राजमती की विधान सभा क्षेत्र पिपराइच, गोरखपुर में बंद चीनी मिल को चलाये जाने के संबंध में।

पांचवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की अनुपस्थित हैं।

छठवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को मुख्य मंत्री जी द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में शामिल करने के आदेश देने के बावजूद भी विकास कार्य न कराये जाने के संबंध में।

सातवीं सूचना श्री फेरनलाल की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी में जल निगम द्वारा हैण्डपंप अधिष्ठापन में विभाग द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

आठवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत से मेरठ जाने वाली सड़क पर टटीरी कस्बा अंतर्गत रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के संबंध में।

नौंवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अंतर्गत हसनपुर कम्हरिया में स्थित क्षतिग्रस्त रेगुलेटर एवं नहर लाइनिंग को ठीक कराये जाने के संबंध में।

दसवीं सूचना प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की नगरपालिका परिषद्, जनपद बलिया वार्ड–6, मिश्रनेवरी तालुके विगही में नाली के गलत निर्माण एवं विभिन्न जल जनित रोग फैलने के संबंध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में।

(श्री ओम कुमार द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गई)

बारहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डॉव के अंतर्गत कमलसागर चट्टी के कन्धरापुर गांव तक की जीर्णशीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

तेरहवीं सूचना श्री मो0 जासमीर अंसारी की है– अनुपस्थित हैं।

चौदहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस विधान सभा सिकन्दराराऊ के अंतर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराये जाने के संबंध में।

पन्द्रहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अंतर्गत ब्लाक कप्तानगंज रामकोला के कतिपय गांवों में सूखा राहत का पैसा वितरित कराये जाने के संबंध में।

(कई मा0 सदस्य अपनी–अपनी सूचनाएं स्वीकार किए जाने का अनुरोध करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

इसमें जो 02 मा0 सदस्य नहीं हैं, उनके स्थान पर एक सूचना श्री सुरेश बंसल जी की तथा दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह जी की ले लेते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा इंगित करने पर कि श्री धर्मपाल सिंह उपस्थित नहीं हैं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयीं :–

श्री धर्मपाल सिंह, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्री मनीष असीजा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सलिल विश्नोई, श्री सन्त प्रसाद, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री कालीचरन सुमन, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री उमाशंकर, श्री दलवीर सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री जय प्रकाश निषाद।

श्री धर्मपाल सिंह नहीं हैं उनके स्थान पर तीसरे नम्बर पर श्री सतीश महाना जी की सूचना स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी जानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने एवं अधिग्रहीत भूमि पर राजस्व की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद कैसरगंज के ग्राम चकपिहानी प0 हिसामपुर तहसील कैसरगंज के किसानों की भूमि पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गयी थी। कैसरगंज पयागपुर मार्ग 32 कि0मी0 पेन्टेड मार्ग है। कैसरगंज से पयागपुर इकौना के लिए यह ही मार्ग। इस पर सरकार और गैर सरकारी तथा सारे आवागमन के साधन चलते हैं। हजूरपुर से लखनऊ रोडवेज बस इसी मार्ग से चलती है। यह सड़क ग्राम चकपिहानी में दसियों की भूमिधरी–काश्तकारी जमीन से निकाली गई थी। इन किसानों को उक्त जमीन का मुआवजा आदि भी नहीं दिया गया। यह सड़क चकपिहानी ग्राम में अभी भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। सड़क न तो खसरा में दर्ज है और न ही नक्शे में दर्ज है। किसानों को अब भी भू–राजस्व अदा करना पड़ता है। 2002 में गांव वालों की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया है कि सड़क किसानों की भूमि अधिग्रहीत करके बनाई है। परन्तु अभी तक मुआवजा नहीं मिलने एवं खतौनी में किसानों का नाम दर्ज होने भू–राजस्व भी अदा किये जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

प्रमुख अभियन्ता (विकास)/विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बताया गया कि निर्माण अवधि में कृषकों ने मौखिक सहमति देकर विभाग को मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी थी तथा मार्ग निर्माण के समय मुआवजे की मांग नहीं की गयी थी। इस प्रकार से विभाग द्वारा मौखिक कथन का उल्लेख करके मुआवजा न दिया जाना विभागीय अधिकारियों की मनमानी एवं लापरवाही को दर्शाता है जिससे गरीब अपनी भूमि का मुआवजा नहीं पा रहे है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत रामपुर धोवियाहार के नाम से नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद बहराइच के मेरे विधान सभा क्षेत्र–283 नानपारा जो सरयू एवं घाघरा नदी से घिरा हुआ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है सरयू नदी तथा घाघरा नदी शिवपुर ब्लाक का हिस्सा है। पिछले साल में एवं सरयू नदी के दूसरी तरफ रामपुर धोवियाहार ब्लाक

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बनवाने का मैंने आग्रह किया था, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया था परन्तु अभी तक रामपुर धोवियाहार के नाम से ब्लाक नहीं बनाया गया है। जिससे जनता में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर जनपद बहराइच के अन्तर्गत नानपारा विधान सभा क्षेत्र के रामपुर धोवियाहार के नाम से ब्लाक घोषित कराकर ब्लाक बनाने की कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा हा रही धांधली को रोके जाने एवं काफी दिन से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत धांधली हो रही है। पात्रों की चयनित लिस्ट में अपने व्यक्तियों का चयन किया गया है। शासन द्वारा 20 प्रतिशत कोटा जो अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित था उसको भी ग्राम सभा वार्ड न देकर कुछ गांवों में सीमित कर दिया गया है और वहां भी कोटे के अनुसार पात्रों का चयन न करके रिक्त घोषित कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण विभाग ने धोखाधड़ी व हेराफेरी अथवा उगाही का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। इस विभाग में 20 साल से जो बाबू बैठे हैं वह शासन की मन्शा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वह लोग केवल धन उगाही करके प्रधानों का शोषण भी कर रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं। बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन योजना एवं बृद्धावस्था पेंशन में हेरी–फेरी किया गया है, मेरे क्षेत्र के ग्राम पुर, किकौड़ा, डूहा बेड़ा, सिसोटार, नरहनी, जिगसड़, खड़सड़ा, एकाइल, करसी, नवानगर बिजलीपुर, मझवलिया, पकड़ी, उकक्षी, सरेमांवु, मुण्डेरा, भरियांव, खरीद, डूहाबिहरा, देवकली, खेजुरी, लिलकर आदि अनेक गांवों की जनता में जबरदस्त शिकायत एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी को भी अवगत कराया हूं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। सम्बन्धित अधिकारियों एवं बाबू द्वारा जो अनियमितता की गयी है मेरे जनपद में समाज कल्याण के बाबू बहुत दिनों से एक ही स्थान पर कुण्डली मार कर बैठे हैं। जनहित में इनका स्थानान्तरण आवश्यक है। तभी पेंशन वितरण में सुधार सम्भव है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कार्रवाई किये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र पिपराइच, गोरखपुर में बंद चीनी मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्रीमती राजमती–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 321 पिपराइच जनपद गोरखपुर में बन्द चीनी मिल को जनहित में चलाया जाना अति आवश्यक है। चीनी मिल वर्ष 1990 तक सुचारु रूप से चल रही थी, लेकिन भाजपा शासन काल में उक्त चीनी मिल को बन्द कर दी गयी। जिसको लेकर गन्ना किसान उदासीन और निराश है। चुनाव के समय में चीनी मिल को चलाये जाने का वादा किया गया था। लेकिन अभी तक चीनी मिल चल नहीं पायी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में पिपराइच चीनी मिल को पुनः चलवाये जाने के लिए सरकार से मांग करती हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों को मुख्य मंत्री जी द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में शामिल करने के आदेश देने के बावजूद भी विकास कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ब्लाक अगौता, लखावटी, बुलन्दशहर, अनूपशहर, जहांगीराबाद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजकर विकास कराने का अनुरोध कि जिसके क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से पत्र संख्या–961/80–1–2012–600(7) से कमालिनी श्रीवास्तव उप सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग–4 संख्या–विधा058/38–4–12–38(विविध)/2012, लखनऊ, दिनांक 21 जून, 2012 को अनुसार डा0 हरिश्चन्द्र विशेष कार्याधिकारी द्वारा पत्र कृषि विपणन को पत्रांक–मु0अभि0(जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0–3629)/2012–1464 दिनांक 06–08–2012 को आदेश दिया लेकिन अभी तक मा0 मुख्य मंत्री जी कार्यालय द्वारा अनेको बार आदेश होने के बाद भी अभी तक मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0 के अन्तर्गत कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में यथाशीघ्र जनेश्वर मिश्र ग्रा0यो0 के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में धन आवंटित कर विकास कार्य करने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी में जल निगम द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन के विभाग द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कार्रवाई

किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरनलाल –

ख्मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र महरौनी में जल निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में जो हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं उनके बोर की गहराई मानक के विपरीत अत्यधिक कम की गयी तथा हैण्डपम्प का सामान भी अत्यधिक घटिया किस्म का प्रयुक्त किया गया जिससे उपरोक्त हैण्डपम्प ड्राई हो गये है एवं गम्भीर पेय जल संकट उत्पन्न हो गया हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा पत्राचार एवं व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक उक्त हैण्डपम्पों की न तो मरम्मत की गई और न ही रिबोर की कोई कार्यवाही की गई। पेय जल संकट के कारण क्षेत्रीय लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराये जाने एवं हैण्डपम्प अधिष्ठापन की कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत से मेरठ जाने वाली सड़क पर ट्टीरी कस्बा अन्तर्गत रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता चौधरी–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बागपत से मेरठ जाने वाली सड़क पर ट्टीरी कस्बा के अन्तर्गत रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज न होने से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। इस कस्बे में मात्र एक ही मार्ग है। जबकि फाटक बन्द हो जाने के कारण लगभग 4 कि0मी0 का लम्बा जाम लग जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता व राहगीरों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों और प्रशासन से अनुरोध किया गया परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत के अन्तर्गत हसनपुर कम्हरिया में स्थित क्षतिग्रस्त रेगुलेटर एवं नहर लाइनिंग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हसनपुर कम्हरिया में स्थित नहर पर रेगुलेटर पूर्ण रूप से जर्जर हो गया दोनों तरफ के लाइनिंग का तेजी से कटान हो गया है। जिसके कारण उस पर बना पुल के ध्वस्त होने की सम्भावना हैं जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रेगुलेटर खराब होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, रेगुलेटर के क्षतिग्रस्त होने के कारण लाइनिंग का कटान तेजी से हो गया है। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पत्र सं0–321051, 04–01–2016 को मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग वाराणसी को अवगत भी कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय किसानों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

नगरपालिका परिषद्, जनपद बलिया वार्ड–6, मिश्रनेवरी तालुके विगही में नाली के गलत निर्माण एवं विभिन्न जल जनित रोग फैलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रीता बहुगुणा जोशी–

ख्मान्यवर, जनपद बलिया के अन्तर्गत वार्ड–6 में मिश्रनेवरी तालुके विगही में नगर पालिका बलिया द्वारा पानी निकास हेतु नाली के निर्माण के कारण पानी श्री दूबर गौड़ एवं श्रीमती शीला मिश्रा के घर में भर जाता है। नाली का ग्रेडिएन्ट उल्टा होने के कारण पानी का निकास नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा पानी कई घरों के अन्दर जा रहा है तथा नाली में गन्दा पानी हमेशा भरा रहता है। जिसके कारण स्थानीय नागरिक जल जनित रोग हैजा, मलेरिया, दिमागी बुखार, डेंगू जैसी संक्रामक बिमारियों से प्रभावित हो रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूं।,

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र–नहटौर के वि0ख0–आकू नहटौर के ग्रमों–गिनोरी, वाजिदपुर, चौहरा, श्यामपुर, पालीजट, शादीपुर,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

सरॉय काजियान, दबखेड़ी सलार, आकू, भाड़ाखेड़ी, अकबरपुर गारग, हकीमपुर नारायण, फरीदपुर डल्ला, निजामपुर, लतीफुल्लापुर, नवाबदा, मुकीमपुर, मोजमपुर देवदास, कनखेड़ी, किरार खेड़ी, सीकरी बुजुर्ग, चॉदा नगली, टपरौली, बल्ला शेरपुर, रोखड़ियों बगला खजूरी, मानकपुर, गिलक अमराबाद, चकगोबर्धन, खोजपुर, नरगदी, हताईशेख, फरीदाबाद, बधावा, सरॉय आलम आदि ग्रामों का आजादी से अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा लोग आज के इस वैज्ञानिक युग में विद्युतीकरण न होने से नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कन्धरापुर गांव तक की जीर्णशीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–फतहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत कमलसागर पट्टी से कन्धरापुर गांव तक की सड़क (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो गया है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में जनपद–मऊ के मधुबन के विकास खण्ड–फतहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कन्धरापुर गांव तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद हाथरस विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव असमतपुर अजगरा तक की पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय–

ख्मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला–हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक सड़क अत्यधिक जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उ0प्र0 सरकार की लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत आने पर भी इस गांव की सड़क जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पड़ी है। क्षतिग्रस्त सड़क होने से आये दिन राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं। यह मुख्य मार्ग गांव के लोगों को स्वास्थ्य केन्द्र से जोड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अन्तर्गत ब्लाक कप्तानगंज रामकोला के कतिपय गांवों में सूखा राहत का पैसा वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अन्तर्गत कप्तानगंज, रामकोला और आंशिक, मोतीचक के निम्न गांवों में सूखा राहत का पैसा अभी तक नहीं बांटा गया है। जिससे ग्राम मथौली बाजार, फरदहा, सिरसिया, लोहेपार चन्दरपुर, कुसमां, खोटही इन्दरपुर, सोहनी, मेहड़ा, कारीतीन, सुधियानी, मोरवन, अमवा बाजार, सोमली सहित दर्जनों गांवों के किसानों का हमेशा दबाव बना रहता है और सूखा राहत न बटने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः किसानों में सूखा राहत वितरण किये जाने का निदेश सम्बन्धित को देने की कृपा करें।,

जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0–7 के न्यू पंचवटी से सी–ब्लाक के गेट से ए–ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री सुरेश बंसल–

ख्मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नं0–7 के न्यू पंचवटी में एक मुख्य सड़क जो सी ब्लाक के गेट से ए–ब्लाक के गेट तक जाती है, पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। यह एक बहुत बड़ी कालोनी है जिसमें करीब 500–700 मकान बने हुए हैं जिसमें हजारों लोग निवास करते हैं। इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से यहां के निवासियों को बड़ी असुविधा है। जगह–जगह गड्ढे हो चुके हैं। सड़क जर्जर स्थिति में है।

अतः मैं जनहित में जिस सड़क पर चलना भी दूभर है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर नगर के महराजपुर क्षेत्र के वार्ड सं0–19 एवं कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र महराजपुर (कानपुर नगर) में नगर निगम के वार्ड सं0–19, सनिगवां क्षेत्रान्तर्गत कुर्मांचल गेट, भाभा नगर में जय शंकर तिवारी के घर से हनुमान मन्दिर तक की सड़क जिसकी लम्बाई 350 मीटर तथा विमानपुरी भाभा नगर में मां सरस्वती स्कूल के पास से वी0एस0 त्रिपाठी के घर से होते हुए रमेश साहू के मकान के आगे भारतीय शान्ति निकेतन स्कूल तक दूरी लगभग 350 मीटर का मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनी के निवासियों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। मार्ग सही न होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है एवं बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।,

ख्समय 12.55, विश्वविद्यालय की बैठक की सूचना नाम–निर्देशित सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुयीं। लेकिन यह पोषणीय नहीं है। नियम–300 में कुछ नहीं है।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

नियम–300 में कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं। नियम–300 में यह आता नहीं है, बताइये।

'श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधान सभा के जो मा0 सदस्य होते हैं। मान्यवर, विभिन्न विश्वविद्यालयों में इनका नाम चयन करने की प्रक्रिया है। मान्यवर, विधान सभा में आपके संरक्षण में और आपके निर्देशानुसार विधान सभा चलती है और आपको यह अधिकार है कि दो मा0 सदस्यों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत उनको नामित कर दें। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक उन सदस्यों को नामित किया जिनमें मैं भी एक हूं। कानपुर विश्वविद्यालय के लिये आपने नामित किया था। मान्यवर, नामित करने के उपरान्त जिस समय आप यह सूचना देते हैं तो अखबार में अपने आप छप जाती है। लोग कहते हैं कि आप विश्वविद्यालय के नामित सदस्य हो गये। लेकिन जैसे मैं हूं और अन्य सदस्य भी होंगे मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन वह भी अपनी बात कहेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, उसमें मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मा0 सदस्यों को आप विश्वविद्यालयों के लिये नामित करते हैं उनको न तो विश्वविद्यालय के द्वारा सूचनी दी जाती है न उनको किसी बैठक में बुलाया जाता है। बातचीत करने के पश्चात् भी मान्यवर, उनको किसी प्रकार का कोई रेस्पांस नहीं दिया जाता है। केवल वह लिखा पढ़ी और कागज के आधार पर वहां पर नामित होना है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं उस पद के ऊपर जहां पर आपने मुझे विश्वविद्यालय में नामित किया था मैं इसमें इस्तीफा देता हूं। क्योंकि कभी उन्होंने बुलाया नहीं और अनावश्यक कागज के ऊपर उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि उन बैठकों के अन्तर्गत कोई जाने का औचित्य है हमें वहां पर बुलाया जाये तब तो ठीक है नहीं तो मान्यवर, उनका कोई सदस्य एक शोभा के लिये बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाना जी, दो प्रकार के सदस्य इसमें नामित होते हैं एक तो कृषि एवं प्रौद्योगिमक विश्वविद्यालय में। जो सीधे बोर्ड में नामित होते हैं। वह बोर्ड की बैठकों में जाते हैं। बोर्ड में जो निर्णय होता है उसमें उनकी भागीदारी होती है। दूसरा होता है कि विश्वविद्यालयों की कोर्ट में नामित होते हैं और कोर्ट की जब बैठक होती है तब वह बुलाये जाते हैं और कोर्ट के द्वारा जब कार्यपरिषद् का चुनाव होता है तब उसमें वह मतदान करते हैं। यह बड़ा कठिन है कि यह कोर्ट की मीटिंग बुलाते नहीं। हम इसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र लिखकर अवगत करायेंगे कि जब मा0 विधायक उसके सदस्य हैं तो आप कम से कम इसकी मीटिंग करें और इनको उसमें बुलायें, यह हम अवगत करा देंगे।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

नियम–110 के अन्तर्गत श्रीमती अराधना मिश्रा ने एक सूचना दी है। उससे मा0 मुख्य मंत्री जी भी सहमत हैं और मा0 नेता विरोधी दल भी सहमत हैं। दोनों की सहमति से यह प्रस्ताव रखा जाता है तो श्रीमती अराधना मिश्रा जी आप अपना प्रस्ताव रखें।

सियाचिन में 06 दिन बर्फ में दबे रहने के बावजूद जीवित निकलने वाले लासनायक श्री हनुमनथप्पा कोप्पाड के लम्बे जीवन की कामना हेतु नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्रीमती अराधना मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, ''यह सदन सियाचिन में असीम, जीवट एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए 06 दिन बाद बर्फ में दबे रहने के बावजूद जीवित निकलने वाले लांस नायक श्री हनुमनथप्पा कोप्पाड के साहस को प्रणाम करता है और स्वस्थ होकर उनके लम्बे जीवन की कामना करता है।''

श्री अध्यक्ष–

इसमें प्रश्न तो उपस्थित नहीं होता है। यह सर्वसम्मति से पारित है।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित)

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2007–2008[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2007–2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के पंचम वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2008–2009४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के पंचम वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2008–2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के छठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2009–2010४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के छठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2009–2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619

† Nkik ugha x;kA

ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के सातवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2010–2011४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के सातवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2010–2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के आठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2011–2012४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के आठवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2011–2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के नवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2012–2013४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष पावर ट्रान्समिषन कारपोरेषन लिमिटेड के नवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेष के विषेष प्रतिवेदन संख्या–13–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेष के विषेष प्रतिवेदन संख्या–13–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेष लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के 2011–12 एवं 2012–13 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा ४

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)–

---

† Nkis ugha x;sA

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के 2011–12 एवं 2012–13 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा को उत्तर प्रदेष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ख्समय 12.50, इसमें कुछ नहीं हैं। अब मद संख्या–18 सदस्यों की गिरफ्तारी मद में कुछ नहीं है।

प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का तेरहवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं सभापति, ''प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेष सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2007–2008) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं सभापति, ''प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेष सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2002–2003) में उल्लिखित बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन हिन्दू अनाथालय, कानपुर एवं उत्तर प्रदेष समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं सभापति, ''प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेष सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग,

---

† Nkik ugha x;kA

† Nkik ugha x;kA

उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2009–2010) में उल्लिखित भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेष हिन्दी संस्थान, लखनऊ तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधीन उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं सभापति, ''प्रदेष के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेष सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2007–2008) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन कानपुर विकास प्राधिकरण के भण्डार लेखे की विषेष सम्परीक्षा से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के कंधी टोला नाला की सड़क व नालियों का जनहित में सुधार कराये जाने विषयक श्री मो0 शाकिर आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के कंधी टोला नाला की सड़क व नालियों का जनहित में सुधार कराये जाने विषयक श्री मो0 शाकिर व श्री नसीरुद्दीन निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज गार्डेन कालोनी अषोक नगर की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामदास आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज गार्डेन कालोनी अषोक नगर की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामदास व श्री भीष्मलाल निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के रहमत नगर बेगारिया की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जावेद आलम आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधौपुर वार्ड के रहमत नगर बेगारिया की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री जावेद आलम व श्री अरविन्द दीक्षित निवासीगण जनपद लखनऊ के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आलमनगर वार्ड के मोहल्ला शीतलापुरम की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम चन्द्र पाल आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पष्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आलमनगर वार्ड के मोहल्ला शीतलापुरम की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम चन्द्र पाल व श्री परषुराम शर्मा निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया स0वि0स0 की याचिका के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री बंशी सिंह पहाड़िया नहीं हैं, चले गये। यह याचिका दे गये हैं कि मैं जा रहा हूं, इसको अगली बार कन्टीन्यू करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–24, 25 तथा 26 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–27।

ख्समय 13.03, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

श्री गुलाम मौहम्मद जी हैं, अपना जो भाषण कर रहे थे वह जारी रखिए। जो पहले बोल चुके हैं उसके आगे बोलिये।

श्री गुलाम मौहम्मद–

मान्यवर, मैं कल यह अर्ज कर रहा था कि समाजवादी पार्टी की यह सरकार गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की सरकार है। हमारे माननीय ऊर्जावान, नौजवान मुख्य मंत्री उन गरीबों के दिलों की धड़कनों को अपने दिल की धड़कन मान करके उनके उद्धार के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए बराबर काम कर रहे हैं। चाहे जो डिपार्टमेण्ट हो, हर डिपार्टमेण्ट में यह कोशिश की गयी है कि उन लोगों के हितों का ख्याल रखा जाये। अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं कल जिन प्वाइंट्स पर बात कर रहा था उससे आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सा विभाग में एक क्रांति आई है। यह एक ऐसा विभाग है जो इंसान की जिंदगी से, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें हमारी सरकार ने जिस पर्चे पर तीन दिन की दवाई दी जाती थी, आज पांच दिन की दवाई दी जाती है। जो गंभीर मरीज हैं उनको 15 दिन की दवाई देने की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से कम से कम सौ किस्म की जांचे फ्री में हमारी सरकार

करा रही है। विधायक निधि में भी 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इस सरकार ने 102–108 नम्बर की एंबुलेंस, समाजवादी एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। कौन नहीं जानता कि वह गरीबों के लिए हैं। जो धनवान लोग हैं वह तो अपना इलाज किसी भी तरह से करा सकते हैं लेकिन गरीब से पूछिए। वह झोपड़ी में रहता है उसके पास अपने मरीज को ले जाने के लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं हैं, 20 मिनट के अंदर–अंदर कॉल करते ही वह एम्बुलेंस फौरन वहां पहुंच जाती है। उसकी अहमियत का अहसास भी उसी इंसान को है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि एक इंसान जो दवाई के अभाव में अपने प्राण त्यागता है उसको उस वक्त यह अहसास होता है कि काश मेरे पास पैसा होता और मैं भी अपना इलाज करवा लेता। समाजवादी पार्टी की सरकार उस मरीज को, उस गरीब को इस दुनिया से, इस अहसास को लेकर के रूख़सत होता हुआ नहीं देखना चाहती। सरकार द्वारा तरह–तरह से गरीबों के लिए अपनी योजनाएं ला करके उनके इलाज का इंतजाम किया गया है। मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि समाज का कोई वर्ग हो, अब आप देखिए, कैसी अच्छी योजना ले करके हमारी सरकार आई है। 'समाजवादी पेंशन योजना' 6 हजार रुपया जिस गरीब के घर पर पहुंचता है जिसके चारों तरफ जरूरत का पहाड़ खड़ा होता है, उस 6 हजार की अहमियत, उसका महत्व उनसे पूछिए। इसी तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, वह निशक्त हो जाते हैं और सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए कोशिश करते हैं। अपना खून–पसीना उन पर न्यौछावर करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बहुत–सारी समस्याएं ले करके आता है। उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसी हालत में हमारी सरकार ने वृद्धाश्रम खोलने का काम किया है और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। मैं आपके जहन में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो हमारे वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यह भी काम किया है कि अगर उनके दिल में तमन्ना है कि हम अपने तीर्थ पर जाएं, हम अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जाएं। हमने श्रवण कुमार का नाम तो सुना था। मा0 अधिष्ठाता जी, वह नाम जब जहनों में आता है तो एक एहसास होता है एक आज्ञाकारी पुत्र, एक माता–पिता का सेवक श्रवण कुमार इस देश में पैदा हुआ था लेकिन आज हजारों–हजार लोगों की दिली तमन्ना को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार योजना लागू हुई है। इसके तहत हजारों लोग, हजारों बुजुर्ग लोग, स्त्री–पुरुष हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर शरीफ और जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां के दर्शनों के लिए, वहॉ की जियारत के लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि एक इतना बड़ा काम हुआ है कि हर इंसान चाहे मुसलमान हो, हिन्दू हो, सिख हो सबकी एक तमन्ना होती है कि मैं अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लूं। इस तमन्ना को पूरा करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने हजारों–हजार लोगों की दुआएं ली हैं और मैं गारण्टी से कह सकता हूं कि वह इंसान जो ऐसे निःशक्त, ऐसे कमजोर, ऐसे बेसहारा बुजुर्गों की दिली तमन्नाओं को पूरा करेगा वह कामयाबी की ऊंचाईयों को छुएगा। मैं इससे आगे बढ़ते हुए आपका ध्यान महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की तरफ खींचना चाहता हूं।

हमारा एक कोष कायम किया गया है रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष। यह उस महिला के लिए है जिसकी आंखों में आंसू देख करके हमारे कवि और लेखक व्याकुल हो गए। आज भी वे उपेक्षा का शिकार हैं। चाहे हम कितना ही ढिंढोरा पीटें उसके बावजूद समाज का वह वर्ग उपेक्षित है। उनको सम्मान देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई कोष कायम किया गया है। महिलाओं के लिए 1090 जो हमारी सेवा है वह भी चालू है और वह भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी तरह से अपने शासन को, अपनी हुकूमत को, अपने पुलिस तंत्र को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए डायल 100 जैसी योजनाएं शुरु की गई हैं जिसके तहत शहरों में 10 मिनट में और देहात में 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, उसकी व्यवस्था भी हमारी इस सरकार ने की है। मान्यवर, आपके माध्यम से

(इस समय 01 बजकर 06 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

यह बताना चाहता हूं कि समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको हम अल्पसंख्यक समाज कहते हैं। इसके बारे में हम कहेंगे कि इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब भी अल्पसंख्यक समाज में आते हैं लेकिन सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी ने इस देश में यह साफ कर दिया है कि आज दलितों से भी अगर कोई पीछे है, तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है तो वह मुसलमान है लेकिन अजीब खेल हो रहा है। मैं बार–बार कहना चाहता हूं कि हमारे राजनैतिक दल उस तरफ ध्यान कम देते हैं और हमारे सामने जो विपक्ष के लोग बैठे हैं खास तौर से बी0जे0पी0 के लोग इनके लिए तो अगर साम्प्रदायिकता का मुद्दा न हो तो राजनीति इनके लिए बेमायने रह जाये। जब–जब इलेक्शन आते हैं, वे हमेशा टारगेट बनाते हैं और एक ही मुद्दा है साम्प्रदायिकता का उसको भड़काना और इलेक्शन में पहुंचना। पिछली बार भी, संसदीय चुनाव में भी एक मुखौटा लेकर के आये और इसी तरह के हालात बनाये चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे दूसरे स्थान पर हो भोली–भाली इस देश की जनता को लुभा करके धोखा देकर के सत्ता को कब्जा लिया। कई संगठन इनके हैं, जो दादरी काण्ड भी कर देते हैं और न जाने कौन–कौन सी इनकी योजनाएं हैं। बहरहाल जनता इनको समझ गई है और अब ये सब चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं हैं। हमारे चाहे यू0पी0 के बाई इलेक्शन हो, चाहे पंचायतों के इलेक्शन हो, दिल्ली और बिहार के इलेक्शन्स हो, अब इनको अपना चेहरा अपने आइने में देखना पड़ेगा।

दूसरी एक और पार्टी जो बी0जे0पी0 की बहन कहलाएगी, बी0जे0पी0 की साथी कहलाएगी, हमारे सामने बैठी है वह पार्टी बी0एस0पी0 है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब–जब कोई मामला आता है अभी पिछले 20 अगस्त को यही विधान सभा में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे। एक घंटे के भाषण में एक बार भी मुसलमान लफ्ज का, मुसलमान शब्द का आप के जुबान पर न आना यह बताता है कि आप कितना मुसलमानों के लिए, जो 20 परसेन्ट यहां वास करते हैं उनके लिए आप कितना दर्द रखते हैं। इसी तरह से मान्यवर, वे राखियां चाहे इन्होंने सुरक्षित रखी हों या न रखी हो, जो बी0जे0पी0 वालों की

कलाइयों में बांधी थीं, लेकिन मेरे पास एक सी0डी0 सुरक्षित है और उस सी0डी0 में माननीय बी0एस0पी0 की नेता जी ने मेरठ के एक चुनाव में कहा था कि हमने मुसलमान को हराने के लिए अपना वोट बी0जे0पी0 को ट्रान्सफर्र करा दिया। ये चेहरा है इनका और जब चुनाव आएंगे तो न जाने किन–किन लोगों को वोट काटने के लिए उन क्षेत्रों में टिकट दे दिया जाएगा जिससे मुसलमान केन्डिडेट्स को नुकसान हो, उनका वोट काटा जाए सिर्फ यही उनका उद्देश्य और ध्यान रहता है। यहां इनके अलावा कांग्रेस के लोग भी हैं, धर्मनिरपेक्षता का ढिंडोरा पीटते हैं। ''न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे।''

दोनों हाथों में लड्डू रखते–रखते ये कहीं के भी नहीं रहे। एक और पार्टी है, मेरे ख्याल में यहां पर उनका कोई सदस्य है भी नहीं। वैसे तो वह कहलाएगा राष्ट्रीय लोकदल इनके पदाधिकारी भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव लिखते हैं और वजूद है 6 विधायकों का। मुझ जैसे नेताजी के चेले ने इनके राष्ट्रीय नेता को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। मुझे 2 लाख 14 हजार वोट मिले और उनको 1 लाख 99 हजार कुल वोट मिले। मैं तो उनसे कहता हूं कि अब बड़ी–बड़ी बातें मत करो, अपनी हैसियत पहचानो। इसी के साथ–साथ, मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वह कोई मामूली विचारधारा नहीं है। इस देश में अमलीतौर से अगर कोई धर्मनिरपेक्ष है तो एक ही शख्सियत है, जिसका नाम है मोहतरम मुलायम सिंह यादव। जो काम से भी, अमल से भी, वचन से भी पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हैं, यह सरकार उन्हीं के पद चिहनों पर चल कर आगे बढ़ रही है और हर वर्ग के लिए काम करना चाहती है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए चाहे उनकी बच्चियों की शादी का अनुदान हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, मदारिस को अनुदान पर लाने का मामला हो और चाहे एम0एस0डी0पी0 और शैक्षिक हब के तौर पर इन्सटीट्यूशन्स कायम करने हों यह सरकार कर रही है।

मैं इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह सरकार अल्पसंख्यकों की मदद कर रही है और इसलिए मदद कर रही है कि वह शैक्षिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से पिछड़े हैं। मेरे अपने क्षेत्र में एक गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज, गवर्नमेण्ट पालीटेक्निक कालेज और 9 गवर्नमेण्ट इण्टर कालेज खुले हैं। आज वहां एक क्रान्ति सी आई है इसी सरकार की बदौलत आई है और कोई दूसरी सरकार यह सब नहीं कर सकती क्योंकि सब लोग डर जाते हैं कि लोग कहेंगे कि मुसलमानों का एपीजमेण्ट कर रहे हैं, उनका तुष्टिकरण कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज मुझे अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया गया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग मजलूम हैं चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो अगड़ा हो, पिछड़ा हो उन सबकी मदद अगर कोई सरकार कर सकती है तो यही सरकार कर सकती है यही समाजवादी सोच वाली सरकार कर सकती है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं अपने इस समर्थन को आगे

बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि आज एक–एक कार्य पर यहां का सर्वहारा, यहां का गरीब इन्सान, मान्यवर नौजवान मुख्य मंत्री जी ऊर्जावान, विजन वाले मुख्य मंत्री जी के एक–एक काम पर अपनी मुहर लगा रहा है और यहां का एक–एक आवाम यह कह रहा है कि यह काम भी ठीक है, यह काम भी ठीक है और माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसी तरह से अपनी मेट्रो रेल की स्पीड बढ़ाते हुए चौमुखी विकास करते रहिये इसी के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद।

'डा0 संग्राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे श्री गुलाम मौहम्मद जी द्वारा रखे हुए महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं जहां श्री गुलाम मौहम्मद जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन मे बोल रहा हूं वहीं पर मैं ऐसे वक्त मे माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी की लूट, अत्याचार के खिलाफ निकले थे तो उन्होंने जनता से वादा किया था और लगभग सारे वादे को हमने पूरा करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जब पिछले वर्ष ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई थी, किसान बहुत चिन्तित था, किसान के परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट था, हम अपनी मुख्य मंत्री जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं उन्होंने तत्काल इसको संज्ञान में लेकर किसानों को राहत देने का काम किया है।

(इस समय 01 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, बार–बार हम सिफारिश करते रहे कि उत्तर प्रदेश का किसान हताश है, लाचार है और ऐसे वक्त पर आपके मदद की आवश्यकता महसूस हो रही है लेकिन बार बार हमारे मुख्य मंत्री जी की गुहार के बावजूद भारत सरकार ने हमें समयबद्ध तरीके से मदद देने का काम नहीं किया। आकस्मिकता निधि से माननीय मुख्य मंत्री जी ने तत्काल किसानों को राहत देकर के उनके मन में विश्वास पैदा करने का काम किया है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी लगातार माननीय मुख्य मंत्री के प्रयास के बावजूद हमें जो धन भारत सरकार से मिलना चाहिए था आज तक वह धन हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी देश का किसी प्रदेश का विकास जब तक गांव का विकास नहीं होगा किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश और प्रदेश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी बार–बार कहते हैं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान को

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

खुशहाल नहीं किया जायेगा तब तक देश खुशहाल नही हो सकता है। आज किसानों के प्रति भारत सरकार का जो उदासीन रवैया है उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जहां एक तरफ हम लखनऊ से आगरा तक सिक्स लेन ग्रीन फील्ड–वे बना कर, अवस्थापना किसी राज्य के विकास की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बिना अवस्थापना के विकास की बात करना बेमानी होती है। जहां एक तरफ हम लखनऊ से आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बना करके उसके किनारे हम मंडियों का निर्माण करा करके जहां हम किसान और देश की राजधानी से उत्तर प्रदेश की दूरी कम करने का काम करेंगे वहीं आज हम बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं।

मान्यवर, बार बार पूर्वान्चल की बात होती है, बार बार कहा जाता है कि पूर्वान्चल पिछड़ा है मुझे खुशी है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वान्चल विकास निधि बनाकर के पूर्वान्चल को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया था वहीं पर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्वान्चल समाजवादी एक्सप्रेस–वे बनाने का दृढ़ निश्चय किया है और दृढ़ निश्चय ही नहीं उन्होंने उसके लिए जो प्राविधान किया है उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। मान्यवर, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश के बटवारा की बात करते हैं। मान्यवर, बटने से ताकत कमजोर होती है। अगर पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश से न जाने कब तक इस तरह से यह हिन्दोस्तान को बांटने का काम करेंगे कब तक प्रदेशों को बांटने का काम यह करेंगे। मान्यवर, अगर प्रदेश में अच्छी सड़के बना दें किसानों के लिए अच्छी नीतियां, कार्यक्रम बना दें तो मैं समझता हूं कि इस तरह की नौबत देश के सामने नहीं आ सकती है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वान्चल समाजवादी एक्सप्रेस–वे की घोषणा ही नहीं किया उसकी सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी करके उसमे बहुत जल्दी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं जो आज गरीब है, गांव में रहता है किसान है, मजदूर है वह किसी जाति धर्म का हो हिन्दोस्तान की यह पहली सरकार है जिसने अपने संसाधनों से 45 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया है। हम समाज की मुख्य धारा से इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को जोड़कर इस देश की तरक्की करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को एक मजबूत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, डा0 लोहिया समग्र विकास योजना जहां एक तरफ हम गांव के अन्दर सीसी, नाली, बिजली, खम्भा बहुत सी ऐसी योजनायें चला रहे हैं वहीं हम नेता विरोधी दल से कहना चाहते हैं हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच है, विचार है अभी तो भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया है। एक तरफ इतनी महंगाई है सीमेन्ट के दाम क्या हैं, ईंट के दाम क्या है वहीं पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने लोहिया आवास योजना ऐसे लोहिया गांवों के समग्र विकास में जो लोहिया आवास योजना चलाई मान्यवर, मैं जिस गांव का निवासी हूं सेनपुर सिखौना वह गांव एक बहुत गरीब गांव है। मैं नेता, विरोधी दल से

कहना चाहता हूं कि आप वहां कार्यक्रम बनाकर जाये। वहां के 40–42 परिवारों को लोहिया आवास मिला, जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें 'वतन' मिल जायेगा। वो जो झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, वह अपने आवास को 'वतन' कहते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार में बैठे हुये जो लोग हैं वह गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इतनी मंहगाई के दौर में 50 हजार में, 60 हजार में, 70 हजार में, 80 हजार में, 90 हजार में कैसे गांव के गरीब को आवास मिल पायेगा, आपके नेता के मन में गरीब का दर्द नहीं चुभता है।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे गरीबों को तीन लाख पन्द्रह हजार रुपया दे रही है, अगर आपको वास्तव में इन्हें आवास देना था तो आप उससे बढ़कर देते, तो फिर हम आपकी सरकार का स्वागत करते। मान्यवर, इनकी सोच गरीब विरोधी है और इनकी सोच गांव विरोधी है। यह नहीं चाहते हैं कि गांव के लोग तरक्की करें, गरीब तरक्की करे और गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़े। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जनेश्वर मिश्र जी बहुत बड़े नेता रहे, छोटे लोहिया के नाम से विख्यात रहे, आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर कितनी बड़ी इज्जत और कितना बड़ा उनका सम्मान था। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम से ऐसे गांवों को चुना जो आजादी के बाद मुख्यधारा से बहुत पीछे थे, ऐसे गांवों के अंदर उन्होंने विकास करके एक बेहतर प्रयास करने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं कि केवल बातें कह देने से कुछ नहीं होता है, जब तक उस पर अमल नहीं होता। आज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। गांव का गरीब कहता था कि अगर उसकी बहू गर्भवती है तो वह कहां जाये। बड़े लोगों के यहां तो जांच–पड़तालें चलती थी। गरीब के पास पैसा नहीं था कि वह अस्पतालों तक जाये, गांव के गरीब के अंदर एक विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति बढ़ा है, लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है, प्रजातंत्र के प्रति बढ़ा है। गांव के गरीब के परिवार में भी अब लोग कहते हैं कि 102 नम्बर मिला दो, एम्बुलेन्स सायरन बजाते हुये दरवाजे पर आ जायेगी। आप जानते हैं कि सड़कों पर दुर्घटनायें हो जाती थी, पहले लोग मुंह छिपाकर भाग जाते थे लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नौजवान हो, कोई हो, वह कहता है कि 108 नम्बर मिला दो, तत्काल एम्बुलेन्स आ जायेगी। मान्यवर, यहां पर इस तरह का प्रयास हुआ है।

हम भारत सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की आप नकल करो। हम गांव के गरीब का इलाज करा रहे हैं। जो किडनी से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, लीवर सिरोसिस से जो पीड़ित है, जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, हमारे मुख्य मंत्री कोष की कोई सीमा नहीं है, हमारे मुख्य मंत्री जी के कोष से एक लाख, दस लाख, बीस लाख, पच्चीस लाख दिये जा रहे हैं। आप जिस विधायक निधि के मालिक हैं, हमारे मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्राविधान किया कि हम अपने निधि से 25 लाख रुपये तक की मदद कर सकते हैं। जरूरतमंद चाहे वह किसी

भी अस्पताल का इस्टीमेट लायेगा तो हम जांच कराकर अपनी निधि से उसे पैसा देने का काम कर सकते हैं। हम उसे लाखों लाख रूपये तत्काल दे सकते हैं। हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पार्लियामेण्ट मेम्बर जिसके पास पांच–पांच विधान सभाओं के बराबर का क्षेत्र है, आपके प्रधानमंत्री को चाहिये था कि वह नीति बनाये, कार्यक्रम बनाये। आप उस पर अमल कराते हैं, तो सिर्फ 50 हजार रूपये। गरीब के लिए योजना बनाते वक्त आप इस पर विचार नहीं कर पाते। उसके लिए सिर्फ पचास हजार रूपये और आप माखौल उड़ाते हैं ऐसे नेतृत्व का।

बहुत वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शानदार नेतृत्व आया है, जो चाहते हैं कि गांव के किसान के बेटे को, जवान को आज उसके अंदर हम हुनर पैदा कर दें, उसके अंदर हम शिक्षा का जोश पैदा कर दें। मुझे नेता विरोधी दल से एक शिकायत है कि नेता विरोधी दल जिस पार्टी से हैं, नेता विरोधी दल जिस क्षेत्र से हैं, जिस पृष्ठभूमि से वह आये हैं, मैं उनकी पष्ठभूमि को भी जानता हूँ। मान्यवर, जब किसान का बेटा और बेटी लैपटाप पाते हैं तो आप पूंजीपतियों के इशारे पर, आप ब्यूरोक्रेट्स के इशारे पर, मीडिया के इशारे पर हमारे लैपटाप का माखौल उड़ाते हैं। आज गांव पिछड़ रहा है, गांव के अंदर जब तक शिक्षा का और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक आज हम तकनीकी शिक्षा का, कौशल शिक्षा का जब तक हुनरमंद नौजवान पैदा नहीं करेंगे, तब तक यह बड़े लोगों की साजिश है कि गांव पिछड़ जाये। गांव के बेटे की निगाह देश की बड़ी–बड़ी कुर्सियों पर न पहुंचे। हमारी लैपटाप की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसकी वजह से कितना बड़ा परिवर्तन आया। पहले गांव की बेटी स्कूल जाने से शर्म खाती थी लेकिन हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब कन्या विद्या धन की योजना चलाई तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी किसान की बेटी हो, कोई भी हो, आज उससे वंचित नहीं रहा। मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, उनकी आसरा की योजना की आप नकल तो करते हैं लेकिन क्या केवल बड़ी बातें कर देने से देश की सीमायें सुरक्षित हो जायेंगी, देश से बेरोजगारी दूर हो जायेगी, क्या हुआ, हम आलोचना नहीं करते।

देश की जो आत्मा थी, पठानकोट में आप देखते रह गये, आप देखो आप कहां खड़े हो, आप केवल ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पड़े हो । आज देश का किसान जान गया, देश के लोग जान गये कि आपके पास कोई नीति/कार्यक्रम नहीं है। आप देश को हिन्दू मुसलमान में बांटकर देश को तोड़ने का काम करते हो। अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक विश्वास पैदा हुआ है। पहले बिजली कब आयेगी, कब चली जायेगी, पता नहीं होता था। पहले ट्रांसफारमर फुंक जाता था, कोई देखने वाला नहीं था। आज ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं मान्यवर, चाहे समाज कल्याण का क्षेत्र हो, माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र हो, बेसिक शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने बहुत से क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। कहते हैं कि किसान प्रदेश की रीढ़ है, अभी अनुपूरक लाते समय माननीय सदस्य बड़ी–बड़ी बातें कर रहे थे । 1972 के बाद जो शारदा प्रणाली के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी

पहुँचाया जाता था, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमने सिल्ट सफाई करके हेड से लेकर टेल तक किसानों को पानी पहुंचाने का काम किया है।

जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, किसानों पर खाद के लिये आये दिन लाठीचार्ज होता था लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को समय पर फ्री में पानी देने का काम किया है, कहीं पर भी हमारी सरकार किसानों से एक भी पैसा लेने का काम नहीं कर रही है। आज यह लोग गंगा की बात कहते हैं अरे देखना हो, एक उनके नेता थे चुल्लू भर पानी में आपको मरना हो तो आप चले जाओ गोमती और गोमती को देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोमती की सफाई और गोमती को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी लखनऊ के अंदर सब माननीय सदस्य रहते हैं वह जाकर गोमती को देख सकते हैं। गोमती हमारी नदी है। चंबल, बेतवा से लेकर हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती का पावन तट जहां एक होता है, वहां इतना बड़ा मेला लगता है, उसी शहर के विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूं। हमने आप सबसे मान्यवर सीखा है। आज इस तरह से बांतों में फंसाकर देश में आपने सबसे ज्यादा निराशा पैदा की है। आपने प्रजातंत्र का माखौल उड़ाया है। आज आपने केवल बॉतें कर करके देश को कहां खड़ा कर दिया। डा0 लोहिया कहते थे कि हिमालय बचाओ, नदिया साफ करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो। हम अपने माननीय मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगरा के अंदर बाह में उन्होंने बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया । पक्षी भी तो इंसानी जीवन में कितना बड़े सहयोगी होते हैं।

हम लोग बचपन में गांव में थे, हमारे बाबा कहते थे कि चार बजे मुर्गा बोलेगा तो समझना भोर हो गयी। दूसरा मुर्गा बोले और नहीं उठते थे तो रजाई खींच दी जाती थी। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता है कि आगरा के अंदर बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया और वहॉ कई देशों के लोग आये। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जिसको पशु पक्षियों से प्रेम नहीं है, प्रकृति से प्रेम नहीं है वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता और अभी उन्होंने सैफई के अंदर सारस महोत्सव का आयोजन किया और इस महोत्सव में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इसका हब बनेगा। मान्यवर, जहां तक कानून–व्यवस्था का सवाल है, कानून–व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 100 डायल की स्कीम पर हमारा काम शुरू हो गया है, उसका बहुत जल्द परिणाम आपके और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में होगा। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे थानेदारों के पास ऐसी जीप थी जो 40 किमी0 प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा चल नहीं पाती थी, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त थानों पर नई–नई गाड़ियां भेजकर बड़ा ही सकारात्मक काम किया है फोरेंसिक लैब, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में मात्र 3 फोरेंसिक लैब थीं, जब जांच होती थी तो इतना समय लग जाता था और अपराधी को जितनी तेजी से पकड़ में आना चाहिए था उतनी तेजी से पकड़ में नहीं आता था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सभी मण्डल मुख्यालयों पर फोरेसिंक जांच के केन्द्र बनेंगे और मान्यवर, 8 ऐसे केन्द्र हैं जहां

हमने काम शुरू भी करा दिया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग छात्रों नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव तरक्की करें। लेकिन प्रजातन्त्र को अगर किसी ने सबसे ज्यादा शर्मसार किया तो आपने किया, मा0 नेता विरोधी दल, आपने राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश करा दिया।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डॉ0 संग्राम यादव–

लोकतन्त्र में ऐसे–ऐसे उम्मीदवार ला करके अगर लोकतन्त्र को सबसे ज्यादा किसी ने कमजोर करने का काम किया तो वह बहुजन समाज पार्टी है। आप जब ताकत में थे तो आपने विधान परिषद् में ऐसे–ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जिनको देख करके सड़कों पर भय पैदा हो सके। हमें खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जहां सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वहीं उन्होंने ऐसा विश्वास पैदा किया कि प्रजातन्त्र में किसान का बेटा भी एम0पी0, एम0एल0ए0 और राज्य सभा का सदस्य बन सकता है। अभी उन्होंने विधान परिषद् के उम्मीदवार घोषित किये, विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के, जिनके घरवालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे लोगों के लड़के आज हमारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हुए हैं। आपने तो इतनी बड़ी बोली लगा दी, कहां से आप चले थे और कहां ले जाकर आपने मिशन को खड़ा किया और आज गरीब का आपने सबसे ज्यादा उपहास किया और नुकसान किया और राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आपने सबसे ज्यादा निराश किया। मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री गुलाम मौहम्मद द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का जहां मैं समर्थन करता हूं वहीं उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के ये जो क्रान्तिकारी कदम हैं, जिसे दबी जुबान से आप सभी महसूस करते हैं और महसूस ही नहीं करते हैं किसी भी दल में काम करने वाला कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, जितना जन प्रतिनिधियों का सम्मान हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी करते हैं मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में इस कद का कोई नेता आज के समय में नहीं है। मान्यवर, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले आज मंत्रि–मण्डल से ले करके विभिन्न जगहों पर सुशोभित हो रहे हैं। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो कि श्री गुलाम मौहम्मद द्वारा रखा गया है वह उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के कल्याण के लिए है। उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी की जो भावना प्रकट की गई है उससे उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जायेगा, विकास के रास्ते पर जायेगा, समरसता के रास्ते पर जायेगा और उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन करके पूरी मजबूती के साथ जायेगा। मैं खन्ना साहब से इतना कहना चाहूंगा कि नफरत की बातें अब छोड़िये, नफरत का जमाना गया कब तक नफरत पैदा करके आप देश को कमजोर करना

चाहेंगे। अगर आप मजबूत इरादे के हैं तो बताइये कि देश को इतना आपने क्यों कमजोर कर दिया कि देश की आत्मा आज रो बैठी कि आपके राज्य में किस तरह से आतंकी घटनाएं देश के अन्दर हुईं। मान्यवर, हम हनुमनथप्पा की बहादुरी को सलाम करते हैं और कुदरत को भी बहुत–बहुत प्रणाम करते हैं।

कुदरत ने एक ऐसे जांबाज जवान, जिसके मन में देश भक्ति थी जिसके मन में देश के लिए जज्बा था, हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे जीवित बचा लिया, देश गौरवान्वित है और देश के साथ–साथ हम सब भी बहुत अधिक गौरवान्वित हैं। हम सरकार से कहेंगे कि जरा देश के जवानों के लिए योजना बना लो, नकल कर लो मा0 मुलायम सिंह यादव जी की। सबसे ज्यादा देश के नौजवानों को सुविधा देने का काम मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने देश के रक्षा मंत्री रहते हुए किया। आप क्या सुविधा दे रहे हो, किसान का बेटा जवान बनता है, किसान का बेटा जब शहीद होता है तो आपकी पार्टी की सरकार भाषण देती है, केवल भाषण देने से उनके बीच दीपावली मना लेने से उनके घरों में रोशनी नहीं होगी। उनकी शहीद बेवाओं के लिए आप योजना बनाओ, यह राष्ट्रीय भाषण हो जायेगा इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं करना चाहता लेकिन जंग का मैदान 2017 इन्तजार कर रहा है मा0 अखिलेश यादव का, प्रचण्ड बहुमत के साथ हम अपनी नीतियों, कार्य क्रमों के द्वारा हम फिर इसी सदन में आयेंगे। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद मैं मा0 गुलाम अली जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी चर्चा प्रारम्भ करेंगें या माननीय मुख्य मंत्री जी आ जांए तब शुरू करेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, नेता सदन को आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण इस प्रकार किया गया है, माननीय नेता विरोधी दल के लिए कोई समय–सीमा नहीं है, दलीय नेताओं के लिए 15 मिनट और जो मा0 सदस्य बोलेंगे उनके लिए 8 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिससे अधिक से अधिक मा0 सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने मेज थपथपायी)

देखिये रघुनन्दन सिंह भदौरिया मेज थपथपा रहे हैं ये 8 मिनट में बोल पायेंगे ?

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, यह पहला अवसर होगा जब 8 मिनट का समय मिलेगा।

श्री उमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य–मंत्रणा की जो प्रति बंटी है उसके अनुसार कल 12 तारीख को बजट प्रस्तुत होगा, आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन है तो क्या इसको बढ़ाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन की चर्चा होती है, बजट प्रस्तुत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजट प्रस्तुत हो जायेगा उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त हो जायेगी उसके बाद बजट पर चर्चा प्रारम्भ होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य समर्थन में बोले हैं वो तो 20–20 मिनट बोले हैं। दलीय नेताओं के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित कर रहे हैं। आप कार्यवाही देख लें, मैं देख रहा था 1 बजकर 20 मिनट से 1 बजकर 40 मिनट तक बोले हैं। आप कार्यवाही देख लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, दलीय नेताओं के लिए आधा घण्टा का समय कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर अच्छी बात होगी तो समय और बढ़ जायेगा। यह तो वाणी पर निर्भर करता है, जब आप बोलेंगे और लोग आपको सुनना चाहेंगे तो क्यों आपको बीच में रोकेंगे। अब बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर पीठ की कृपा हो जाये तो हमारी वाणी तो पूरा हाउस सुनना चाहता है।

श्री अध्यक्ष–

क्या सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दें ? संसदीय कार्य मंत्री जी प्रार्थना में गये हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, तब तक किसी और माननीय सदस्य को बोलवा दीजिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का माखौल खुद सत्तापक्ष के लोग उड़ा रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार गायब है, लगता है कि सरकार कहीं सो रही है। हालात यह पैदा हो गये हैं कि मुख्य मंत्री सहित सारे के सारे मंत्रि–मण्डल के मंत्रिगण पलायन कर गये। हमारे राम करन आर्या जी को बलि का बकरा बनाने के लिए बैठा गये हैं। ये तो सरकार के हालात हैं।

श्री अध्यक्ष–

सरकार निश्चिन्त है कि आपसे कोई खतरा नहीं है।

व्राह्य सहायतित परियोजना एवं खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

मौर्या जी, यह तो ज्वाइंट रिस्पांस्बिलिटी है।

दिनांक 9 फरवरी, 2016 को नियम–51 व 56 के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण अगर आप लोग कहें तो नियम–51 की सूचना पढ़ दें। जो मा0 नेता विरोधी दल और सभी दलीय नेताओं ने कानून–व्यवस्था पर परसों नियम–56 में सूचनायें दी थीं, आज उसी पर चर्चा होगी। दूसरा नियम–56 के अंतर्गत सूचनायें नहीं ली गयी हैं। नियम–51 के बारे में जैसा प्रस्ताव किया था कि सारी सूचनायें आज यथावत् लेने के लिए तो नियम–51 की सूचनायें परसों दी गयी थीं वही आज ली गयी हैं।

ख्समय 13.45, दिनांक 9 फरवरी, 2016 की नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 की सूचनाएं जो परसों दी गई थीं वही आज ली गई हैं। आप उसमें कहिये तो पढ़ दें जब तक मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य–

पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 9–2–16 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से निम्न सूचनाएं स्वीकृत हुई थीं उसमें से एक है श्री राजनारायण बुधौलिया जी की जनपद महोबा समेत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के कारण अकाल की स्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह वक्तव्य हेतु स्वीकत हुई। बुधौलिया जी उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना पर डा0 पूर्णमासी देहाती, तीसरी सूचना पर श्री रविन्द्र जायसवाल, चौथी सूचना पर श्रीमती सीमा द्विवेदी, पांचवीं सूचना पर श्री राधेश्याम जायसवाल, छठवीं सूचना पर श्री संजय कपूर, सातवीं सूचना पर श्री अमर पाल शर्मा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यों के उपस्थित न होने पर। माननीय सदस्य लोग उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसको 5 बजे आखिर में ही पढ़ेंगे। मुख्य मंत्री जी चल चुके हैं आ रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार ऐसा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कई बार ऐसा हुआ है। वह चले गये क्योंकि ऐसा लगता था कि यह लम्बा भाषण चलेगा और यहां कम ही समय में खत्म हो गया। वह जानते थे कि दो बजे शुरू होगा तो उसी हिसाब से वह चले गये। उनको बता दिया गया है, सूचना दे दिया है, वह आ ही रहे हैं।

आज की नियम–51 व 56 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, तब तक आज वाला नियम–51 का ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आज वाला नहीं लिया जायेगा। नियम–51 में 10 सूचनाएं ली जाती हैं। उस दिन जिस दिन शोक प्रस्ताव हुआ था सभी दलीय नेताओं ने कहा था कि उस दिन की सूचनाओं को अगले दिन ले लिया जाय। वह सूचनाएं आज के लिये निर्धारित थीं इसलिये दूसरी सूचनाएं जो आज दी गई हैं वह नहीं ली गईं। चाहे वह नियम–56 रहा हो। केवल 301 की सूचनाएं ली गई हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, परसों की सारी सूचनाएं स्वीकृत कर लीजिये। कर लीजिये मान्यवर, हम लोगों का इतना आग्रह मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हो, हम लोग जब इसमें थे एक सूचना ली जाती थी नियम–51 की।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, सब सूचनाएं ले लीजिये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, अब समय बदल गया है। हमने जनहित की समस्या लगाई है इसलिये यह आग्रह है आपसे हमारा कि सब सूचनाएं स्वीकृत कर लीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

उस दिन जानते हैं कितनी सूचनाएं थी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब सभी माननीय सदस्यों का अनुरोध है तो कभी–कभी तो आपकी कृपा हो ही जानी चाहिए। लीक आप बनाते हैं और आप ही तोड़ते हैं इसलिये वह लीक हम लोगों पर लागू होता है उस चेयर पर, उस पीठ पर लागू नहीं होता है। इसलिये मान्यवर, यह सबका अनुरोध है तो मैं चाहूंगा कि परसों की जितनी भी नियम–51 की सूचनाएं हैं वह सारी की सारी स्वीकृत करके यह भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर दें। मान्यवर, यह एक कृपा हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास वह लिस्ट नहीं है जो लिस्ट परसों स्वीकृत हुई थी।

श्री प्रदीप माथुर–

कभी–कभी विपक्ष की बात भी मान लिया करिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम सबके हैं किसी एक के तो हैं नहीं, कब हम आपकी बात नहीं मानते हैं, आप तो सबसे ज्यादा अपनी बात मनवाते हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

आज वाली सूचनायें ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कानपुर नहीं गए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

आज सब बहुत जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण है अगर आज नहीं लेंगे हम लोगों ने आपकी पीठ को दिया है या तो ना देते, मेहनत की पसीना बहाया, दस बजे के पहले आए, खाना छोड़कर आए, भूखे आए प्यासे आए, फिर भी आप नहीं ले रहे हैं। हम तो जनता की बात रख रहे हैं, आज की सूचनायें भी ले लीजिए और उस दिन की भी ले लीजिए। श्रीमन् यह जो विधायक जी ब0स0पा0 में बैठे हैं यह ऐसे लग रहे हैं जैसे लंका में विभीषण बैठे हों।

एक मा0 सदस्य–

किसको कह रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

नाम नहीं पता है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी ने कहा है, तो पुराने वालों को भी देखते हैं।

(माननीय मुख्य मंत्री जी के आगमन पर)

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण प्रारम्भ करें। संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है:–

1–कानून–व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2–भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

3–पदावनत किये गये 3 लाख अनु0 जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

4–गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

5–गन्ना कीमतों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

6–गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–बढ़े चीनी मूल्य के सापेक्ष गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

8–महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

9–हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, अपहरण–फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

10–समाजवादी पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,

11–राजनैतिक द्वेष–भावना से प्रेरित होकर ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं पर लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12–बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत दिए जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराए जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में,

13–किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

15–समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

16–ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

17–नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

19–सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

20–राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

21–किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किए जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम–काज के सम्बन्ध में,

22–बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

23—नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

24—प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

25—नकली दवाइयों की खरीद—फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

26—बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस जमीनी हकीकत में पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

27—प्रदेश के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, जबकि पिछली ब0स0पा0 सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था की थी,

28—किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, जिससे किसान ऊहापोह की स्थिति में है,

29—सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

30—मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों व सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

31—सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

32—प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

33—गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

34—प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

35—कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना को पहुंचाने के सम्बन्ध में,

36—चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

37—पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये 05 लाख रुपये तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

38—किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर न उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में,

39—छात्र यूनियन को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

40—प्रदेश की वित्तीय कु—व्यवस्था को रोकने में असफल सरकार के सम्बन्ध में,

41–पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

42–गरीबों की जमीन व घरों पर हो रहे अवैध कब्जा रोकने के सम्बन्ध में,

43–दंगा रोकने, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

44–सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

45–सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

46–उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के 29334 पदों पर भर्ती हेतु सहायक अध्यापकों के सैकड़ों पद अधिकांश जिलों में रिक्त होने के बावजूद पदों को भरने की अग्रिम कार्रवाई न करने के सम्बन्ध में,

47–अनुदान प्राप्त मदरसों का जांच के नाम पर अनुदान राशि पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में,

48–मुस्लिम समाज को घोषणा–पत्र के अनुरूप 18 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में,

49–शुल्क प्रतिपूर्ति का छात्रों तक समुचित ढंग से पहुंचाने के सम्बन्ध में, तथा

50–अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में।''

श्री अध्यक्ष–

अब इसको पढ़ा मान लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस तरह से अभिभाषण पर प्राप्त संशोधन पेज–1 से ले करके 199 तक सभी प्रस्ताव इसमें जोड़ दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया और अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधन प्रस्तुत किए हुए माने जाएंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इसके पूर्व सत्तापक्ष के मा0 सदस्य गुलाम मोहम्मद जी और श्री संग्राम सिंह यादव जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे और सत्तापक्ष के इस धन्यवाद प्रस्ताव पर गम्भीरता अपने आप दिखाई पड़ी जब पूरा का पूरा सत्तापक्ष के मा0 मंत्रीगण नदारद और गायब दिखे। माननीय राज्यपाल जी के इस भाषण को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और यह पूरा का पूरा अभिभाषण सरकारी दस्तावेज

के सिवाय कुछ नहीं है और मान्यवर, यह ख्वागग, का पुलिन्दा भी है। इस ख्वागग, के पुलिन्दा का खुलासा पेज 14 और 15 पर है। मान्यवर पेज 14 और 15 पर इन्होंने डाला है कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग अन्दर क्या डाला है उसको देख लें। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत अब तक 4804 ग्रामों का चयन किया गया है जिसमें से 3835 ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड, नाली का निर्माण एवं विद्युत कार्य कराया जाता है। अब यह मान्यवर, ख्वागग, के पुलिन्दे का खुलासा इस पूरे पैराग्राफ एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ तीन और पैराग्राफ चार।

श्री अध्यक्ष–

यह ख्वागग, शब्द असंसदीय है। इसके बजाय असत्य शब्द का प्रयोग करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह असंसदीय तब होता है जब सच को ख्वागग, बोला जाय लेकिन जब ख्वागग, ख्वागग, है तो ख्वागग, ही बोला जाता है। अध्यक्ष महोदय जी हमारे सत्तापक्ष के सभी सदस्यगण भी इसको पढ़ लें माननीय मुख्य मंत्री जी खुद संज्ञान ले लें कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से और उसके अन्तर्गत दर्शाए गए पैराग्राफ एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ तीन और पैराग्राफ चार का कोई भी रिश्ता नहीं है। इस तरीके से आप मजाक करेंगे यह राज्यपाल जी का अभिभाषण है बात करेंगे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग का और बात रखेंगे जनेश्वर मिश्र ग्राम का मण्डी का ई–टेंडरिंग प्रणाली का इस तरीके से घटिया मजाक अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से किया जाता है तो सीधे–सीधे प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी इसलिए माननीय सत्तापक्ष के हमारे सदस्यगण मैं अगर कुछ कहता हूं तो तथ्यात्मक कहता हूं। माननीय राज्यपाल जी ने सीधे–सीधे कहा कि मेरी सरकार ने अपने लगभग सभी वायदे पूरे किए मान्यवर, सभी इस बात के गवाह हैं बेरोजगारी भत्ता बांटने की कोई शर्त नहीं थी इनके चुनावी घोषणा–पत्र में भी और भाषण में भी था कि इण्टर पास सभी विद्यार्थियों को लैपटाप दिया जाएगा एक साल तो सभी को बांटे उसके बाद शर्त लगा दिया कि मेधावी छात्रों को शर्त पर घोषणाएं चलती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी इस श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण से प्रदेश की जनता को धोखा देने का प्रयास किया गया है एक ऐसी घिनौनी मजाक की गई जिससे पूरा का पूरा नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए नहीं बनाई थी कि एक बार भोजन दीजिए उसके बाद हमको उपवास कराइएगा उस समय सारे नौजवानों एवं छात्रों ने जिस तरीके से धूम–धड़ाके के साथ आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनमत दिया था, कम से कम उसका तो सम्मान करना चाहिये था। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज सशर्त लैपटाप मेधावी छात्र, सशर्त कन्या विद्या धन और इसी तरीके से दिखाने के लिये वायदे शुरू तो किये गये। बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप,

---

uksV %&[xxx] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कन्या विद्या धन, टैबलेट सारे के सारे शुरू तो किये गये, वाहवाही भी लूटी गयी। यहां तक कि टैबलेट के लिये तीन–तीन, चार–चार बार बजट की व्यवस्था भी की गयी, लेकिन एक भी नहीं बंटा और अन्त में खत्म कर दिया गया। तो ऐसे हालात में जो वायदाखिलाफी करने वाली सरकार को बचाने के लिये वक्तव्य दे रहे हो कि हमने सभी वायदे पूरे किये, कितना खोखला है यह जगजाहिर है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, पार्टी के मुखिया और सरकार के मुखिया दोनों महानुभावों ने अपनी तमाम सभाओं में लिखित घोषणा–पत्र के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया था कि हम मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। मान्यवर, अगर आरक्षण नहीं देना था तो घोषण क्यों की ? इसलिये थोथे घोषणाबाजी और लोगों को गुमराह करने के लिये लोकलुभावन वायदे और नारों से एक बार तो सरकार जरूर बन जायेगी, लेकिन दोबारा लौटना मयस्सर नहीं होगा। मान्यवर, उसी घोषणा–पत्र में यह भी था। आपके तमाम वायदों में एक वायदा यह भी था कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेल से रिहा करायेंगे। घोषणाएं बहुत हुयीं। सरकार बनने के बाद भी हुयीं, लेकिन कोई भी मुस्लिम नौजवान जो किसी कारण झूठे केस में जेल चला गया था आज तक बाहर नहीं आया। आपकी भी सरकार में गये हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, इनकी इस वायदाखिलाफी से स्पष्ट होता है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने यह कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। फर्क तो अपने आप नजर आ रहा है। जो कहा वह किया नहीं। मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि घोषणाएं उतनी कीजिये जितना आप सही मायने में अमलीजामा दे सकें। बात विकास की करते हैं और चारों ओर विकास की परियोजनाएं अमल में आती हुयी दिखायी पड़ रही हैं, यह भी कहते हैं। हकीकत क्या है, आगरा–लखनऊ हाई–वे, जिसको यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे बोलते हैं, के अतिरिक्त कौन सी उपलब्धि है ? मान्यवर, वह सतत् योजनाएं हैं। मान्यवर, केन्द्र की सहायता पर सतत् योजनाओं में मैंने भी गाजियाबाद में मेट्रो चलवायी और पहले की ही योजना को अब जो भी सरकारें आयेंगी, उसका क्रियान्वयन करती हैं।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें, मौर्या जी को सुनिए, जब आप बोलिएगा, तब अपनी बात कहिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरा का पूरा विकास का काम ठप है, विकास कार्य के साथ–साथ कल्याणकारी योजनाएं भी बन्द पर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो समुचित विकास कार्य चलता होता और बजट में प्राविधानित धन का सदुपयोग भी हुआ होता, आपकी कल्याणकारी योजनाएं व्यावहारिक रूप में लागू हुई होतीं। अब बांटने के नाम पर केवल कुछ लोगों को उपकृत करने का काम किया जाए तो सही मायने में लाभार्थियों के साथ यह अन्याय होता है और मान्यवर, हम केवल एक छोटा सा उदाहरण देंगे, वह मनरेगा योजना जिससे करोड़ों नौजवान लाभान्वित होते हैं, 2011–12 में कुल बजट प्राविधानित था 6718 करोड़ और मान्यवर, आज वर्तमान में 2015–16 में, हमारे बहुत ही

नौजवानों की चिन्ता करने वाली सरकार, 2692 करोड़ ले पायी है। अगर आपके सारे क्रिया–कलाप सही हैं, सारे विकास ठीक चल रहे हैं, आप गरीबों के प्रति चिन्तित भी हैं, नौजवानों को काम भी देना चाहते हैं तो 6718 करोड़ से घट करके आज 2692 करोड़ पर क्यों आ गया ? इसका मतलब है कि आप समय पर अपनी कार्य–योजना केन्द्र को नहीं भेज पाते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी, इस तरीके से साढ़े चार हजार करोड़ रुपया का आप भी अपना नुकसान करते हैं। अगर समय से कार्य योजनाएं केन्द्र प्रावधानित कार्यक्रमों की चली जायें तो प्रदेश में हम ज्यादा धन ला सकते हैं, दिला सकते हैं और उसके माध्यम से तमाम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। जब पैसा कम आयेगा तो स्वाभाविक रूप से काम कम मिलेगा, दिन के रोजगार कम होंगे और इसी तरीके से मान्यवर, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जो मनरेगा के पैसे पर तनख्वाह पाते हैं। जैसे मान्यवर, अतिरिक्त कार्य अधिकारी होते हैं, सहायक लेखाकार होते हैं, तकनीकी कर्मचारी होते हैं, कम्प्यूटर आपरेटर, रोजगार सेवक, ये ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके मानदेय का भुगतान मनरेगा के धन से ही किया जाता है। अगर पैसा कम आयेगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे तमाम नौजवान जो मनरेगा के माध्यम से आज अधिकारी, कर्मचारी के रूप में रोजगार पाए हैं, उनकी उस रोजी–रोटी पर खतरा होगा और नौजवानों का हमदर्द होने का दम भरने वाली सरकार नौजवानों का नेवाला छीनेगी। इसीलिए मैंने कहा मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल धोखा के सिवाय कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज निवेश के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की चिंता भी है, प्रयास भी कर रहे हैं। बड़े–बड़े निवेशकर्ताओं के साथ कई बैठकें भी हुयीं। इस प्रकार की बैठकों का हम स्वागत करते हैं बशर्ते उनका कुछ परिणाम भी दिखायी पड़े। वही ढाक के तीन पात। उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि 73 हजार करोड़ का निवेश होगा और आश्वासन पर हम फूल के कुप्पा हो गये। आखिर आज तक उनका निवेश दिखाई क्यों नहीं पड़ा और मा0 मुख्य मंत्री जी अगर राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से उनको सुरक्षा, कानून–व्यवस्था सुदृढ़ रखने की गारंटी दी होती तो शायद निवेशकर्ता वहां पर निवेश करना शुरू कर दिये होते। लेकिन मान्यवर, इस विषय पर कोई पहल नहीं हुयी। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, राज्यपाल जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। कार्य कर रही है। लेकिन सरकार बड़ी चालाक है। राज्यपाल जी अगर समझ गये होते तो इस अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं करते। हां इतना जरूर है कि जितनी भी योजनायें पहले से चल रही हैं या केंद्र पुरोधानित योजनाये हैं। उसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाता है। समाजवादी एम्बुलेंस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे अभी एक नया प्रस्ताव आया है, समाजवादी पेंशन योजना। और यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसको अब मा0 मुख्य मंत्री जी सोच रहे हैं जब जाने वाली बेला आ रही है और जब हमारी सरकार में गंगा एक्सप्रेस–वे की बात की जा रही थी तो आप ही लोग उसका विरोध कर रहे थे और वही गंगा एक्सप्रेस–वे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे केवल समाजवादी शब्द इन्होंने जोड़ दिया। हमारी सरकार में महामाया पेंशन योजना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया और समाजवादी पेंशन योजना हो गयी। तो मान्यवर, कलाकार सरकार है इसमें कोई दो राय नहीं है और कलाकार नहीं होती तो पूर्ण प्रचण्ड

बहुमत की सरकार भी नहीं बना पायी होती। भले ही धोखे से नौजवानों को ठगा होगा। लेकिन एक बार उस ठगी में सफलता पायी है। लेकिन आगे कभी दूरदराज फिर सफल होने का सपना अगर मन में हो तो आपका सपना हमेशा कच्चा रहेगा। इसलिए मान्यवर, हमने दूरदराज कहा। हमने कहा कि अगर 10–15 साल बाद भी अगर आपका इस प्रकार का मन हो कि कभी लौटेंगे तो कम से कम किसी चीज को अमलीजामा व्यवहारिक रूप से देने के लिए अपना तानाबाना भी दुरुस्त करें और मान्यवर, इस तरीके से आज सरकार अपनी ही प्राथमिकताओं की योजनाओं का, अपनी ही कल्याणकारी योजनाओं का, अपने ही तमाम कार्यक्रमों का उपहास उड़ा रही है। हो सकता है कुछ करना भी चाहते हों और अगर करना चाहते हैं, नहीं होता है, तो इसका मतलब शासन/प्रशासन इनकी बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे लाचार मुख्य मंत्री के रहते, सरकार के कभी भी कोई भी कार्यक्रम अमलीजामा नहीं ले सकते हैं, इसलिए मान्यवर, सही मायने में अगर लोगों का दर्द आपके दिल में है, तो उसको अमलीजामा देने के लिए आपको लाचार नहीं बल्कि सख्त मुख्य मंत्री के रूप में पेश आना होगा। जब सख्त मुख्य मंत्री के रूप में आप पेश आयेंगे, तो हो सकता है आपके इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में तमाम झूठी कहानी लिखी गई है, उसकी तस्वीर बदल जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, लेकिन मान्यवर, सबसे ज्यादा ठगा गया कोई इस सरकार में, तो वह है किसान। मा0 अध्यक्ष महोदय जी आज सरकार में सबसे ज्यादा कोई ठगा हुआ अपने को महसूस करता है तो वह उत्तर प्रदेश का किसान है। आज जिस तरीके से दैवीय आपदा के कई दौर आये, कभी अति वर्षा बाढ़, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, सरकार ने कुछ करने का प्रयास भी किया, ओलावृष्टि के सम्बन्ध में खुलासा आज ही हुआ यहां पर, सरकार का वितरित धन एक साल से ज्यादा समय होने के बाद भी न बंट पाना, यह सरकार के लिए हो सकता है चिन्ता का विषय न हो, लेकिन प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है। ''का वर्षा जब कृषि सुखाने'' ''आफ्टर डेथ दि डाक्टर'' हालात आज वही है, ओलावृष्टि से पीड़ित किसान दम तोड़ रहा है, पलायन कर रहा है, उसके बच्चे भूखे–प्यासे मर रहे हैं, आज उन पर दोहरी मार आ गई है सूखे की, पूरा का पूरा बुन्देलखण्ड आज एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है, जिसमें उनके सामने रोटी का भी संकट है, जानवरों के भूसे और चारे का भी संकट है, पानी का भी संकट है, जहां ऐसे मौकों पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है, वहां पर सरकार अगर कोई काम एक साल बाद करेगी, तो उस सरकार की योजना का फायदा क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने अब तक पीड़ित किसानों को 5112.06 करोड़ भेजा सभी जिलों में और उसमें से भी लगभग 600 करोड़ अभी तक नहीं बंट पाया है और मान्यवर, 581 करोड़ तो अभी निकाला ही नहीं और जो धन निकाला गया था, उसमें से 1095 करोड़ रुपया बांटा नहीं गया, आखिर मुख्य मंत्री जी आप कितने ही उदार मन से उन पीड़ित किसानों के लिए कार्य–योजना क्यों न चलायें, लेकिन अगर आपके अधिकारी समय पर उसको बांटेंगे नहीं, निकाले गये धन को अपने खाते में रखेंगे, अपने आफिस में रखेंगे, तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग है। आपका ही सर्वे है,

जो कुल धन भेजा गया 1,676 करोड़, अभी तक नहीं पहुंचा। मान्यवर, इस तरीके से अगर कोई कार्य योजना आप देते हैं, दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों के लिए, चाहे वह ओलावृष्टि से पीड़ित किसान हों, सूखा से पीड़ित किसान हों या अतिवृष्टि से पीड़ित किसान हों अगर आप कोई सरकारी अनुदान सहायता देते हैं तो आपकी एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो समय–समय पर उसका यह परीक्षण करे कि क्या हमारी योजना गरीबों तक जा रही है या नहीं जा रही है। अगर सही मायने में आपके अधिकारियों ने समय पर इसका परीक्षण किया होता तो शत–प्रतिशत उसका सदुपयोग हुआ होता। ओलावृष्टि का पैसा बंटा भी नहीं कि अब दूसरा सूखे वाला आप पर आ गया। बांदा के किसानों का क्या पाप था। वह तो सरकारी सहायता मांग रहे थे। आपने सरकारी सहायता भेजी है। प्रदेश का किसान यह जानता है कि मुख्य मंत्री ने सरकारी सहायता भेजी है। अगर प्रदेश से सरकारी सहायता गई है तो जिले में किसान को क्यों नहीं मिल रही है। अगर जिले में सहायता नहीं मिल रही है तो वहां बांदा के किसानों ने तो केवल अपनी पीड़ा और व्यथा अधिकारियों के सामने कही थी कि हमें राहत दी जाये। राहत के नाम पर किसानों को लाठियां भांजी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके संज्ञान आया हो या न आया हो, आज पीड़ित किसानों का यह पुरसाहाल है। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में बातें तो बहुत लोकलुभावन और अच्छी कही गयी है लेकिन उनका व्यावहारिकता से कोई नाता और रिश्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड के भी तमाम ऐसे माननीय विधायकगण सत्तापक्ष और विपक्ष सभी के हैं। सभी पार्टियों के माननीय विधायक इस सदन में बैठे हैं। मान्यवर, जिस तरीके से आज पूरा बुन्देलखण्ड निर्जल होता जा रहा है, रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। अभी एक स्वराज्य अभियान जयकिशन आंदोलन है उसका एक सर्वे आया। उसने पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 108 गांवों का सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक 38 प्रतिशत लोगों को भोजन ठीक से नहीं मिलता है। कोई रोटी–नमक खा रहा है, तो किसी की रोटी के साथ सब्जी है तो किसी के लिए दाल नहीं है। मान्यवर, किसी तरीके से वह जिन्दा है। 108 गांवों में 1,206 लोगों के परिवार में दाल नहीं बनती। किसी तरीके से आलू में मसाला डाल करके, पानी भर के और नमक डाल करके उसी से अपनी रोटी खाते हैं। हालात उससे बद्तर हैं। ऐसी हालत में जब लोग दम तोड़ रहे हों तो स्वाभाविक रूप से उनकी नजरें सरकार पर टिकी रहती हैं कि सरकार से कोई अनुदान मिलेगा, सहायता मिलेगी और दी गयी सहायता को अगर अधिकारी कहीं न कहीं बंदरबांट करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह आपकी सरकार का उपहास करते हैं। मान्यवर, इसीलिए कम से कम इस किसान वर्ष पर किसानों के साथ सद्भावना के साथ खड़े होना चाहिए। उनकी इस दुःख की घड़ी में हिस्सा बंटाना चाहिए लेकिन केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं, आज अभी हमारे कुछ मा0 सदस्यगण कह रहे थे कि आज बड़े पैमाने पर किसान बहुत खुशहाल है। समय–समय पर इसी सदन के अन्दर कभी धान क्रय केन्द्र पर, कभी गेहूं क्रय केन्द्र पर चर्चा होती है जो बिचौलियों का चारागाह बन जाता है। सारे किसान ठगे जाते हैं। किसानों का न गेहूं लिया जाता है, न चावल लिया जाता है और जो घटतौली होती है वह अलग से। मान्यवर, आज जिस तरीके से गन्ना

किसानों के साथ धोखा हो रहा है वह जग जाहिर है। सरकार भी अगर अपने अन्तर्मन को झांककर देखेगी तो उसको भी एहसास होगा। 280 पर खूंटा गाड़ दिया, एक बजट गया, दूसरा बजट गया, तीसरा बजट गया। इस बार भी किसानों को आशा थी कि कुछ मिलेगा लेकिन चौथा बजट भी चला गया और यह सरकार का अन्तिम बजट होगा। आगे अनुपुरक बजट लाएंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह पांचवां बजट है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हां, पांचवां बजट है। यानी मा0 मुख्य मंत्री जी खुद समझ रहे हैं कि हमने 5 साल में 280 पर खूंटा गाड़ा। आखिर कम से कम अगर किसानों के प्रति हमदर्दी होती तो आगे बढ़ना चाहिए। आपके ही घोषणा–पत्र में था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आयोग का गठन करेंगे। यह आपकी घोषणा थी। वह आयोग दाम तय करेगा और उसमें किसान की लागत के 50 प्रतिशत, फसल की लागत के 50 प्रतिशत धन को जोड़ करके उसकी कीमत घोषित की जाएगी। अरे, एक ही बार कर दिया होता। 5 साल में कम से कम दिखाने के लिए तो होता कि घोषणा–पत्र में जो किसानों के लिए कहा गया, वह किया लेकिन उनको तो ठेंगा दिखा दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज जबकि गन्ना किसानों पर बड़े पैमाने पर कई आघात हैं। एक तो उनका बकाया धन नहीं दिया गया। दूसरा लाभकारी मूल्य देने के बजाए वह तो बड़ी दूर की बात हुई उनका वाजिब पैसा भी नहीं मिल रहा है। आपने जो निर्धारित किया उसके भी उनको लाले पड़ रहे हैं। पिछली बार आपने कहा कि 280 को हम दो किस्तों में दिलाएंगे। 240 रुपये की पहली किस्त होगी और 40 रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा बाद में की जाएगी और इस बार 240 से घटकर 230 पर आ गए। आखिर 280 रुपया एक बार में क्यों नहीं, किस्तों में क्यों ? हम रोजमर्रा में कभी किसी दुकान पर जाते हैं तो उसको तुरन्त नकद पैसा देते हैं। हम उससे कभी यह नहीं कह सकते कि तुम 80 पैसा आज ले लो और 20 पैसा हम कल देंगे। वह सामान नहीं देगा रख लेगा तो क्या सबसे गया–गुजरा किसान ही है ? 280 रुपये का गन्ना पहले 240 फिर 230 और फिर 50 रुपया 6 महीना, 01 साल बाद क्यों ? आखिर किसानों के साथ यह धोखा क्यों ? मा0 अध्यक्ष महोदय जी, पहले चीनी मिल के लोग बहाना बताते थे कि चीनी सस्ती है। आज घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़े हैं। पहले थोक मूल्य था 2400 रुपये से 2500 रुपया प्रति कुन्तल और अब उसका दाम हो गया है 3150 से ले करके 3300 रुपया प्रति कुन्तल और जब मान्यवर, आज घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़े हैं पहले ये दाम थे 340–350 डालर प्रति क्विंटल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 422 प्रति क्विंटल है तो इस लिहाज से मान्यवर, उनके गन्ने की कीमत इस वर्तमान बढ़े चीनी के दाम के परिप्रेक्ष्य में 320 रुपये होनी चाहिए थी और मान्यवर, 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब

शायद आपको यह नहीं मालूम 2007 में जब समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ के गई थी, जब वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी सरकार से सत्ता बहुजन समाज पार्टी को हस्तान्तरित हुई थी, तो उस समय आप जब छोड़ कर गए थे दाम 125 रुपये प्रति क्विंटल था और 125 रुपये को हमने बढ़ाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल किया यानि पांच साल के अंदर दूना किया सवा सौ से दूनी ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल हो गई।

(सत्तापक्ष से चीनी मिलें बेच दी की आवाजें आईं)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमने किसानों का बकाया चीनी मिल मालिकों को गला दबाकर दिलाया। कई चीनी मिल मालिकों को जेल की सलाखों में भेजा। हमने किसानों के साथ कभी अनदेखी नहीं होने दी और अगर किसानों के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जेल की सलाखों में दिखायी पड़ा। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। हमने तो ब्याज भी दिलाया था, उनके बकाये के साथ ब्याज पहली बार दिलाया था, आजादी के बाद पहली बार दिलाया था और मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पीड़ा उन किसानों से पूछिये जो गन्ना बोते हैं।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाजें आईं कि कितनी चीनी मिलें बेचीं गईं थीं, वह बतायें)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जी जो 15–15, 20–20 साल से बंद पड़ी थीं, सरकार पर अलग से व्यय भार न आए, लेकिन हमने किसानों की अनदेखी नहीं होने दी। हमने किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। हमने किसानों का वाजिब पैसा दिलाया इसलिए मान्यवर।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के टोका–टाकी करने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहिए, आप सुनिये। अभी मौर्या जी को सुनिये, आप अपनी बात कहिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

और मान्यवर, आपके ही सरकार में आपकी गलत नीतियों के चलते...

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें, मौर्या जी की आवाज तेज है आपकी आवाज दब जाएगी, आप शान्त रहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे आपकी सरकार आई है आपकी ही गलत नीतियों के चलते गन्ना किसानों की उपेक्षा के बदौलत क्षेत्रफल में गिरावट आई है। वर्ष 2012–13 में 24.24 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल होता था। आज यह आ गया 20.52 इस

तरीके से 03.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल घटा। मान्यवर, अब ये उत्पादन की बात कर रहे हैं। मै आंकड़े लिख कर लाया हूं। यह समाजवादी पार्टी के मंत्रियों का आंकड़ा नहीं है यह विपक्ष के नेता का आंकड़ा है। हमारे कुछ माननीय सदस्य उत्पादन समझना चाहते हैं। 2012–13 में 1493.98 लाख टन और इस बार 2015–16 का तो अभी चल रहा है 2014–15 का आंकड़ा 1389.02 लाख टन यानी उत्पादन में 104.2 लाख टन की गिरावट आई। यह सरकारी आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज गन्ना किसानों का शोषण ऐसे हालात में हो रहा है जबकि चीनी की रिकवरी प्रतिशत बढ़ा है, अच्छा हुआ है। उत्पादन अलग है और रिकवरी अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकवरी 9.64 प्रतिशत है, मध्य उत्तर प्रदेश में 10.17 प्रतिशत है, पूर्वांचल में रिकवरी 10.23 प्रतिशत है यानी औसत 10.01 प्रतिशत है यानी पूर्व की अपेक्षा में रिकवरी बढ़ी उसके बावजूद गन्ना किसानों का शोषण। यानी अगर रिकवरी बढ़ी तो उसके अनुपात में, उनका प्राइज भी बढ़ना चाहिए था, उनकी कीमत भी बढ़नी चाहिए थी लेकिन कीमत तो चार साल पहले वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान वर्ष के नाम पर किसानो को मत ठगिये। किसानों को धोखा मत दीजिये और किसानों पर जो बकाया है वह तो आप देते नहीं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी चीनी मिल मालिकों पर बहुत मेहरबान हैं। यह मेहरबानी किसानों पर दिखाइये। आपने निजी मिलों पर 6402, 6426 और सहकारी निगम की मिलों पर 491 यानी सात लाख दो सौ सत्रह करोड़ रुपया आज गन्ना किसानों पर बकाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी इस तरीके से आज उसके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है, ब्याज तो कहीं दूर–दूर से कोई मतलब नहीं दाम अलग नहीं बढ़ रहा है और पैसा मांगता है तो लाठी अलग खाता है, यह किसान वर्ष है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी जबकि मैंने बताया कि आपने गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए, उनका वोट लेने के लिए या उनकी हमदर्दी जीतने के लिए आपने खुद अपने घोषणा–पत्र में पेज 5 पर उसका पहला था। किसान की उपज का लागत मूल्य निर्धारित करने हेतु एक आयोग का गठन किया जायेगा जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और लागत मूल्य का 50 प्रतिशत जोड़कर समर्थन मूल्य तय होगा, यह आपका घोषणा–पत्र है। आखिर कौन सा नियम, कानून है कि 4–5 साल में कोई दाम बढ़ ही नहीं रहा है। लागत बढ़ रही है, खाद का दाम बढ़ रहा है, पानी का दाम बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ रही है, डीजल का दाम बढ़ रहा है और गन्ना की कीमत का दाम, उस पर खूंटा गाड़ दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सरकार प्रयास करती है कि हम खाद, बीज किसानों को समय पर उपलब्ध करायेंगे, बीज के विषय में प्रश्न प्रहर में सरकार ने खुद अपना रोना रोया कि बीज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केवल गाल बजाने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आप अपने वायदों को पूरा करिये उनका वाजिब पैसा, उनकी कीमत तय करिये लेकिन ऐसा कुछ न करके केवल हीलाहवाली के माध्यम से झूठे गन्ना किसानों पर मलहम लगाना चाहते हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले भी हमारे सरकार के कई मंत्रियों ने इस बात को स्वीकारा एक बार तो बटा ही नहीं एक बार बंटा भी तो बुवाई के समय के बाद गया

किसान लाभान्विवत नहीं हो पाया और आज भी अभी स्वीकारा कि अच्छे बीज नहीं ऐसी हालात में कम से कम किसान वर्ष के अवसर पर एक ऐसी विशेषज्ञ की टीम बनानी चाहिए थी जो किसानों के लिए कुछ विशेष करती लेकिन विशेष करना तो दूर सामान्य भी नहीं हो पा रहा है। आज जिस तरीके से मनमानापन अपनाया जा रहा है किसानों को उन्नतशील बीज भेजने के नाम पर उसमें हेराफेरी की जा रही है खाद बिचौलियों के माध्यम से डकारा जा रहा है। सरकार लाख प्रयास करती है कि हम किसानों को समय पर प्रर्याप्त खाद दिला सके लेकिन कालाबाजारी की वह कहीं न कहीं शिकार बन जाती है ऐसी हालात में अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खाद महंगी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 348.00 रूपया प्रति बैग, पंजाब में 280 रुपया 50 पैसा यूरिया, हरियाणा में 280 रुपया 50 पैसा, दिल्ली में 280 रुपया 50 पैसा, उत्तराखण्ड में 301 रुपया, बिहार में 299.00 रुपया और उत्तर प्रदेश में 348 रुपया आखिर ऐसा क्यों उसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में एडीशनल कास्ट ड्यू टू नान रियम्बर्सेबिल इनपुट टैक्सेशन यानि टैक्स लगता है जिसके चलते यूरिया का जो कच्चा माल है प्राकृतिक गैस, उस पर टैक्स लगता है इसलिए उत्तर प्रदेश में खाद का दाम अन्य प्रदेशों की तुलना में मंहगा हो जाता है कम से कम किसान वर्ष में इस बात की छूट देनी चाहिए और यह कास्ट दो जगह लगता है उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक प्रधान मंत्री का प्रदेश है एक मुख्य मंत्री का प्रदेश है और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ऊपर भी आपके अच्छे संबंध हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री के संबंध अच्छे हैं। आपस में बात करके कम से कम इस टैक्स को खत्म करने की बात कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सरकार 'साला खडूस' पर टैक्स फ्री कर सकती है और जब 'साला खडूस' टैक्स फ्री हो सकता है, तो फिर प्राकृतिक गैस टैक्स फ्री क्यों नहीं हो सकता। हमारे कहने का मतलब आप 'साला खडूस' को टैक्स फ्री करते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अखिलेश यादव–

इसमें है क्या, यह भी तो आप बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब टैक्स फ्री आपने किया है, तो बेहतर आप जानते होंगे। वह हम आपसे अकेले में पूछ लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शायद यह पिक्चर देख लिये होंगे, इसीलिये इसका डिटेल जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यह अनुरोध है कि यूरिया के लिए प्रयोग होने वाले कच्चे माल प्राकतिक गैस को भी टैक्स फ्री करना चाहिये और किसान वर्ष पर इस बात का तोहफा देना चाहिये। हमें खुशी होती और हम स्वागत करते अगर यह घोषणा हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि किसानों को तो केवल छलना है और इसीलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हो रहा है। यह महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण की पुस्तिका है और मान्यवर, इसमें सिंचाई का जिक्र पेज–3 और पेज–22

पर आया है। पेज–22 पर इसका डिटेल दिया गया है। चूंकि माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपके विभाग की कितनी धज्जी उड़ाई गई है, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूँ। हम धज्जी नहीं उड़ायेंगे, यह राज्यपाल जी के अभिभाषण की आपकी पुस्तिका उड़ा रही है। इसमें दिया है कि नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने का आपने लक्ष्य दिया है वर्ष 2015–16 में 8698 नहरों का, जिसमें 10 दिसम्बर, 2015 तक 937 नहर की टेल तक पानी पहुंचा है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, राज्यपाल जी के अभिभाषण में पेज–22 पर जो सिंचाई विभाग का डिटेल आया है, उस पर आप देख लेंगे। यानी 8698 नहर की टेल तक पानी पहुंचाने का आपका लक्ष्य है और टेल तक पानी पहुंच रहा है 937 नहरों में। कहां 8698 और कहां 937, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण को झूठ का पुलिन्दा कहा तो केवल हवा में नहीं कहा था। अब तो सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि आपका लक्ष्य सही है, या राज्यपाल जी का अभिभाषण सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी की उपलब्धियों की किताब भी आ गई है मेरे पास, उसको पढ़ने के बाद ही मैंने बोला है। मैं इसे इसलिये दिखा दे रहा हूं कि मैं बिना पढ़े नहीं बोलता हूं। आपकी कलई मैंने आपकी किताब से खोली है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप कहें तो मैं अभी खत्म करके बाहर निकल जाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं हम ऐसा नहीं कहेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब बहुत दिन बाद तो हाउस व्यवस्थित ढंग से चला है। अभी ब्लाक प्रमुख चुनाव के बहाने सरकार भाग गयी और हो सकता है कि एम0एल0सी0 चुनाव के बहाने न भाग जाये। तो इसलिये जो समय मिला है उसका सदुपयोग तो करने दें मान्यवर ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

खड्डूस फिल्म की स्टोरी तो सुना दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वह शब्द मैंने आपके लिये प्रयोग नहीं किया है, इसलिये आप बेफिक्र रहिये। वैसे भी आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर नेता प्रतिपक्ष जी बुरा न मानें तो एक सुझाव था। यह जिसने इस फिल्म का नाम रखा है, एक तो सब सदस्य मिलकर उसके लिये कोई ईनाम घोषित करें। दूसरा, नेता सदन ने उस फिल्म की इतनी कद्र की, उसके लिये एक इनाम आपको भी

दें। तीसरा सुझाव यह है कि आप, नेता भाजपा और महामहिम तीनों लोग इस फिल्म को देखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो कहा कि खड़ूस हमारे खाते में आ गया, खड़ूस हम हैं अगर खड़ूस हमारे खाते में आया तो साला किसके खाते में गया। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज तमाम वादों और घोषणाओं का इस महामहिम राज्यपाल जी की पुस्तिका में जो उल्लेख किया गया है, उसका व्यवहारिकता से कोई लेना–देना नहीं है। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज इस राज्यपाल जी के अभिभाषण के पेज–34 और 35 पर कल्याणकारी योजनाओं के रूप में डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, इन्दिरा आवास यह ऐसी कल्याणकारी योजनायें हैं जो गरीबों के लिये हैं। सही मायने में इनका लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिये। लेकिन इन सारी योजनाओं को आइना कैसे दिखाया जाता है उसका हम केवल एक नमूना पेश करेंगे, क्योंकि पूरा पेश करने में बहुत समय लगेगा। इन्दिरा आवास में लूट का सच मैं केवल एक जिले का दे रहा हूँ । जनपद मऊ के विकास खंड रतनपुरा, जिसमें ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बरैया में 15 इन्दिरा आवास, ग्राम पंचायत रतनपुरा में 5 इन्दिरा आवास, ग्राम पंचायत बुढसुड़ी में 9 इन्दिरा आवास, ग्राम पंचायत सऊफ में 3 इन्दिरा आवास, ग्राम पंचायत कुढ़सर में 5 इन्दिरा आवास, जो अनुसूचित जाति के नाम पर तो आवंटित किये गये लेकिन अनुसूचित जाति के नाम पर वह या तो सामान्य वर्ग को मिल गये या पिछड़े वर्ग को मिल गये। आवास आवंटित अनुसूचित जाति के नाम पर हुआ लेकिन मिला किसी और को। यानि इस तरीके से 37 इन्दिरा आवास पर हेराफेरी केवल एक ब्लाक के कुछ गांव का मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सकरा में 37 आवास के माध्यम से आपका लगभग 12 लाख 95 हजार पैसा अनुसूचित जाति के नाम पर गया और उसको मिला नहीं वह कहीं और बांट दिया गया यानि यह पैसा कहीं न कहीं इन्दिरा आवास के नाम पर गोलमाल किया गया। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सकरा, ग्राम पंचायत परमानन्द पट्टी, ग्राम पंचायत लसरा, ग्राम पंचायत भैंसा, इनमें मान्यवर, अपात्रों को दे करके गबन किया गया है, एफ0आई0आर0 भी दर्ज है, कार्रवाई भले ही न हुई हो।

सत्तापक्ष की ओर से–

हुई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

चलिये स्वागत। इसी प्रकार से विकास खण्ड फतेहपुर मड़ाव, उसी जनपद में लोहिया गांव का सच बता रहा हूं 2014–15 और गांव हैं छपराभंगी, कुल आवंटित 74 आवास, जिसमें 29 लाभार्थियों को अनुसूचित जाति के नाम पर अन्य पिछड़ी और सामान्य को दे दिया गया। यानी कि इस तरीके से 25 लाख 90 हजार रुपए की हेराफेरी हुई और इसी प्रकार से उसी जनपद में पहाड़ीपुर खीरिया गांव एवं विकास खण्ड फतेहपुर

मड़ाव दोनों में कुल आवंटित आवास 19 और जांच में पात्र लाभार्थी केवल एक। यह आपकी जांच एजेंसी का रिजल्ट है इस तरह से 6 लाख 30 हजार रुपए का गबन किया गया। ग्राम पंचायत रतनपुर में 24 लोहिया आवास अपात्र को दिये गये और 6 अनुसूचित जाति के नाम पर किसी अन्य को दिये गये, यानी कि 28 आवास और 71 लाख 40 हजार रुपए की हेराफेरी हुई। हमने एक उदाहरण इसलिए दिया कि एक किसी लाभार्थी ने पीड़ित हो करके प्रमुख सचिव के यहां प्रार्थना–पत्र भेजा, प्रमुख सचिव ने जांच कराई और जांच में यह सत्य सामने आया। हमने इसलिए कहा कि सरकार की नीयत कितनी भी साफ क्यों न हो लेकिन यदि समय–समय पर किसी ऐसी टीम का गठन नहीं करेंगे जो कि समय–समय पर इसका परीक्षण करे तो इस तरह की योजनाएं कहीं न कहीं घोटालेबाजों की शिकार बन जाती हैं। इस तरीके से योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हों अमलीजामा देने के लिए सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा जिसके संकल्प का अभाव इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में बड़े पैमाने पर है। आप शत–प्रतिशत अधिकारियों पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने मंत्रि–मण्डल के मंत्रियों की कोई टीम बना दीजिए जो आपकी प्राथमिकता की योजनाओं की देख–रेख कर सकें और वह बलि न चढ़ने पायें उनका सही क्रियान्वयन हो। मंत्रि–मण्डल के तीन–तीन, चार–चार लोगों की टीम बनायें, वह मौके पर जायें डी0एम0, कमिश्नर के साथ बैठक करें और अपनी देख–रेख में विकास खण्डों के कुछ गांवों का परीक्षण भी करें तब जा करके इस पर अंकुश लगेगा अन्यथा दांवपेंच करने वाले लोगों के हाथ बहुत लम्बे–चौड़े होते हैं वह जन सामान्य की आंख में तो धूल झोंकते ही हैं, वह सरकार की आंख में भी धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। इसी प्रकार से सरकार ने अपने अभिभाषण में कहा कि सामाजिक भाईचारा, यह होना भी चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाता है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार सबकी होती है, केवल समाजवादी पार्टी की नहीं होती है अगर आप नेता सदन हैं तो पूरे सदन के नेता है और मुख्य मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हम आपके संज्ञान में पहले भी लाये हैं प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से बड़ा भेदभाव किया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 03 लाख कर्मचारी अब तक पदावनत किये गये हैं जिसमें 20 हजार अधिकारी/कर्मचारी अपने पद से पदावनत हुए हैं शेष कर्मचारी/अधिकारी अपनी वरिष्ठता से पदावनत हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनकी 22 साल की सेवा है उनको नियुक्ति के प्रथम दिन पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। हो सकता हो कि आपकी जानकारी में न हो, हमने देने का प्रयास किया, हो सकता है कि सरकार ने घुमाया हो लेकिन आपने मेरे अनुरोध पर मुख्य सचिव को आदेश भी दिया कि सभी विभागों को पत्र भेज दिया जाए कि कोई भी अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से पदावनत न किया जाए। उस पत्र का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो आप तो मुख्य मंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, आपसे बड़ा कौन है जो आपके किसी ओदश और निर्देश का कार्यान्वयन नहीं होने देता ? (सत्तापक्ष की तरफ से कोर्ट–कोर्ट की आवाज आयी।) उसमें कोर्ट नहीं आड़े आती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफगोई से बता देना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो पूरे देश के लिए है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होता, देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू होता है जहां दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम

तक भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। किसी ने भी उत्तर प्रदेश की तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोशन में आरक्षण प्राप्त सुविधा वालों को भी पदावनत करने का कोई निर्देश नहीं दिया। यहां तक कि उस हद तक बात मानी जा सकती थी कि जो प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनको अगर पदावनत किया जाता तो बात एक हद तक मानी जा सकती थी कि हो सकता है अधिकारियों ने उसकी गलत विवेचना कर दी हो। लेकिन ऐसे अधिकारी जो सामान्य परीक्षा पास करके अपने पदों पर पहुंचे हैं, ऐसे अधिकारी जो विभागीय परीक्षा पास करके उच्च पदों पर गये हैं, ऐसे अधिकारी जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर गये हैं उनको भी पदावनत किया गया है। जो प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं पाये हैं उनको भी पदावनत किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश के सभी लोग आपकी सरकार के अधीन हैं तो हम समझते हैं कि उन पर कृपापूर्वक फिर से विचार करके अपने अधिकारियों को सख्त हिदायत दें कि जितने भी अवैध पदावनत किये गये हैं वो सब खत्म किये जायं और उन्हें अपने पद पर बहाल किया जाए। जिसकी 20 साल की सेवा हो चुकी है उसको प्रथम नियुक्ति के दिन पर उसकी तैनाती करने का क्या औचित्य है ? प्रमोशन में आरक्षण लेने वालों को आप पदावनत कर देते, हम आपसे नहीं कहने आते। आपने तो यहां तक किया कि जो लोक सेवा आयोग से सीधे जुड़ा है उसको भी आपने पदावनत कर दिया। ऐसा अंधेर देश के अन्य प्रदेशों में कहीं नहीं हुआ है। आपके पास भी अनुसूचित जाति के विधायक हैं, अनुसूचित जनजाति के भी विधायक हैं, आपको अनुसूचित जाति के लोग भी वोट देते हैं भले ही ज्यादा न देकर कम देते हों लेकिन आप अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम हुए हैं तो सभी वर्गों का वोट मिला है भले ही किसी का कम मिला हो, किसी का ज्यादा मिला हो। तो अगर सबका वोट मिला है और सरकार के मुखिया सबके मुखिया होते हैं तो हमारे ख्याल में उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जाति के नाम पर। अधिकारी और कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता और अगर पार्टी के नाम पर उनको डांटा जाता है तो भी उनके साथ विश्वासघात है। अगर उनको जाति के नाम पर पदावनत किया जाता है तो भी उनके साथ अन्याय है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और अच्छा होगा कि उन 03 लाख पदावनत किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में न्याय दिलाने की बात कही गयी होती तो हम आज इसका स्वागत करते इसलिये मान्यवर आज अभी सुबह मैंने एक प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तर जानना चाहा तो सरकार ने कहा आंकड़े ऐसे आ जाते हैं। आज इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग का बेड़ा गर्क हो रहा है चलिये अब तो एक नये मंत्री जी आ गये। ऊर्जावान हैं हम अपेक्षा करते हैं कि उसको सुधारेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि आप अभी आये हैं तो आप पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन सभी मंत्री सरकार के उसमें होते हैं कहीं न कहीं जबावदेही उनकी बनती है। सही मायने में जब से कम्प्यूटर सिस्टम चला तब से सरकारी पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है।

मान्यवर, आज जिस तरीके से सभी कल्याणकारी योजनाएं जैसे मैंने सुबह बताया समाजवादी पेंशन का, कि इसका अभी भी 4 लाख 20 हजार लोगों को पैसा नहीं पहुंचा। मान्यवर, इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग के अधीन चलता है आश्रम पद्धति विद्यालय। इसको माननीय मुख्य मंत्री जी जरा ध्यान से इसलिये सुनेंगे कि इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय में गरीब के बच्चों का दाखिला होता है। कक्षा एक से कक्षा पांच तक की कक्षाएं चलती हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, आपका आश्रम पद्धति विद्यालय जो अभी तक इस पुनीत लक्ष्य को लेकर चल रहा था कि उसमें गरीब के बच्चों का दाखिला होगा जिसमें 7 फीसदी अनुसूचित जनजाति के बच्चे रहेंगें, 25 फीसदी बैकवर्ड क्लास के बच्चे रहेंगें और 15 फीसदी सामान्य समुदाय के बच्चे रहेंगे। अभी कुछ अधिकारियों ने वह मंत्रि स्तर से निर्णय नहीं हुआ था पहले भी न अब भी। अधिकारियों ने इसको नवोदय पैटर्न पर संचालित करने का प्रयास किया। यहां तक कि पत्र भी जारी हुआ और नवोदय पैटर्न पर जारी करने के बाद एक से पांच तक की कक्षाओं को हटाने का भी निर्णय होने जा रहा था और जो समाज कल्याण विभाग की मंशा है आश्रम पद्धति विद्यालय चलाने और संचालित करने का उस पर पानी फेरने जा रहे हैं इसलिये जिस मंशा से यह आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहा है उसमें कोई भी अधिकारी उस मंशा पर पानी न फेर सके इस पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, आपके कुल 76 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं जिसमें 780 संविदा पर स्टाफ है और इसमें एल0टी0 ग्रेड प्रवक्ता, नर्स, कम्पाउन्डर सभी है। लेकिन आज तक वह नियमित नहीं हुए और चूंकि आप भरोसे वाले मंत्री हैं जब शिक्षा मित्रों को आप नियमित अध्यापक बना सकते हैं तो कई सालों से संविदा पर चल रहे इन आश्रम पद्धति के अध्यापकों को, कर्मचारियों को स्टाफ के लोगों को भी आप नियमित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सजग भी रहे। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर पूर्व छात्रवृत्ति में भी अनियमितता हो रही है और जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री होंगे वह इस बात पर गौर करेंगे कि आपने बजट तो पर्याप्त दिया, 142 करोड़ का बजट आपने दिया था लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि पूरे साल में चार करोड़ बंटा, 142 करोड़ बजट, और चार करोड़ बंट रहा है तो कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इसमें कोई न कोई कमी है और मान्यवर, इस तरीके से यह आपकी योजनाओं का किस स्तर से मजाक बनाया जा रहा है इसको भी देखने, सोंचने, समझने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इसी प्रकार से, महिला कल्याण के विषय में मैंने आपको अवगत कराया कि दो लाख फर्जी महिलायें विधवा पेंशन के अन्तर्गत लाभ पा रही थीं और मान्यवर, यह आपकी विभागीय जांच है यह मेरी जांच नहीं है और इस तरह से एक साल में 72 करोड़ का वारा न्यारा हुआ। आखिर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो गरीबों तक ले जाने का प्रयास है इसको बंटाधार करने वाली कौन सी ताकतें हैं जो सरकार की खटिया खड़ी करने पर लगी हुई हैं इस पर भी आपको गौर करना होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा घुमावदार मजाक किया गया है, कहा गया है कि माह अक्टूबर, 2016 में पेज–54–55 पर लिखा है कि–'प्रदेश सरकार ने माह अक्टूबर,

2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 16 घन्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है।' यह राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है, उस समय न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, उस समय रहेगा निर्वाचन आयोग का आचार संहिता, सितम्बर में आचार संहिता लग जाएगा, यानि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ऐसा समय निश्चित किया कि उस समय न तो लोग पूछ सकते हैं और इनको बहाना बनाने का अच्छा मौका मिल जाएगा, अरे भई, अब तो आचार संहिता है मैं क्या कर सकता हूं। इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आप कटौती मुक्त बिजली देने को कहे थे, लेकिन पूरी की पूरी बिजली आपूर्ति कटौती का शिकार बन गई है। हम समझते हैं कि इसके नाते पूरी बिजली व्यवस्था चरमराई है। आज ग्रामीण क्षेत्र पांच–छः ग्राम छोड़कर के प्रदेश के शेष जिले अंधेरे में डूबे हैं हकीकत जानने के लिए मुख्य मंत्री जी जब प्रदेश के दौरे पर जाते होंगे तो सारे अधिकारी उस दिन 24 घंटे बिजली दे देते होंगे जिस दिन जाते होंगे उसके बाद अंधेरे में रहते हैं। अपने विधायक से अपने कक्ष में अकेले पूछिएगा वह बता देगा सब के सामने वह भी नहीं बतायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हद तो तब हो गई, सीमा क्रास कर गये कि इनका मध्यांचल विद्युत वितरण विभाग एक ब्लैक लिस्टेड कम्पनी बेरीगेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को छः सौ करोड़ रुपये की विद्युत देने का मामला उजागर हुआ है। आखिर जो ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है उसको देने का औचित्य क्या है। कार्रवाई आप कर रहे हैं यह स्वागत योग्य है जो ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है इतने बड़े एमाउण्ट और धन का कार्य देने की नौबत क्यों आ गई माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह कहीं न कहीं आपके शासन प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की आंख में धूल झोंकने के लिए उतावले बैठे हैं। यही कारण है कि आपके तमाम लोक लुभावन वायदों, नारों और कल्याणकारी योजनाओं को वह मटियामेट कर रहे हैं इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय जी महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में महिला सुरक्षा के विषय में बहुत बातें की गई हैं। यह सत्तापक्ष और विपक्ष की सीमा से ऊपर का मामला है सबके लिए यह चिन्तनीय विषय भी है जिस तरीके से आज अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं सरेआम महिलाओं का राह चलना भी दूभर कर दिए हैं इन पर कड़ाई से पेश आने की आवश्यकता है केवल 1090 से काम नहीं चलेगा बल्कि इस प्रकार के अराजक रवैये में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ओर जब कठोर कार्यवाही का संदेश सामान्य जनता में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लोग कानून के खौफ से कानून को अपने हाथ में लेने से डरेंगे साथ ही साथ राह चलते महिलाओं का जो मजाक उड़ाते हैं छेड़खानी करते हैं तरह तरह की फब्तियां कसते हैं स्कूल कालेज जाने में व्यवधान डालते हैं अभिभावक भी इन चिन्ताओं में सदैव डूबा रहता है शायद इससे उसको मुक्ति मिल सके। यह समस्या किसी एक की नहीं पूरे समाज की है पूरे प्रदेश की है यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं सभी राजनैतिक दलों की है जो भी सार्वजनिक जीवन में है उनकी ज्यादा जवाबदेही बनती है कि इसके प्रति गम्भीर हों। यदि आप उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे तो विपक्ष में रहते हुए भी हम आपका सहयोग करेंगे लेकिन जिस तरीके से आज गुण्डे माफिया और अराजक तत्व

सरकार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं सरकार को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस पर कठोर और प्रभावी अंकुश लगाने का कोई संकल्प नहीं है। इसका अभाव है। इसी प्रकार से आज बेसिक शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर कुछ नया करने की आवश्यकता है। एकल टीचर विद्यालय आज भी हैं और हम शाबाशी लूटते हैं कि पर्याप्त शिक्षक हैं तमाम शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में तैनाती देने के बाद भी आज भी तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक हैं और मान्यवर, शिक्षक एक क्लासेज पांच बच्चों की संख्या सैकड़ा कहीं कहीं उससे भी ज्यादा और मिड डे मील अलग एक शिक्षक क्या करेगा। इन प्राथमिक विद्यालयों में बड़े घरानों के बच्चे नहीं पढ़ते। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते है, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, गॉव और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनकी उस शिक्षा के साथ मजाक क्यों ? मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है। कहीं न कहीं बेसिक शिक्षा जो शिक्षा की जड़ है, वह बच्चे जो हमारे भविष्य होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, देश का भविष्य जिनके कंधों पर खड़ा होता है, उन बच्चों के साथ मजाक है। उन गॉवों के लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार है। यह गरीबों का मजाक है कि उनके बच्चों के लिये पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है। पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। एक–एक शिक्षक है और वहीं दूसरी ओर मा0 मुख्य मंत्री जी को इस पर बड़े पैमाने पर प्राथमिकता के आधार पर और शिक्षक भर्तियां करके पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिये। जब तक पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, हम एक शिक्षक, दो शिक्षक के बलबूते पर पांच–पांच कक्षाओं के बच्चों को ठीक से पठन–पाठन नहीं करा सकते। हम शहरों में देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग–अलग टीचर है। नर्सरी, केजी, प्राईमरी में चले जाईये, पांच कक्षाएं दस टीचर। यहां तक की अलग–अलग विषय के अलग–अलग टीचर और जो हमारे विद्यालय हैं, सरकार के विद्यालय हैं वहां पांच कक्षाएं एक टीचर। इस सन्दर्भ में हम एक की ओर ध्यान खींचना चाहेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ अनुदेशक तैनात किये गये हैं जो शिक्षण का कार्य करते हैं और यह अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम–9 के तहत भारत सरकार के सप्लीमेन्ट्री प्लान के अन्तर्गत 2010–11 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 3371/79–5–2013/5/2010 के द्वारा 13,796 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,307 अनुदेशक के सापेक्ष 38000 पदों पर अनुदेशकों की नियुक्ति हुयी है और उनको उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से 7000 रुपये मिलते हैं जबकि केरल सरकार देती है 18,150 रुपये, गोवा सरकार देती है 15,000 रुपये, बिहार सरकार देती है 11000 रुपये और यू0पी0 सरकार देती है 7000 रुपये। तो हमें तो लगता है कि बिहार, गोवा और केरल में किसी से पीछे नहीं उत्तर प्रदेश। इन 38000 अनुदेशक शिक्षकों को भी यदि शिक्षकों का वेतन न दिया जा सके तो कम से कम उनको पर्याप्त मानदेय दिया जाना चाहिये। जब केरल जैसा छोटा सा राज्य उनको 18000 रूपये दे सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 20000–25000 रुपये उन अनुदेशकों के लिये सुनिश्चित करके इस बिगड़ी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के लिये थोड़ी पहल कर सकती है यद्यपि इससे उसकी भरपाई नहीं होगी। इसके लिये तो एक समयबद्ध योजना के तहत बड़े पैमाने पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों की भर्ती कर उस ग्रामीण

शिक्षण संस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब है ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा का मतलब है गांव गरीब किसान के बच्चों का पढ़ना। तो ऐसे हालात में सरकार को उनके लिये भी सजग होना चाहिये, सावधान होना चाहिये और इसके लिये भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस संकट से उबरने का कोई संकल्प दर्शाया नहीं गया है। मान्यवर, इसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालय के बारे में हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करायेंगे कि अभी जो परिषदीय विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय में सरकारी मानक के अनुसार 03 कक्षाएं होती हैं। क्लास–5, कक्षाएं–3 और अध्यापक कहीं–कहीं एकल, कहीं–कहीं 02, जबकि वित्तविहीन जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका जो मानक तय किया गया है, जिनको सरकार मान्यता देती है। यही कक्ष हमारी सरकार के, यही कक्ष वित्तविहीन विद्यालयों के, हम 03 कक्ष में विद्यालय बनाते हैं, उन्हें सरकारी स्कूल कहते हैं और वित्तविहीन में 05 कक्षाओं के लिए 07 कक्ष होने चाहिए, 07 अध्यापक होने चाहिए, अग्निशमन यन्त्र होना चाहिए, भूकम्परोधी भी होना चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भी होना चाहिए। मान्यवर, एक तो यह कि हम सरकारी स्कूलों से ज्यादा व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद शुल्क प्रतिपूर्ति, त्रिभाषा और छात्रवृत्ति जो पहले इन विद्यालयों को मिलती थी, आपकी सरकार ने इसको रोका, इसका परीक्षण करा लेंगे कि किन परिस्थितियों में रोका गया था और पुनः चालू करेंगे ? मान्यवर, इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने इस अभिभाषण पुस्तिका के माध्यम से पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त रहने का भी ढोल पीटा है और मान्यवर, जनमानस में सुरक्षा की भावना रहे, अपराध नियन्त्रण में रहे, कानून–व्यवस्था मुस्तैद रहे, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तो सब कहा लेकिन व्यावहारिक सत्य क्या है ? आज जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में, सभी समाज में असुरक्षा की भावना है, उससे आपके अभिभाषण की सुरक्षा भावना पर कहीं न कहीं उंगली उठती है। अभी ताजा रिपोर्ट हो सकता है, सरकार के पास न हो, होगी भी तो बतायेगी नहीं। पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद बताया था, पूछा गया था कि अब तक पुलिस पर कितने हमले हुए हैं? तो उस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया था कि 642 हमले हुए हैं। मान्यवर, उन हमलों की गति और बढ़ती जा रही है, हर हफ्ते, पन्द्रह दिन में कहीं न कहीं, कोई पुलिस का दरोगा, पुलिसकर्मी अराजक तत्वों का शिकार होता है, कहीं खनन माफियाओं द्वारा कुचला जाता है, कहीं पशु तस्करों द्वारा दरोगा को गोली मारी जाती है और कहीं पर अराजक तत्वों द्वारा सीधे मुठभेड़ होती है और इस तरीके से मान्यवर, आज तक लगभग साढ़े तीन सौ पुलिस कर्मी, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, गुण्डे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों और खनन माफियाओं की गोली का शिकार बने हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जो कानून के रखवाले हैं वह जब अपने आपको महफूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश को क्या सुरक्षा देंगे। और हालात बद से बदतर हैं। आज जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं। प्रभावी कार्रवाई करने से सरकार कहीं न कहीं बचती है।

कानून–व्यवस्था को दुरुस्त करने का कहीं भी राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई कठोर संकल्प नहीं है। चलता फिरता शब्द रखकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जो साजिश है इससे सरकार को बचना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी, आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पुलिस मारे–पीटे जाते हैं, थाने जलाये जाते हैं यह भी चिंता का विषय है। यह भी चिंता का विषय है कि थानों पर कभी–कभी महिलायें भी दुराचार की शिकार बन जाती हैं और जब कानून के रखवाले भक्षक बन जायेंगे तो कहीं न कहीं आपकी कानून–व्यवस्था पर सवाल उठेगा। केवल राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से यह कह देना कि कानून–व्यवस्था ठीक है। हम सबको सुरक्षित रखेंगे, अपराध नियंत्रित रखेंगे, कानून व्यवस्था ठीक रखेगें यह कहने से काम नहीं चलेगा। बल्कि इसको प्रभावी ढंग से कानून–व्यवस्था ठीक रखने के लिए, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए और सबको सुरक्षा मिल सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता जी, आपको डेढ़ घण्टा हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, दो ऐसे मौके होते हैं। मैं सरकार के खौफ की बात कर रहा हूं, दो ऐसे मौके होते हैं जब यहां राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है और बजट भाषण पर चर्चा होती है तो दर्शक दीर्घा में आपके सभी विभागीय अधिकारी रहते हैं। यह मुख्य मंत्री को वह अधिकारी समझते क्या हैं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही हो, मुख्य मंत्री सदन में हों और एक भी अधिकारी यहां पर न बैठा हो। सारे के सारे अधिकारी नदारद हों। एक–दो अधिकारी की बात नहीं है, आपके सभी विभागीय प्रमुख को होना चाहिए था।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी कठोर हैं, क्रूर नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर कठोर होते तो मुझे शायद इस ओर इंगित नहीं करना पड़ता। और मा0 मुख्य मंत्री जी यह केवल मुस्कुरा देने से बात बनने वाली नही है। मैंने इसको इसलिए कहा कि इसको आप खुद गम्भीरता से लें। अभी कल आप बजट भी प्रस्तुत करेंगे उसके बाद भी चर्चा होगी। उस चर्चा में यह नौबत न आये इसलिए मैं आपके इस लुंजपुंज शासन–प्रशासन को दूरुस्त करने के लिए आपको आगाह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट पर भी चर्चा होगी मौर्या जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी मान्यवार, चूंकि बजट पर भी चर्चा होनी है, इसलिए कानून–व्यवस्था को मैं विस्तार से नहीं ले रहा हूं, बड़े संक्षेप में उस पर प्रकाश डाल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो नियम–56 में आपका है, आज ही तो है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इतनी बिगड़ी व्यवस्था है कि पूरा का पूरा सत्र चलता रहेगा, लेकिन समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज साम्प्रदायिक सद्भाव हो, अच्छी बात है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सब हैं आपस में भाई–भाई की बात बढ़े, वसुधैव कुटुम्बकम हमारी विचार–धारा भी थी। मानव–मानव कल्याण, मानव–मानव एक समान की विचारधारा, विश्व धर्म गुरू नायक महामानव गौतम बुद्ध की थी। मान्यवर, आप भी बुद्ध की धरती से आते हैं, उनके सम्मान में आपने अपने यहां एक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हां, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं, आपने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, यह उनकी विचार–धारा थी कि इंसान–इंसान एक हैं और मान्यवर, हमारे अमर वीर सपूतों ने भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते वक्त, जाति–पांत, धर्म सबसे ऊपर उठकर के आजादी के लिए सबने अपने को कुर्बान किया, अगर सरदार भगत सिंह फांसी के तख्ते को चूमे, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते को चूमे, तो असफाक उल्ला खां भी फांसी के तख्ते को चूमे। मान्यवर, अगर एक ओर गांधी चले, तो दूसरी ओर सुभाष चन्द्र बोस भी चले। मान्यवर जाति–पांत, धर्म, कर्म के नाम पर कभी भेद–भाव नहीं हुआ और मान्यवर, इसी भावना को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प लेकर के भारतीय संविधान बनाया, तो ऐसी कौन सी साम्प्रदायिक ताकते हैं, जो प्रदेश में अमन–चैन पर खतरा बन कर के मण्डराती रहती हैं, समय–समय पर जो हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक सौहार्द तोड़ कर के, हिन्दू–मुस्लिम दंगे, फसाद के बिना पर राजनीति करने का घिनौना काम करते हैं।

डा0 संग्राम यादव–

आपके बगल में हैं, जिनके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हमने तो सरकार आपके साथ भी बनाई थी, हमने तो सरकार इनके साथ भी बनाई थी, हमने तो एक बार कांग्रेस वालों से भी हाथ मिलाया था, हमने तो बारी–बारी

से सबसे हाथ मिलाया, लेकिन जब देखा कि कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरा, तो सबको बाहर कर के अपने बल–बूते पर बना लिया। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का यहां पर काम किया जा रहा है, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, हम आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिली है, हो सकता है ये आरोप झूठा भी हो, लेकिन अगर आपकी सरकार है तो अयोध्या राम मंदिर में दो ट्रक पत्थर कैसे पहुंचे ? अगर मिलीभगत नहीं है तो दो ट्रक पत्थर कैसे पहुंचा ? जबकि पूरा का पूरा मामला बाबरी मस्जिद–राम मंदिर विवाद आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है। ऐसी हालात में जहां एक ईंट भी नहीं जानी चाहिए थी, दो ट्रक पत्थर पहुंच गए। क्या इसमें सरकार की मौन सहमति नहीं थी ? अगर सरकार अपने पर आ जाए तो उसमें एक ईंच बालू, सीमेंट और सरिया नहीं जा सकता है। तो ऐसी हालात में दो ट्रक पत्थर पहुंचना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होना कहीं न कहीं सरकार को कठघरे में खड़ा करती है। मान्यवर, यह बातें बहुत छोटी नहीं है। लोग इसमें आपसे सवाल करेंगे। आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले मैं फिर आपको सावधान करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से यहां पर बड़े पैमाने पर दंगों की बाढ़ आई थी, आज फिर विधान सभा चुनाव को देखते हुए होली के बाद फिर सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठायेगी। अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो उनका भी इलाज करने की जिम्मेदारी आप पर है। आप सरकार के मुखिया है। अगर कोई भी हो, सामने हो, बाएं हों, दाएं हो, कोई भी अगर यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों के लिए कानून बना है। सरकार को उस कानून का इस्तेमाल करके जेल की सलाखों में ठोक देने का काम करना चाहिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों को समय से पहले कुचल देना चाहिए। अगर इन सांप्रदायिक शक्तियों का सिर नहीं कुचला गया तो इस सांप्रदायिकता का जो जहर होगा, सांप्रदायिकता की जो आग होगी, इससे पूरा प्रदेश जलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से आज यह सांप्रदायिक शक्तियों ने उत्तर प्रदेश में भाईचारा, सौहार्द बिगाड़ने के लिए तरह–तरह की तिकड़में करनी शुरू कर दी हैं। नौएडा बीफ का बहाना लेकर अखलाक की हत्या इसकी एक पहल थी। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता जी ने एक दिन अपनी उद्घोषणा में कहा था, अखलाक के हत्यारे कौन थे और मोदी कहें तो हम नाम बता देंगे। अगर वह मोदी जी को नाम बता सकते हैं तो मुख्य मंत्री जी को क्यों नहीं बता सकते हैं और अगर मुख्य मंत्री जी को बता दिया गया होता तो अभी तक सारे के सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए होते। आखिर उत्तर प्रदेश को मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी चला रहे हैं न कि नरेन्द्र मोदी जी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री अगर अखिलेश यादव जी हैं तो कानून की जिम्मेदारी भी आप पर है, प्रदेश सरकार पर है। प्रदेश सरकार इस पर कड़ाई से अगर पेश नहीं आएगी तो लोक सभा के पहले तो बहुत उत्तर प्रदेश जला, अब फिर से जलने की बारी आ रही है। मैंने तो केवल इसलिए इंगित किया कि सावधान कर रहा हूं। यह खून के प्यासे भेड़िए,

सांप्रदायिक ताकतें मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। आप इनको मौका दीजिएगा तो यह इंसानियत को निगल जाएंगे, यह भाईचारे को निगल जाएंगे, यह सांप्रदायिक सौहार्द को तार–तार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा। आज उसका परीक्षण हुआ, वह बीफ का मांस भी नहीं था, सामान्य मांस था और सामान्य मांस को गाय का मांस कह करके जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के नौजवान की हत्या हुई। फौजी का बेटा मारा गया जिसका बाप हमारी सरहदों पर अपनी जान देने के लिए, देश की सुरक्षा में अपने को न्यौछावर कर दे रहा है, उसके बेटे का कत्ल इस बिनाह पर हो रहा है कि वह मुसलमान का लड़का है और ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों का उस समय खून पानी क्यों बन गया था जब मा0 उच्चतम न्यायालय के एक निवर्तमान जज ने यह कहा था कि मैं गो मांस खाता हूं लेकिन उस पर हमला करने के लिये वहां पर कोई अराजक तत्व नहीं गया। मा0 अध्यक्ष महादेय जी, कहने सुनने में ये बातें बहुत छोटी लगती हैं लेकिन ये बातें बहुत गम्भीर हैं। अगर हम इन पर तवज्जो नहीं देंगे, गम्भीरता से नहीं लेंगे तो प्रदेश जल जाएगा। इंसानियत शर्मसार होगी और भाईचारा तहस–नहस होगा। कानून–व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसको चुस्त–दुरुस्त करे लेकिन इन अपेक्षाओं हेतु श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की अपनी कोई ठोस कार्य योजना और संकल्प नहीं दिखाई दिया इसलिए इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी। मौर्य जी, अब आप खन्ना जी को भी सुनिए, आपने खूब सुनाया है।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं। मैं उन पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, यह राज्यपाल का अभिभाषण एक–दो बातों को छोड़कर ख ग ग ग , है।

श्री अध्यक्ष–

ख ग ग ग , शब्द असंसदीय शब्द होता है। इसको निकाल दिया जाए।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह महा असत्य है। इसमें तमाम फर्जी बातें दी गई हैं। मेरे सामने इस सरकार की तरफ से तीन–चार बातें बराबर कही जाती हैं। एक यह कही जाती है कि ये पारदर्शी सरकार देंगे, स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देंगे। किसानों की सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए कार्य करती है और किसानों के हित में काम करेगी। इसकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा। हम तीन–चार बातें आपके घोषणा–पत्र की आपके सामने पढ़े दे रहे हैं। आपकी अनुमति हो तो दो–दो लाइन पढ़ दें। यह आपका चुनाव घोषणा पत्र है, इसके पेज नं0–7 पर है कि लागत मूल्य का 50 प्रतिशत उसमें जोड़कर जो राशि आएगी, वह विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। दूसरी बात, बिजली के सम्बन्ध में दी गई थी कि निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी और आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों के लिए 22 घण्टे बिजली दी जाएगी। तीसरी बात कही गई थी कि भूमि अधिग्रहण के लिए कि अधिग्रहण का मूल्य सर्किल रेट से 6 गुना होगा। अगर उस क्षेत्र में उद्योग निर्माण होना है तो किसान परिवार के एक युवक को नौकरी और परिवार के बुजुर्ग दम्पति को आजीवन पेंशन का इंतजाम होगा। यह चुनाव घोषणा–पत्र आपका है और यह अभिभाषण भी आपकी सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कितना बड़ा विरोधाभास है इस तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मान्यवर, इस वर्ष को किसान वर्ष मनाने की इस सरकार ने घोषणा की। यह किसान वर्ष है मान्यवर, और किसान वर्ष में गन्ने का मूल्य जो गन्ना परिषद् इस सरकार का है उसके डायरेक्टर ने कहा बाकायदा सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया कि एक क्विंटल गन्ने की लागत मूल्य 254 रुपये क्विंटल आती है। मान्यवर, 254 रुपये क्विंटल आती है तो उस पर 50 प्रतिशत यदि मुनाफा लगा लिया जाए, जैसाकि इनके चुनाव घोषणा–पत्र में कहा गया तो उसको जोड़कर कितना मूल्य बनता है और दिया इन्होंने 280 रुपये प्रति क्विंटल। मान्यवर, करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है, इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरी बात गन्ने का मूल्य बकाया है हम समय–समय पर कहते आए और बात करते आए आज भी गन्ने का मूल्य बकाया है पिछले सत्र का गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया लेकिन हम किसान वर्ष मना रहे हैं। मान्यवर, धान में किसान लुटा था। धान का मूल्य 1410 रूपये क्विंटल था लेकिन बिचौलियों को फायदा हुआ। काश्तकार को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिला। पूरे प्रदेश का किसान रोया। सरकारी खरीद केवल कागजों पर हुई, बिचौलियों के माध्यम से, किसान को उसका मूल्य नहीं मिला। यह किसान वर्ष किसान मना रहा है। मान्यवर, दूसरी बात बिजली की है। आपने चुनाव घोषणा–पत्र में 20 और 22 घण्टे का सब्जबाग दिखाया था। आज जो असलियत है वह इधर के लोग और हम सब लोग जानते हैं कि कितने घंटे बिजली मिल रही है। मान्यवर, बिजली का 55 प्रतिशत दाम वर्ष 2012 से

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

लगातार चार बार बढ़ाया गया और उसके बाद भी बिजली की आपूर्ति घटी है, केवल मूल्य बढ़ा है। मान्यवर, बस एक बात जो मैंने शुरू में कही थी कि पेज–54 में एक बात दी गई है, कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015–16 में एक लाख गांवों और मजरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है और उसी के माध्यम से यह पूरा काम हो रहा है। वर्ष 2015–16 में 1 लाख गांवों और मजरों का विद्युतीकरण कार्य लक्षित है। यह केन्द्र सरकार की योजना है उसी के माध्यम से यह काम हो रहा है। दूसरी बात आपने कही कि वर्ष 2019–20 में पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 22 और 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया। वर्ष 2019–20 में तो मान्यवर, ये इधर बैठे होंगे। जब यह सत्ता में थे तो 2014 की बात करते थे, वर्ष 2012 में चुनाव होना था अब वह जो उधर बैठे हुए हैं, वह 2019–2020 की बात कर रहे हैं। चुनाव घोषणा–पत्र में कहा था कि दो साल के अंदर बिजली की स्थिति ठीक कर देंगे, 20–22 घंटे बिजली देंगे और आज राज्यपाल के अभिभाषण में ठीक उससे कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जो इसी सरकार का तैयार किया हुआ है। तीसरी बात मान्यवर, फूड सिक्योरिटी एक्ट के सम्बन्ध में है। हिन्दुस्तान के 18 राज्यों में खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू हो गया है, जो सबसे ज्यादा गरीबों को सहायता देने वाला, गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला एक्ट है और इस सरकार ने अब तक राशन कार्डों की व्यवस्था भी ठीक नहीं कर पायी है। मान्यवर, 24 जिले जो 1 जनवरी, से फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाये गए उनमें भी मान्यवर, व्यवस्था ठीक नहीं है और 01 मार्च से बाकी 51 जिलों में भी फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने वाला है। अभी जब राशन कार्ड ही ठीक नहीं हैं, उसका डाटा ही ठीक नहीं है, क्या उम्मीद करें कि उन गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा और खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। मान्यवर, पारदर्शी सरकार देने की बात कई बार सरकार ने कही है। आज भी 2014 के बाद से इंटरनेट पर क्राइम का रिकार्ड नहीं है। हमने सूचना के अधिकार से यह मंगा कि पिछले 6 महीने में कितने अपराध हुए। मान्यवर, बढ़े या घटे आपकी अनुमति हो तो मै पढ़ के सुना दूं, 01–07–2015 से 15–01–2016 तक के आंकड़े हैं, हत्या 2430 इसका ग्राफ पिछले साल से बढ़ा है, डकैती 131, बलात्कार 1451, चोरी 26918 इसका ग्राफ भी बढ़ा है, गृहभेदन 3111, दहेज मृत्यु 1218 यह भी ग्राफ बढ़ा है, लूट 1846, फिरौती हेतु अपहरण 32, अन्य अपहरण 5910, महिला उत्पीड़न 5550 और वाहन चोरी 16568 इनमें से 11878 पर फाइनल रिपोर्ट लग गई अर्थात इन वाहनों के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यह इस सरकार का सही मायने में रिपोर्ट कार्ड है। मान्यवर इसके बाद लखनऊ जो राजधानी है जिसके आधार पर यह बैठे हैं यहां पर इसकी क्या स्थिति है, लखनऊ मे इसी पीरियेड में हत्या 79, लूट 10, डकैती 7 और जो अन्य सुलझे मामले हैं वे लगभग 48 है और मान्यवर, लखनऊ जोन के ले तो 123 हैं। यह हम आइना दिखा रहे हैं इसको आप देखिये और इसमे सुधार की कोशिश करिये। मान्यवर, 3–4 घटनाओं की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो पूरे प्रदेश के लिए बहुत शर्म की हैं। मान्यवर, पिछले साल 9 मार्च को मेरे ही एक सवाल के जवाब में माननीय मुख्य मंत्री का जवाब आया था कि 622 स्थानों पर पुलिस पिटी है। अमरोहा में अभी जनवरी

के महीने में एक प्रदीप भारद्वाज ने इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि उनके साथ मारपीट हुई। मामला यह था कि एक मुलजिम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया था और उनके साथ मारपीट हुई। जब मारपीट हुई तो उस मुलजिम को लाकर थाने में बन्द कर दिया गया और रात भर बिजली नही रही उसके लिए हीटर जलाया गया मानवीय बात थी जहां तक क्षम्य है लेकिन मान्यवर 353 और 332 का मुलजिम जो रात भर थाने मे रखा गया ऊपर के अधिकारियों के हस्तक्षेप से उसको थाने से जमानत दे दी गयी। 353 और 332 नानबेलेबेल आफेन्स है पहले बेलेबेल था और उसको थाने से जमानत दे दी गयी। अमरोहा की 13 जनवरी 2016 की यह घटना है बिल्कुल ताजी ताजी घटना है। उसको जमानत दे सकते हैं बशर्ते उसकी जिन्दगी को अगर कोई खतरा हो यह मैं मानता हूं लेकिन जहां पर इस प्रकार से इतनी बड़ी वारदात हो चुकी हो और उसको केवल एक वैसा सर्टिफिकेट बनाकर मेडिकल ग्राउण्ड के ऊपर उसको जमानत दे दी गयी। मान्यवर कैसे कानून–व्यवस्था ठीक होगी, अगर कोई अपराध करता है अगर उसको तुरन्त उसी वक्त सजा नहीं मिलती तो उससे यह मैसेज जाता है कि सरकार की मंशा क्या है और अगर उसी वक्त उसको सजा मिल जाये देन इट डिफीट्स द जसटिस अगर तत्काल सजा मिल जाये तो यह मैसेज जाता है कि यह सरकार क्या चाहती है। मान्यवर, दूसरी घटना एक मनोज मिश्रा नाम के थानेदार लखीमपुर के रहने वाले 10 साल की नौकरी मे उनको 19 मैडिल मिले बहुत इमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थानेदार की श्रेणी में वे आते थे, फरीदपुर थाने में तैनात थे मान्यवर 09 सितम्बर की शाम को उनको एक मुठभेड़ मे भेज दिया गया गोकशी करने वाले तश्करों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उनकी हत्या कर दी गयी। 3 नाबालिग बच्चे हैं एक पत्नी है और कम से कम 40 दिन वह लोग धरने पर बैठे बाप भी धरने पर बैठे, पत्नी बच्चे सब धरने पर बैठे इस सरकार ने अपने आप एक प्रेसीडेन्ट दिया था, इस सरकार की ही एक परम्परा डाली हुई है जियाउल हक साहब की जब डेथ हुई थी जो सीओ थे प्रतापगढ़ में तो दो लोगों को नौकरी दी थी और 50 लाख रूपया दिया था। आखिरकार मनोज मिश्रा ने ऐसी कौन सी खता की थी जो उनके परिवार को यह सुविधा नहीं दी जा सकती। मैं सरकार के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिरकार मनोज मिश्रा नाम है उसका इसलिए उसको यह सुविधा नहीं मिल पाई या उसकी वजह माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि उसको यह सुविधा क्यों नहीं दी गयी। 40 दिन तक वह परिवार धरने पर बैठा रहा। तीसरी घटना 1090 का जिक्र इस सरकार ने बहुत किया, बहुत जिक्र किया। 27–1–2016 को सारिका नाम की एक बी0डी0एस0 की 21 वर्षीय छात्रा मान्यवर, उसके साथ छेड़खानी हुई उसको खीचा गया उसको पकड़ा गया उसने थाने में तहरीर दी थाना गुड़म्बा कल्याणपुर में। थाने में तहरीर देने के बाद मुकदमा उसका कायम नहीं हुआ जब उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो वह अपने में घुटती रही और 29 तारीख की शाम को उसने आत्महत्या कर ली। यह घटना कई सवाल खड़े करती है उसके बाद जिन हेड–कांस्टेबिल को उसने तहरीर दी थी वह सस्पेण्ड भी हो गये लेकिन उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती। उसके खिलाफ

कितनी भी कार्रवाई कर दें लेकिन वह वापस नहीं आ सकती। इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर में शामली में एक घटना हुई हर्ष फायरिंग में एक बच्चा मर गया अब इंस्पेक्टर को सस्पेण्ड कर दें, चाहे सीओ को हटा दें, एस0डी0एम0 को हटा दें लेकिन वह बच्चा वापस कैसे आयेगा वह तो चला गया, जो लोग सस्पेण्ड हुए हैं वह महीने भर बाद, दो महीने बाद तीन महीने बाद बहाल हो जायेंगे सारी स्थिति नार्मल हो जायेगी फिर कोई घटना होगी तो फिर इसी प्रकार का हो जायेगा। मेरा इन सवालों को उठाने का परपस सिर्फ इतना है कि आखिर वह कौन सा दिन आयेगा जिस दिन संदेश देने वाली कोई कार्रवाई होगी और जब तक संदेश देने वाली कोई कार्रवाई नहीं होती तब इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। लखनऊ के पड़ोस में बाराबंकी है बाराबंकी में एक थाना फतेहपुर का क्षेत्र है उसमें अभी 2–3–4 दिन पहले लगभग दो करोड़ पैंतीस लाख की डकैती पड़ी और घटनास्थल थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है लेकिन इन लोगों को सबक देने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है, अगर योजना हो तो सदन में सरकार बताये। 300 मीटर की दूरी पर कोतवाली है दिन के डेढ़ बजे लोग डेढ़ घन्टे तक पूरा जेवर और रुपया लूटकर ले गये लेकिन यह सरकार अपने रूटीन वे काम कर रही है इस सरकार के पास कोई मैसेज देने वाली कार्रवाई नहीं है जिससे अपराधियों का हौसला पस्त होता। एक साल की घटनाओं की तरफ मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 27 फरवरी को 3 हत्या हुई ए0टी0एम0 की लूट हुई और आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो पाया। यह हसनगंज थाने का मामला है। सरोजनीनगर क्षेत्र की 22 जून को एक कैश वैन में एक हत्या और लाखों रुपये की लूट हुई लेकिन उसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया, 21 नवम्बर, 2015 को एक सबा नाम के गार्ड की हत्या हुई 38 हजार रूपये की लूट चिनहट में हुई आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। 11–9–2015 व 27–9–2015 को जानकीपुरम में एक रेलकर्मी के घर लूट हुई लेकिन उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया, जानकीपुरम में ही एक महिला व 2 घरो में लूट हुई 20 अगस्त को एक बहुत बड़ी डकैती पड़ी लेकिन उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। ऐसी तमाम घटनायें हैं जो राजधानी के अन्दर हुई हैं लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाया। राजधानी के अन्दर 2248 चार्जशीट एक साल के अन्दर सीओ के यहां धूल चाट रही हैं अदालत नहीं पहुंची। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट की तमाम ऐसी रूलिंग हैं कि जिस स्तर पर अगर विवेचना के स्तर पर कहीं कोई कमीं है तो विवेचक को पनिश किया जाय और अगर गवाही नहीं पेश होती तो प्रासीक्यूटिंग आफिसर को चिन्हित किया जाय और अगर गवाही हो गई, तो उसके बाद जिस–जिस व्यक्ति का न्याय दिलाने में दोष हो और न्याय नहीं मिलता तो हर स्तर का उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिये। जिलाधिकारी के स्तर पर इस बात की स्क्रूटनी होनी चाहिये और हर स्तर पर यह देखा जाना चाहिये कि किस स्तर से कमी हुई। किसी क्षेत्र में प्राज्यूक्यूशन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा या मुल्जिम को सजा नहीं दिला पाया तो उस व्यक्ति को चिन्हित करके उनको सजा दिलाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है। कई बार डी0जी0 आफिस से जनपदों में यह सर्कुलर भी गये हैं।

एस0पी0 के स्तर पर क्राइम की मीटिंग जनपदों में नहीं होती है और न ही जिलाधिकारी इस बात की स्क्रूटनी करते हैं। आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जब इसकी मानीटरिंग होगी। बिहार में कानून–व्यवस्था अच्छी हुई क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्राज्यूक्यूशन के प्वाइंट व्यू पर देखा था। मान्यवर, मन दुखी बहुत होता है, इटावा में बैंक के 45 लाख लूटे जब तीन ए0टी0एम0 में रुपये डालने जा रहे थे, यह अभी फरवरी के पहले हफ्ते में तीन–चार तारीख की बात है। फरवरी के पहले हफ्ते में ही एटा के गंज डुंडवारा में 25 लाख रूपये की लूट हुई। एक ऐसी चेन है, एक सिक्वेन्स है पूरा। आखिकार कहां तक कहें, मान्यवर चार लाईने एक किताब में मैंने पढ़ी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सुना दें, यह बहुत अच्छी लगी। यह कानून–व्यवस्था के ऊपर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, शायद ध्यान आकृष्ट हो। मुनव्वर राना ने पिछले साल कहा था कि 'सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं, एक जगह हो तो कहें दर्द किधर होता है, लेकिन जब पूरा शरीर दर्द होता है, तो कहां कहें किससे जाकर कहें। कवि महोदय ने क्या कहा जरा सुन लीजिये कि :–

''मौत बरसती है सड़कों पर, हर पगडंडी कातिल है,
घर से पांव निकालूं तो फिर वापस आना मुश्किल है।
बच्चे हंसना भूल गये हैं हिंसा के दावानल में,
आदमखोरों का पहरा है, प्रजातंत्र के जंगल में।''

मान्यवर, यह लाइनें सरकार के लिए है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मुनव्वर राना की दो नज्में बड़ी तारीखी हैं। एक पारटीशन के मंजर को लेकर उन्होंने सफ़रनामा लिखा है हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के बंटवारे पर और एक यह नज्म जो आपने अभी सुनाई है, लेकिन इससे क्या संदेश जाता है, यही तो सोचने की बात है। सिर्फ नज्म पढ़ देने से किसी मसले का हल नहीं होता। उस नज्म को अपनी जिन्दगी बनाने से होगा। आप जैसे अच्छे लोग अगर सिर्फ नज्म पढ़कर रह जायेंगे और देश का प्रधानमंत्री किसी सुल्तान से भागकर जाकर मिलेगा और गुमान की बुनियाद पर किसी की जान ले लेंगे, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर, तो फिर इस नज्म के पढ़ने का क्या हासिल है, क्या फायदा। दोहरा किरदार न हो, दोहरा चेहरा न हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को एक नया विभाग और क्रिएट कर देना चाहिये भटकाऊ विभाग और घुमाऊ विभाग और उसका माननीय मंत्री बना दिया जाये आजम खां साहब को। अगर इन्हें भटकाऊ और घुमाऊ विभाग का मंत्री बनाये तो हिन्दुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज इनको मिल सकता है, क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए किसी सीमा तक जाना पड़े, किसी स्तर तक जाना पड़े, यह तैयार हैं उसके लिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

खैर मान्यवर, बहुत दुख का विषय है। मैं तो यह समझ रहा था कि शायद खन्ना साहब को इससे कुछ सीख मिलेगी, लेकिन यह याद रहे आपको कि हिटलर ने बहुत बेदर्दी से यहूदियों को मारा था और उस वक्त हिटलर को बुरा कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन इतिहास आज भी हिटलर के नाम पर लानत भेजता है। जब बेगुनाहों की जानों के साथ खिलवाड़ होगा, जब बेजुबान लोग मारे जायेंगे, तो हम जैसों को चाहें आप कुछ भी कहें, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर का जमीर आपको जरूर मलामत करता होगा कि आप गलत थे, आप गलत हैं और अगर आप इस रास्ते पर रहेंगे तो आईन्दा भी गलत ही होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जहां तक मैं सोचता हूं कि जो जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं, यह जिम्मेदारी उनकी है कि इस प्रकार के कसीदे उनकी सरकार के खिलाफ न पढ़े जायें। यह इनकी जिम्मेदारी है। श्रवण कुमार की हत्या हुई परसों, अगर परसों रात में उनके परिवारवालों को और वकालतखाने के लोगों को बुलाकर यह कह दिया जाता कि हम चौबीस घण्टे के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे तो कल जो लखनऊ में वकीलों का तांडव हुआ, वह शायद नहीं होता। 'डिले डिफीट द जस्टिस' अगर तुरन्त न्याय नहीं मिलता, अगर तुरन्त अपराधों पर कार्यवाही नहीं होती तो इस प्रकार की घटनायें होंगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इससे सरकार बच नहीं सकती। किसी भी हालत में सरकार बच नहीं सकती।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से इस चीज को कार्यवाही का हिस्सा इसलिये न बनने दीजिये कि आप अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लीगल सिस्टम में यकीन ही नहीं रखते ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

रखते हैं। हमारा उद्देश्य कहने का यह है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हो सकता है आपकी बात सही हो। सदन चल रहा है। हो सकता है सिर्फ आपकी ही बात सही हो लेकिन कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं होगा। आपने सदन में यह बात रखी होती न कि वहां तांडव कराते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैंने तांडव नहीं कराया, यह गलत है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैंने तो उदाहरण दिया कि अगर अपराध को तुरन्त रोकने के लिये कोई न कोई संदेश देने वाली कार्रवाई हो, मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो मान्यवर, यह स्थिति न आती।

मान्यवर, कल भी यह बात आई थी, परसों भी यह बात आई थी ।

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा)–

जो पंक्तियां आपने कहीं वह बात गुजरात के पशेमंजर में कही गयी थी, इसलिये इसको आप मत बोलिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या, कृपया शांत रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये। मान्यवर, हम 3–4 बातें और कहना चाहते हैं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के संबंध में हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, अब पता चला कि सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। यह बेसिक शिक्षा को सुधारने का एक अच्छा मौका था। हाईकोर्ट ने इस मंशा से आर्डर किया था कि अगर कोई अच्छे लोग अपने बच्चों का एडमीशन वहॉ पर करायेंगे तो कम से कम शिक्षा का स्तर सुधर जायेगा। लेकिन उसको मानने के बजाय, उसका रास्ता निकालने के बजाय सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारे और कम से कम हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, उसका पालन करें। मैं मान्यवर, पहले भी कह चुका हूं कि स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि पी0जी0आई0 में अगर किसी मरीज का हम दाखिला करायें तो वह दो दिन इमरजेंसी में रखकर मरीज को वापस कर देते हैं। मान्यवर, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की बहुत बड़ी कमी है और प्रदेश में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से अगर अस्पतालों में बेड्स बढ़ा दिये जायें तो मरीजों को सहूलियत होगी। पी0जी0आई0 जिस समय बनने की बात हुयी थी, उस समय इसमें 1700 बेड्स की बात हुयी थी लेकिन आज भी वहॉ 1000 से ज्यादा बेड्स फंक्शन नहीं कर पाये। वहां के जो डाक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं वह इस बात की तो चिंता करते हैं कि उनकी सुविधायें बढ़ा दी जायें उनको विदेश दौरों पर भेज दिया जाय लेकिन इस बात की चिंता नहीं करते कि आखिरकार पी0जी0आई0 के बेड्स कैसे बढ़े । तो हम माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहते हैं कि वह इस दिशा में जरूर सोचें और अगर वह बेड्स को बढ़ायेंगे तो पूरे प्रदेश को इससे फायदा मिलेगा। मान्यवर, आचार संहिता अभी आई लेकिन आज तक हम पट्टों के ऊपर कब्जा तक नहीं दिला पाये, जमीन की नाप के संबंध में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं दे पाये जो साधारण से साधारण आदमी ठीक से अपनी जमीन की नाप करा ले। हम लोग इस पीड़ा से रोज गुजरते हैं, हमने ज्याग्राफिकल सिस्टम अगर बनाया होता तो शायद इस स्थिति को मिनिमाइज किया जा सकता था। लेकिन आज तक हमने जमीन का जी0आई0एस0 नहीं बनाया, मेड़बन्दी के लिये लोगों को राजस्व न्यायालय जाना पड़ता है वहॉ साल–साल डेढ़–डेढ़ साल लगता है। अगर कलेक्टर से आदेश भी करा लें तो कम से कम 6–6 महीने जमीन की नाप कराने में लग जाते हैं। आखिरकार आप राजस्व संहिता लागू कराने जा रहे हैं तो इस

दिशा के ऊपर क्यों नहीं सोचा कि कम से कम जो सबसे बड़ी समस्या है, जमीनों के ऊपर कब्जे और नाप, यह मान्यवर, राजस्व की सबसे बड़ी विडम्बना है, इस पर आज तक कोई समाधान नहीं आ पाया। सरकार के जो अधिकारी बात करने के लिये आये थे, हमने उनसे भी इस बात को कहा था। मान्यवर, खनन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर रोक लगना चाहिये। मान्यवर, बुन्देलखंड की स्थिति यह है मैं जनपद बांदा के मटौंध गांव के बनियाखोड़ मजरे की बात कर रहा हूं। मैं पूरा नाम लेकर आपको बता रहा हूं वहां के लोगों ने कहा कि आप नल में हमें पानी नहीं दे सकते तो आप तालाब में पानी भरवा दो। हम और जानवर एक साथ पानी पी लेंगे। मैंने इस बात को कहा और इस बात को मुख्य सचिव को लिखकर भी दिया लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, वहां जानवरों के चारे की स्थिति बहुत खराब है जो तिल्ली का झांकर आता है, वह जानवर खाते हैं जिससे मान्यवर, दूध भी विषैला हो रहा है। बहुत, बहुत, बहुत खराब स्थिति है बुन्देलखण्ड की। समय कम है अन्यथा मेरे पास सूची है कम से कम 22 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मान्यवर, जो नलकूप की योजना है कि सिंचाई विभाग की, उसमें सरकार सब्सिडी भी देती है उसके ऊर्जीकरण के लिए दो–दो साल से लोग एप्लीकेशन देते हैं, दो सौ रुपए जमा करते हैं और सरकारी हिसाब से 11–12 हजार रुपए पड़ना चाहिए लेकिन किसी भी नलकूप का ऊर्जीकरण 11–12 हजार रुपए में नहीं हो रहा है इसके लिए 30–35 हजार रुपए पड़ते हैं। हम विशेष रूप से इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भूगर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा है उसके लिए शार्ट टर्म प्लानिंग और लॉग टर्म प्लानिंग दोनों जरूरी हैं, आज से लगभग 5 या 10 साल बाद हो सकता है कि यह समस्या और भी गम्भीर हो जाए इसलिए तुरन्त एक व्यावहारिक कार्य योजना बननी चाहिए जो शार्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी हो और लॉग टर्म प्लानिंग के लिए भी हो, यह बहुत जरूरी है। मैं अन्तिम बात कह करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मान्यवर, अभी आजम साहब ने कहा और परसों भी एक बात आई थी, यह विषय यहां से सम्बन्धित नहीं है और बार–बार इस विधान सभा में उठाना ठीक नहीं है। होना तो यह चाहिए कि अगर आजम साहब के पास इस बात का कोई सुबूत हो तो प्रधानमंत्री और दाउद को लेकर टिप्पणी करनी चाहिए अन्यथा उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गये हैं उसी के साथ मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और उन संशोधनों को जोड़ते हुए उन पर बल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, चार साल पहले सरकार आई थी मा0 युवा मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, कुछ करने की काफी कसक रही और बहुत कुछ करने

की काफी कोशिश भी की। मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने जो भी कहा वह हकीकत से बहुत परे है अगर आप मैदानी हकीकत देखें तो मुख्य मंत्री जी की कही हुई बात को कितना अमलीजामा नीचे पहनाया जा रहा है यह देखने की बात है, जनता तक इनकी कही हुई बात पहुंच रही है या नहीं यह देखने की बात है, जो यह घोषणा करते हैं अधिकारी उन घोषणाओं का अनुपालन करते हैं या नहीं यह देखने की बात है, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनके लिए बजट है या नहीं है यह देखने की बात है। आज बात यह है कि एक सपना देखा गया था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मा0 आजम खां जैसे काबिल मंत्री आपके बगल में बैठे हैं, आपके चाचा शिवपाल जी यहां नहीं हैं मगर मैं उनकी बात भी कह रहा हूं, राम गोविन्द चौधरी जी यहॉ बैठे हुए हैं, बहुत काबिल मंत्री हैं आपके यहां और बहुत से वैसे भी मंत्री हैं पर स्थिति क्या है।

(सत्ता पक्ष से श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा एवं अन्य मंत्रियों के बोलने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मैंने किसी की कोई बुराई तो की नहीं। आप तो अभी मंत्री बनी हैं आपने तो अभी चाय भी नहीं पिलाई है। बात यह है कि यदि मुख्य मंत्री जी पहले दिन से सतर्क रहते जैसे कि अभी कानून–व्यवस्था की बात हुई, तो आप मानिये कि जो कुछ आपने कहा है वह शत–प्रतिशत सच होता। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज अलग बात है, अनुपालन अलग बात है और कहना अलग बात है। आज स्थिति क्या है मैं दूर क्यों जाऊं अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने परसों अपने पी0एस0 से कहा, एक सामूहिक बलात्कार इलाहाबाद में होता है, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहता हूं और ये बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरीके से ऑफीसर इंचार्ज श्री मुत्थू स्वामी से कहते हैं कि भाई डी0जी0पी0 से कहिये कि तत्काल मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाए परन्तु डी0जी0पी0 तक बात ही नहीं पहुंचती। जो सफर्रस हैं मैं उनसे कहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिये हैं कि मुल्जिम गिरफ्तार होंगे सामूहिक बलात्कार का मामला है परन्तु डी0जी0पी0 को कुछ नहीं पता। माननीय मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं, योग्य हैं चाहते हैं कुछ करें परन्तु डिफरेण्ट पॉवर सेंटर्स होने के कारण मुख्य मंत्री जी खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को सब कहते हैं मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप बहुत काबिल हैं लेकिन खुलकर बैटिंग कोई करने तो दे आपको। स्थिति यह है मा0 मुख्य मंत्री जी, आपकी इच्छा बहुत है, आप बहुत संवेदनशील हैं तत्काल रियेक्ट करते हैं पर उसका अनुपालन भी होना चाहिए। आज हालात कानून–व्यवस्था की बद से बदतर है। मैं बहुत दूर नहीं जाता, अपने मथुरा जनपद की बात करता हूं खुली लूट है, एस0एस0पी0 खुले पैसे लेने को तैयार है, दरोगा खुले आम पैसे लेते हैं। आप डॉयल 100 को प्रचारित करते हैं एक दिन रात को मेरे पास एक फोन आता है कि भैय्या हमें बदमाशों ने लूट लिया है, हमने 100 नं0 पर फोन किया, पुलिस आयी उल्टा हमें पकड़कर ले गयी। सुबह मैं मथुरा कोतवाली में कोतवाल को फोन करता हूं वह बोले कि वह तो बहुत बदमाश लड़का है

जिसने 100 नं0 पर फोन किया। मैंने कहा कि बदमाश हो चाहे कैसा हो उस पर बाद में बात करना, वह लुट गया जबकि पानवाला था, बहुत गरीब था कोई लेना–देना नहीं था लेकिन उसे धारा–151 में बंद कर दिया जाता है। यह कानून–व्यवस्था है। 1090 की बात देख लीजिए, अभी आपके सचिवालय की एक लड़की की हत्या की बात सामने आती है। वह 1090 पर इत्तिला करती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, प्रचार–प्रसार बहुत होता है। आप किसी कलेक्टर को फोन लगाईये, सारी बढ़िया–बढ़िया बातें संगीत के रूप में सुनायी पड़ेगी लेकिन कलेक्टर भी फोन नहीं उठाता, एस0एस0पी0 भी फोन नहीं उठाता, अधिकारी भी फोन नहीं उठाते, पुलिस के कोतवाल, दरोगा भी फोन नहीं उठाते और हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोगों की हालत बहुत खराब है, हम लोगों की कौन सुने। पुराने जमाने में, पुरानी सरकारों में एस0एस0पी0 सभी दल के विधायकों को कानून–व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बुलाया करते थे। अब कोई एस0एस0पी0 सभी दलों के विधायकों को कानून–व्यवस्था पर चर्चा के लिए नहीं बुलाता है। चूंकि कानून–व्यवस्था के ऊपर चर्चा नियम–56 में बाद में होनी है तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह एडवाइस करूंगा कि अभी एक साल बाकी है, आप कानून–व्यवस्था सुधार लीजिए तब तो बल्ले–बल्ले हो जायेगी। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं परन्तु कानून–व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण बहुत जबरदस्त निगेटिव मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां ऊर्जा की बात है, ऊर्जा के मामले में बड़े–बड़े वायदे किये गये, जो यह 110 पेज का झूठ का पुलिन्दा हमारे पास है उसमें बहुत बखान किये गये, आपके ट्रांसमिशन लाइन्स की बात की गयी, ज्यादा पॉवर खरीदने की बात की गयी, 24 घण्टे बिजली सप्लाई की बात की गयी, किसानों को 10 से लेकर 12 व 16 घण्टे बिजली सप्लाई की बात कही गयी लेकिन आप गॉवों में जाकर देखिये 4 से 6 घण्टे भी बिजली नहीं आ रही है। उन शहरों में भी बिजली नहीं आ रही है जहां आप 18 घण्टे बिजली देने की बात कहते हैं। ताज ट्रिपेजियम जोन आगरा को बिजली नहीं मिलती, मथुरा को बिजली नहीं मिलती। टीटीजेड के अन्दर जो प्रतिबंध लगाया गया है वहां पोल्यूशन प्रतिबंधित है, जनरेटर नहीं चलने चाहिए उसके बावजूद भी जनरेटर चलते हैं चूंकि बिजली नहीं आती। आपके लिए आगरा एक सपना है वहीं 24 घण्टे बिजली सप्लाई दे दीजिए। पर मैं देखता हूं कि जहां सत्ता के केन्द्र हैं वहां चौबीसों घण्टे बिजली मिलती है और इस पक्ष को बिल्कुल पीड़ित रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल जी की इस बात को भी कहूँगा कि एक्जीक्यूशन की कमी है। मथुरा वृन्दावन कि लिये 360 करोड़ रुपये अण्डर ग्राउण्ड आफ इलेक्ट्रिकल्स वॉयर के लिए आये। पिछले तीन साल से मैं एम0डी0 दक्षिणांचल विद्युत निगम से चिल्ला रहा हूं, प्रमुख सचिव, ऊर्जा से भी कहा कि गलत काम हो रहा है वह सुनते ही नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मैंने लिखकर दे दिया लेकिन वह कागज पता नहीं कहॉ चला गया। तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का नजर आ रहा है। मैं ऊर्जा विभाग की बात कर रहा हूं, प्लानिंग अच्छे हो रहे हैं, डिस्कसन अच्छे हो रहे हैं, एम0ओ0यू0 साइन हो रहे हैं,

फॉरेन कण्ट्री के लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैदानी हकीकत भी तो देखिये। ऊर्जा के मामले में मैं सच्ची पीड़ा बता रहा हूं, आपको पल्स ऑफ दि पब्लिक बता रहा हूं। राज्यपाल के अभिभाषण की बात नहीं कर रहा, ग्रास रूट की बात बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप खड़े हुए हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए और कह रहे हैं कि मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इसी तरह आप बहुत अच्छा लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे बनवा रहे हैं, एक्सीलेंट। इसी तरह से आप अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में बनवा रहे हैं, सैफई में भी आपने बढ़िया स्टेडियम बनवा दिया परन्तु और जनपदों के जो स्टेडियम हैं उनमें गधे घास चर रहे हैं। आप स्पोर्टस को बढ़ावा देने की बात करते हैं, स्पोर्टस को बढ़ावा तब देंगे जब उत्तर प्रदेश के सारे स्टेडियम ठीक होंगे। आप अपने स्पोर्ट आफिसर्स से पूछ लीजिये, डायरेक्टर स्पोर्ट से पूछ लीजिये कि वह स्टेडियम्स जो जनपदीय हैं क्या हाल है। (किसी माननीय सदस्य के बोलने पर) आपका स्टेडियम तो बढ़िया होगा ही मैनपुरी तो वी0आई0पी0 डिस्ट्रिक्ट है। आप उत्तर प्रदेश के स्टेडियम्स का देखिये क्या हाल है। आप स्पोर्टस को बढ़ावा देते हैं स्पोर्ट के लिये वजीफे दे रहे हैं, स्पोर्ट के लिये लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर बेसिक स्पोर्ट कैसे उठ कर आयेगा। जब तक मैदान में जनपदों में जो जनपदीय स्टेडियम हैं वहां प्रौपर एमिनिटीज न हों, वहां प्रौपर अधिकारी न हों, कोचेज न हों और एक्चुअली बिल्ट तो प्रमोट स्पोर्ट न हो तो तब तक कैसे स्पोर्ट आगे बढ़ेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बढ़ावा नहीं दे रहे। आप अर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम बनवा रहे हैं सैफई में आप बढ़िया करवा रहे हैं लेकिन जब विजन उत्तर प्रदेश की देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग स्पोर्ट के लाना चाहते हैं। तो मान्यवर इसी तरह आप उद्योगों की बात कर रहे हैं निवेश की बात हो रही है, आप देखिये कितने आपने एम0ओ0यू0 साइन किये, कितनी आपने समिट करवाई। मुझे भी जाने का मौका मिला। आपने मुझे भी न्यौता दिया। बिल्कुल अच्छी बात है माहौल बने। पर स्थिति क्या है ? कितने निवेशक निवेश कर गये। कितनी इन्डस्ट्री लग गईं। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी थी। आपने बेरोजगारी भत्ता भी दिया था। करीब 4 सालों का नेट रिजल्ट क्या रहा कि नौजवान बेरोजगारों को कितना रोजगार इतने प्रयासों के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद मिला। आपको एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी लेनी होगी माननीय मुख्य मंत्री जी कि आपने जो कुछ किया उसका क्या रिजल्ट रहा। आप उन अधिकारियों से पूछिये जो सब्ज बाग दिखाते हैं, बातें करते हैं और हकीकत का बयां न करके आपको गुमराही के रास्ते पर ले जाते हैं। मान्यवर, इसी तरह से यदि आप इन्डस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 के इन्डस्ट्रियल एरियाज देखिये। जहां पर 98 परसेन्ट

इन्डस्ट्रियल एरियाज सिक पड़े हैं, रूग्ण पड़े हैं, कितनी इकाइयां चल रही हैं उनको ठीक करने की बात नहीं होती। वन टाइम सेटेलमेंट कराकर उन इन्टरप्राइसेज की बात नहीं होती और वह आत्म हत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कहते रहिये कोई काम नहीं होता। स्थिति क्या है कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात है पर वह फोकस नहीं है। उसे आपकी बातों को चेज करने वाला नहीं है। आपकी उन बातों को जो मुख्य मंत्री के आदेश हैं। उनका अनुपालन करने वाला नहीं है। हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आपके एक्शन को एप्रिसिएट कर रहे हैं पर उसे एक्सिलिरेट कैसे करें। कैटेलिस्ट की जरूरत है। जब तक कैटेलिस्ट प्रौपर नहीं लगायेंगे जैसे अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ग्रुप आफ मिनिस्टर बना दीजिये। ताकि आप जो कहें वह उसकी मॉनीटरिंग करें तब उन बातों का फायदा होने वाला है। नेट रिजल्ट देखिये कि इतनी चार साल की मेहनत के बाद क्या नतीजा निकलकर आया। पांचवां साल चल रहा है और यह इलेक्शन ईयर है। तो उसमें आपको देखना होगा राज्यपाल जी के अभिभाषण में सिर्फ कोरी–कोरी बातें हैं। यह झूठ का पुलिंदा है और एग्जीक्यूशन नहीं है मान्यवर, इसी तरह से आपने डेरी विकास की बात करी, दुग्ध विकास की बात करी। आपने डेरीज के लिये कामधेनु योजना बनाई बहुत अच्छी बात है, आपका इन्टेन्शन क्लीयर है लेकिन आपने उसकी वायबेलिटी देखी। आपके अधिकारियों ने जो डी0पी0आर0 तैयार करी बिल्कुल गलत तैयार करी। हमारे एक दो मित्रों ने डेरी खोल ली, बहुत खुश बहुत बढ़िया उद्घाटन हुआ बहुत जिन्दाबाद हुई आपकी, हमने भी करी। भई गाय पल रही है दूध आयेगा बढ़िया चकाचक होगा मामला। परन्तु वह सब फैल्योर हो रहा है क्योंकि वह वायबिल्टी नहीं निकल रही है। आप डी0पी0आर0 को उठवाकर देख लीजिये। मैं खुद जानता हूं डी0पी0आर0 कैसे बनती है मैंने पढ़ी उसको बोला वह बारह महीने गाय को दूध देता दिखा रहे हैं। और सारे के सारे जो आंकड़े उन्होंने दिये वह सारे गलत हैं। हमारे मथुरा को दूध की नगरी कहा जाता है वहां पर आपने दुग्ध विकास संघ ही बंद कर दिया। वहां पर डेरी देनी चाहिए थी आपको। वहां पर कुछ भी नहीं। कृष्ण जी की जन्मभूमि दुग्ध विकास संघ से वंचित। तो यह सब सोचने की बातें हैं। लोक निर्माण विभाग की बात करी आपने हमारे यहां भी घोषणा करी। तमाम लोगों के यहां घोषणा करी। 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी पेंडिंग हैं। हम सोच रहे थे अनुपूरक में आप पैसा लेकर आयेंगे। आने वाले बजट में लो0नि0वि0 टैन्टेटिव बजट 12 हजार करोड़ रुपये का है। हमें तो चिन्ता सड़कों की है, चाचा की चिन्ता नहीं है। हमें चिन्ता सड़कों की है कि जो सड़कों की आपने घोषणायें करी हैं वह सड़कें कैसे बनेगीं ? हम कैसे सिद्ध करें कि सड़कें मुख्य मंत्री जी ने दी हैं। हम आपके ही गीत गाते हैं कि आपने सड़कें दी हैं। सड़कें नहीं बनेंगी तो आपको तो जनता जो कुछ कहेगी वह कहेगी लेकिन हमको भी मारेगी। तो इसलिये आप बजट में ज्यादा प्राविधान करवाइये पी0डब्ल्यू0डी0 का। नगर विकास मंत्री बहुत काम्पीटेंट हैं, बहुत कर्रे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। जल निगम का पुरसा हाल है। आपके खौफ के कारण जल निगम के अधिकारी न आपसे हंस सकते हैं

न रो सकते हैं। (हंसी) हालात यह है मैं सच्ची बात कह रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, हालात यह है, कि जलनिगम के पिछले चार साल से जब सरकार बनी थी पिछली सरकार में हमने मेहनत की 26 करोड़ की टंकियां अपने क्षेत्र में बनवाईं। अधिकारी खा गए पैसा, लाइनें वहां पर हैं नहीं, जलनिगम के अधिकारी सुनते नहीं हैं कुछ भी कहते रहिए ठेकेदारों के कॉकस बने हुए हैं। पाइप लाइन इतनी घटिया है कि पूछिए मत, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं मैं इस सदन में ख ग ग ग , नहीं बोलता हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं और अध्यक्ष जी को सच मानकर कह रहा हूं तो स्थिति यह है कि या तो आप अपना चाबुक बहुत सख्त करिए या चाबुक ढीला करिए, बुलाकर उनको बताइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बड़े–बूढ़े कहते हैं कि ज्यादा गलत बयानी करोगे तो मुंह काला हो जाएगा। (हंसी)

श्री प्रदीप माथुर–

मुंह तो वैसे ही काला हो रहा है जब पानी जनता को नहीं मिल रहा है तो जनता हमें मारेगी माथुर साहब कैसी टंकियां बनवा दीं। मान्यवर, आज इस मामले में उम्मीद करता हूं कि माननीय राज्यपाल जी ने जो लिखा है उसको तथ्यात्मक रूप में आजम खां साहब जरूर करायेंगे। यह छोटे को बड़ा करके काम कर ही देते हैं, तो हमें उम्मीद है। मान्यवर, इसी तरह गन्ना किसानों को देखिए हमारे यहां एक छाता शुगर फैक्ट्री होती थी मुख्य मंत्री जी आपने मना कर दिया, आपने पिछले दो साल पहले कहा था कि हम बनवायेंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर अब आप कह रहे हैं डेरी लगा दो, तो आगे गन्ना किसानों का क्या होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा मंडल अलीगढ़ मंडल में दो ही शुगर फैक्ट्री थीं एक साता में एक छाता में, यू0पी0 के किसानों को अब हरियाणा जाकर गन्ना बेचना पड़ रहा है स्थिति इतनी खराब है कि किसान बर्बाद हो गए, आपने चार साल से किसानों के दाम नहीं बढ़ाये। 280 रुपये प्रति कुंटल पिछले चार सालों से चले आ रहे हैं परन्तु आपने तो किसान वर्ष घोषित किया हुआ है किसानों के मसीहा आप कहलाते हैं उसके बावजूद भी गन्ना किसानों पर रहम क्यों नहीं ? इसी तरह मिल मालिक बिल्कुल तबाही किए बैठे हैं। साढ़े सात हजार करोड़ बकाया हो चुका है उनका पेमेन्ट नहीं हो पा रहा है पर्यटन दिवस आप मना रहे हैं वैलेन्टाइन डे के दिन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लखनऊ में उस दिन गुब्बारे उड़ेंगे, मुझसे आपके किसी अधिकारी ने कहा कि आप भी उड़िएगा, मैंने कहा कि उस दिन तो मैं हूं ही नहीं, हम उस दिन अपनी कांस्टीटुयेन्सी में उड़ेंगे वेलेन्टाइन–डे के दिन, हम पर्यटन दिवस वहां मना लेंगे, पर स्थिति क्या है कि वृन्दावन में आपके अधिकारियों ने नो इन्ट्री कर दी है, आप रिलीजियस पर्यटन बढ़ाने की बात करते हैं वहां प्रतिबन्धित हो गया है। वहां गाड़ियां नहीं

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k dh vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

घुस सकती हैं। बुर्जुगों को आठ–आठ, दस–दस किलोमीटर चलना पड़ता है वहां पांच हजार टैम्पल हैं सिर्फ एक–दो टैम्पल में लोग जा पाते हैं। व्यापारियों का धन्धा बन्द हो गया है और होटल सब बन्द हो गए हैं और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले एक महीने से यह तांडव चल रहा है मैंने कल मुख्य सचिव साहब को भी कहा था, मैंने आज आपसे भी मिलने का टाइम मांगा था मुख्य मंत्री जी यह बहुत जरूरी मामला है पर्यटन को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में और रिलीजियस क्षेत्र जो हैं धार्मिक क्षेत्र जो हैं वहां पर नो इन्ट्री, तो इसको आप खुलवाइए। क्योंकि कथनी और करनी में यहीं अन्तर नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए। बीस मिनट हो गए हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी जहां तक सिंचाई का मामला है आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए 110 पन्ने की बुकलेट में, यदि आप देखें तो नहरों में पानी नहीं मिल रहा है नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की पटरियां नहीं बनाई जा रही हैं। कोई बजट नहीं है। पहले बजट में माननीय मंत्री जी ने घाटों के निर्माण की बात कही थी और उसमें एक भी पैसा आवंटित नहीं किया गया है। वैसे मैं खाली आपको ही ब्लेम नहीं करूंगा, यहां पर जो सत्तापक्ष के लोग बैठे हुए हैं केन्द्र सरकार के, इन्होंने तमाम योजनाओं में कटौती कर दी है। प्रदेश सरकार को जो पैसा मिलना चाहिए था मुझे मा0 आजम खां साहब ने बताया, कि जलनिगम के पैसे में भारी कटौती की गई है केन्द्र सरकार के द्वारा, इसीलिए नई टंकियां नहीं बन रही हैं आपने और मदों में कटौती कर दी है आप लोगों भा0ज0पा0 की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव करीब आ रहे हैं और कानून–व्यवस्था के मामले में जैसा प्रतिपक्ष ने कहा कि होली के बाद माहौल बिगाड़ने की साजिशें होंगी। इन्होंने (भा0ज0पा0) पूरी कोशिश करी नोएडा के बीफ कांड में, असहिष्णुता का मुद्दा पूरे देश और विदेश में फैल गया, आज स्थिति यह है कि आज हम आजम भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं इस तरह की बातें, इस तरह की गुमराही, इस तरह के सपने, प्रधानमंत्री जी को तो देश देखने का वक्त ही नहीं है। मुझे लगता है कि वह इस बार यू0एन0ओ0 से चुनाव लड़ेंगे। यू0एन0ओ0 से चुनाव लड़ेंगे। हमेशा नजर आते हैं वह अमेरिका में, कभी कहीं, कभी कहीं। आप लोग बड़ी–बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझाइये कि विदेश यात्रा बन्द करके देश के बारे में सोचें। हमनें बनारस में जाकर देखा कि प्रधानमंत्री के नाम पर एक भी काम नहीं हुआ और प्रधानमंत्री की कांस्टीटुएंसी की इतनी बुरी हालत है कि बी0जे0पी0 से कोई उम्मीदें नहीं हैं। इन्होंने जो सपने दिखाये हैं जनता समझ चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, एक बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है बुन्देलखण्ड का मसला। मैंने वहां का दौरा किया है। इस समय उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता बुन्देलखण्ड होनी चाहिये। सातों जनपदों में अकाल पड़ रहा है। वह अकालग्रस्त घोषित किये जाने चाहियें। वहां पशुओं के लिये न तो चारा है, न पीने के लिये पानी है, नौजवान वहां से पलायन कर गये हैं और मीलों–मीलों तक कोई खेती नहीं है। आज बुन्देलखण्ड की स्थिति यह है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड का जो पैकेज दिया गया था, सारा का सारा तबाह कर दिया गया था। आज हमनें देखा कि राहत के लिये कुल 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड के तो एक–एक जिले के लिये 90–90 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वहां पर यदि आप देखें तो मनरेगा का काम ठीक से नहीं हो रहा है। बुन्देलखण्ड अधिकारियों के लिये भ्रष्टाचार का चारागाह बन चुका है। जो सारा का सारा पैसा आता है वह लूट–खसोट में जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में बुन्देलखण्ड का कोई जिक्र नहीं है। वहां पर स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी है। फूड सिक्योरिटी बिल की भी ठीक से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। फूड सिक्योरिटी बिल का अनुपालन बुन्देलखण्ड में किया जाना चाहिये। महामहिम श्री राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है यह झूठ का पुलिन्दा है और इस पर मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं और इसका विरोध करता हूं।

(सदस्य, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी आपस में बात मत करिये। अब मा0 नेता लोक दल बोलें।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो आप मेरा नम्बर सबसे बाद में लेते हैं, लेकिन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस ने बड़े विस्तार से सभी पहलुओं पर चर्चा की है। अब चर्चा करने का मेरे पास तो कोई विषय रहा नहीं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं। सबसे पहले कानून–व्यवस्था का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। सभी ने कानून–व्यवस्था पर चर्चा की है। जिला गाजियाबाद में मोदीनगर एक बहुत अच्छा इण्डस्ट्रियल कस्बा भी है। अभी वहां पर एक लूट–डकैती की घटना हुयी। कल मैं और सुदेश शर्मा जी डी0जी0पी0 साहब से स्वयं मिले। जिसकी लूट हुयी, उसके बगल में जो भाई था उसके घर से ही कुछ सामान लेकर उसे बरामद दिखा दिया और जिसके लिये वह कह रहा था कि यह बदमाश हैं उनको छोड़ दिया। जब डी0जी0पी0 साहब ने खुद एस0एस0पी0 से हमारे सामने कहा कि जिनका माल आपने रिकवर किया है कम से कम वह माल मालिक को तो दिखा दो। किसी को नहीं दिखाया। फर्जी लूट–डकैती दिखायी है। हम आपसे निवेदन करते हैं। डी0जी0पी0 साहब से हमनें कल कहा है कि जो सही मुल्जिम हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। अलीगढ़ जनपद का एक उदाहरण दूंगा कि किस तरह से पुलिस

अनुशासनहीन हो रही है। एक सिपाही के खिलाफ एस0एस0पी0 ने तीन बार कार्यवाही की। उसे सस्पेंड किया, उसे लाईन हाजिर किया फिर चौकी से हटाया फिर उस चौकी पर जो सबसे लूट की चौकी थी उस पर जाकर वह, जो दूसरे प्रांतों से पशु आते हैं, वहां वसूली का काम कर रहा था। जब वहां के एस0ओ0 ने रोका तो टार्च मारकर उसका सिर फोड़ दिया। उसमें एफ0आई0आर0 हुयी। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। पुलिस बेकाबू है। आप अनुशासन बनाने के लिये इनके साथ सख्ती से निपटें। आपने किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त की। बहुत अच्छा काम किया आपने किसानों की सिंचाई मुफ्त की नलकूप विभाग की माफ की और नहरों की माफ की। माननीय मुख्य मंत्री जी यह केवल 18 प्रतिशत किसानों को कवर करते हैं। जो 18 प्रतिशत किसानों की सिंचाई माफ की उसके बाद 82 प्रतिशत किसान अपने व्यक्तिगत साधनों से सिंचाई करते हैं। मैं चाहूंगा कि उनके लिये आपकी तरफ से कोई सहयोग होना चाहिए। निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत आपने काफी नल सेंक्शन किये हैं। काफी किसानों को इससे लाभ मिला है। लेकिन जो मैटीरियल है वह इतना घटिया है उसमें थोड़ी सी गुणवत्ता बनाये रखने के लिये आप इनको टाइट करें। कामधेनु डेरी योजना आपकी बहुत अच्छी योजना है इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और किसान इसकी तरफ बड़े अट्रेक्टिव भी है इस योजना को लेने के लिये हर किसान तैयार हैं यह बहुत लाभकारी योजना है। किसानों को दूध भी मिलता है खाद भी मिलता है और खाद के लिये गोबर भी मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है हमने जिला प्रशासन के लोगों से भी कहा है कि कोआर्डीनेट करके बैंक का लोन दिलाने में सहयोग करें क्योंकि बैंक वाले ऋण नहीं दे रहे हैं। ऋण देने में बहुत धांधली और परेशानी हो रही है। इसमें थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार कराई जाय सरकार नये डेरी प्लान्ट खोल रही है। अलीगढ़ में आगरा, हाथरस, मथुरा के बीच सासनी में बहुत अच्छा डेरी प्लान्ट लम्बे समय से लगा है। आधुनिक मशीनें भी हैं। हम यह चाहते थे जैसे आप नये–नये प्लान्ट खोल रहे हैं। अगर उसका भी डेवलपमेन्ट कर दिया जाय चारों जिलों के बीच में वह प्लान्ट काफी है। आस–पास के किसानों का आस–पास की डेरियों का दूध वहां खपाया जा सकता है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़े सुझाव देना चाहता हूं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में नकल का हब है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और अलीगढ़ में भी अतरौली हमारे साथी बैठे हैं। अतरौली नकल का हब है। अगर आप नकल रोकना चाहते हैं। केवल अतरौली में रोक देंगे तो हम समझेंगे कि आपकी व्यवस्था नकल रोकने से सफल रही है और आप नकल रोकने के लिये इच्छुक हैं। आपने पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था बनाई है कि आपके जो दूत जाते हैं जो विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फोन पर पूछते रहते हैं कि कब आये कब गये। हमेशा यह परम्परा रही है। जब भी कोई समीक्षा अधिकारी जाता है तो वहां के विधायकों को बुलाया जाता है। मौका देखने से पहले अगर विधायक बुला लिया जाएगा तो क्षेत्र का विधायक उन्हें बता देगा कि फलां जगह आप देख लीजिये वहां यह कमी है। हमने बार–बार फोन किया लेकिन आपने दूत ने कभी भी मीटिंग नहीं बुलाई न ही हम लोगों को बुलाया अधिकारी पहले से काम कर लेते हैं और

उस काम को इतना बढ़िया बना लेते हैं जल्दी में यह नोएडा जाते हैं जो अधिकारी चेकिंग करने जाते हैं उनका घर दिल्ली या नोएडा में है। वह सोचते हैं कि जल्दी से हमें दिखा दो और जल्दी निकलकर हम भाग जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम वह अधिकारी हम सब लोगों को वहां बुलाये जिससे हम आपकी सब बातों को बता सकें। एक आपने अच्छा काम कर दिया है। भट्ठों के मालिकों को बड़ी परेशानी थी और खनन पर जो भारत सरकार का प्रतिबन्ध लगा था। आपके प्रयास से शायद उसमें सुधार हो गया है। आपकी तरफ से यह आदेश भी हो गया है कि भट्ठों को रोका न जाय लेकिन अभी वह मौखिक रूप से है। आपने जो पालिसी बनाई है उस पालिसी से यह लाभ हो गया कि अब लोगों को वहां से यहां तक आना नहीं पड़ता है। आप सभी जिलाधिकारियों को कह दें कि वह तत्परता से भट्ठा मालिकों को एन0ओ0सी0 उपलब्ध करा दें। जिससे कि भट्ठों का काम चल जाय बिना भट्ठा चलने से सब विकास कार्य ठप्प रहेंगे। मेरा आपसे इसमें यह निवेदन है। आपने अलीगढ़ में हमसे एक वायदा किया था। राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का 17–18 को पूरे अलीगढ़ जनपद के छात्र यहां आ रहे हैं। मुझे घेरेंगे। मुझे क्या घेरेंगे। मैं तो आपकी तरफ कर दूंगा। आपको मैंने एक सुझाव दिया था कि यहां तीन डिग्री कालेज बने हैं जिसमें 10–10, 15–15 हजार छात्र पढ़ते हैं। यूनीवर्सिटी हमारे यहां आलरेडी है जिसमें करीब तीस हजार छात्र पढ़ते हैं। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं वह खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वहां के छात्र नेता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आगरा यूनीवर्सिटी का इतना बड़ा दायरा हो गया है कि उसमें सम्भालना मुश्किल हो गया है चाहें आप वहां आफिस टाइप वहां बना दें चाहें एक डीम्ड यूनीवर्सिटी बना दें चाहे कोई व्यवस्था करा दें। इतना जरूर आप करा दें। पूरे उत्तर प्रदेश में दो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं। उसमें से एक हमारे जनपद अलीगढ़ में है। बहुत अच्छा मेडिकल कालेज है। आपने उसमें जो भी पैसा देना था वह दे दिया। बिल्डिंग भवन, आफिस कार्यालय वगैरह सब बन गये हैं। लेकिन अभी तक वहां पढ़ाने वालों की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है और न वहां पर अध्यापक लोग हैं। अध्यक्ष जी, सड़कों के लिए हमारे साथी बड़े चिन्तित हैं, हम स्वयं बहुत चिन्तित हैं। यह बात सही है कि मौर्या जी के कार्यकाल में सड़कों पर काम नहीं हुआ था, पार्कों पर हुआ था, हाथियों पर हुआ, इन सब पर हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है, मौर्या जी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं, मैं तो थोड़ी बातें ही रख रहा हूं, उस समय सड़कों पर काम नहीं हुआ था, लेकिन इस समय जोरों पर सड़कों का काम चल रहा है। परन्तु हम सब लोगों की जो चिन्ता है, मैं तो बजट को ज्यादा पढ़ता–देखता नहीं हूं, लेकिन हमारे साथियों का कहना है कि उस बजट में आप बहुत कम धन की व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करें। यहां पर जितने भी माननीय विधायक बैठे हैं, आप हमारी विधायक निधि को इसी में एक मुश्त दे दें, जिससे कि हम अपने पूरे कार्यकाल में उसका उपभोग कर सकें, ऐसा मेरा सुझाव है, देखना आपको है कि किस तरह से आप करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, कासिमपुर पावर हाउस पर, माननीय मुख्य मंत्री जी, वेस्टर्न यू0पी0 में जो ड्राप की समस्या थी, जिसके कारण लगभग

20 जिले प्रभावित होते थे, आपने 660 मेगावॉट का बिजली घर देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके लिए हम और हमारे पूरे क्षेत्र, जिले की जनता जो प्रभावित थी, सब आपकी सराहना करते हैं। मैंने एक सुझाव और दिया था, हर चीज वहां उपलब्ध है, 660 मेगावॉट के एक और बिजली घर की स्थापना के लिए वहां जगह उपलब्ध है, वहां सब चीज बनी–बनाई है, उसे और बढ़ा देंगे तो वेस्टर्न यू0पी0 ही नहीं, नार्दन इण्डिया के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण आपका निर्णय होगा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक अतिरिक्त बिजली घर बनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आपने किसानों के लिए एक योजना घोषित की थी कि लाइट एण्ड फैन का कनेक्शन अलग दिया जायेगा और बिजली के जितने भी प्राइवेट ट्यूबवेल चल रहे हैं, उनके लिए आप अलग से लाइन लायेंगे, किसी जिले में आपने स्टार्ट भी किया है, शायद मुजफ्फरनगर या बागपत में, मैं चाहूंगा कि आपकी यह योजना शीघ्रता से लागू हो जाये। मान्यवर, मैं एक और निवेदन करूंगा, चुनाव का साल है, जय–जयकार हो जायेगी, आप किसानों के एकमुश्त बिल बिल्कुल माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, सभी साथी हैं, 90 परसेण्ट चोरी बिजली की हो रही है और होगी, न आपसे रुकनी है, न हमसे रुकनी है। परसेण्ट के लिए क्यों वसूली की जाए, इसलिए सभी किसानों को बिलमुक्त कर दें, पूरे प्रदेश के किसान आपकी

जय–जयकार करेंगे। आपने नार्मल कनेक्शन बढ़ाये हैं, लेकिन आपका जो विद्युत नियामक आयोग है, उसने तो पैसा बढ़ाया नहीं, जैसे आपने एक रेट फिक्स किया कि नार्मल कनेक्शनों को 65 हजार तक, 80 हजार या 90 हजार रूपये तक हम फ्री देंगे लेकिन हमारे जो एम0डी0 हैं, चाहे वह दक्षिणान्चल के हों, मध्यांचल के हों या उत्तरांचल के हों, उन लोगों ने बिना नियामक बोर्ड के रेट बढ़ा दिए। खन्ना जी, आप भी सुन लें, बिना नियामक बोर्ड के रेट बढ़ाये, आप भी इस बात को कह रहे थे, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उनसे कहें कि जब नियामक बोर्ड ने रेट नहीं बढ़ाये हैं और अगर रेट बढ़ा लिए तो हमारी जो दूरी है, किसानों को जो लाभान्वित करने जा रहे हैं, वह दूरी कम हो जाती है, अगर आप उनके रेट के हिसाब से करायेंगे तो किसानों को फायदा हो जायेगा, उनसे आप कहें। यह बात सही है कि बिजली तभी चलेगी जब हम बिल जमा करेंगे। लेकिन यह चुनाव का साल है, किसान की हालत आप देख रहे हैं, सभी नेता बखान कर रहे हैं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, इनके कारण किसान मरा जा रहा है। अब जब ट्रान्सफार्मर जल जाता है, उससे ही तो उसकी रोजी–रोटी चल रही है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, खेती करके वह उससे गुजर कर रहा है और देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है और जब उसके सामने वह अधिकारी कहता है कि लाइये बिल की रसीद, बिल की रसीद दिलवाने के लिए आप जोर दें, हम भी देंगे, हम भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बाध्यता न कर दें कि बिना बिल जमा कराये, ट्रान्सफार्मर न मिले तो उसकी खेती चौपट हो जायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी तरफ से सभी को निर्देश जाना चाहिए कि बिना बिल की रसीद के भी अगर किसान ट्रान्सफार्मर मांग रहा है तो उसे ट्रांसफार्मर दीजिए। सरकारी अस्पतालों के बारे में सभी ने कहा है,

तहसील स्तर के जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें बिजली की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कि आप यह व्यवस्था जरूर करायें। सोलर स्ट्रीट लाइट का बीमा। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट आपने लगायी हैं। वह बहुत चोरी होती है और वह महंगी होती है। तो मैं चाहता हूं कि उसका किसी तरह से बीमा करा सकें तो करा लें। राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे मशीन रखी हैं, बहुत अच्छी मशीन हैं, जाने कहां से, विदेश से वह आयी हैं। लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इनको चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करायी जाये। अलीगढ़ जैसे महानगर में ट्रामा सेंटर स्थापित होना चाहिए। समाजवादी पेंशन में भारी मात्रा में पेंशनधारकों के नाम काट दिये गये हैं इसको आप दिखवा लें। मा0 मुख्य मंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी के बाद राजस्व में आपने जो परिवर्तन किया है यह बहुत सराहनीय है और बहुत ही उपयोगी है। उन लोगों के लिए जिनको आज तक किसी ने अधिकार नहीं दिया था। अनुसूचित जाति के उन लोगों को जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला। पट्टा देख आते थे चले आते थे लेकिन उनको उसे बेचने का अधिकार नहीं था। न उसमें कुछ करने का अधिकार था। यह आपने बहुत बड़ा काम किया है और जो आपने न्यायालय बनाये हैं बहुत जल्दी डिस्पोजल करने के लिए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसमें एक सुधार चाहता हूं। आपने हमारी बेटियों को अधिकार दिया है यह उनके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा किया है। हम भी चाहते हैं कि उनका मान सम्मान रहे। लेकिन इसमें आप एक परिवर्तन कर दें, कर सकें तो। शायद सब लोग उसमें सहमत होंगे। जब हम उनके भाई और बाप उनको बहुत सम्मान के साथ बहुत दहेज की शादी कर दें और हमारी उस बेटी की इच्छा यह हो जाये कि मैं अपने दादा–दादी की जमीन, बाप की जमीन को वापस अपने भाईयों को देना चाहती हूं तो उसकी सहमति में वह जमीन वापस चली जाये। इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर दें। उससे भाई बहन का प्यार बना रहेगा, आवागमन बना रहेगा। आपने अधिकार दिया उसका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा। उस परिवार में उसका सम्मान, इज्जत बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है।

(बीच में टोकाटाकी होने पर।)

श्री दलवीर सिंह–

देखिये आप भी हमारी बहनें हैं, बेटी हैं। भाई–बहन का प्यार बनाये रखने के लिए अगर वह बहन शादी होने के बाद अपनी सहमति देती है तो वह जमीन जो दादा–दादी, बाप की जमीन है वह उनके पास वापस चली जाये। अगर ऐसा कर सकें तो कर लें वह अच्छा रहेगा। नहीं तो भाई–बहन का प्यार खत्म हो जायेगा। नहीं तो जिसके यहां उसकी शादी होगी घर के आगे वह डण्डा लेकर बैठ जायेगा। अगर पावरफुल हुआ, ताकतवर हुआ, डण्डे वाला हमारे मौर्या जी की तरह तो वह जबरजस्ती हिस्सा ले लेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इसमें परिवर्तन कर सकें तो जरूर करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

देखिये, एक निवेदन और है कि हमारे यहां की स्पोर्टस युनिवर्सिटी को हमारे यहां बने रहने दें। उससे अलीगढ़ की सब जनता आपसे आदर के भाव से यह आशा रखती है कि उसे आप वहां बने रहने देंगे। टंकी के संबंध में भी बातें आ रही थीं। आपकी टंकी वाली योजना बहुत अच्छी है। आपने नगर विकास में बहुत काम किया है इसमें दो राय नहीं है। हमारे यहां तो एक इंच जगह ऐसी नहीं है जहां कोई पक्का काम न हुआ हो। चाहे नगर पालिका है चाहे जो है सबमें काम हुआ है। लेकिन टंकियों की जो आपकी व्यवस्था है वह सफल नहीं हो पायी है। अभी हमारे साथी श्री पूरन प्रकाश जी कह रहे थे कि इनके यहां जो टंकी लगी हैं वह सब फेल हैं। टी0टी0एस0पी0 वाली फेल हैं उसमें मैंने जांच भी करवायी थी उसमें आप दिखवा लें। मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, और हमारे साथी भी बैठे हैं। बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी भी बड़ी रुचि से मेरी बातों को सुन रहे हैं। हमारे सब विधायक यह चाहते हैं कि इनको कम से कम 100–100 नल मिल जायें। और एक निवेदन और करूंगा। मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय से लेकर आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने विधायकों को कुछ न कुछ तोहफा न दिया हो। चाहे प्लाट दिया, चाहे फ्लेट दिया चाहे कुछ भी दिया। हम पुराने आदमी हैं हमारे पास हैं हमें मिल चुके हैं। हमें बिलकुल मत दो। जितने पुराने लोग यहां बैठे हैं जिनको मिल चुके हैं उनमें किसी को मत दो। लेकिन जो नए लोग हैं, कई तो ऐसे हैं जिनके शादी–ब्याह भी अभी नहीं हुए, तो मेरा निवेदन है कि हैण्डपम्प के साथ–साथ इन सब लोगों को आवास के लिए फ्लैट या मकान दिलवायें। मा0 वीर बहादुर सिंह जी ने उस वक्त शुरूआत की थी, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारे पुराने कई साथियों ने तो उन प्लाटों/मकानों को बेंच कर के चुनाव लड़ लिया, तो कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाती है, तो एक मेरा सुझाव यह है और सब बालक मुझसे कहते हैं कि आप कह सकते हो, आप मेरी बातों को मान भी लेते हैं, तो ये दो–तीन सुझाव हैं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें।

श्री अध्यक्ष–

बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री दलवीर सिंह–

देखिये आजम खां साहब बैठे हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, आप बैठे हैं, पूरा सदन आप पर गर्व करता है, आप हमारे नेता सदन हैं, इन्हीं के नेता नहीं हैं, आप हमारे सब के नेता हैं, हमारे हर एम0एल0ए0 के, हर सदस्य के मान–सम्मान, मर्यादा की गारण्टी आपके हाथ में है, आपके ही बलबूते पर हमारे सब जितने भी मा0 सदस्य हैं गर्व के साथ फील्ड में जाकर काम करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि आपका सबके साथ समान प्यार रहे, समान सद्भाव रहे। अब जैसे आपके लोहिया आवास हैं, उनके सम्बन्ध में भी हमारे साथ भेद–भाव है, जनेश्वर मिश्र योजना है, तो इनमें थोड़ा सा हम लोगों के लिए

भी व्यवस्था कर दें। यहां सब लोग बैठे हैं, एक बात बतायें, क्या वर्ल्ड बैंक से सरकार को इन चीजों के लिए ऋण नहीं मिल सकता है, मिल जाय तो लेने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

आपके प्रस्ताव, सरकार के प्रस्ताव, मा0 शिवपाल सिंह यादव के प्रस्ताव, सेण्ट्रल रोड फण्ड में बहुत पैसा पड़ा है, सेण्ट्रल रोड फण्ड में मेरे खुद रिश्तेदार हैं और हमारे यहां 73 एम0पी0 हैं, आप खन्ना साहब सुन लीजिए, इतना फण्ड है सेण्ट्रल रोड फण्ड में कि आपके दिये हुए प्रस्ताव यदि यहां से जांय, तो अनाप–सनाप पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पहल करिये आपके बी0जी0पी0 के जो 70–72 एम0पी0 हैं, वह भी कहेंगे, तो पैसे की यहां कोई कमी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि पैसा आपको मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं और सदैव आभारी रहूंगा, मा0 मुख्य मंत्री जी का सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे इतना मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी मेरी बातों का ध्यान रखेंगे, विधायकों का ध्यान रखेंगे, इन सब चीजों पर आप ऐक्शन लेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

विगत दिवसों की कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 09–02–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। जिसमें आज दिनांक 11–02–2016 को प्रथम दो सूचना ग्राह्यता हेतु सुनी जायेंगी। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

इसमें पहली सूचना (1) श्रीस्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लोकेश दीक्षित, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती पूजा पाल, श्री वेदराम भाटी, श्री उमेश पाण्डेय, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री दीपक पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, मो0 अलीम, श्री सुनील सिंह यादव, श्री उदय लाल मौर्य, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, मो0 आसिफ जाफरी, (2) श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अरूण कुमार, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री धर्मपाल सिंह, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री रामचन्द्र यादव, श्री बावन सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री पंकज गुप्ता, श्री विक्रम सिंह, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्रीमती सीमा (3) श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री राधेश्याम, श्री ललितेश पति त्रिपाठी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' (4) श्री दलवीर सिंह, श्री त्रिलोकी राम की प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री सुदेश शर्मा, श्री भगवती प्रसाद की प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं, उनके नाम निम्मलिखित हैं– श्री लोकेश दीक्षित, श्री जय प्रताप सिंह, श्री रामचन्द्र यादव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्रीमती विमला बाथम, श्री राज कुमार रावत, श्री दिलनवाज खां, श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री संजय कपूर।

इसमें कानून–व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना की ग्राह्यता पर मैं सुनने के लिए मा0 नेता मौर्या जी से कहता हूं। आप लोग थोड़ा–थोड़ा बोल लीजिए ग्राह्यता पर मंत्री जी जवाब दे दें, फिर तो अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी सदस्य बोलेंगे ही।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से प्रदेश में चरमराई कानून–व्यवस्था है, उससे पूरे प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या और चिन्ता का विषय आ गया। मान्यवर, जिस तरीके से आज कानून–व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले लोग गुण्डे, माफिया, आपराधिक तत्वों के साथ कदमताल करते नजर आते हैं, उनको संरक्षण देते नजर आते हैं और यहां तक कि उनके साथ अपराध कहर बरपा करने में अपना सहयोग भी देते हैं। इससे अराजक तत्वों के हौसलें और बुलन्द हो गए हैं। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में मनमाने तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा करके आज बड़े पैमाने पर वह अपराध बरपा कर रहे हैं। जिससे जनता को आज बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। मान्यवर, उसी के परिप्रेक्ष्य में लखीमपुर में तीन बच्चियों का, सगी बहनों का सामूहिक अपहरण होना यहां तक कि घटना का संज्ञान लेने के बाद भी मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर भी स्थानीय पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अन्ततः मजबूर हो कर के अभिभावकों को फिरौती की रकम को चुकता करके उनको छुड़ाना पड़ा। यही नहीं बहराइच में दो–दो लड़कियों की बलात्कार और हत्या करके लाशों को पेड़ पर टांग देना यह अराजक तत्वों के बुलन्द हौसले का नमूना है। मान्यवर, इसी प्रकार से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बी0डी0एस0 की छात्रा छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। यह कानून के रखवालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी इन गुण्डे, माफिया, अपराधियों के शिकार बन रहे हैं जन सामान्य भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसी का नतीजा है कि 04 फरवरी, 2016 को जनपद अमेठी के शकील अहमद और उसके दो सगे भाइयों पर जानलेवा फायरिंग होती है। 07 फरवरी, 2016 को इसी मलिहाबाद के कौड़ियां खेड़ा गांव लखनऊ में दिन दहाड़े एक किसान खुशीराम यादव की हत्या होती है। यह एक से एक चंद नमूने है जो चरमराई हुई कानून–व्यवस्था को बयां कर रहे हैं। मान्यवर, यह तो हमने एक–दो उदाहरण आपके सामने रखे आज पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गयी है। जनपद बागपत के थाना अमीनगर सराय गांव खिदौड़ा की एक छात्रा लगातार 30–12–2015 को अपहरण हुआ। वह छात्रा दस दिन बलात्कार की शिकार होती रही। उसके परिवारीजन गुहार मचाते रहे। पुलिस अनसुनी

करती रही, नतीजा यह हुआ कि 11 जनवरी, 2016 को उसकी लाश मिलती है। उसके पिता और ताऊ जी की हत्या पहले हो चुकी है और लड़की भी बलात्कार, हत्या की शिकार होती है और उससे बड़ी बात यह कि अपराधियों को पुलिस बचाने में लगी हुई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की बजाए वहां की पुलिस जिन पर कानून रखवाली का जिम्मा दिया गया है वह अपराधियों के साथ उठते–बैठते नजर आते हैं। जिस तरीके से आज कानून–व्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश के शर्मनाक हालात बने हैं उससे प्रदेश के जन सामान्य भयभीत हैं। कब किस घर की कौन–सी लड़की इनकी हवस की शिकार बन जाये, हत्या हो जाये साथ ही साथ किस पर कब गोली चला दी जाये, किसको मौत के घाट उतार दिया जाये। आज सभी इससे भयभीत हैं। ऐसे हालात में इस कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर पूरे प्रदेश की जनता के सामने जो आक्रोश है मान्यवर, यह अविलंबनीय है, तत्कालीक है। क्योंकि समस्या एक की नहीं पूरे प्रदेश की है कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए ऐसे गंभीर मामले पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सूचना को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। जिससे कि प्रदेश में अराजक तत्वों द्वारा उड़ाई जा रही कानून–व्यवस्था की धज्जियों पर सरकार सावधान हो सके, प्रभावी कार्रवाई हो सके, इन पर अंकुश लगाया जा सके, प्रदेश को गुण्डाराज से निजात दिलाई जा सके। मान्यवर, यदि चर्चा नहीं होती है तो केवल नियम–56 की सूचना ग्राह्य और अग्राह्य कर देने से इनके हौसलों पर लगाम लगने वाली नहीं है। मान्यवर, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस सूचना को स्वीकार करके इस पर चर्चा की स्वीकृति प्रदान करें जिससे कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सरकार कोई कार्ययोजना भी आप के माध्यम से सदन को देने का काम करे। सरकार आश्वस्त करे, इस गुण्डाराज पर अंकुश लगाया जा सके और अपराध से प्रदेश की जनता को निजात दिलाई जा सके। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमको नियम–56 की एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में अपराधी, माफिया, पुलिस और सत्तापक्ष के लोगों की एक बहुत बड़ी सांठ–गांठ है। वैसे तो इसके माध्यम से निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी सरकार यह नहीं चाहती है कि उसके राज्य में अपराध हों लेकिन इस सरकार की पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इनके हाथ कांपते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, जुबान लड़खड़ाती है और ये अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आते हैं। इसका जनता में मैसेज यह गया कि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं, अपराधी यह सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अपराधियों के बेखौफ होने की सबसे बड़ी वजह यही है, उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर हम कोई अपराध करके थाने जाएंगे तो कहीं न कहीं से उनको संरक्षण मिल जाएगा और यह संरक्षण अपराध को बढ़ावा देने के लिए काफी है। मान्यवर, मैं तीन घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो मैंने नियम–56 में तीन–चार घटनाएं कोट भी की हैं लेकिन चूंकि उन्हें मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में कह चुका हूं इसलिए दोबारा मैं उन विषयों पर सदन का समय

खराब नहीं करूंगा। एक घटना ऐसी है कि जिसमें एक आदमी को बम से मारा गया। दूसरी घटना में पुलिस की मौजूदगी में जिन्दा औरत को फूंका गया और तीसरी घटना अभी परसों पीलीभीत में हुई जिसकी वजह से दंगा होते–होते बचा। एक दलित युवती अपने ब्यूटी पार्लर से ड्यूटी पूरी करके अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके संग छेड़खानी की और उस छेड़खानी का नतीजा यह हुआ कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। उसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस जिस–जिस को बुला लाती है उससे पैसे ले लेती है और उसको छोड़ देती है। जिसको चाहेंगे उसको बाद में रख लेंगे। बहरहाल, हम विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहते हैं कि दंगा होने से तो बच गया जिसमें दलित युवती के साथ छेड़खानी हुई लेकिन इसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और जो 150 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है उसमें यहां से निर्देश चला जाए कि कम से कम निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। यह पीलीभीत का मामला है और हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो बात हुई है अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो शायद इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप न्याय करेंगे। मान्यवर, दूसरी बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में युवती को जिन्दा फूंका। दूसरी जिस प्रकार पंचायत चुनाव हुए और जनपद बाराबंकी की घटना है। मान्यवर, कैरोसिन डालकर जिंदा फूंक दिया क्रान्ति यादव को यह काफी अखबार में चर्चा का विषय रहा। ये दिसम्बर की घटना है यह अपने आपमें बहुत बड़ी घटना थी जिन दिनों यह घटना हुई थी, काफी समाचार–पत्रों ने इसके ऊपर एडीटोरियल भी लिखे। मान्यवर, दूसरी घटना मड़ियांव की है, सेवा अस्पताल के पास की घटना है, जिसमें बम से एक ड्राइवर का पैर उड़ा दिया गया। बम फेंका गया तो जिस शासन में कैरोसिन डालकर जिंदा युवती को जलाया जाए और बमों से हमला किया जाए और सरकार उस पर भी कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे अपराधियों को हौसला पस्त हो तो मान्यवर, सरकार की नीयत पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। तीसरी बात, फतेहपुर जहानाबाद में अभी 14 जनवरी को मकर संक्राति के दिन एक जुलूस के ऊपर हमला हुआ, लाठियों, ईंटों से हमला किया गया और कई नाबालिगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। अभी तक हालांकि वे छूटे भी नहीं हैं। मान्यवर, इसमें भी कुछ लोग नामजद हैं और लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। यह जहानाबाद, फतेहपुर का मामला है और इसमें भी पुलिस का वही ताण्डव चल रहा है, जिस–जिस को पकड़ लाती है, उन्हें एक दिन– दो दिन थाने में बैठाला और मजबूरी में आदमी पैसे देकर छूटता है। इसलिए मान्यवर, हम विशेष रूप से इन घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। चौथी बात मान्यवर, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, बहुत बड़े पैमाने पर और आदमी के अंदर रिएक्शन तो होता ही है। उसके बाद कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन, भूख–हड़ताल होती है और इसमें कहीं गोली चली, किसी की हत्या हुई। अभी एक हर्ष फायरिंग में शामली में

हत्या हो गई। मान्यवर, सहारनपुर, आगरा, गोरखपुर, गोण्डा, बलरामपुर, महोबा और सुल्तानपुर ये वे जिले हैं, जो सबसे ज्यादा इस चुनाव में प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, गोरखपुर में 11–11 वोट, ऐसे ही बुलाकर खारिज कर दिये गए। उनको सामने–सामने खारिज किया गया कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे से बच जायें। अम्बेडकरनगर में भी 10 वोट इसी प्रकार खारिज किये गए। पीलीभीत में 73 लोगों को हेल्पर दे दिये गए। तीन ब्लॉकों में 73 लोगों को हेल्पर दे दिये गए, ये लिखा–पढ़ी में है। मान्यवर, चुनाव में यह व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स हैं कि मां–बाप, पति–पत्नी, भाई–बहन अर्थात् परिवार के सदस्य ही हेल्पर हो सकते है।

(सत्तापक्ष से आवाज आई उसमें यथासंभव शब्द है।)

हां यथासंभव है लेकिन 73 के 73 लोगों को यथासंभव न मां–बाप मिले, न भाई–बहन मिले और न पति–पत्नी मिली यथासंभव का फायदा उठाकर उन्होंने पूरा यथासंभव बना दिया। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रतिक्रियास्वरूप उसके खिलाफ कोई न कोई रिएक्शन होता है वह बात आगे बढ़ती है तो इसलिए हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर सरकार नेक नियती से काम करने लगे और अपराधों के मामले में तुरन्त कार्रवाई हो जाए अपराधी के खिलाफ तो मान्यवर, बहुत से रिएक्शन, बहुत सी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इस सरकार ने इस चार साल में एक भी पनिशमेंट एक्जेम्पलरी ऐसी नहीं है कि जिससे अपराधियों का हौसला पस्त होता और ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। इस एक साल में कम से कम 100 घटनाएँ ऐसी हुई होंगी जहां पुलिस वालों को मार कर आदमी को छुड़ा ले गए। पूरे प्रदेश के हर कोने, हर मण्डल में एक घटना ऐसी बड़ी–बड़ी हुई जिसमें किसी को पुलिस ने पकड़ा, अपराधियों ने दरोगा को मारा, सिपाही को मारा, थाने में घुसकर आग लगाई, कुर्सियां जला दीं और उसके बाद अपराधी को छुड़ा लिया और ऊपर से भी शासन और सत्ता से ऐसे लोगों को संरक्षण मिले, तो जब तक यह मंशा नहीं होगी, जब तक यह नीयत नहीं होगी, अपराधों को रोकने की और ऊपर से यह मैसेज देने वाली कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह कानून–व्यवस्था की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए हमने कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में यह नोटिस दिया था कि पूरे प्रदेश में क्राइम का रिकार्ड मैं दोहराना नहीं चाहता, चाहे वह लखनऊ राजधानी हो और चाहे पूरे प्रदेश में हो पिछले वर्ष के मुकाबले में हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, वाहन चोरी, चोरी सब अपराध बढ़े हैं और सरकार की तरफ से इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गयी जिससे यह लगता कि सरकार अपराधों को रोकना चाहती है, कोई संदेश देने वाली कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हम अपने नियम–56 की सूचना के ग्राह्यता पर बल देते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाये और अपराधियों को तत्काल दण्डित किया जाये ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके इन्हीं शब्दों के साथ आपने ग्राहयता पर बोलने का मौका दिया, मै आभारी हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। आज प्रदेश में कानून–व्यवस्था बद से बद्तर हो गयी है और हालात यह हो गये हैं कि प्रदेश के निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप बहुत दूर क्यों जाते हैं प्रदेश की राजधानी में खुला नंगा नाच हो रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस लगता है खुद ही अपराधी बन चुकी है पुलिस खुद अपराध कराती है और लोगों को संरक्षण नहीं देती है। हालात ऐसे हो गये हैं कि पुलिस के सामने आगजनियां होती हैं, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। आप कल ही की घटना देखिये कि 08 फरवरी को लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में गणेशगंज सराय फाटक स्थित श्रीप्रणामी मंदिर में रहने वाले 38 वर्षीय अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा की बदमाशों ने हत्या कर दी उसका शव नाली मे मिला था। उसे लेकर कल 10 फरवरी 2016 में लखनऊ कचहरी में हंगामा हुआ यदि पुलिस उसी वक्त उस मामले को काबू कर लेती, उनकी बातों को मान लेती, स्थानीय प्रशासन यदि मुख्य मंत्री या उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे ले आता, उनको उचित मुआवजा दिया जाता तो इतनी अनहोनी नहीं होती। लखनऊ जैसी राजधानी में जिस तरह बेखौफ नंगा नाच हुआ पुलिस मूक दर्शकों की तरह देखती रही और एक वकील की हत्या भी हो जाती है तो इसे अकर्मण्यता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ? आप राजधानी की स्थिति में जाइये केवल राजधानी लखनऊ मे ही 2015–16 में लगभग डकैती की 26 घटनायें हुईं, हत्या की 175 घटनायें हुईं, लूट की 115 घटनायें हुईं, वाहन चोरी की 2565 घटनायें हुईं, घरों मे चोरी की 3792 घटनायें हुईं और रेप की 153 घटनायें घटी जो कि वर्ष 2013 के मुकाबले में दोगुनी बढ़ोत्तरी है। इसी तरह महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए 1090 का हाल भी खराब है आप अभी देखिये कि यही सचिवालय की एक कर्मचारी थी उसको टेलीफोन पर कुछ शोहदे छेड़ा करते थे उसने 1090 पर इत्तला की, कोतवाली मे तहरीर दी, उसके बाद उसका शव मिलता है, यह 1090 का हाल है। इसी तरह आप देखें कि आम महिला 1090 से सुरक्षित नहीं महसूस करती आपका प्रोपोगण्डा तो बहुत होता है पर पुलिसकर्मी उस 1090 पर आई हुई कम्प्लेन्स को गम्भीरता से नहीं लेते। जब महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं रहेगी तो कैसे कानून–व्यवस्था सुधरेगी। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज छेड़–छाड़ हो रही है रोज नौजवान बेतरतीब लोग हैं वो इस तरह के कर्म कर रहे हैं, खौफ खत्म हो चुका है डर खत्म हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी यदि आप देखें कि मथुरा सहित प्रदेश की महिलाओं का उत्पीड़न नहीं रूक पा रहा है। कानून–व्यवस्था का नियंत्रण नहीं रह गया है। पुलिस निरंकुश हो गयी है। अभी हाल ही में 100 नम्बर की घटना बता रहा हूं 100 नम्बर का इतना प्रोपोगण्डा होता है कि 100 नम्बर पर फोन करिये पुलिस तत्काल आ जायेगी और आपकी मदद करेगी। अभी भरतपुर की एक चौकी मथुरा, थाना कोतवाली मथुरा एक पान वाला जो बहुत ही शरीफ पान वाला कहलाता है, रात को साढ़े ग्यारह बजे उसके यहां कुछ बदमाश आते हैं, पान खाते हैं, मारते पीटते हैं उसके गल्ले का सारा पैसा ले जाते हैं, वह 100 नम्बर पर फोन करता है और पुलिस आती है तो पुलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह पिटा पिटाया गरीब लड़का

कहता है कि मेरे पैसा निकालकर ले गये मुझे मार–पीट की तो पुलिस उल्टा उसे ही पकड़ कर ले जाती है। भरतपुर गेट चौकी पर बैठाती है और मारपीट करती है। सुबह 7 बजे मैं स्वयं कोतवाल को फोन करता हूं तो कोतवाल कहता है कि वह दारू बेचता है तो 100 नम्बर किसलिए बना है। यदि किसी के ऊपर आक्रमण हो, यदि गुण्डे बदमाश आकर उसे लूटे उसे पीटे, बन्दूक दिखाये तो कैसे काम चलेगा यह स्थिति बहुत गम्भीर है। माननीय अध्यक्ष जी इन घटनाओं से आपको पता चलेगा कि कानून–व्यवस्था कैसी है। सरकार तो सो रही है जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसकी कान के नीचे नाक के नीचे। स्थिति यह है कि मथुरा यमुनापार इलाके में परसों भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड अध्यक्ष घर में घुसता है और गोली मार देता है। पुलिस को हम यहां से फोन करते हैं और पुलिस जाती है लेकिन गुण्डे बदमाश अभी तक नहीं पकड़े जाते हैं। उनको धमकियां मिल रही है कि अभी तो गोली मारी है अभी तुम गम्भीर हो तुम्हें जान से मार देंगे। इसी तरह से जनपद कुशीनगर के ग्रामसभा गौरहां थाना तरयासुजान के अन्तर्गत रमावती देवी पर एसिड अटैक वहां के निवासी विनोद राय व उसके 4 साथियों सहित किया गया जिसमें अभी तक 2 लोगों के अलावा 3 की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इसी तरह से जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा में अशोक कुमार अहिरवार एडवोकेट की 10 फरवरी, 2016 को 10.00 बजे हत्या कर दी जाती है इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और वकील धरने पर बैठे हैं। इसी तरह से इलाहाबाद में एक सामूहिक बलात्कार होता है मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह से अनगिनत घटनाएं सरकार के नाक के नीचे हो रही हैं। कानून–व्यवस्था सुधरने को नहीं आ रही है हालात बद से बद्तर हो रही है। स्थिति यह है कि सरकार द्वारा कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण करना अति आवश्यक है। प्रदेश की सरकार कानून–व्यवस्था सुदृढ़ होने की मात्र दुहाई ही दे रही है। प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। वह कभी भी सरकार विरोधी कदम उठाने को विवश हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका हो गया, आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष चुनाव का वर्ष है साम्प्रदायिक ताकतों पर नजर रखनी होगी। उनके ऊपर दृढ़ता से अंकुश लगाना होगा। अभी पार्लियामेन्ट के इलेक्शन से पूर्व में इतने सम्प्रदायिक दंगे इन्होंने कराये कि इसकी बदौलत इन सम्प्रदायिक ताकतों ने 73 सांसद जीत लिये, इन लोगों पर निगाह रखनी पड़ेगी। इनकी जो कारगुजारियां हैं उनको देखना होगा। मैं यही पूछना चाहता हूं सरकार सख्ती नहीं कर रही है आखिरकार फैजाबाद में अयोध्या में दो ट्रक पत्थर कैसे पहुंच गये यह सारी की सारी बातें बताती है कि प्रशासन पंगु हो

गया है। सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन पंगु हो गया है खुलेआम रिश्वते ली जाती हैं दारोगा पैसे का बटवारा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह आपके बाद कहेंगे ? अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर आप बोले इस पर भी बोलेंगे, आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, थाने बिकते हैं, रिश्वते खुली ली जाती हैं, एफ0आई0आर0 लिखने के पैसे, नाम निकालने के पैसे, पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है इस पर कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। यह तो बड़े भाई आजम खां साहब के क्षेत्र में ही कंट्रोल रह सकता है हम लोगों के क्षेत्र में कोई पुरसाहाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, अब लिखा नहीं जायेगा तो आपका अपमान होगा।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप नेता हैं कुछ तो अनुशासन अपने में रखिये। आप वही दोहरा रहे थे जो आप बोल चुके हैं इसलिए मुझे कहना पड़ा।

आपको कुछ बोलना है कानून–व्यवस्था पर।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, श्री सुदेश शर्मा जी हमारे डिप्टी लीडर हैं, इनको बुलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

उसमें इनका नाम नहीं है। एक दिन में दो नियम–56 नहीं हो सकते हैं कानून–व्यवस्था पर इनके हस्ताक्षर नहीं है गन्ना पर इन्होंने दे रखा है। आप बोल सकते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे साथी कानून–व्यवस्था पर बहुत विस्तार से चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। समस्या कानून–व्यवस्था की पूरे प्रदेश में बहुत बेहाल है स्थिति बहुत खराब है। एस0एस0पी0 की सिपाही नहीं मान रहा, डी0आई0जी0 की सिपाही नहीं मान रहा।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो आप तारीफ कर रहे थे।

श्री दलवीर सिंह–

मैं उससे आगे नहीं बोल रहा मैंने आपको बता दिया। मैं आपके संज्ञान में एक चीज डालना चाहता हूं। मेरा इसमें एक सुझाव है। हमारा अलीगढ़ शहर बहुत संवेदनशील शहर है। राजस्थान की तरफ से और मध्य प्रदेश की तरफ से हमारे यहां मवेशी आते हैं, जिनमें गायें भी होती हैं, भैंसे भी होती हैं, अन्य–अन्य मवेशी होते हैं। हमारे अलीगढ़ के लोग नहीं होते हैं और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के भी लोग उनमें कम हों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग उसमें ज्यादा होते हैं। जब वहां से गाड़ियां चलती हैं, तो वह गाड़ियां अलीगढ़ से होकर पास होती हैं, चाहें वह मुरादाबाद जाये, चाहें हापुड़ जाये, चाहें कहीं जाये सब गाड़ियां अलीगढ़ होकर पास होती हैं। अलीगढ़ में आये दिन झगड़ा रहता है, उन गायों को पकड़ने का काम यह लोग करते हैं, हमारे यह जो साथी बैठे हैं, यह उसमें बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं। झण्डा लेकर खड़े हो जाते हैं बजरंग दल वाले और यह लोग। यही मुददा पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना रखा है कि गाय के ट्रक पकड़ो, इसमें हल्ला मचाओ, इसी से हमें वोट मिलेगा। हम लोग ऐसी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेसी हों या कोई अन्य हो हम लोग उसमें कानूनी एक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन उसमें इशू बनाकर कार्य नहीं करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम एक निवेदन कर रहे हैं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में इन मवेशियों का प्रवेश ही बार्डर पर रूक जायेगा, तो यह सब झगड़े खत्म हो जायेंगे, तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जैसे ही वहां पर ट्रकों की इण्ट्री हो, चाहे राजस्थान साइड से हों, चाहे मध्य प्रदेश साइड से हो, वहीं पर बार्डर पर ही वह रोक दिये जाये जिससे कि हमारे यहां झगड़ा आने से बच जाये। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में हल्ला है और जिलाधिकारी, बुलन्दशहर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने पत्रकारों के साथ, आम जनता के साथ, जो व्यवहार किया और लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट कर दी है, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की है, सेल्फी खिंचवाने के प्रकरण में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है, इस तरह का एक्शन करना एक जिलाधिकारी को शोभा नहीं देता है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार उस पर कुछ निर्णय ले।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, वैसे तो धन्यवाद पर भी बोला जायेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कानून–व्यवस्था पर बहुत बहस होगी, लेकिन सच यह है कि हमेशा सरकारों से यह शिकायत रही है कि कानून व्यवस्था खराब है। जाहिर है हम चाहते हैं कि समाज में शांति हो और कानून का राज हो। गलत करने वाले को सजा मिले, मगर जो लोग कहने वाले हैं उसको वह खुद ही शायद इससे मुतमईन नहीं हैं ठीक से और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेसी बहुत कामयाब नहीं हो रही है। लोग ऊबते जा रहे हैं इससे। पूरी दुनिया में एक अजीब माहौल है लोकतंत्र के खिलाफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी परम्परायें, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत थे, बड़ा मजबूत इतिहास था हमारा, रिश्तों का इतिहास भी बहुत मजबूत था,

लेकिन सत्ता के लालच ने हमारी इन्सानियत को कम किया और आदमियत इन्सानियत पर हावी होने लगी। यही वजह है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं रह गई, सहनशीलता जिसे कहते हैं टालरेन्स जिस पर बड़ी बहस हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति भी हम पर टिप्पणी करके चले गये, लेकिन यह सच है कि हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है, बहुत छोटे–छोटे मामलें जो लोग पंचायतों में हल कर लिया करते थे, बुजुर्ग लोग बैठकर तय कर दिया करते थे। आज कोई बुजुर्ग को बुजुर्ग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बातें तय कैसे होंगी। गांव की पंचायतों का रूप बदल गया, तरक्की के साथ बहुत सी चीजें खराब होती चली गई। अभी आपने जिलाधिकारी के बारे में कहा है, उसकी जांच हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और यह जो एक मर्ज हुआ है ये सेल्फी का। यह एक ऐसा घटिया मर्ज है जिसमें कभी–कभी धक्का देना पड़ता है। उसमें हाल यह है कि जो सेल्फी ले रहा है उसका अपना शरीर किसके शरीर से लगा हुआ है, आम तौर पर जो मैं नहीं कहना चाहता। सदन के बाहर पता नहीं इसे क्या कहा जाये, जो लोग सेल्फी से फोटो लेते हैं, वह बड़ा काबिले एतराज फोटो आता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारी नफरत में व्यक्तिगत की नफरत में कानून बदल दिया गया। हमारे यहॉ एक सज्जन हैं, उन्होंने हमारे बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की, जिन पर हमने तो कोई एतराज नहीं किया लेकिन कुछ लोगों ने उस पर एफ0आई0आर0 कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अभिव्यक्ति की आजादी के सिलसिले में, उसने बहुत सी चीजों को आजाद कर दिया, बिल्कुल आजाद कर दिया। हम अपने ऊपर क्या पाबन्दियां लगायेंगे, कुछ अगर हम अपने तौर पर तय करें तो शायद हालात कुछ ठीक हों। सरकारें कानून–व्यवस्था से न बनती हैं, न बनेंगी। पिछले 30–35 साल से जो मैं रुख देख रहा हूं सरकारों के बनने का, वह जज्बाती नारे हैं। जज्बाती नारों पर सरकारें आती हैं और जज्बाती नारों पर सरकारें चली जाती हैं। अगर सच्चाई के साथ मैं यह कहूं, हम यहां कम लोग आज बैठे हैं इस वक्त, लेकिन मौजूदा सरकार ने आम आदमी की भलाई के लिये बहुत काम किये हैं। इसके बावजूद भी हम आपस में यह बहस करते हैं कि हम सरकार बनायेंगे या नहीं बनायेंगे क्योंकि कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गये, जिन सवालों ने समाज को बहुत मायूस किया, लोगों को बहुत मायूस किया। इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि सहनशीलता अगर हमारे अंदर होती तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते और हम यह हमेशा भूल जाते हैं कि हमारी मजबूरी है एक साथ रहना और एक साथ न रहने के बहुत बुरे नतीजे निकल रहे हैं। हमें यह भी देखना चाहिये कि जिन लोगों को हम अपना आइडियल मानते हैं, उनके दोहरे चरित्र तो नहीं हैं। मेरी बात का बिल्कुल बुरा न माने खन्ना साहब। लेकिन कल जो मैनें टेलीविजन पर देखा है प्रधानमंत्री को जिस तरह भाग कर एक छोटा सा, एक ऐसा रेगिस्तान जिनके पास सिवाय दुनिया को लूटने के कुछ है ही नहीं, दूसरा बेरूत बन गया है दुबई। हमें शर्म आती है उसके बारे में अगर हम आपको सच्चाईयां कहें। तो हम उस लिबास की भी ताकीद करेंगे। आपको दुबई के अंदरूनी हालत नहीं मालूम। आबूधाबी और शारजाह के

नहीं मालूम। कितनी अख़लाकी कमजोरियां हैं वहां। एक ऐसे आदमी से, ठीक है मेहमान है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़कर और एक छोटे से रेगिस्तानी जज़ीरे के होने वाले सुल्तान को जो सुल्तान है भी नहीं। अभी शहजादा ही है पता नहीं सुल्तान होगा भी या नहीं होगा, जिस तरह भागकर उसका खैरमकद्म किया गया है, इससे यह लगता है कि हमारे सामने दिखावे का है सब कुछ। सच उससे बिल्कुल परे है। मेरी बात को आपने गलत माना लेकिन मैं फिर कहता हूं संजीदगी से, कि अफगानिस्तान से किसी जहाज का पाकिस्तान में उतरना इसलिये गलत था कि आप लोगों को अगर अपने बड़ों ने बताया होगा तो जरूर बताया होगा कि जब बापू की हत्या हुयी थी, उस जमाने में पंडित जवाहर लाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग हुआ करते थे। जैसे ही यह मालूम हुआ कि बापू की हत्या हो गयी, लोगों ने हथियार जमा करना शुरू कर दिये और पूरे मुल्क में यह माहौल बना कि यह हत्या मुसलमानों ने की होगी। मौलाना आजाद प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पहुंचे और बाजुओं से उठा लिया और कहा चलो आल इंडिया रेडियो। आल इंडिया रेडियो लेकर गये और डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ और पंडित जी ने राष्ट्र से यह कहा कि एक सिरफिरे नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर दी है, वह आग जो पूरे देश में लगने वाली थी, वह आग बिल्कुल खामोश हो गयी, शांत हो गयी वह आग। खुदा ने बहुत अच्छा किया कि कुछ नहीं हुआ लेकिन अफगानिस्तान में 9 साल का बच्चा अपने कांधे पर राकेट लांचर रखकर जहाज गिराता है, अगर कोई हादसा हो जाता किस मुल्क में, जिसने इस हद तक हमें मजबूर कर दिया कि हमारा फौज का वजीर जहाज से ले जाकर कंधार उनके मुजरिमों को पहुंचाकर आया, उसके यहां तमाम नार्म्स तोड़कर, इंटरनेशनल रूल्स तोड़कर, नेशनल रूल्स तोड़कर हमारे देश का प्रधानमंत्री चला जाये, अगर कोई हादसा हो जाता तो हिन्दुस्तान में क्या नहीं होता। कत्लेआम हो जाता, इसे संजीदगी से सोचिये। यह मामूली हादसा नहीं हुआ है, इसलिये कहीं तो हम सोचें कि हमारी राजनीति कहां है और हमारी ज़ाती जिन्दगी कहां हैं। हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं जब हम यहां बैठते हैं, एक दूसरे के गम एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। इस तरह मिलते हैं हम एक दूसरे से। लेकिन क्या हो जाता है अपने क्षेत्रों में जाने के बाद, कहां चली जाती हैं हमारी इंसानियत और हमारी आदमियत। हम इंसान से दरिंदा हो जाते हैं महज चंद वोटों के लिये। हमारे यहां कहा जाता है कि औलाद, रोजी और भविष्य आसमान वाला देता है और अगर यह सच न होता तो नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। कुदरत दिखाती है। करिश्मे दिखाती है कि देखिये, बर्फ में से एक इंसान जिन्दा निकला, वह अलग बात है लेकिन कुदरत ने अपनी ताकत को मनवाया कि मानो मैं हूं। इसलिए बहुत जरूरत इस बात की है कि हम कुछ बेहतर बनने की कोशिश करें। हमारे बारे में तो बहुत बुरा कहा जाता है लेकिन आज भी बुरा कहने वालों के पैसे से हमने कितना शिक्षा का काम किया है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए मुसलमानों का पैसा नहीं लगा है, 10–20 फीसदी पैसा लगा होगा मुसलमानों का, पूरा विश्वविद्यालय मेरे हिन्दू दोस्तों के पैसे से बना है पूरा विश्वविद्यालय। बच्चों के स्कूल बने हैं उनके पैसे से और शायद यह अनोखी मिसाल होगी कि दुनिया

की 10 मस्जिदों में बनने वाली एक मस्जिद में 80 फीसदी पैसा मेरे हिन्दू दोस्तों का है। तो अगर हम अच्छे वास्ते, अच्छे रिश्ते रखें तो यह बहस शायद नहीं होगी कि कानून–व्यवस्था खराब है या अच्छी है, हम खुद ही सक्षम हैं इसे अच्छा बनाने के लिए। हम कोशिश करें, सरकारें जो भी बनायें लेकिन सही काम सही हों और गलत काम गलत हों और गुमान की बुनियाद पर हम एक दूसरे को सजा ना दें। कानून–व्यवस्था कैसी है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, कैसे ठीक होगी, इसे भी आप जानते हैं। जो सरकार कर सकती है उसे करने में कहीं कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस विषय पर बड़ी गहरी चिन्ता जाहिर की है। जब सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की चिन्ता एक है तो मान्यवर, इस सूचना को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने की कृपा कर दें और जब चर्चा करायेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ विकल्प निकलकर सामने आयेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से संसदीय कार्यमंत्री जी का जवाब आया है उससे उनकी सदाशयता और उनकी संवेदनशीलता मालूम होती है लेकिन मान्यवर, जो यहां पर पूरे प्रदेश में चार साल से स्थिति चल रही है कोई पत्रिका, कोई रिसाला, कोई अखबार ऐसा नहीं है कि जिसने इस पर कोई टिप्पणी न की हो। जब यह महसूस किया जाता है सत्तापक्ष की ओर से और हम भी तैयार हैं इस बात के लिए, आज हमने आपसे अपनी नोटिस में भी यही मांग की है, नेता विरोधी दल ने भी यही कहा है तो एक पूरे दिन इस पर चर्चा हो जाए, मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी काफी दिन सदन चलेगा और आपको बहुत मौके मिलेंगे चर्चा कराने के, आप मायूस क्यों हो रहे हैं अपने आप से।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम बिल्कुल मायूस नहीं हैं, हम किसी कीमत पर मायूस नहीं हैं। देखिये चर्चा से कुछ न कुछ लाभ होगा इसलिए मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लें, चर्चा आप जब चाहें तब करा लें चाहे तो एक हफ्ते बाद करा लें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही सहमत हैं तो इस पर आप चर्चा की अनुमति दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

दोनों तरफ से बातें आ गईं, परम्परा यह रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर और बजट की साधारण चर्चा पर मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की सभी घटनाओं पर ब्यौरेवार

बात रख सकते हैं तो इन दोनों अवधि में चर्चा का औचित्य नहीं पाया जाता क्योंकि आप अपनी पूरी बात इस चर्चा में कह देंगे। मा0 मौर्या जी ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, कुछ घटनाओं का उल्लेख मा0 खन्ना साहब ने अपने भाषण में किया, उन्होंने भी किया और सारा सरकार के संज्ञान में आया और मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम इसको दिखवायेंगे तो बातें तो सारी आ गई हैं। अब जो घटनाएं हैं उनको मा0 सदस्य भी बोलेंगे और अभी मा0 मौर्या जी को फिर बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर मिलेगा तो आप चाहें तो उस समय बोल लें लेकिन इन दोनों चर्चाओं के बीच में अलग से चर्चा लगाना उचित नहीं है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो और कानून–व्यवस्था पर अलग से चर्चा हो या बजट पर जनरल डिबेट हो और कानून–व्यवस्था पर अलग चर्चा हो।

ये दोनों जब बीत जांय तब बाद में अलग से लगाईये तब उसमें कुछ हो। माननीय मौर्या जी, ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर मान लेंगे तो बहुत कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन ये दोनों चर्चा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर डिबेट और बजट पर जनरल डिबेट खत्म हो जाए तब उसके बाद आप इसे लगाईये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सहमत हैं लेकिन इसको स्वीकार आज ही कर लें, घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आगे बढ़ते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समाजवादी पार्टी की सरकार अपराधियों से मिली हुई है इसलिए चर्चा कराने से भाग रही है और इस ख ग ग ग , समाजवादी पार्टी सरकार के इस जनता विरोधी रवैये को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिष्कार करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर गये)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुदेश शर्मा जी, गन्ना पर अपनी बात रखें।

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

'श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर किसानों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम–56 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत–बहुत साधुवाद। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का कई हजार करोड़ रुपये आज भी बकाया है। खुद मेरे मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो मोदी शुगर मिल है उस पर पिछले वर्ष का बकाया है वह 68 करोड़ रुपया है और वर्तमान बकाया 115 करोड़ रुपया है और जो बराबर में मलकपुर शुगर मिल है उसमें भी लगभग 300 करोड़ रुपया बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार किसान वर्ष मना रही है, किसानों के हितैषी होने की हम बात कर रहे हैं। ये कैसी दुभाषी बात है कि जहां किसानों का पिछले वर्ष का सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया हो, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को फिर भी यह किसान वर्ष मनाने में और किसानों की हितैषी बताने में जरा भी संकोच नहीं आ रहा है। यह कैसी विडम्बना है, आप स्वयं किसान परिवार से जुड़े हैं थोड़ा कल्पना करके देखिये कि वह किसान जो पॉच बीघे या सात बीघे का किसान है वह कैसे गुजारा कर रहा होगा। मा0 अध्यक्ष जी, यह केवल बोलने की बात नहीं है क्या मुंह लेकरके क्षेत्र में हम लोग जांय कि जहां पर कई सौ करोड़ रुपये बकाया हो।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पैसिफिक किसी मिल का बताईये।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं स्पैसिफिक ही बता रहा हूं। पिछले वर्ष का 68 करोड़ रुपये का बकाया और इस वर्ष का 115 करोड़ रुपया बकाया बता रहा हूं। उनमें से एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ। माह जून, 2015 में हाईकोर्ट के आदेश पर 3/7, 420 इन संगीन धाराओं में मिल मालिक के खिलाफ और वहां के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन जून से लेकरके दूसरा जून आने वाला है मा0 अध्यक्ष जी, वे लोग खुले घूम रहे हैं कोई उनका बाल बांका करने वाला नहीं है। यदि एक किसान के ऊपर 10, 20, 50 हजार या 01 लाख रुपये की रिकवरी आ जाती है तो उसको तहसील का अमीन भी पकड़कर अंदर कर देता है। किसी पर बिजली की रिकवरी आ जाए तो वह अंदर हो जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, खुद मेरी अध्यक्षता में मोदी नगर तहसील पर प्रशासन की और किसानों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और उसमें वही इंसान, उनका जो मिल का अध्यासी है वह बैठ करके कह रहा है कि साहब भुगतान तो है नहीं हमारे पास, जो चाहे आप कर लें। वह भी उस मुकदमें में भी वांछित था हमने एस0डी0एम0 और वहां के एस0पी0 से पूछा कि एक अपराधी किस तरीके से यहां पर आपके बीच में बैठ करके ऐसा बयान दे रहा है? मात्र उसको गिरफ्तार करके जेल अवश्य भेजा गया, वह भी मैंने कहा कि यह मुल्जिम है इसको गिरफ्तार करके जेल

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

भेजने का काम करो तब उसको जेल भेज दिया गया, और देखिये कि किस तरह से मजाक उड़ाया गया कि अगले दिन उन लोगों ने मोदी शुगर मिल को बंद कर दिया। जब शुगर मिल का लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें यह कन्डीशन होती है कि आप बिना नोटिस दिये बिना दो महीने तीन महीने या सीजन में आप मिल बन्द नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने ब्लैक मेल करने के लिये मिल को बन्द कर दिया तो जब जिला प्रशासन ने उनके गन्ने के जो केन्द्र थे उनका एलॉटमेंट कहीं और मिलों में कर दिया उनके कांटे स्थापित करने की बात कही तो दो दिन बाद उस मिल को चला दिया गया। न तो उन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम .... से नहीं अध्यक्ष जी, अभी बात पूरी नहीं हो पाई है। मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

सुनिये तो मेरी बात। राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको बोलने का मौका मिलेगा। यहां कुछ संक्षेप में बातें बताई जाती हैं ग्राह्यता पर। जब आप राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण करेंगे तब आप यह सारी बातें रखना। वो आवश्यक क्यों है ? यह बताओं की गन्ना का मूल्य अभी बाकी है इतना रुपया नहीं दिया, किसान परेशान है, ग्राह्यता पर यह सब बोलिये ना।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो गन्ने के भुगतान को लेकर यह लगाया। गन्ने के भुगतान को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी यह लगाया है जहां तक उसकी बात है तो गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई। बल्कि उल्टा 500 करोड़ रूपये का जो ब्याज बनता है किसानों का, वह ब्याज भी माफ कर दिया गया। मैं उन बातों पर तो अभी जा ही नहीं रहा हूं। यह ठीक है कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण में उसकी चर्चा कर लूंगा। लेकिन मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह सरकार तब जागेगी जब वह किसान आत्महत्याएं करना शुरू कर देगा। आज किसान आत्महत्या की कगार पर है। आप सोचिये जिसका कई सौ करोड़ बकाया है कैसे उसके बच्चों की फीस जमा होती होगी ? कैसे उसके घर में सब्जी बनती होगी ? कैसे वह अपनी बेटी के हाथ पीले करेगा। उसके साथ यह बहुत बड़ी समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की नीयत साफ है, यदि सरकार की कोई नीति है तो क्यों नहीं सरकार जब दो चार हजार करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के किसानों का बचा है तो उसमें किसानों को सरकार सीधा चेक दे करके उन मिल मालिकों पर डाल सकती है, उनसे रिकवरी कर सकती है। लेकिन यह सरकार क्या किसानों का भला नहीं चाहती ?

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इसी सदन में हमने धन्यवाद भी दिया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं कि मोहिउद्दीनपुर का शुगर मिल चलवाया। पिछली सरकार ने उसको बेचने का काम किया लेकिन आपकी सरकार ने मोहिउद्दीनपुर की शुगर मिल को चलवाने का काम किया। यह बहुत बधाई का काम था इसके लिये कई बार धन्यवाद भी दिया। लेकिन जो मिल चलवाया और यदि उसका भुगतान नहीं होगा तो क्या हम इस बात का इंतजार करेंगें माननीय अध्यक्ष जी, कि जब किसान आत्महत्या कर लेगा।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, सरकार का भी तो वर्जन आने दीजिये। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देते हैं।

श्री सुदेश शर्मा–

मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिये।

(सदस्य श्री पंकज कुमार मलिक के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप एक मिनट में अपनी बात कहिये।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

अध्यक्ष जी, गन्ना किसान आज बहुत परेशान है, दुःखी है। मैं सिर्फ अपने जनपद शामली और मुजफ्फरनगर की बात करना चाहूंगा। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान धरना करने पर मजबूर है, आत्म हत्या करने की कगार पर है। अध्यक्ष जी, हमारे जनपद शामली में शामली शुगर मिल में पिछले वर्ष का आज भी 19 करोड़ रूपया बकाया है। ऊन मिल में 12 करोड़ आज भी बकाया है पिछले वर्ष का। और तितावी शुगर मिल पिछले वर्ष का 50 परसेन्ट अब तक भुगतान नहीं कर पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में किसान कैसे जी पायेगा, कैसे बच्चों की शादी कर पायेगा, कैसे उसके बच्चे पढ़ेंगे ? उसका भविष्य अन्धकार में है अध्यक्ष जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से, सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि किसान के पास यही उसके जीवन यापन करने का एक तरीका है। उसकी पहले की फसल का भुगतान नहीं हुआ और अगली फसल भी मिल मालिकों के पास कारखाने में पड़ी है। अध्यक्ष जी, इस वर्ष अकेले शामली में लगभग 91.88 करोड़ और थाना भवन में 85.79 करोड़ और ऊन में कुल 41.3 करोड़ आज भी तितावी मिल पर लगभग 100 करोड़ रुपया बकाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उस मरते किसान को बचाने का काम कीजिये। जल्द से जल्द भुगतान कराने का काम कीजिए। किसान के नाम पर, नौजवान के नाम पर यह सरकार आई थी किसान का भुगतान करेंगे तो हम यहीं खड़े हो करके धन्यवाद देंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मान्यवर, बहुत पैसा तो दिया भी गया है और माननीय सदस्य मानते भी हैं और बाकी की अदायगी भी जल्द करेंगे।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात है। जब प्राइवेट मिल वाले पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइये।

श्री अध्यक्ष–

आप एक महाजन को तो बंद करा दिये थे। वह बेचारा आया था मीटिंग में।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

माननीय अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने किसी भी तरह से मालिकान को प्रताड़ित करने के लिये पाबंद किया है। आप उस आर्डर का मॉडिफिकेशन करा लाइए आप जो आदेश ले आएंगे उसे लागू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तो यह सरकार नहीं जा पाएगी। (शोर)

श्री सुदेश शर्मा–

उमेश मोदी का भी तो किया था।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया आप बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कितना भुगतान किया है सब आपको मालूम है। जो भुगतान नहीं हो सका है उसकी वजह भी आप जानते हैं। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वह भी आप जानते हैं अब आप कोई नया निर्देश ला देंगे तो वह लागू कर देंगे।

ख**समय 12.51**,

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 09–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं। उसमें यह तय हुआ था कि वह सूचनायें आज ली जाएंगी।

1. श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा समेत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के कारण अकाल की स्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

2. श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में सूखा राहत राशि का वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

3. श्री रविन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के बादशाह बाग में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों के निर्माण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है।

4. श्रीमती सीमा की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद ईंट भट्ठों को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

5. श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र में 2013–14 में कम्पोजिट विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रण में बनाये जाने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है।

(निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं)

6. श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में है।

7. श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पानी की टूटी हुई पाइप लाइनों को पुनः डलवाये जाने के सम्बन्ध में है।

8. श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने विचपुरी रोड वोदला पर दो वर्ष से नाले के टूटे होने से जल भराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

9. श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया के नगर पालिका परिषद् का पदेन सदस्य होने के बाद भी बैठक में न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

10. डा0 धर्मपाल सिंह की यमुना–एक्सप्रेस–वे के लिये जनपद आगरा व मथुरा के किसानों से अधिग्रहित की गयी भूमि का 64.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान अभी तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं

क्र0	नाम	क्र0	नाम
1-	श्री पंकज कुमार मलिक	16-	श्री अगयश रामसरन वर्मा
2-	श्री जय प्रकाश निषाद	17-	श्री सतीश महाना
3-	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	18-	श्री सुरेश कुमार खन्ना
4-	डा0 आर0के0 वर्मा	19-	श्री नीरज कुशवाहा मौर्य
5-	श्री दलवीर सिंह	20-	डा0 रमेश चन्द्र विन्द
6-	श्री भीम प्रसाद सोनकर	21-	श्री उमेश पाण्डेय
7-	श्री जियाउद्दीन रिजवी	22-	श्री विजय कुमार पासवान
8-	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा	23-	श्री संजय प्रताप जयसवाल
9-	श्री कालीचरन सुमन	24-	श्री राज कुमार रावत
10-	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	25-	श्री राम चन्द्र यादव
11-	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया	26-	श्री मनीष असीजा
12-	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	27-	श्रीमती अराधना मिश्रा (मोना)

13-	श्री गजेन्द्र सिंह	28-	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
14-	श्री मो0 जासमीर अंसारी	29-	श्री प्रदीप माथुर
15-	श्री अनीसुर्रहमान		

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 11 फरवरी, 2016

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट 'क'

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33–34 पर)

मानसून की विभिन्न परिस्थितियों में फसल प्रबन्धन की रणनीति एवं आकस्मिक योजना, 2015

प्रदेश के लम्बी अवधि के वर्षा आंकड़ों की संगणना से यह भी तथ्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तीन वर्ष में से किसी एक वर्ष औसत वर्षा की मात्र 75 प्रतिशत या इससे भी कम वर्षा प्राप्त होने की सम्भावना रहती है। फलस्वरूप असामान्य मानसून की परिस्थितियों में फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। प्रदेश को कुल कृषि जलवायु के आधार पर 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है प्रदेश की कृषि आकस्मिक योजना को प्रभावी बनाने के लिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन को 20 एग्रो इकोजोन में विभक्त करते हुए फसलवार योजना तैयार की गयी है। दक्षिण–पश्चिम अर्ध–शुष्क मैदानी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड अंचल में मानसून जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में ही सक्रिय रहता है। अतः इन क्षेत्रों में कम पानी चाहने वाली तथा कम अवधि की फसल/फसल प्रजातियां लगाने की संस्तुति की गयी है।

अतः विद्यमान परिस्थितियों एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार आकस्मिक कार्य योजना तैयार की गयी है।

मानसून की विभिन्न परिस्थितियां

सामान्यतया प्रदेश में मानसून (वर्षा) की निम्न परिस्थितियां देखने में आती हैं :–

1. वर्षा समय पर प्रारम्भ होने के बाद लम्बे अंतराल के होने की दशा।
2. वर्षा विलम्ब से शुरू होने की दशा।
3. वर्षा का बीच–बीज में रुकने (सूखा/अवर्षण) की स्थिति।
4. वर्षा का समय से प्रारम्भ होकर समय से पहले समाप्त होने की स्थिति।
5. मानसूनी वर्षा के सामान्य से कम होने की स्थिति।
6. सामान्य से अधिक वर्षा/जलमग्नता की स्थिति।

प्रदेश के 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन को 20 एग्रो इकोजोन में निम्नानुसार विभाजित किया गया है :–

एग्रो इकोलाजिकल जोन	जनपद के नाम
01	उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद
02	बदायूं, हरदोई, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा
03	बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी,

एग्रो इकोलाजिकल जोन	जनपद के नाम
	सहारनपुर, मु0 नगर
04	मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा
05	आगरा
06	जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी
07	बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर
08	अम्बेडकर नगर, जौनपुर, भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद
09	ललितपुर, झांसी का दक्षिणी भाग
10	बांदा, चित्रकूट
11	बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ का कुछ भू–भाग
12	सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी
13	गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती
14	इलाहाबाद, मीरजापुर, चन्दौली, गाजीपुर
15	आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर का कुछ हिस्सा
16	सोनभद्र, कुछ हिस्सा इलाहाबाद, मीरजापुर, चन्दौली
17	सहारनपुर, मु0 नगर, बिजनौर, मुरादाबाद एवं रामपुर का तराई भाग
18	बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच का तराई भाग
19	बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं सिद्धार्थनगर का कुछ भू–भाग
20	श्रावस्ती, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर का कुछ भू–भाग

मानसून की विभिन्न स्थितियों में फसल प्रबन्धन हेतु प्रमुख उपाय

क्र0 सं0	दशा	प्रमुख उपाय
01	वर्षा 2 सप्ताह देर से प्रारम्भ	• फसलों में कोई परिवर्तन नहीं सामान्य फसलें बोयी जायेंगी।
02	वर्षा 4 सप्ताह देर से प्रारम्भ	• समस्त 20 एग्रो इकोलॉजी–जोन के जनपदों में सामान्य फसलों की आवश्यक

क्र0 सं0	दशा	प्रमुख उपाय
		सिंचाई द्वारा संरक्षण किया जायेगा। • सूखे की स्थिति के दृष्टिगत धान की सीधे बुवाई ड्रम–सीडर के माध्यम से कराना श्रेयस्कर होगा। • सिंचाई, सायंकाल ही किये जाने की संस्तुति की गयी है।
03	वर्षा 6 सप्ताह देर से प्रारम्भ	• समस्त 20 जोन के जनपदों में मक्का के स्थान पर बाजरा की बुवाई की संस्तुति की जाती है। • दलहनी फसलों का विरलीकरण किया जाय।
04	वर्षा 8 सप्ताह देर से प्रारम्भ	• प्रदेश के समस्त 20 एग्रो इकोलॉजी–जोन के जनपदों में मक्का के स्थान पर बाजरा की बुवाई करें अथवा तोरिया की बुवाई की तैयारी करें। • धान की फसल न लें। वहां पर चारे के लिये ज्वार अथवा बाजरा फसल की बुवाई करें।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–100 का उत्तर पीछे 80 पर)

मै0 तिरुपति कन्टेनर्स प्रा0 लि0, ए–3/3, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या

उपरोक्त इंगित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 13–01–2016 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में एच0आर0 क्वाइल्स, जिंक, एचसीएल क्षमता क्रमशः 55.0 मी0 टन/दिन, 0.75 मी0टन/दिन एवं 400 किग्रा0/दिन का प्रयोग कर ब्लैक एण्ड जी0आई0 पाइप क्षमता 50 मी0टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त परिसर में एल0पी0जी0 सिलेण्डर का भी उत्पादन किया जाता है।
2. उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में इक्वालाइजेशन टैंक, रियेक्शन टैंक, ट्यूब सेटलर, ड्यूल मीडिया फिल्टर, सेटलिंग टैंक एवं स्लज ड्राइंग बेड्स आदि इकाइयां स्थापित हैं। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की डोजिंग इकाई बन्द पायी गयी तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रख–रखाव व संचालन भी संतोषजनक नहीं पाया गया।
3. उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण के पश्चात् औद्योगिक ड्रेन के माध्यम से किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद की प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार उत्प्रवाह में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी है।

   उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण श्रोत के रूप में मेल्टिंग फर्नेश एवं एसिड होल्डिंग टैंक स्थापित है। जिंक मेल्टिंग फर्नेश के संचालन हेतु ईंधन के रूप में फर्नेश आयल का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बेट स्क्रबर, साइक्लोन से सम्बद्ध 20 मीटर ऊंची चिमनी की व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के दौरान वेट स्क्रबर संचालित नहीं पाया गया। उद्योग में दो नग डी0जी0 सेट (क्षमता 62.5 केवीए एवं 200 केवीए) स्थापित हैं। उक्त डी0जी0 सेटों पर उत्सर्जन के निस्तारण हेतु पृथक–पृथक चिमनियां बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित पायी गयीं।
4. उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 तक जल/वायु सहमति निर्गत की गयी है।
5. निरीक्षण के दौरान उद्योग की हाउस कीपिंग संतोषजनक नहीं पायी गयी।

6. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु व नलकूप पर वाटर मीटर स्थापित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त आख्या में अंकित तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित अधिनियम, 1978 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः उद्योग के विरुद्ध धारा–33(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

REGIONAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Sector-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD (U.P.) Phone : 0120-2883720

INDUSTRIAL WASTE WATER SAMPLE ANALYSIS REPORT

1. Sample Code No. 329/1/16
2. Name of the Industry M/s. Tirupati Containers Pvt Ltd Unit-I A 83/3 Ind Area SKD
3. Sample Collected by Shri J.K. Sharma, S.P. Singh, D.C. Gupta L.A J.E J.E
4. Date & Time of Sample Collection 13-1-16 Western Jandp A.S.O
5. Sampling Point Final Outlet

S.No.	Parameters	Values in mg/l except pH	Standards prescribed by U.P.P.C.B.
1.	Colour	Turbid	Colourless
2.	Odour	Odourless	Odorless
3.	pH	6.0	5.5 to 9.0
4.	Total suspended Solids	112.0	100.0 mg/l
5.	Total dissolved Solids	976.0	
6.	Total Solids	1088.0	
7.	Biochemical Oxygen Demand (3 days Incubation at 27°C)	42.0	30.0 mg/l
8.	Chemical Oxygen Demand (Dichromate reflux method)	310.0	250.0mg/l
9.	Oil and Grease	5.8	10.0 mg/l
Specific Parameters			
10.	Chromium (Hexavalent) (Cr^{+6})	—	0.1 mg/l
11.	Total Chromium (Cr)	—	2.0mg/l
12.	Zinc (as ZN)	4.5	5.0mg/l
13.	Nickel (as Ni)	—	3.0mg/l
14.	Iron (as Fe)	3.2	3.0mg/l
15.	Copper (as Cu)		3.0mg/l
16.	Cobalt (as Co)		3.0mg/l
17.	Cadmium (as Cd)		2.0mg/l
18.	Phosphate (Po_4-)		5.0mg/l
19.			

Remarks :

19/1/16
Scientific Asstt. Asstt. Scientific Officer Regional Officer

परिशिष्ट–'क'

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85–86 पर)

केन्द्र पुरोनिधानित योजना ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' दलहन घटक जिसके अन्तर्गत कृषकों के लिये विभिन्न कार्यक्रमों पर अनुमन्य अनुदान निम्नवत् हैं :–

क्र0सं0	मद का नाम	इकाई	दलहन घटक	अभ्युक्ति
1	क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0) (निःशुल्क)	रु0/हे0	7500	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित राशि, जो भी कम हो, कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।
2	फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)	रु0/हे0	12500	
3	बीज वितरण–उन्नतशील प्रजातियां	रु0/हे0	2500	
4	पौध/मृदा रक्षा प्रबन्धन	रु0/हे0		
	– सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/हे0	500	
	– कृषि रक्षा रसायन/जैव नाशी	रु0/हे0	500	
	– जिप्सम/सल्फर	रु0/हे0	750	
	– राइजोबियत कल्चर/पी0एस0बी0 कल्चर	रु0/हे0	300	
	– खरपतवारनाशी	रु0/हे0	500	
5	कृषि यंत्र			
	– मानव चालित स्प्रेयर	रु0/मशीन	600	
	– पावर नैपसैक स्प्रेयर	रु0/मशीन	3000	
	– सीडड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडड्रिल/जीरोटिल मल्टी क्राप प्लान्टर/रिज फरो प्लान्टर	रु0/मशीन	15000	
	– रोटावेटर	रु0/मशीन	35000	
	– लेजर लैण्ड लेवलर	रु0/मशीन	150000	
	– पैडी थ्रेशर/मल्टीक्राप थ्रेशर	रु0/मशीन	40000	
	– चीजलर	रु0/मशीन	8000	
	–ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	रु0/मशीन	10000	
6	सिंचाई यंत्र			
	– पम्पसेट/स्प्रिंकलर सेट	रु0/मशीन	10000	

	– मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन	रु0 / रेनगन	15000	
	– पानी ले जाने हेतु पाइप	रु0 / सेट या रु0 25 / मी.	15000	प्रति कृषक अधिकतम 600 मीटर हेतु
7	प्रशिक्षण–फसल पद्धति आधारित	रु0 / प्रशिक्षण	14000	4 प्रशिक्षण सत्र रु0 3500 प्रति सत्र

पी0एस0यू0पी0–एल0 28 विधान सभा (48)–25–05–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।